VISIONIAS
www.visionias.in

समसामयिकी

जुलाई - 2017

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और संविधान.....5

1.1. सोशल ऑडिट की आवश्यकता..... 5

1.2. बड़ी खंडपीठों से सम्बंधित मामला 6

1.3. जेल सुधार..... 7

1.4. CEC की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे 10

1.5. सिविल सेवा में पार्श्व (Lateral) प्रवेश 10

1.6. शहरी वित्तपोषण..... 11

1.7. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2016 12

1.8. आर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन 14

1.9. गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस..... 14

1.10. ग्लोबल इंडेक्स ऑफ़ कन्ट्रीज में भारत तीसरे स्थान पर 15

2. अंतर्राष्ट्रीय/ भारत एवं विश्व.....16

2.1 भारत-इजराइल..... 16

2.2. भारत तथा जापान..... 17

2.3. यूरोपीय संघ के साथ इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मेकेनिज्म स्थापित..... 18

2.4. बांग्लादेश के साथ जॉइंट इंटरप्रीटेटिव नोट्स एग्रीमेंट19

2.5. ब्रिक्स..... 19

2.6. G-20 शिखर सम्मेलन 2017 19

2.7. SASEC रोड कनेक्टिविटी..... 20

2.8. नई परमाणु हथियार निषेध संधि..... 21

2.9. श्रीलंका-चीन 22

2.10. जिबूती में चीन का मिलिट्री बेस..... 22

2.11. मालाबार नौसेना अभ्यास 23

3. अर्थव्यवस्था.....24

3.1. वस्तु एवं सेवा कर..... 24

3.2. RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 26

3.3. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (RECs) का पहला ग्रीन बॉन्ड 28

3.4. ग्रामीण विद्युतीकरण 28

3.5. राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का मसौदा..... 30

3.6. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP)33

3.7. सॉवरेन गोल्ड बांड योजना 34

3.8. अवसंरचना परियोजनाओं का समय एवं लागत अनुमान से अधिक होना..... 35

3.9. गौण खनिजों की स्टार रेटिंग के लिए मसौदा टेम्पलेट35

3.10. कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन 36

3.11. भारत का वैश्विक विदेशी मुद्रा समिति का भाग बनना तय 37

3.12. ट्रेडमार्क अधिनियम..... 37

3.13. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से सरकार को 5700 करोड़ से अधिक की बचत..... 38

3.14. राज्य निवेश सम्भाव्यता सूचकांक..... 39

3.15. प्रधानमन्त्री वय वन्दना योजना..... 39

3.16. फसल बीमा योजनाओं पर कैग की रिपोर्ट..... 40

3.17. जूट किसानों की आय को दोगुना करने का सरकार का लक्ष्य: जूट-ICARE..... 40

4. सुरक्षा.....43

4.1. साक्ष्य आधारित पुलिस व्यवस्था (EBP):पुलिस सुधार43

4.2. युद्ध सामग्री की क्षमता पर कैग रिपोर्ट 43

4.3. क्रॉस-LOC व्यापार का उपयोग आंतकवाद वित्त पोषण के लिए किया जाता है: NIA..... 44

4.4. डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी के लिए बीमा कवर.. 45

4.5. चीन–भारत सीमा अवसंरचना..... 45

4.6. साइबर सुरक्षा सूचकांक 46

4.7. एडवांस्ड MRSAM..... 46

VISION IAS

5. पर्यावरण.....48

5.1 गहरे सागरीय छिद्र/निकास के आस-पास जैव विविधता48

5.2 सुन्दरवन में तेजी से समाप्त होते प्रसिद्ध मैंग्रोव वन .. 48

5.3 अंटार्कटिका के बर्फ-मुक्त द्वीप प्रसार की ओर अग्रसर. 50

5.4. एयरोसोल- भारतीय मॉनसून के कमजोर होने का कारण 50

5.5. केरल में नौ अन्य पक्षी, जैव विविधता वाले क्षेत्र.... 50

5.6. अधिक कुशल जैव ईंधन की ओर कदम: शैवाल से वसा51

5.7. सरदार सरोवर परियोजना (SSP) आधिकारिक तौर पर पूर्ण..... 52

5.8. डीप सी ट्रॉलिंग..... 53

5.9. नीलगिरि में सफेद बाघ देखा गया..... 54

5.10- एक सींग वाले गैंडों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स55

5.11 अल नीनो और चेन्नई बाढ़ 55

5.12. संदूषण को साफ़ करने के लिए सूक्ष्मजीव..... 56

5.13- गोदावरी में प्रदूषण का मानचित्रण और अनुमान . 57

5.14. भूवैज्ञानिकों ने भारतीय समुद्री जल की तलहटी में खनिजों की खोज की 58

5.15 सूखा की परिभाषा में परिवर्तन..... 58

5.16. बाघों के विचरण के लिए इको-ब्रिज..... 60

5.17 पृथ्वी के समक्ष छठें सामूहिक विलोपन की समस्या 60

5.18 पवित्र उपवनों को खतरा..... 61

5.19 तापीय प्रदूषण..... 62

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी.....63

6.1. प्रयोगशाला में एंटीबॉडी 63

6.2. सागर वाणी..... 63

6.3. हाईटेक सार्वजनिक परिवहन हेतु प्रस्ताव 63

6.4. कालाज़ार से लड़ने के लिए प्राचीन उपाय 64

6.5. बर्ड फ्लू..... 65

6.6. सरस्वती: आकाशगंगाओं का सुपरक्लस्टर..... 65

6.7. एस्टेरोइड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट मिशन. 66

6.8. सोहम - श्रवण परीक्षण (हियरिंग स्क्रीनिंग) उपकरण लांच 66

6.9. ISRO द्वारा लिथियम-आयन बैटरी के उपयोग की स्वीकृति 67

6.10. जिज्ञासा पहल 67

6.11. भारत में प्रथम प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष समर्थन केंद्र68

6.12. बौद्धिक सम्पदा अधिकार जागरूकता हेतु योजना - रचनात्मक भारत; नवोन्मेषी भारत..... 68

7. सामाजिक.....69

7.1. बच्चों में मोटापे की समस्या..... 69

7.2 जिला अस्पतालों में चयनित सेवाओं का निजीकरण 70

7.3. मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना71

7.4. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना..... 73

7.5. दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग 73

7.6. नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 75

7.7. मैनुअल स्केवेंजिंग और स्वच्छ भारत अभियान..... 76

7.8. भारत में खाद्य अपव्यय..... 77

7.9. भारतीय समुदाय कल्याण कोष..... 78

7.10. हीमोग्लोबिनोपैथीज पर नीति..... 78

7.11. यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक-बॉक्स (शी-बॉक्स)..... 79

7.12. UNAIDS के अनुसार अब HIV संक्रमित आधे रोगी उपचार प्राप्त कर रहे है..... 80

7.13. बच्चों में ड्रग रेज़िस्टेंट TB अपेक्षा से अधिक..... 81

7.14. परिवार कल्याण की नयी पहल: मिशन परिवार विकास 83

7.15. *सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क*: 157 देशों में भारत का 116वां स्थान..... 85

7.16. CAG ऑडिट में RTE के कार्यान्वयन से संबंधित कमियाँ उजागर हुई..... 86

VISION IAS

7.17. जारवा से संबंधित विडियो पर कार्रवाई करेगा ST आयोग 86

7.18. गरीब नवाज़ कौशल विकास केंद्र..... 87

7.19. रामकृष्ण मठ के संस्थान EPFO के दायरे से बाहर रहेंगे 87

7.20. महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार विधेयक को मिली राष्ट्रपति की अनुमति 88

7.21. भारत 2026 तक दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएगा – UN एवं OECD 88

7.22. घरेलू कामगार एवं संरक्षण की आवश्यकता 89

7.23. जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम 2017 90

7.24. नवीन ऑनलाइन शिक्षा पहलें 91

8. संस्कृति 92

8.1. अहमदाबाद को भारत की प्रथम वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा..... 92

9. नैतिकता.....95

10. विविध.....97

10.1. पुडुचेरी में उपराज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री 97

10.2. मंत्रालयों का विलय 97

10.3. राज्य ध्वज का मुद्दा..... 98

10.4. IIIT (PPP) विधेयक, 2017 98

10.5. आयकर सेतु 98

10.6. इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट..... 99

10.7. कंक्रीट वायु प्रदूषण के नियंत्रण में सहायता कर सकता है 99

10.8. मिज़ो शांति समझौता..... 99

10.9. IROAF को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार..... 100

10.10. विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय . 100

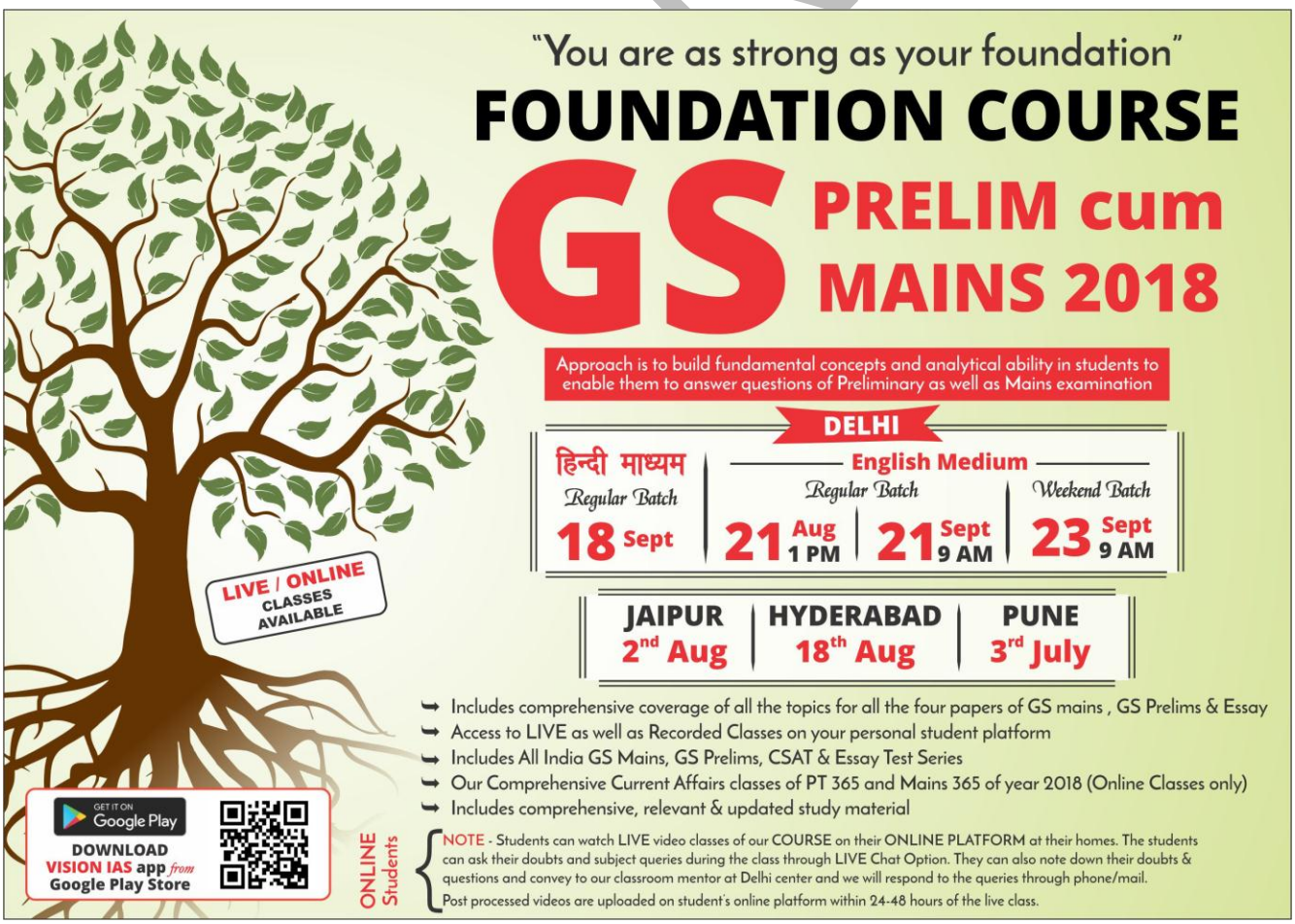

1. राजव्यवस्था और संविधान

(POLITY AND CONSTITUTION)

1.1. सोशल ऑडिट की आवश्यकता

(Need For Social Audit)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

सरकार की विभिन्न नीतियों के सन्दर्भ में, अत्यधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की जा रही है। इसके लिए सोशल ऑडिट व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

सोशल ऑडिट क्या है ?

- सोशल ऑडिट का आशय, **कानूनी रूप से अनिवार्य** एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से संभावित और विद्यमान लाभार्थी, सरकारी योजनाओ के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कर सकते हैं। द्रष्टव्य है कि यह मूल्यांकन वास्तविक स्थितियों के आधार पर आधिकारिक रिकॉर्ड से तुलना द्वारा किया जाता है।
- इसमें लाभार्थी, कार्यान्वयन एजेंसी एवं निरीक्षण तंत्र एक साथ मिलकर किसी कार्यक्रम विशेष के कार्यान्वयन और प्रगति पर विस्तार से चर्चा करते हैं।

CAG तथा सोशल ऑडिट

स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का ऑडिट (Audit) राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है| पंचायती राज संस्थानों (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) की प्राइमरी (एक्सटर्नल) ऑडिट ***स्टेट लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट*** (LFAD) या राज्य कानूनों में निर्दिष्ट लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है।

- CAG का ऑडिट, कर दाताओं के हित में किया गया एक एक्सटर्नल ऑडिट है। CAG द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट सम्बन्धी मामलों पर संघ और राज्य विधान मंडलों द्वारा विचार-विमर्श किया जाता हैं। इसके पश्चात कार्यपालिका को उचित प्रबंधन हेतु कदम उठाने के लिए अनुशंसायें की जाती हैं। व्यापक सैद्धांतिक अर्थ में, CAG द्वारा किया गया ऑडिट स्वतः एक सोशल ऑडिट है।
- अब भी, CAG ऑडिट एक सरकारी प्रक्रिया है। हालांकि,सोशल ऑडिट जैसी संकल्पना के माध्यम से ऑडिट व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक लेखा परीक्षा से प्राप्त परिणामों को अंतिम रूप से सरकारी योजनाओं, सेवाओं एवं सुविधाओं का उपयोग करने वाले हितधारकों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है ।
- अधिकांश मामलों में CAG द्वारा निष्पादित ऑडिट मुख्यतः सरकारी एजेंसियो द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाओं पर केन्द्रित रहता है। जहाँ *आउटपुट (निर्गतो)* और परिणामों का वास्तविक सत्यापन CAG ऑडिट का द्वितीयक उद्देश्य होता है, वहीं यह सोशल ऑडिट के प्राथमिक एजेंडे में होता हैं।

सोशल ऑडिट का महत्त्व

- **PRIs,ULBs** तथा अन्य एजेंसियों की भूमिका विस्तार के सम्बन्ध में **14वें वित्त आयोग** द्वारा की गयी अनुशंसाओ की पृष्ठभूमि में सोशल ऑडिट की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योकि इस प्रकार की संस्थाओं पर कैग का ऑडिट संबंधी अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट है।
- यह इनपुट, प्रक्रिया, *वित्तीय एवं फिजिकल रिपोर्टिंग*, कंप्लायंस, भौतिक सत्यापन हेतु प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध कराता है *तथा* दुरूपयोग और धोखाधडी रोकना सुनिश्चित करता है। साथ ही, संसाधनों व संपत्तियों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करता है।
- **लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना-** अपने-अपने क्षेत्रो में लोग सरकारी योजनाओ के क्रियान्वयन की प्रत्यक्ष रूप से निगरानी करते हैं। इस प्रकार, यह एक सहभागी प्रक्रिया बन जाती है। यह व्यवस्था दीर्घकालिक रूप से लोगों को सशक्त और विकास की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाती है।
- इसमें विकासात्मक पहल के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा संपन्न की गयी वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों प्रकार की गतिविधियों की समीक्षा शामिल है।

VISION IAS

सोशल ऑडिट की सीमाएं

- सोशल ऑडिट का क्षेत्र गहन (intensive), परन्तु अत्यधिक स्थानीय-कृत (localised) है तथा यह ऑडिट के अन्य बृहद पक्षों यथा:- वित्त,कंप्लायंस एवं निष्पादन लेखा परीक्षा (performance audits) में से केवल कुछ विशिष्ट पहलुओं को ही कवर करता है।
- सोशल ऑडिट के माध्यम से संपन्न निगरानी कार्य, अनौपचारिक और अपरिष्कृत होता है। इससे प्राप्त परिणामों के आधार पर सीमित रूप में ही कोई कार्रवाई होती है।
- संस्थानीकरण, जमीनी स्तर पर अपर्याप्त रहा है तथा प्रशासनिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण इसको स्थापित व्यवस्था के प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा है क्योकि सोशल ऑडिट का संस्थागत रूप, भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में प्रतिरोधक का कार्य कर सकता है|
- आंकड़ों की अपर्याप्त उपलब्धता एवं विशेषज्ञता का अभाव आदि अन्य बाधाएं हैं।
- *मीडिया में* सोशल ऑडिट तथा इससे प्राप्त परिणामों के विश्लेषण और महत्त्व का अभाव है।
- यद्यपि MNREGA में औपचारिक सामाजिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था की गई है, जबकि PDS, NRHM आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों का निचले स्तर पर निगरानी हेतु भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएं हैं। ये योजनाओं की उपयोगिता को सीमित करती हैं।

अनुशंसाएँ

- सोशल ऑडिट, CAG के ऑडिट को समग्र बनाता है। इसलिए, सामाजिक क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों हेतु सोशल ऑडिट प्रक्रिया को अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए।
- **आंध्र प्रदेश और राजस्थान** के *सिविल सोसाइटी ग्रुप* और ग्राम सभाओं की प्रगति से सीख लेते हुए सोशल ऑडिट के लिए अलग निदेशालय स्थापित किया जाना चाहिए तथा अन्य राज्य भी इस तरह के उपायों को लागू कर सकते हैं।
- विभिन्न ऑडिट योजनाओं के परस्पर संपर्क एवं उन्हें सिनक्रोनाइज करने हेतु सहयोग और समन्वय का एक औपचारिक ढांचा स्थापित किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण स्तर पर सभी सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों हेतु सोशल ऑडिट में समरूपता बनाये रखने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे सामुदायिक भागीदारी व्यवस्था को बेहतर संस्थागत रूप दिया जा सकता है।
- अधिकारों के बेहतर समझ हेतु ग्राम सभा को शिक्षित और जागरूक करना चाहिए।
- गैर-सरकारी संगठन, सोशल ऑडिट को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं,जैसे:- राजस्थान में **MKSS**।

1.2. बड़ी खंडपीठों से सम्बंधित मामला

(A Case For Larger Benches)

सुर्खियों में क्यों ?

- गोपनीयता के अधिकार संबंधी मामले की सुनवाई के लिए बनी 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एक बार फिर महत्वपूर्ण मामलों के निपटारण हेतु बड़ी संवैधानिक खंडपीठ के गठन के मुद्दे को चर्चा का विषय बना दिया है।

पृष्ठभूमि

- प्रारम्भिक वर्षों में, मुख्य न्यायाधीश सहित सभी 8 न्यायाधीशों की बेंच मामलों की सुनवाई हेतु बैठती थी।
- सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार में वृद्धि के कारण, संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 1950 में 8 से बढ़ाकर वर्तमान में 31 तक कर दी है जिससे खंडपीठों की गठन प्रक्रिया में परिवर्तन कर दो अथवा तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ के रूप में वे बैकलॉग के निपटारण (विचाराधीन मुकदमो) हेतु सुनवाई कर सकते है(वर्तमान में करीब 60,000 मामलें बैकलॉग है)।
- 1960 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष में लगभग 100 मामलों के लिए पांच न्यायाधीशों की या इससे बड़ी खंडपीठों का गठन किया गया। जबकि, 21वी सदी के पहले दशक तक सर्वोच्च अदालत ने एक वर्ष में औसतन 10 मामलों में संवैधानिक खंडपीठ का गठन किया |
- इस प्रकार वर्तमान में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई कम न्यायाधीशों की खंडपीठों द्वारा की जा रही है, उदाहरणस्वरुप RTE अधिनियम का मामला तीन न्यायाधीशों द्वारा तय किया गया तथा नाज फाउंडेशन का मामला सिर्फ दो न्यायाधीशों द्वारा।
- हालांकि, संवैधानिक खंडपीठ में अधिक न्यायाधीशों की संख्या,अन्य मामलों की सुनवाई हेतु अदालतों में न्यायाधीशों की अल्प उपलब्धता की स्थिति को जन्म दे सकती है।

बड़ी खंडपीठ की मांग के कारण:

- **संविधान का अनुच्छेद 145 (3):** इसके तहत संविधान की व्याख्या के संबंध में किसी भी "कानून के सारभूत प्रश्न" के निर्धारण हेतु कम से कम पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए।

- खंडपीठ में अधिक न्यायाधीशों के होने का अर्थ है कि महत्वपूर्ण मामलों पर **विभिन्न दृष्टिकोण**, अधिकाधिक विचारों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होने के साथ ही अधिक गंभीर विश्लेषण होना। इससे निर्णयों की **वैधता** में बढ़ोतरी होगी जिससे उन्हीं मुद्दों की पुनरावृत्ति न्यायालय के सामने कम होगी। उदाहरणस्वरुप,निजता के मुद्दे पर आठ या इससे अधिक न्यायाधीशों के द्वारा की जा रही सुनवाई।
- दो या तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ के बजाय पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ के **निर्णय को पलटना** अधिक कठिन है। इससे जनता का कानून के प्रति स्थिरता में विश्वास बढ़ेगा।
- कानूनों की स्थिरता 'डॉक्ट्रिन ऑफ़ प्रीसिडेंट' (Doctrine of precedent) को भी स्थायित्व प्रदान करती है क्योंकि अब तक उच्च न्यायालय और निचली अदालतें दोनों ही इस उलझन में रही हैं की पूर्व में उच्चतर न्यायालय द्वारा प्रदान किये गए भिन्न -भिन्न निर्णयों में से किसे आधार माना जाय|

आगे की राह

- किसी मामले में संवैधानिक मामले से संबंधित कोई "सारभूत प्रश्न" शामिल है या नहीं इस सम्बन्ध में स्पष्ट मानको तथा बड़ी बेंच की आवश्यकता है |
- इसके अलावा यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किसी मामले में पांच न्यायाधीशों से कम न्यायाधीशों द्वारा क्यों सुनवाई की जा रही है |

1.3. जेल सुधार

(Prison Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जून में, गायब हुए राशन की कुछ मात्रा के चलते "बायकुला की महिला बंदीगृह" में उम्र कैद की सजा कट रही एक महिला अपराधी की हत्या ने बंदी सुधारों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, विशेषकर हिरासत में लिये गए कैदियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में।

जेलों से संबंधित मुद्दे:

- **कैदियों की बढती संख्या-** दिसंबर 2014 तक अखिल भारतीय स्तर पर ऑक्युपेंसी रेट (occupancy rate) 117.4 प्रतिशत थी।
- **अंडरट्रायल-** कुल कैदियों की संख्या का 64.7 प्रतिशत, अंडर-ट्रायल कैदियों की संख्या है। इसका प्रमुख कारण पैसे का अभाव तथा जमानत या ट्रायल में समय लगना है।
- स्वास्थ्य और स्वच्छता की उपेक्षा और अपर्याप्त भोजन तथा कपड़ो की कमी।
- सुधार और पुनर्वास के बजाय प्रतिफल प्रदान करने (प्रतिकार या बदला लेने के सिद्धांत) पर फोकस।
- निर्भया डॉक्युमेंट्री मामले के पश्चात शामिल किये गए नए नियमों के बाद जाँच की प्रक्रिया जटिल हो गई है।
- रिहाई के बाद कैदियों की निगरानी तथा उनमे रचनात्मकता का विकास करने के लिए कोई नीति ना होना। यह समाज में उनके पुन: एकीकरण को बाधित करता है।
- जेल प्रबंधन राज्य का विषय है। इसलिए, विभिन्न राज्यों के प्रिजन मैनुअल में काफी भिन्नता देखने को मिलती है।

समाधान:

- **जवाबदेही:** इन संस्थानों में व्याप्त समस्याओ का समाधान, उन्हें जवाबदेह बनाकर किया जा सकता है।
- **निगरानी:** सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष देश के सभी जेलों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया था।
- **मॉनिटरिंग:** जेल अधीक्षक को नियमित रूप से जेलों का मुआयना करना चाहिए। कैदियों की शिकायतों को सुनने, समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने तथा उनका समाधान अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।
- **मनोवैज्ञानिक:** हिरासत में लिये गए लोगो को मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाना चाहिए ताकि वे जेल में उत्पन्न विषम परिस्थितियों का सामना कर सके।
- **मामलों को दर्ज करना और रिपोर्ट करना:**एफ़आईआर दर्ज करना और हिरासत के दौरान हुए मौत के सभी मामलों की घटना को 24 घंटे के भीतर NHRC को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। दोषी जेल अधिकारियों को दंडित किये जाने हेतु नियम बनाये जाना चाहिए।
- **दिशा निर्देश:** NHRC ने पुलिस हिरासत में हुए मौतों को रोकने हेतु समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारों को इन दिशा निर्देशों को गंभीरता से पालन करना चाहिए।
- **कोम्प्रेहेंसिव एंटी टार्चर लॉ-** सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को टार्चर को रोकने से संबंधित एक व्यापक कानून निर्माण पर विचार करने के लिए कहा है।
- **स्वतंत्र जांच-** हिरासत के दौरान टार्चर के मामलों का समय-समय पर प्रभावी जांच और पीड़ितों के पुनर्वास तथा मुआवजे के लिए एक स्वतंत्र तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए क्योंकि पुलिस द्वारा की गई जांच स्वयं में पक्षपातपूर्ण हो सकती है।

- **सुधार पर फोकस-** *'सुधार'* रणनीति का मुख्य उद्देश्य अपराधियों के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना , उन्हें रिहाई के बाद अर्थपूर्ण ढंग से रोजगार देना, गैर आदतन या सामान्य अपराधियों आदि के लिए एक खुली जेल प्रणाली बनाने की कोशिश करना चाहिए।
- **समानता-** केंद्र सरकार के साथ NGO और जेल प्रशासन को मिलकर पूरे देश में एक समान जेल मैनुअल बनाने सम्बन्धी प्रयास करना चाहिए।
- **रिहाई के बाद 'देखभाल'** सजा पूरी होने के बाद उन्हें सजा के सम्बन्ध में लोगो द्वारा उपहास उड़ाने से बचाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

- **जमानत कानूनों में सुधार-** ताकि जमानत एक मानदंड के रूप में तथा जेल अपवादस्वरुप स्थितियों में ही प्रदान की जाय। यह व्यवस्था सभी लोगों (अमीर और समृद्ध) के लिए समान होना चाहिए।

हाल में उठाए गए कदम

- मार्च 2017 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जेल संबंधी प्रावधानों की व्यापक समीक्षा करने के लिए सरकार को निर्देश दिया था जिसके बाद एक अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की गई।
- नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NLSA) ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से अंडरट्रायल के लिए राष्ट्रीय डिजिटल डाटाबेस का निर्माण किया है।

- हाल ही में स्थापित हुए कानूनी सहायता प्रतिष्ठानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा लागू करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव लाया गया। जहां अंडरट्रायल में रखे गए कैदी के बारे में, उनके रिश्तेदार या कानूनी प्रतिनिधि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने उन अंडरट्रायल कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है जिन्होंने संबंधित मामले में प्राप्त होने वाली सजा की आधी अवधि पहले ही जेल में पूरी कर ली है।
- आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया ***परिवर्तन कार्यक्रम*** ,जेल से रिहा होने के बाद खुद को सुधारने और सम्मानित जीवन जीने के लिए, कैदियों के लिए वरदान साबित हुआ है। इसके तहत, जिला जेल और उप-जेलों में परिवर्तन केंद्र स्थापित किये गए हैं।

1.4. CEC की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे

(CEC Appointment Issues)

मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे

संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, CEC और अन्य ECs की नियुक्ति संसद द्वारा बनाये गये कानून के अनुसार की जाएगी। हालांकि,संसद द्वारा अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है अत: इस संबंध में अभी भी आवश्यक प्रावधानों का अभाव है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से प्रश्न किया है कि अभी तक इस सन्दर्भ में आवश्यक कानून का निर्माण क्यों नहीं किया गया है।

- ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का दायित्व पूरी तरह से कार्यपालिका (प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति) पर निर्भर करता है।
- संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता (विधिक, शैक्षिणक, प्रशासनिक या न्यायिक) निर्धारित नहीं की गई है।
- संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों पर सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा नहीं किया गया है।

EC से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, "निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से,यदि कोई हों,जितने राष्ट्रपति समय-समय पर तय करे,से मिलकर बनेगा, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनायीं गयी विधि के उपबंधो के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। "

आगे की राह

- 2nd ARC ने अपनी चौथी रिपोर्ट जिसका शीर्षक 'शासन में नैतिकता' में कहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम के द्वारा EC के प्रमुख और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करना उचित होगा, जो प्रगतिशील लोकतंत्र के विकासक्रम में दूरगामी महत्व और महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी|
- न्यायालय ने पाया है कि CEC और ECs की नियुक्ति अब तक निष्पक्ष और राजनीतिक रूप से तटस्थ रही है। लेकिन, "निष्पक्ष और पारदर्शी नियुक्ति" सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कानून के अभाव की स्थिति को दूर किया जाना चाहिए।.
- नियमों का एक स्पष्ट समूह, नियुक्ति में अधिक स्पष्टता ला सकता है जिससे भविष्य में ऐसी याचिकाओं और प्रश्नों के उत्पन्न होने की स्थितियों से बचा जा सके।

1.5. सिविल सेवा में पार्श्व (Lateral) प्रवेश

(Lateral Entry into Civil Services)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को सिविल सेवाओं में पार्श्व (lateral) प्रवेश पर एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है।

पृष्ठभूमि

- यह निर्णय **केंद्र सरकार के द्वारा उस स्टाफिंग पॉलिसी पेपर** के सामने आने के बाद लिया गया है जिसमें DoPT द्वारा मध्यम स्तर पर अधिकारियों की कमी की बात स्वीकार की गयी थी। वर्तमान में, इसमें लगभग 40 अधिकारियों को शामिल किया जाना है।
- हालांकि, सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश, भारत में नई घटना नहीं है। समितियों के प्रमुखो की नियुक्ति, उनकी अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता के आधार पर संगठन के बाहर से कई बार की गयी है।
- 1965 में 1st ARC ने **विशेषज्ञता की आवश्यकता** के बारे में बताया था। **2nd ARC की 10वीं रिपोर्ट में** भी, केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर पार्श्व प्रवेश के लिए एक संस्थागत पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने की सिफारिश की गई है।

- अन्य दो समितियों क्रमशः **सुरिंदर नाथ समिति (2003) और होता समिति (2004)** ने भी यही अनुशंसाये की है।

हमें पार्श्व प्रवेश की आवश्यकता क्यों है?

- बासवान समिति (2016) ने बताया था कि बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में 75 से 100 अधिकारियों की कमी है। इसलिए पार्श्व प्रवेश प्रक्रिया को ,केंद्रीय सरकारी स्टाफिंग को व्यवस्थित बनाये रखने की दिशा में एक छोटे से कदम के रूप में देखा जा रहा है।
- यह केंद्रीय योजनाबद्ध आर्थिक नीति से **प्रतिस्पर्धी संघवाद** की विविधतापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में उठाया गया कदम है। इस व्यवस्था में प्रासंगिक और कुशल नीतियों के निर्माण हेतु विशेष कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होगी।
- विभिन्न थिंक टैंकों के अनुसार IAS अधिकारी राजनीतिक हस्तक्षेप, पुरानी कार्मिक प्रक्रियाओं और नीति के कार्यान्वयन संबंधी अपने मिश्रित रिकार्ड के कारण कोई भी सृजनात्मक पहल करने में अक्षम हो गए हैं। सिविल सेवा अधिकारियों की पोस्टिंग और उनके विशेषज्ञता वाले क्षेत्र के बीच कोई संबंध नहीं है।विशेषज्ञता वाले क्षेत्र नियुक्ति में उच्च स्तर पर होता है।

चिंता के विषय

- हालांकि, सिद्धांत के तौर पर यह एक आवश्यक कदम है। लेकिन, व्यवहार में इसे अधिक प्रतिबद्धता और पुनर्संरचना की आवश्यकता होगी। नौकरशाही तथा सिविल सेवाओं में अन्तर्निहित संस्थागत जड़ता (institutional inertia) के द्वारा प्रक्रिया के प्रारंभ होने को बाधित किया गया है। एक सिविल सेवक का कार्य उच्च दक्षता और ज़िम्मेदारी वाला होता है। इन्हें एक तरह से शोध एवं समेकित जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जिससे राजनीतिक कार्यकारी, निष्पक्ष और प्रभावी नीति बनाने से पहले उसे समझे और उसके महत्व एवं अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकें।
- इस प्रक्रिया के राजनीतिकरण होने के संदर्भ में भी चिंताएं विद्यमान हैं।
- इसके अलावा, वर्तमान में सिविल सेवको की कमी की समस्या को संबोधित करने के लिए कराया जाने वाला पार्श्व प्रवेश, प्रशासन में सिविल सेवकों के अत्यधिक प्रवेश का कारण बन सकता है।

आगे की राह

- सिविल सेवकों की वर्तमान भर्ती प्रक्रिया ***कैरियर बेस्ड सिस्टम*** (कार्यकाल सुरक्षा के साथ) पर आधारित है , जबकि इन परिवर्तनों के माध्यम से, ***पोजीशन बेस्ड सिस्टम*** (जैसे:- ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन) का मार्ग प्रशस्त होगा। दोनों के अपने लाभ और हानि हैं जिनकी गहनता से जांच की जानी चाहिए।
- ख़ास उद्देश्य पर आधारित व्यवस्था की पुनर्संरचना के माध्यम से एक पोजीशन बेस्ड व्यवस्था निर्मित की जा सकेगी। इसके माध्यम से निजी सदस्यों को प्रशासन में शामिल कर **विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त** करने में मदद मिल सकती है। हालांकि,सेवा में शामिल किये जाने की जिम्मेदारी UPSC को सौंपी जानी चाहिए जो कि योग्यता आधारित, राजनीतिक रूप से तटस्थ स्वरुप वाली सिविल सेवा का निर्माण सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है।
- देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश को क्रमिक रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

1.6. शहरी वित्तपोषण

(Financing Cities)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार द्वारा निजी निवेश को आमंत्रित करने के लिए एक नई क्रेडिट रेटिंग प्रणाली को अपनाया गया है।

पृष्ठभूमि

- सरकार ने विभिन्न शहरी विकास योजनाओं जैसे:- AMRUT, स्मार्ट सिटीज मिशन, HRIDAY, शहरी परिवहन आदि की शुरुआत की है।
- ये योजनाएं आवश्यक निवेश के केवल एक अंश मात्र का ही वित्तपोषण करती हैं।योजनाओं के अंतर्गत आवंटित वित्त एवं शहरों के विकास हेतु आवश्यक वित्त पोषण के बीच अंतर को पाटने के अन्य तरीकों को खोजने का काम किया जाना चाहिए ।
- भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs), आधारभूत ढांचा निर्माण का प्रमुख साधन रही है।
- PPPs प्रणाली अपेक्षानुरूप सफल सिद्ध नहीं हुई है। इसका कारण कई समस्याओं के साथ निजी क्षेत्र को पर्याप्त रिटर्न ना मिलना है।

वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग राज्यों और शहरी सरकारों को अपने प्रभाव क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश और नीतिगत पहलों के द्वारा भूमि, इमारतो तथा अन्य संपत्तियों के मूल्य में हुई वृद्धि का लाभ उठा कर संसाधनों को एकत्रित करने में सक्षम बनाता है।
VCF चार चरणों का गठन करता है:

वैल्यू क्रिएशन- विकास के नए अवसरों का निर्माण करना।

वैल्यू कैप्चर- निवेश को मौद्रिक मूल्य में बदलना

वैल्यू रियलाइजेशन- VCF जैसे साधन के माध्यम से लाभ का बंटवारा।

वैल्यू रिसाइकिलिंग- इस प्रकार एकत्र संसाधनों का उपयोग स्थानीय विकास परियोजनाओं के लिए किया जाता है। इस प्रकार, समस्या को खत्म कर दिया जाता है।

शहरी स्थानीय संस्थाओं (ULBs) के लिए वित्तपोषण

शहरी विकास मंत्रालय, राज्यों और शहरों से चाहता है कि में तेजी से शहरी परिवर्तन लाने के लिए छोटे कदम से अब आगे बढ़ा जाएं। इस संबंध में, इस वर्ष की शुरुआत में सचिवों के एक समूह ने सिफारिश की है:

- राज्य स्तर पर **VCF नीति**, उपकरण और नियमों का निर्माण करना।
- अच्छे रेटिंग वाले शहरों के लिए म्युनिसिपल बांड जारी करना ।
- **लैंड टाइटलिंग कानून** को लागू करना और एक निश्चित समयसीमा में उसको क्रियान्वित करना।
- म्युनिस्पलिटीज को व्यवसायिक बनाना अर्थात आवश्यकताओं के मूल्यांकन के पश्चात कैडर की स्थापना, भर्ती नियमों का निर्माण।
- शहरों को सुधार प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रत्येक सुधार वर्ग के तहत उन्हें प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान किया जाएगा।
- जितना ही उच्चतर रेटिंग होगी, निवेश को आकर्षित करने की उतनी ही संभावना होगी।

समस्याएं

- भारतीय शहरों की वित्तीय हालत दयनीय स्थिति में है। शहरी स्थानीय सरकार को अपने बुनियादी संचालन के लिए भी निधि प्राप्त करने हेतु राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- सरकार द्वारा निवेश के माध्यम से सुझाए गए कदम रेटिंग प्रणाली पर आधारित हैं। सरकार द्वारा की गई एक रेटिंग में लगभग 49 प्रतिशत शहरों को निवेश के लिए अयोग्य बताया है।
- उच्चतर रेटिंग वाले शहरों में निवेश उच्च होगा, निम्न रेटिंग प्राप्त करने वाले शहर निवेश से वंचित हो जाएंगे। जबकि, सर्वाधिक निवेश की आवश्यकता ऐसे ही शहरों को है।
- बैंकिंग सिस्टम बैड लोन के कारण अत्यधिक दवाब में है। शहरी पुनरुद्धार कार्यक्रम को अल्पावधि में निजी क्षेत्र से आवश्यक प्रोत्साहन प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है।
- विभिन्न विशेषज्ञों ने शहरों को कर संग्रह के पर्याप्त स्रोत प्रदान किये जाने की मांग की है। वर्तमान में ये राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं।नगर निगम वित्त सूची में इन करों को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा।
- विशेषज्ञों के द्वारा राज्य GST दर के अंतर्गत एक सिटी GST (वस्तु एवं सेवा कर) दर को शामिल करने की सलाह दी गयी है जो निर्धारित फोर्मुले के आधार पर म्युनिस्पलिटीज को उनका हिस्सा सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।
- इसके अगले चरण में सार्वजनिक सेवाओं जैसे:- जल की आपूर्ती जैसी सतत सेवाओ हेतु एक तर्कसंगत यूजर चार्ज वसूल किये जाने की योजना शामिल है।
- इसके अलावा यह सिर्फ वित्त का सवाल नहीं है। विभिन्न योजनाओं के लिए पहले से ही आवंटित वित्त कई बार अपने इच्छित गंतव्य तक नहीं पहुंचता हैं। अतः स्थानीय सरकार को अधिक स्वायत्तता देने की आवश्यकता है।

1.7. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2016

(The Citizenship (Amendment) Bill 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने **नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2016** के माध्यम से नागरिकता संबंधी नियमों में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं।

पृष्ठभूमि

- मूल नागरिकता अधिनियम, 1955 में पारित किया गया। यह भारतीय नागरिकता की अवधारणा को परिभाषित करता है और इसे प्राप्त करने के तरीकों की सूची प्रदान करता है। इसमें स्पष्ट रूप से सभी बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को नागरिकता देने से इनकार किया गया है।

- इस कानून के अनुसार कोई व्यक्ति निम्नलिखित आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है:
  - जन्म के आधार पर
  - जिसके माता-पिता भारतीय हो, या
  - किसी निश्चित समय से देश में निवास कर रहा हो।
- यह विधेयक अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है।
- *फॉरनर एक्ट* 1946 और *पासपोर्ट एंट्री इन टू इंडिया एक्ट*,1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है।

अवैध प्रवासी कौन है?

अवैध प्रवासी वह विदेशी है जो या तो:

- वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है।
- वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है। लेकिन, अनुमति प्राप्त समय से अधिक निवास करता है।

अप्रवासी भारतीय नागरिक कौन हैं?

OCIs वे विदेशी होते हैं जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। उदाहरण के लिए, वे वर्तमान भारतीय नागरिक के बच्चे या पूर्व भारतीय नागरिक हो सकते हैं। उन्हें विभिन्न अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे:- वीज़ा के बिना भारत की यात्रा करना।

अनुच्छेद 14 -अनुच्छेद 14 में 'सामानों में समानता' अथवा सकारात्मक विभेद का सिद्धांत निहित है। असमान लोगों के बीच युक्तियुक्त आधारों पर सकारात्मक विभेद किया जा सकता है। इस विधेयक के प्रावधान और कारण किसी भी रूप में युक्तियुक्तता की कसौटी पर खरा नहीं उतरते हैं।

संशोधन की विशेषताएं

- यह लोगों की दो श्रेणियों से संबंधित है-
  1. अवैध अप्रवासी
  2. ओवरसीज़ कार्डधारक
- यह ऐसे अवैध प्रवासियों की पहचान करता है जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई हैं तथा नागरिकता धारण करने के पात्र हैं।
- अब वे वैध दस्तावेज नहीं होने पर भी कैद या निर्वासित नहीं किए जाएँगे।
- अधिनियम ने केंद्र सरकार द्वारा OCI पंजीकरण रद्द करने के आधारों को विस्तृत कर दिया है, उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति देश के किसी भी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका OCI पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
- देशीयकरण (naturalisation) के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड को 12 साल से घटाकर 7 साल कर दिया गया है।

चिंताएं

- विधेयक, भारत में मुस्लिम समुदाय से संबद्ध शरणार्थियों का ध्यान नहीं रखता है जो उत्पीड़न के कारण यहाँ आ गए हैं। विधेयक, धर्म के आधार पर उनसे प्रथक व्यवहार करता हैं। इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो सकता है।
- यह विधेयक किसी भी कानून के उल्लंघन पर OCI पंजीकरण रद्द करने की अनुमति देता है। यह एक व्यापक आधार है जिसमे नो पार्किंग ज़ोन में पार्किंग करना जैसे मामूली अपराध भी शामिल हो जाते हैं।

आगे की राह

- प्रस्तावित विधेयक शरणार्थियों के अधिकारों की पहचान करता है और उन्हें संरक्षित करता है। यह भारत की शरणार्थी नीति में एक स्वागतयोग्य परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन, यह तभी उचित स्वरूप ग्रहण करेगा जब विधेयक में 'तीन देशों में गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों' शब्दावली के स्थान पर "सताए हुए अल्पसंख्यक" शब्दावली का इस्तेमाल किया जाय ।
- यह एक उत्तम भावना पर आधारित कानून हो सकता है। लेकिन, यह कानून हमारे पड़ोसी देशों के कई शोषित अल्पसंख्यकों को छोड़ देता है, जैसे:- पाकिस्तान से अहमदिया और म्यांमार से रोहिंग्या।

VISION IAS

1.8. आर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन

(Draft Regulations for Organic Food Products)

सुर्खियों में क्यों ?

FSSAI ने *ड्राफ्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (ऑर्गेनिक फूड्स) रेगुलेशन*, 2017 को अधिसूचित किया है जो कि देश में सभी आर्गेनिक फ़ूड के विनिर्माण, पैकिंग और बिक्री को सुरक्षित बनाएगा तथा इनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करेगा।

FSSAI

- यह एक वैधानिक निकाय है। इसे अगस्त 2011 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया था।
- यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित सभी मामलों के लिए सिंगल रेफरेंस पॉइंट स्थापित करना है।

भारत में आर्गेनिक फूड के लिए प्रचलित प्रमाणीकरण प्रणाली

- **नेशनल प्रोग्राम फॉर आर्गेनिक प्रोडक्शन [NPOP]**
- इसे अलग-अलग किसानों या किसानों के समूहों के लिए लागू थर्ड पार्टी प्रमाणन प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है।
- यह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित होती है।
- आर्गेनिक फूड के निर्यात के लिए प्रमाणन अनिवार्य है।

पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया [PGS-इंडिया]

- यह केवल किसानों के समूहों के लिए लागू होता है और समूह की सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर काम करता है।
- यह केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।
- केवल घरेलू बाजार के सन्दर्भ में प्रमाणन मान्य है।

प्रमुख विशेषताएँ

- किसी भी खाद्य पदार्थ जिसे आर्गेनिक फ़ूड के रूप में बिक्री के लिए पेश किया जाना हो, उसे निम्नलिखित में से किसी एक के प्रावधानों का पालन करना होगा:
  - नेशनल प्रोग्राम फॉर आर्गेनिक प्रोडक्शन (NPOP)
  - पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया (PGS-India)
  - किसी अन्य प्रणाली या मानकों को FSSAI द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है।
- यह अनिवार्य करता है कि पैकेजिंग और लेबलिंग को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के तहत निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत तैयार किया गया हो।
- यह कृषक या कृषक संगठनों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को अपरिष्कृत आर्गेनिक फूड बेचने की छूट प्रदान करता है।
- भारत में द्विपक्षीय / बहुपक्षीय समझौतों के तहत आयातित आर्गेनिक फ़ूड को पुनः प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

चिंता के विषय

- **निम्न मूल्य संवर्धन:** किसानों की अनिवार्य आवश्यकता उन्हें गैर-प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपभोक्ताओं को सीधे ताजा उपज बेचने के लिए मजबूर करेगी।
- **गैर प्रतिस्पर्धी कदम:** प्रमाणीकरण प्रक्रिया किसानों के उत्पाद को अधिक महंगा और गैर प्रतिस्पर्धी बनाएगी।

1.9. गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस

(Government E-Marketplace)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 5 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र (UT) ने औपचारिक रूप से केंद्र सरकार की पहल गवर्मेंट ई-मार्केट (GeM) को अपनाया है।

VISION IAS

GeM क्या है ?

- GeM, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा वस्तु और सेवाओं की खरीद की सुविधा हेतु एक ऑनलाइन बाजार मंच है।
- इसका उद्देश्य भारत में वस्तु और सेवाओं के सालाना 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के सार्वजनिक प्रोक्योरमेंट को ऑनलाइन मंच के माध्यम से संभव बनाना है।
- GeM एक पूरी तरह से कागज रहित, कैशलेस और सिस्टम संचालित ई-मार्केट मंच है जो कम से कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ प्रोक्योरमेंट को संभव बनाता है।

महत्व

- **पारदर्शिता:** यह सार्वजनिक प्रोक्योरमेंट में अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाएगा। यह एक निर्बाध प्रक्रिया है और ऑनलाइन समयबद्ध भुगतान की सुविधा प्रदान करती है।
- **दक्षता:** GeM पर सीधी खरीद सरकार को उचित मूल्य निर्धारित करने और विक्रेता को प्रशासनिक लागत की बचत करने में सहयोग प्रदान करेगा। इस प्रकार,GeM प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार वस्तु और सेवाओं के हर थोक खरीद पर 10-15% तक बचत कर सकती है।
- **भ्रष्टाचार का उन्मूलन:** ऑनलाइन प्रक्रिया, सार्वजनिक प्रोक्योरमेंट में भ्रष्टाचार को कम करती है।
- भविष्य में GeM **नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल** के रूप में सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अपनी पहचान निर्मित करेगा।

1.10. ग्लोबल इंडेक्स ऑफ़ कन्ट्रीज में भारत तीसरे स्थान पर

(India Third in Global Index of Countries)

सुर्ख़ियों में क्यों?

"OECD गवर्नमेंट एट ए ग्लांस रिपोर्ट" में बताया गया है कि 73 प्रतिशत भारतीय अपनी सरकार पर विश्वास रखते हैं। इस तरह भारत सरकार, विश्वसनीयता प्राप्त करने में तीसरे स्थान पर है।

OECD

- *आर्गेनाईजेशन फॉर इकॉनोमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (*OECD) की स्थापना 14 दिसंबर, 1960 में की गई। यह 34 सदस्य देशों का एक समूह है। ये सदस्य देश आर्थिक और सामाजिक नीति पर चर्चा और उनके विकास के लिए कार्य करते हैं।
- OECD के सदस्य ज्यादातर उच्च विकसित लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं हैं जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं।
- OECD उन राष्ट्रों की एक "काली सूची" रखता है जिन्हें असहयोगी टैक्स हेवन के रूप में माना जाता है।
- यह एक वर्ष में दो बार इकॉनोमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट जारी करता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- यह लोगों का अपनी सरकार पर दृढ़ विश्वास को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, यह सरकार की सेवाओं का प्रभावी रूप में वितरण कर पाने और अपने नागरिकों को जोखिम से बचाने की क्षमता पर लोगों के भरोसे को प्रदर्शित करता है।
- स्विट्जरलैंड (80%), सूचकांक में शीर्ष पर है जबकि ग्रीस (13%) सबसे निचले स्थान पर है।
- यह भारत की ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की रैंकिंग में सुधार करेगा क्योंकि रिपोर्ट में सरकार की स्थिरता और विश्वसनीयता की पुष्टि हुई है।

VISION IAS

2. अंतर्राष्ट्रीय/ भारत एवं विश्व

(INTERNATIONAL/ INDIA AND WORLD)

2.1 भारत-इजराइल

(India-Israel)

सुर्खियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री मोदी इज़राइल की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत और इज़राइल के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने यह यात्रा संपन्न की।
- भारत और इज़राइल ने अंतरिक्ष, कृषि और जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सात समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं। दोनों पक्षों ने उच्च मूल्य वाले रक्षा सौदों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी संबंधों को गहरा करने की इच्छा व्यक्त की। इसके साथ ही संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत करने के निर्णय की घोषणा की गई।

भारत-इजराइल संबंधों की पृष्ठभूमि

- इजराइल राज्य के निर्माण पर भारत की प्रतिक्रिया कई कारकों से प्रभावित थी। इन कारकों में स्वयं भारत का धार्मिक आधार पर विभाजन और अन्य देशों के साथ भारत के संबंध शामिल थे।
- इसके साथ ही, भारत में एक बड़ी मुस्लिम आबादी थी जो कि परंपरागत रूप से फिलीस्तीनी भूमि पर इजरायल के निर्माण का विरोध करती थी।
- भारत ने सितंबर, 1950 में इजराइल की आजादी को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की। द्रष्टव्य है कि भारत की इजराइल नीति फिलस्तीन के पक्ष के सैद्धांतिक समर्थन तथा भारत की घरेलू आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर आधारित है।

- घरेलू स्तर पर, राजनेताओं को यह डर था कि यदि इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य किया जाएगा तो वे अपना **वोट बैंक खो देंगे**।
- इसके अतिरिक्त भारत, फारस की खाड़ी में स्थित अरब देशों में काम कर रहे अपने नागरिकों की बड़ी आबादी को ख़तरे में नहीं डालना चाहता था जो कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए महत्वपूर्ण थी।
- इसके अलावा, भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए **तेल की आपूर्ति हेतु** भी अरब देशों पर निर्भर था।
- **1950 के दशक में गुट-निरपेक्ष आंदोलन (NAM)** का उद्भव हुआ जिसमें भारत एक संस्थापक सदस्य था। इन परिस्थितियों में भारत किसी भी रूप में इस्राइली पक्ष का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने में अक्षम था ।

1992 में पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना

1992 में भारत ने अंततः इज़राइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। हालाँकि, इससे पूर्व फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति यासर अराफात को विश्वास में लिया गया। इसके पीछे दो कारण थे:

- पहला कारण यह था कि उस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति प्रक्रिया उन्नत चरण में थी।
- दूसरा कारण, संयुक्त राज्य अमेरिका का दबाव था। नौकरशाही मान्यताओं के अनुसार, **1991 में आर्थिक उदारीकरण** को अपनाने का निर्णय लेने के बाद भारत की **अर्थव्यवस्था के लिए एक वैश्विक इंटरफ़ेस** की आवश्यकता महसूस की गयी। इसके साथ ही **USSR के पतन के बाद इसे अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए** नए बाजार की जरुरत थी।

पिछले 25 वर्षों में दोनों देशों ने उच्च तकनीक और रक्षा क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग के निम्नलिखित तीन मुख्य घटक हैं :

रक्षा क्षेत्र

- भारत विश्व में रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक है और इजराइल इसके प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है।

- सरकार की स्वामित्व वाली एक बड़ी एयरोस्पेस कंपनी इजरायल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के नेतृत्व में, इज़राइली कंपनियों ने इस वर्ष के प्रारंभ में ही भारत के साथ 2.6 बिलियन डॉलर के शस्त्र व्यापार अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं।
- वर्ष 2000 तक भारत, इजराइल से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (बराक 1) और UAVs (मानव रहित वायुयानों) के अधिग्रहण की प्रक्रिया में था। इसके बाद MiG -21 विमान के नवीकरण में इजरायली वैमानिकी (Israeli avionics) का प्रयोग किया गया।
- अमेरिकी सहमति के बाद, इज़राइल ने भारत को **फाल्कन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम की** आपूर्ति की है जिसे भारत में प्रयोग किये जा रहे रूसी IL-76 पर लगाया गया हैं।इससे भारत को AWACS प्रणाली की क्षमता प्राप्त हुई है।
- इसके बाद इजराइल से किये जाने वाले अधिग्रहणों में **स्पाइक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल** (Spike anti-tank guided missiles) तथा लंबी दूरी की सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल के नौसेना और थलसेना संस्करण शामिल हैं।
- पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के दौरान इज़राइल, भारत के लिए रक्षा सामग्री का मुख्य आपूर्तिकर्ता था। इजराइल का यह कदम दबावपूर्ण स्थितियों में भी, एक मजबूत और स्थायी आपूर्तिकर्ता के रूप में उसकी विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है।
- इजराइल पहले से ही भारत को प्रतिवर्ष औसतन 1 अरब डॉलर के सैन्य उपकरण बेच रहा है।

कृषि क्षेत्र

2008 में इज़राइल ने **भारत-इजराइल कृषि परियोजना (IIAP)** का शुभारंभ किया था जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में विशेषीकृत कृषि केंद्रों की स्थापना करना था।

- IIAP भारत सरकार, इजरायल सरकार और भारत के किसी एक राज्य के बीच त्रिपक्षीय सहयोग कार्यक्रम है।
- प्रस्तावित 26 उत्कृष्टता केंद्रों में से अब तक 15 ने पूर्ण रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया है। जबकि, शेष के अगले वर्ष की शुरुआत में प्रारंभ होने की संभावना है।
- अधिकांश केंद्र उच्च श्रेणी की तकनीकी जानकारियों को प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्रविशेष के उत्पादकों को बीज, अपनी पैदावार में सुधार करने के लिए सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने तथा अपनी आय में वृद्धि करने सम्बन्धी जानकारियाँ प्रदान की जा रही हैं।
- कृषि क्षेत्र में इजरायल का **ड्रिप इरीगेशन मॉडल** भारत के कई हिस्सों में लोकप्रिय है।

जल क्षेत्र

- जल की निम्न उपलब्धता वाला देश होने के कारण इज़राइल अपने जल का 90% पुनःचक्रित करता है तथा 95% सीवेज को कृषि उपयोग के लिए संसाधित करता है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से इज़राइल लगभग एक क्लोज्ड वाटर साइकल प्रणाली (closed water cycle) वाला देश बन गया है। डिसेलिनेशन (Desalination) तकनीकी उन कुछ प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जिसमें अनुभव और विशेषज्ञता को साझा किया जा सकता है तथा सहयोग को बढ़ाया जा सकता है।
- अभी हाल ही में, एक इज़राइली कंपनी को यमुना नदी के एक भाग को स्वच्छ करने का कार्य सौंपा गया है।

भारत-इजराइल-फिलिस्तीन

प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा के साथ भारत ने आखिरकार **इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को डी-हायफ़नेट** किया है। इसके साथ ही, अब भारत दो चरम-विरोधियों के साथ अलग-अलग और पारस्परिक रूप से लाभप्रद शर्तों पर आधारित संबंधों की दिशा में आगे बढ़ा है।

- प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा इंगित करती है कि नई दिल्ली, पश्चिमी एशियाई देशों के साथ **संबंधों को अपने हितों के अनुरूप गति प्रदान कर रहा है।**
- द्रष्टव्य है कि पश्चिम एशिया में स्थिति पिछले कुछ वर्षों में बदल गई है और इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भारत के संबंध काफी मजबूत हुए हैं जिसमें खाड़ी के कुछ देशों के साथ रणनीतिक भागीदारी की स्थापना भी शामिल है।
- भारत, फिलिस्तीन का एक पुराना मित्र राष्ट्र रहा है और भारत ने इसके पक्ष का और फिलिस्तीनी जनता का लंबे समय से समर्थन किया है। भारत, इस क्षेत्र में **फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र इकाई के साथ ही** द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिबद्ध समर्थक रहा है।
- फिलिस्तीन ने **भारत से उसके पक्ष में "बड़ी भूमिका"** की मांग भी की है। यहां तक कि फिलिस्तीन ने जोर देकर कहा है की वह भारत-इजराइल संबंधों के सशक्त होने से चिंतित नहीं है।

2.2. भारत तथा जापान

[India and Japan]

सुर्खियों में क्यों?

परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के संबंध में भारत-जापान सहयोग समझौता प्रभावी हो गया है।

- वर्तमान में भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 5.7 गीगावाट (GW) है।
- यह भारत की कुल ऊर्जा क्षमता का 2% है।
- भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग ने 2032 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 63 गीगावाट (GW) तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है ।

निरस्तीकरण खंड (Nullification clause)

- यह इस समझौते में सबसे बड़ी बाधा थी जिसके तहत यदि भारत भविष्य में परमाणु परीक्षण करता है तो यह समझौता स्वतः ही रद्द हो जाता।
- इसका समाधान संधि में अलग ज्ञापन (memorandum) संलग्न करके किया गया है जिसके अनुसार, अगर भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) के समक्ष की गई परीक्षण न करने की अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करता है तो जापान सहयोग निलंबित कर सकता है।
- भारत ने एक अन्य खंड पर जापान के पक्ष को स्वीकार किया है जिसके अनुसार जापान एक वर्ष पूर्व समझौते को समाप्त (termination) करने संबंधी सूचना देकर समझौते को समाप्त कर सकता है।

भारत के लिए समझौते का महत्व

भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के पश्चात 2008 में NSG से प्राप्त छूट (waiver) का लाभ उसे प्राप्त होने लगेगा। अब तक NSG से प्राप्त छूट का देश के ऊर्जा उद्योगों को सीमित लाभ ही प्राप्त हुआ है।

- भारत के लिए यह समझौता एक प्रमुख उपलब्धि है क्योंकि यह एक ऐसे देश के साथ **जापान का पहला असैन्य परमाणु सहयोग समझौता** है जिसने परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
- इस समझौते के तहत जापान भारत को परमाणु प्रौद्योगिकी निर्यात कर सकेगा।
- परमाणु ऊर्जा बाजार में जापान एक प्रमुख देश है। इस कारण जापान के साथ परमाणु समझौता, अमेरिका आधारित परमाणु संयंत्र निर्माता **वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन** (**Westinghouse Electric Corporation**) और **GE एनर्जी इंक** (**GE Energy Inc**) के लिए भारत में परमाणु संयंत्र स्थापित करने को आसान बना देगा क्योंकि इन दोनों कंपनियों में जापानी निवेश है।
- जापान के साथ यह समझौता अन्य देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय परमाणु समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए भी आवश्यक है। कुछ प्रमुख सुरक्षा घटकों और डोमस (Domes) के अतिरिक्त **AP1000** और **EPR** जैसे रिएक्टरों के कुछ प्रमुख उपकरणों पर लगभग जापानी एकाधिकार है।

जापान के लिए समझौते का महत्व

2011 की फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के बाद से परमाणु उद्योग वैश्विक संकट का सामना कर रहा है। कठोर सुरक्षा नियमों ने रिएक्टरों के निर्माण की लागतों में वृद्धि कर दी है तथा कुछ देश नये रिएक्टरों की स्थापना के संबंध में अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपना रहे हैं।

- जापान ने विगत आठ वर्षों में **घरेलू स्तर पर एक भी नये रिएक्टर का निर्माण** नहीं किया है। यह समझौता उन महत्वपूर्ण जापानी परमाणु ऊर्जा कंपनियों के पुनरुद्धार में सहायक होगा जो अभी तक फुकुशिमा दुर्घटना से उबर नहीं पायी हैं।
- हिताची, मित्सुबिशी और तोशिबा, तीनों ही कंपनियां नए संयंत्रों के निर्माण के बजाय मौजूदा संयंत्रों (जिनमें से ज्यादातर निष्क्रिय संयंत्र हैं) की मरम्मत और रख-रखाव पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
- इसके अलावा, यह समझौता भारतीय परमाणु बाजार में जापान की उपस्थिति को सुनिश्चित करेगा।ध्यातव्य है कि भारतीय बाज़ार में फ्रांस और रूस की पहले से ही सशक्त उपस्थिति है।

2.3. यूरोपीय संघ के साथ इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मेकेनिज्म स्थापित

[Investment Facilitation Mechanism with EU]

- **यूरोपीय संघ (EU) और भारत ने एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मेकेनिज्म (IFM)** की स्थापना की घोषणा की है। इस तंत्र के माध्यम से यूरोपीय संघ (EU) से भारत में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- भारत में यूरोपीय संघ के **निवेश को बढ़ाने और सुविधाजनक बनाने** के उद्देश्य से यह तंत्र यूरोपीय संघ और भारत सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक होगा ।
- यह समझौता मार्च 2016 में **ब्रुसेल्स में आयोजित 13वें यूरोपीय संघ-भारत शिखर सम्मेलन** में जारी किये गए संयुक्त वक्तव्य पर आधारित है। इस सम्मलेन में यूरोपीय संघ ने इस तरह के तंत्र को स्थापित करने के लिए भारत की तत्परता का स्वागत किया था।
- IFM व्यवस्था के अंतर्गत EU का प्रतिनिधिमंडल तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP), भारत में यूरोपीय संघ के निवेशकों के लिए **सिंगल विंडो एन्ट्री पॉइंट** के माध्यम से "**ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस**" की स्थिति को संभव बनाने का प्रयास करेंगे।

- भारत सरकार की आधिकारिक निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी **इन्वेस्ट इंडिया** भी IFM का भाग होगी।
- वस्तुओं और सेवाओं में सबसे बड़ा व्यापार भागीदार होने के साथ-साथ EU भारत में सबसे बड़े **विदेशी निवेशकों** में से एक है। EU का भारत में निवेश **मार्च 2017** तक **81.52 बिलियन डॉलर** से अधिक है।

2.4. बांग्लादेश के साथ जॉइंट इंटरप्रीटेटिव नोट्स एग्रीमेंट

(Joint Interpretative Notes Agreement with Bangladesh)

सुर्खियों में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन पैक्ट (Investment promotion and protection pact)** के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश के साथ जॉइंट इंटरप्रीटेटिव नोट्स (joint interpretative notes :JIN) समझौते पर हस्ताक्षर किए।

JIN का महत्व

- JIN, भारत और बांग्लादेश के मध्य निवेश के संवर्धन और संरक्षण के लिए मौजूदा समझौते को व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट करेगा।
- निवेश संधि व्यवस्था (Investment Treaty Regime) को सशक्त करने में जॉइंट इंटरप्रीटेटिव स्टेटमेंट्स (Joint Interpretative Statements) की महत्वपूर्ण पूरक भूमिका है।
- द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) संबंधी विवादों के बढ़ने के कारण, इस तरह की घोषणाओं को जारी करना न्यायाधिकरणों को समाधान प्रदान करने की दिशा में प्रेरित कर सकता है। देशों द्वारा इस तरह के सक्रिय दृष्टिकोण से मध्यस्थता न्यायाधिकरणों द्वारा संधि की शर्तों को ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है।
- JIN में निवेशकों और निवेश, कराधान प्रावधानों की अस्वीकृति, उचित और न्यायसंगत व्यवहार (FET), नेशनल ट्रीटमेंट (NT), मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) ट्रीटमेंट की परिभाषा शामिल है। इसके अतिरिक्त JIN में अधिग्रहण, आवश्यक सुरक्षा हितों और निवेशक तथा अनुबंध पक्ष के बीच विवादों का निपटान से संबंधी इंटरप्रीटेटिव नोट्स शामिल हैं। इन नोट्स को संयुक्त रूप से अपनाया जायेगा।

2.5. ब्रिक्स

(BRICS)

A. ब्रिक्स के शिक्षा मंत्रियों की बैठक :

- बीजिंग में हुई इस बैठक में शिक्षा में सुधार, शिक्षा में समानता को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहन देना और छात्रों को एक-दुसरे के देश में अध्ययन की सुविधा प्रदान करने पर चर्चा की गई।
- **'शिक्षा पर बीजिंग घोषणा'** में **सतत विकास लक्ष्य (SDG) 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा)** को हासिल करने के लिए ब्रिक्स देशों ने प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है।
- शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए **ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय (NU)** की स्थापना के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया गया। ब्रिक्स विश्वविद्यालय लीग में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किया गया।
- **तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण (Technical and Vocational Education and Training-TVET)** के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, व्यावसायिक प्रशिक्षकों को तैयार करने हेतु विचारों और अनुभवों को साझा करना और उन परियोजनाओं का निर्माण करना जो ब्रिक्स सदस्य राज्यों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- **ब्रिक्स थिंक टैंक काउंसिल (BTTC)** तथा **ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी** के साथ-साथ अन्य ब्रिक्स पहलों के महत्व की पहचान करना। इसके साथ ही उनके कार्यों में संगति(alignment) स्थापित करने हेतु उनके बीच सशक्त सहयोग प्रणाली स्थापित करने को प्रोत्साहित करना।

B. ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की चीन में बैठक

- **ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टीरियल डिक्लेरेशन** को स्वीकार करने के साथ यह बैठक समाप्त हुई।
- घोषणा में ऐसे कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो भारत सहित सभी ब्रिक्स देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही उचित संस्थागत प्रयासों के माध्यम से इन क्षेत्रों में भागीदारी और सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया गया।

2.6. G-20 शिखर सम्मेलन 2017

(G-20 Summit 2017)

सुर्खियों में क्यों?

- G-20 शिखर सम्मेलन 2017 हैम्बर्ग, जर्मनी में आयोजित किया गया। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम थी: '***शेपिंग ऐन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड***'।

पृष्ठभूमि

- G-20 में यूरोपीय संघ एवं 19 अन्य देश शामिल है।
- G- 20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 80% तथा विश्व की सम्पूर्ण आबादी के लगभग दो तिहाई का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट की परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु G-20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। तब से, इसके सदस्यों द्वारा आर्थिक और वित्तीय सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाता है।
- इसके सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका तथा यूरोपीय संघ शामिल हैं।

बैठक के परिणाम

व्यापार और वैश्वीकरण

- विश्व के नेताओं द्वारा व्यापार के सन्दर्भ में, 'लेजिटीमेट ट्रेड डिफेन्स इंस्ट्रूमेंट' को स्वीकार करते हुए संरक्षणवाद से लड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके साथ ही आर्थिक वैश्वीकरण के अवसरों और लाभों को प्राप्त करने में लोगों की सहायता करने पर बल दिया गया।
- उनके द्वारा 'ओपन एंड रेजिलिएंत फाइनेंसियल सिस्टम' के निर्माण को जारी रखने, अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग में वृद्धि तथा अतिरिक्त इस्पात क्षमता के मुद्दे के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।

ऊर्जा एवं जलवायु

- विश्व नेताओं ने पेरिस समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका के अलग हो जाने को ध्यान में रखते हुए कहा कि पेरिस समझौता अपरिवर्तनीय है । इन देशो द्वारा G-20 हैम्बर्ग क्लाइमेट एंड एनर्जी एक्शन प्लान फॉर ग्रोथ (G20 Hamburg climate and energy action plan for growth) की पुष्टि की।

प्रवासन और शरणार्थी संकट

- नेताओं ने मानव तस्करों एवं व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा समन्वय में वृद्धि पर सहमति जताई है। इस के साथ ही उन्होंने प्रवासन के मूल कारणों को संबोधित करने तथा जिन देशों से प्रवासन हो रहा है(countries of origin) तथा जो देश प्रवासियों का आश्रय(and transit) बन रहे है उन्हें सहयोग प्रदान करने के संबंध में समन्वय बढ़ाने पर सहमत हुए ।

आतंकवाद-रोधी सहयोग:

- उन्होंने आतंकवाद-रोधी सहयोग में वृद्धि एवं विदेशी आतंकवादियों से निपटने के लिए एक कार्य योजना भी अपनाई।

2.7. SASEC रोड कनेक्टिविटी

(SASEC Road Connectivity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने मणिपुर में NH-39 के 65 किलोमीटर लम्बे इंफाल-मोरे सड़क मार्ग के उन्नयन तथा चौड़ीकरण के लिए 1630.29 करोड़ रु अनुमोदित किये हैं।

- यह परियोजना साउथ एशियन सब-रीजनल इकोनॉमिक को-ऑपरेशन (SASEC)रोड कनेक्टिविटी *इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम* के तहत एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा प्रदान की जा रही ऋण सहायता से विकसित की जा रही है।
- परियोजना के अंतर्गत आने वाला सड़क गलियारा, **एशियाई हाईवे नं. 01 (AH01)** का हिस्सा है और भारत के लिए **पूर्व का प्रवेशद्वार** है। अतः इसके द्वारा इस क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

SASEC रोड कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम के बारे में

- SASEC कार्यक्रम बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और भारत (BBIN) के मध्य क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने के लिए सड़क अवसरंचना पर केंद्रित है। [हाल ही में भूटान ने BBIN समझौते से अलग होने का निर्णय लिया हैं। अत: इसे अब BIN के नाम से जाना जाएगा।] 2001 में निर्मित सात सदस्यीय SASEC में भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार शामिल हैं। इसका उद्देश्य सीमा पार *कनेक्टिविटी* के निर्माण द्वारा आर्थिक विकास में वृद्धि करना है।

मणिपुर का सामाजिक-आर्थिक विकास

मणिपुर एक स्थलरुद्ध राज्य है जिसका लगभग 90% क्षेत्र दुर्गम है। यही कारण है कि राज्य में बड़े पैमाने पर परिवहन व्यवस्था के साधन के रूप में सिर्फ सड़क परिवहन ही उपलब्ध है। इसलिए राज्य की प्रगति एवं *कनेक्टिविटी* में सुधार के लिए सड़क अवसंरचना का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

VISION IAS

- सामाजिक-आर्थिक विकास के अतिरिक्त परियोजना द्वारा निर्मित सड़क से औसत यात्रा समय में लगभग 40 प्रतिशत तक की बचत होगी।
- **पारंपरिक बांस और लकड़ी आधारित विनिर्माण इकाइयों** के लिए मार्ग के पूर्ण होने को एक बड़ा अवसर माना जा रहा है।
- भारत सरकार ने मोरे में एक *इंटीग्रेटेड कस्टम पोस्ट* (ICP) को अधिसूचित किया है। ICP के विकास के कारण बढ़ने वाले यातायात को सुचारू बनाने के लिए इस परियोजना का विकास आवश्यक है।

भारत की "एक्ट ईस्ट नीति" का महत्व

चीन के 'वन बेल्ट वन रोड' पहल की पृष्ठभूमि में भारत SASEC रोड कनेक्टिविटी कार्यक्रम में तेजी से पूर्ण कर रहा है।

- पूरी होने पर यह परियोजना, न केवल भारत को अपने पड़ोसी देशों से संपर्क बढ़ाने में सहायता करेगी बल्कि ग्रेट एशियन हाईवे परियोजना के संपन्न होने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- म्यांमार में यह सड़क गलियारा, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेगा।
- म्यांमार में स्थित बंदरगाह भारत के स्थलरुद्ध उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त द्वार(*गेटवे*) प्रदान करेंगे।
- भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, बांग्लादेश और म्यांमार के मध्य मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी का विकास, इस उप-क्षेत्र को अत्यधिक आर्थिक ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखता है।

2.8. नई परमाणु हथियार निषेध संधि

(New Nuclear Weapon Prohibition Treaty: NWPT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र के 120 से ज्यादा देशों ने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध से संबंधित पहली वैश्विक संधि की स्वीकृति के लिए मतदान किया।
- नई संधि परमाणु हथियारों के **उत्पादन, भंडारण और उपयोग से संबंधित गतिविधियों की पूरी श्रृंखला को प्रतिबंधित** करती है।
- इस संधि का सबसे प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद 1(d) है जो **किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों के प्रयोग या उसके प्रयोग की धमकी पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध** लगाता है।
- सितंबर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यह संधि सभी देशों के हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत की जाएगी। कम से कम 50 देशों द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात यह संधि प्रभावी हो जाएगी।
- भारत एवं अन्य परमाणु-हथियार संपन्न देश: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इज़राइल ने वार्ताओं में हिस्सा नहीं लिया था।

भारत की स्थिति

- अपने मत के स्पष्टीकरण (Explanation of Vote) में, भारत ने कहा कि वह **"आश्वस्त नहीं है"** कि प्रस्तावित सम्मेलन, परमाणु नि:शस्त्रीकरण के व्यापक उपकरण के रूप में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की दीर्घकालीन अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएगा।
- भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जेनेवा स्थित कॉन्फ्रेंस ओन डिसआर्मामेण्ट (Conference on Disarmament :CD) नि:शस्त्रीकरण पर चर्चा के लिए एकमात्र बहुपक्षीय मंच है।
- इसने यह भी कहा कि वह एक **कोम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर वेपन कन्वेंशन में नि:शस्त्रीकरण** पर वार्ता की शुरूआत का समर्थन करता है। इस वार्ता में प्रतिबंध और समाप्ति के अतिरिक्त सत्यापन का मुद्दा भी शामिल हो। इसका वर्तमान प्रक्रिया में अभाव है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों की स्थिति

अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के स्थायी प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्होंने "संधि की वार्ता में हिस्सा नहीं लिया है और वे इस पर हस्ताक्षर करने, अनुमोदन करने या कभी इसका सदस्य बनने की कोई इच्छा नहीं रखते"।

- यह पहल स्पष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा स्थितियों की वास्तविकताओं की उपेक्षा करती है।
- प्रतिबंध संधि को स्वीकार करना परमाणु प्रतिरोधकता (nuclear deterrence) की नीति के साथ असंगत है जो कि यूरोप और उत्तरी एशिया में 70 वर्षों से अधिक समय से शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक रही है।
- इनके द्वारा इस संधि की आलोचना भी की गयी है क्योंकि यह उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न गंभीर खतरों के लिए कोई समाधान उपलब्ध नहीं कराती।

विश्लेषण

NWPT की प्रस्तावना **"परमाणु नि:शस्त्रीकरण की नैतिक अनिवार्यता"** को स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है और परमाणु हथियार मुक्त विश्व को **"राष्ट्रीय और सामूहिक सुरक्षा हितों की पूर्ति करने वाले वैश्विक कल्याण (ग्लोबल पब्लिक गुड) के सर्वोच्च उद्देश्य"** के रूप में परिभाषित करती है।

- परमाणु हथियार संधि जैविक और रासायनिक हथियारों के निषेध के साथ-साथ सामूहिक विनाश से संबंधित सभी प्रकार के हथियारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध को लागू करने की प्रक्रिया को सम्पूर्णता प्रदान करती है।
- इसकी स्वीकृति के बाद से ही विश्व की परमाणु शक्तियों का इसके प्रति रवैया उपेक्षापूर्ण ही रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमाणु शक्तियों का निरंतर विरोध इसकी प्रभाविता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद, इस संधि में निहित नैतिक और कानूनी सिद्धांतों के मूलभूत तत्व को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता।

2.9. श्रीलंका-चीन

(Sri Lanka-China)

सुर्ख़ियों में क्यों?

श्रीलंका ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हंबनटोटा बंदरगाह विकास परियोजना की 70% हिस्सेदारी को बेचने के लिए चीन के साथ 1.1 बिलियन डॉलर का समझौता किया।

- नए समझौते के अनुसार इस गहरे-समुद्री बंदरगाह की **सुरक्षा का उत्तरदायित्व केवल श्रीलंका की नौसेना पर होगा** और बंदरगाह में किसी भी विदेशी नौसेना का बेस बनाने की अनुमति नहीं है।
- पुन: वार्ता समझौते ने **भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की चिंताओं को इस रूप में कम किया है** कि चीन द्वारा **सैन्य उद्देश्यों के लिए बंदरगाह का उपयोग नहीं** किया जाएगा।

हंबनटोटा पोर्ट का महत्व

- चीन की लंबे समय से हंबनटोटा की वाणिज्यिक और रणनीतिक क्षमता में रूचि रही है।
- हंबनटोटा बंदरगाह हिन्द महासागर में मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति लाइन के बीच में स्थित है।
- हंबनटोटा बंदरगाह चीन की बेल्ट एवं रोड पहल का हिस्सा है।

भारत की चिंताएँ

हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों का बढ़ना भारत के लिए चिंता का कारण है। भारत लंबे समय से श्रीलंका को अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता रहा है और इसलिए वह, चीन की बढ़ती हुई समुद्री उपस्थिति को कम करना चाहता है।

- CPEC में चीन के अत्यधिक निवेश एवं हिंद महासागर में बंदरगाह अवसंरचना विकास का, व्यापार के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य हैं। यह बीजिंग की "स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स " रणनीति के विस्तार के साथ-साथ भारत को घेरने के अनौपचारिक *एजेंडे* को भी पूरा करता है।
- भारत के द्वारा यह चिंता भी व्यक्त की गयी है कि चीन हिंद महासागर में गहरे समुद्री बंदरगाह (deep sea port) का उपयोग सैन्य जहाजों को डॉक (dock) करने के लिए कर सकता है।

2.10. जिबूती में चीन का मिलिट्री बेस

(Chinese Military base in Djibouti)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित जिबूती में अपने पहले विदेशी मिलिट्री बेस में *पीपुल्स लिबरेशन आर्मी* (PLA) के कर्मियों को भेज दिया है।

- यह चीन का पहला विदेशी *नौसैनिक अड्डा* होगा। हालांकि, बीजिंग द्वारा आधिकारिक तौर पर इसे *लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी* (रसद सुविधा) के रूप में परिभाषित किया गया है।
- जिबूती "*हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका*" में स्थित है जो लाल सागर के माध्यम से एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण केंद्र है।
- चीन द्वारा दूसरा बेस ग्वादर, पाकिस्तान में स्थापित किया जा रहा है।

- नौसैनिक बेस रणनीतिक रूप से अफ्रीका के पूर्वी छोर पर स्थित है जिसका अर्थ है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन के जहाज़ों की गतिविधियाँ बढ़ जाएँगी।

भारत की चिंताएँ

- भारत के लिए यह न केवल सैन्य और रक्षा दृष्टिकोण से बल्कि अफ्रीका के साथ व्यापार के संदर्भ में भी चिंता का कारण है। यह भारत और चीन दोनों के लिए विवाद का मूल कारण बन गया है।
- हिंद महासागर के उत्तर-पश्चिमी छोर पर जिबूती की स्थिति ने भारत की चिंता को इसलिए भी बढ़ा दिया है क्योंकि भारत को आशंका है कि चीन द्वारा इसका इस्तेमाल बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका के पश्चात "स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स" नीति की अगली कड़ी के रूप में भारत को घेरने के लिए किया जा सकता है। भारत को आशंका है की जिबूती चीनी सैन्य गठबन्धनों और संशाधनो का हिस्सा बन जायेगा ।

2.11. मालाबार नौसेना अभ्यास

[Malabar Naval Exercise]

सुर्ख़ियों में क्यों?

मालाबार -2017' नौसैनिक अभ्यास का 21वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया।

मालाबार के बारे में

- मालाबार भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाओं के मध्य हिन्द और प्रशांत महासागर में बारी-बारी(alternately) से संपन्न किया जाने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है।
- यह नौसेनाओं के मध्य इंटरओपरेबिलिटी (interoperability) में सुधार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- वर्ष 1992 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी।
- तत्पश्चात वर्ष 2015 में जापान के शामिल होने के साथ ही इसे स्थायी रूप से त्रिपक्षीय प्रारूप में परिवर्तित कर दिया गया।

चीन क्यों चिंतित है?

- मालाबार अभ्यास के उद्देश्य के बारे में बीजिंग को संदेह है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यह वार्षिक युद्ध-अभ्यास *इंडो -पैसिफ़िक* क्षेत्र में उसके प्रभाव को नियंत्रित करने का एक प्रयास है। जापान के इसमें शामिल होने और ऑस्ट्रेलिया की इसमें सम्मिलित होने की इच्छा से चीन का यह भय और भी बढ़ गया है।
- सितंबर 2007 में, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर की नौसेना भारत और अमेरिका के साथ मालाबार अभ्यास में शामिल हुई थीं।
- चीन ने युद्ध अभ्यास के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए नई दिल्ली को एक डेमार्श (demarche) जारी किया था, जिसके कारण भारत को उस समय विस्तार को रोकना पड़ा था।

मालाबार -2017' का महत्व

इस वर्ष मालाबार अभ्यास कई कारणों से महत्वपूर्ण है :

- भारत-जापान-अमेरिका के मध्य होने वाला यह अभ्यास, डोकलाम के सम्बन्ध में चीन के साथ उत्पन्न वर्तमान तनाव की पृष्ठभूमि में संपन्न हुआ है। डोकलाम भारत, भूटान और चीन के *ट्राई जंक्शन* पर स्थित है।
- मालाबार भारत को दक्षिण एशिया के समुद्री भाग में कठोर रुख प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। इस क्षेत्र में भारत रणनीतिक रूप से चीन की तुलना में मजबूत स्थिति में है।
- त्रिपक्षीय नौसैनिक *ड्रिल* उस समय आयोजित की गई है, जब PLA नौसेना हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है। चीनी युद्धपोत नियमित रूप से पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार का दौरा कर रहे हैं।
- इस वर्ष का मालाबार अभ्यास *सबमरीन हंटिंग (*Hunting) एवं *एन्टी सबमरीन ऑपरेशन* पर केंद्रित था। यह तथ्य हिन्द महासागर में चीन की सबमरीन की उपस्थिति से संबंधित हाल की रिपोर्ट के पश्चात और महत्वपूर्ण हो जाता है।
- चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और हिंद महासागर में बढ़ती उपस्थिति के कारण, मालाबार अभ्यास का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि यह नौसेनाओं के मध्य इंटरओपरेबिलिटी में सुधार का एक मंच है।

VISION IAS

3. अर्थव्यवस्था

(ECONOMY)

3.1. वस्तु एवं सेवा कर

(Goods and Services Tax)

सुर्खियों में क्यों?

- 1 जुलाई, 2017 को GST व्यवस्था लागू हुई है।
- इससे पहले, GST परिषद ने लगभग सभी कर योग्य उत्पादों और सेवाओं के कर दरों को अंतिम रूप दिया था और साथ ही, सभी राज्यों के सहयोग से GST से संबंधित 5 विधेयक भी तैयार किए।
    - संसद ने GST से संबंधित 4 विधेयक पारित किए हैं जो पूरे भारत में लागू होगा- केन्द्रीय GST विधेयक 2017, एकीकृत GST विधेयक 2017, संघ राज्य क्षेत्र GST विधेयक 2017, GST (राज्यों को मुआवजा) विधेयक 2017
    - राज्य GST मसौदा विधेयक राज्यों को भेजा गया था। तत्पश्चात, जम्मू-कश्मीर समेत सभी राज्यों ने राज्य GST बिल को पारित कर दिया।

GST कार्यान्वयन तंत्र

GST परिषद

- अनुच्छेद 279 A के अंतर्गत यह एक संवैधानिक संस्था है जो GST से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने हेतु बनायी गयी है|
- इसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं:
    - केंद्रीय वित्त मंत्री - अध्यक्ष
    - केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व वित्त के प्रभारी
    - प्रत्येक राज्य सरकार के वित्त मंत्री या कराधान मंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कोई भी अन्य मंत्री

GSTN (GST नेटवर्क)

- यह गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो GST के कार्यान्वयन हेतु मुख्य रूप से केंद्रीय और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को IT अवसंरचना और सेवाएँ मुहैया कराने हेतु स्थापित की गई है।
- इसके 3 प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:-
    - पंजीकरण
    - टैक्स भुगतान - 97% भुगतान इलेक्ट्रॉनिक
    - रिटर्न दाखिल करना

पृष्ठभूमि

- 2004 में विजय केलकर ने अप्रत्यक्ष कर ढांचे की जगह GST की सिफारिश की थी|
- 2011 में एक विधेयक पेश किया गया था। किन्तु, राज्यों को मुआवजे के खींचातानी में यह लंबित रह गया।
- हाल ही में, GST सीमा, मुआवजों, GST की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान किया गया हैं।
- बाद में GST की एक फोर-स्लैब संरचना - 5% (बुनियादी जरूरतों पर), 12%, 18% और 28% (विलासिता सामग्री पर) अपनाने का फैसला किया गया।
- हाल ही में, सरकार ने GST के तहत "रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म" का उल्लेख किया था, जहां कर-भुगतान का दायित्व आपूर्तिकर्ता की जगह वस्तु और सेवाओं के प्राप्तकर्ता पर है विशेषकर जब एक अपंजीकृत व्यक्ति से वस्तु या सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। GST काउंसिल ने "रिवर्स चार्ज" हेतु सेवाओं की 12 श्रेणियों को निर्दिष्ट किया है और जिसमें रेडियो टैक्सी और अधिवक्ता या अधिवक्ताओं के समूह/कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं आदि भी शामिल की गयी हैं।

विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव

बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र: सेवाओं पर पहले 14.5% कर लगाया गया था, जबकि GST में यह 18% से 20% होने की संभावना है। इस प्रकार, सेवाओं के महंगे होने की संभावना है ।

रियल एस्टेट: पारदर्शिता और अधिक कुशल लेनदेन-ट्रैकिंग विधियों के कारण, विवादों (प्रावधानों और कई करों में अस्पष्टता के कारण) में कमी आएगी। साथ ही, इससे कर चोरी भी काफी कम होगी।

स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र: प्रमुख चिंता इंवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (inverted duty structure) से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे घरेलू उत्पादको की है जिसका समाधान GST द्वारा या तो इसे हटाकर अथवा संचित क्रेडिट के पुनर्वित्तपोषण के माध्यम से किया जा सकता है।

- **कृषि:** इसका प्रभाव कुछ मंडी करों की विकृति तथा अन्य उपकरों की समाप्ति से मिल कर मिश्रित रूप से पड़ेगा। कर संरचना के रेशनलाइजेशन से खाद्य सब्सिडी बिल में कमी, बाधारहित अंतरराज्यीय आवागमन सुनिश्चित होंगे। हालांकि, यह उच्चतर दरों के कारण राज्यों के कर राजस्व को नकारात्मक रूप से तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी प्रभावित कर सकता है।

महत्व

- GST में केन्द्रीय सरकार के अप्रत्यक्ष कर शामिल होंगे, जैसे- सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, अधिभार (surcharge) और उपकर (cess) तथा राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष करारोपण जैसे वैट, प्रवेश कर आदि।
    - इससे पहले, भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था केंद्र एव राज्य दोनों स्तर पर अलग अलग और विभिन्न दरो के रूप में थी तथा विभिन्न क्षेत्रो में अलग-अलग दर निर्धारित थी । इससे व्यापार हेतु प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क बाधाएँ उत्पन्न होता था।
- सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना।
- GST काफी हद तक प्रौद्योगिकी संचालित है। अतः यह मानव इंटरफ़ेस को कम करेगा जिससे त्वरित फैसले लिए जा सकते हैं।
- यह कर आधार को विस्तृत करके राजस्व संग्रहण में सुधार करेगा। ध्यातव्य है कि अब तक 120 करोड़ से अधिक आबादी में केवल 80 लाख लोग ही सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क करों के भुगतान हेतु पंजीकृत हैं।
- विशेष रूप से निर्यात से सम्बंधित करों का अधिक कुशल कार्यान्वयन ना होने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पादों को और अधिक प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाते हैं।

GST से लाभ

- **एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार:** यह "एक देश, एक कर, एक बाजार" की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो अपेक्षाकृत स्थिर कर व्यवस्था प्रदान करता है जो विदेशी निवेश और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देगा।
- **अर्थव्यवस्था पर प्रभाव** – GDP में 1.5 से 2% तक की वृद्धि अनुमान है। कास्केडिंग इफ़ेक्ट की समाप्ति और मौजूदा नियमों की तुलना में सभी के लिए कम दरों के कारण आम तौर पर मुद्रास्फीति वस्तुओ में घटती जा रही है।
- **कास्केडिंग इफ़ेक्ट नहीं :** GST करों की कास्केडिंग को रोकता है क्योंकि यह एक गंतव्य आधारित उपभोग कर एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में हर स्तर पर वस्तु और सेवाओं के आपूर्ति में उपलब्ध होगा।
- **ईज आफ़ डूइंग बिज़नेस:** कर से सम्बंधित कानूनों, प्रक्रियाओ, दरो के समायोजन से करों की भुगतान संस्कृति को मजबूती मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरे जायेंगे तथा साथ ही इनपुट क्रेडिट का सत्यापन ऑनलाइन होने से यह विभिन्न टैक्स अधिकारियो की आवश्यकता को कम करेगा और यह 'इनवॉइस शॉपिंग' को भी हतोत्साहित करेगा।
- **टैक्स चोरी में कमी:** SGST और IGST की समान दर होने के कारण निम्न के चलते टैक्स चोरी में कमी आएगी
    - **अंतर-व्यापार दरो का उन्मूलन:** पड़ोसी राज्यों के बीच और अंतरा एवं अंतरराज्यीय बिक्री के बीच एकीकृत GST दर लागू होगी।
    - **सेल्फ-पुलिसिंग सुविधा:** टैक्स की 'सेल्फ-पुलिसिंग सुविधा' वस्तुओ के मूल्यवर्द्धन पर लगायी जाती है।
    - **अनुपालन लागत (कंप्लायंस कॉस्ट) में कटौती:** टैक्स के सरलीकरण के कारण विभिन्न करों हेतु मल्टीपल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता क्योंकि 17 करों और उपकरों को एक ही कर में विलय कर दिया गया है।
- **उपभोक्ता पर प्रभाव -** अनाज सहित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बास्केट में कर की दर शून्य होगी जिससे बिना उपभोक्ताओं पर बोझ डाले, उन्हें GST श्रृंखला का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी ।

चुनौतियां

- **डिजिटल अवसंरचना** – सम्पूर्ण भारत में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण और भुगतान को ठीक ढंग से संचालित करने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु बैंडविड्थ की उपलब्धता।
- **डेटा गोपनीयता** - GSTN का 51% निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित किया जायेगा। यह एक निजी कंपनी को पर्याप्त डेटा संरक्षण उपायों के बिना कर और व्यापार का नियंत्रण देता है। इससे भारत की वित्तीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
- **संघवाद:** राज्यों को अपनी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति 'करारोपण में स्वायत्तता' से वंचित कर दिया गया है। राज्य व्यक्तिगत रूप से अब कर दरों को बदलने में सक्षम नहीं होगा। चूंकि, मौजूदा शासन 246 (A) के अनुसार केंद्र और राज्य दोनों के पास GST के तहत कानून बनाने की शक्ति है। मौजूदा व्यवस्था के विपरीत, केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना होगा जो कार्यक्षेत्र में चुनौती उत्पन्न कर सकता हैं।

VISION IAS

- **शहरी स्थानीय निकायों** को GST के अंतर्गत स्थानीय निकाय कर, चुंगी और अन्य प्रवेश कर रद्द किए जाने के बाद एक विशाल राजकोषीय अन्तराल से निपटना पड़ेगा।
- **अपवाद और विभिन्न कर दरों की सूची** - पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल, पेट्रोल, विमानन टरबाइन ईंधन, शराब आदि जैसे कई वस्तुओं को बाहर रखे जाने से और 4 अलग-अलग दरों के होने से यह 'एक देश-एक कर' सिद्धांत को कमजोर करता है।
- **करों में हुई वृद्धि की वजह से दबाव**- 10 लाख रुपये के टर्नओवर वाली छोटी कंपनियों को GST का भुगतान करना होगा। यहां तक कि असंगठित क्षेत्र (जो सबसे बड़े रोजगार निर्माता के रूप में है) अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को खो सकता है । इस क्षेत्र को मुनाफे में बने रहने के लिए कीमतो को बढ़ाना पड़ सकता है।
- **उपभोक्ताओं के लिए** - कम कर-दरो के कारण लागतो में हुई कमी से प्राप्त लाभ ग्राहकों को नहीं मिलते। इसके अलावा, कुछ लोग GST को करारोपण की प्रतिगामी व्यवस्था (रिग्रेसिव सिस्टम) के रूप में देख रहे हैं क्योंकि यह सभी उत्पादों में न्यूनाधिक रूप से करारोपण को समान बनाता है जिसका अर्थ है कि धनी व्यक्ति विलासिता के सामान और सेवाओं पर कम कर देगा और गरीबों को आवश्यक सामान और सेवाओं के लिए और अधिक भुगतान करना होगा।

चुनौतियों से निपटने हेतु उठाये गए कदम

- **लघु व्यवसाय के लिए छूट**- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 10 लाख रुपये के नीचे के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसाय को GST नेट से बाहर रखा गया है। जबकि शेष भारत में, वार्षिक कारोबार हेतु छूट की सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
- **एंटी-प्रॉफिटिरिंग कानून**- सेक्शन 171 के अनुसार व्यापारियों इत्यादि के इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में सहगामी लाभ उपभोक्ता को हस्तांतरित करना होगा।
- **GST पंजीकरण संख्या** – नयी व्यवथा से अभ्यस्त होने के लिए 90 दिन की विंडो फैसिल्टी तथा प्रोविजनल ID प्रदान की गई है।
- **अनिवार्य पंजीकरण**: अब करों की चोरी नहीं की जा सकेगी - व्यापार का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति GST सिस्टम में होगा। इसी प्रकार, ई-वे विधेयक भी पारित किया गया है जहां 10 किलोमीटर तथा 50,000 से अधिक लागत वाली वस्तु की आवाजाही हेतु ऑनलाइन पंजीकृत होने की आवश्यकता होगी ।
- **संचार और जागरूकता कार्यक्रम** - इसके लिए, सरकारी कार्यालयों में सुविधा केंद्र और विभिन्न हैण्ड होल्डिंग कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- **GST सुविधा प्रदाता (GSP)** - GSTN ने GST शासन के अनुपालन में करदाताओं और अन्य हितधारकों के हित में अभिनव और सुविधाजनक तरीके प्रदान करने के लिए 34 GSP का चयन किया है। यह GST के तहत कर प्रशासन की प्रक्रिया को आसान बनाएगा।

आगे की राह

- GST लागू होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को कई लाभ होंगे। सरकार को डेटा की गोपनीयता जैसी सीमाओं को दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए और लंबी अवधि में अपवाद सूची (एक्सक्लूशन लिस्ट) को भी कम किया जाना चाहिए।
- प्रगतिशील और उत्तरोतर परिवर्तन –विभिन्न कर दरों से युक्त GST एक सरल कर नहीं हो सकता है तथा छोटी प्रशासनिक संस्थाएं , अनुपालन और विरूपण लागत इससे प्राप्त अधिकांश लाभ को कम करते हैं। यदि वर्तमान कर शासन में व्याप्त दोषों को जल्द ही दूर कर लिया जाये तो यह पिछली कर व्यवस्था की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा।
- राजस्व हानि का डर सरकार को कम करों या निम्न कर दरों जैसे प्रयासों की जोखिम लेने से रोकता है। इस रुख में जल्द बदलाव की संभावना नहीं है, जब तक अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव ना आये । इसलिए, GST कौंसिल को दरों की समीक्षा के लिए अधिकाधिक बैठकें करनी चाहिए ताकि देश को विकसित देशों के समान व्यवस्था अपनाने हेतु अग्रसर करने में मदद मिले।
- प्राथमिक तौर पर सरकार को छोटे संपन्न उत्पादकों जैसे छोटे स्तर के उत्पादक एवं खुदरा व्यापारियों में क्षमता निर्माण हेतु ध्यान देना चाहिए।

यद्यपि वर्तमान में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। लेकिन, अंततः इससे प्राप्त होने वाला लाभ उनके लिए क्षतिपूर्ति से अधिक ही होगा। बढ़ी हुई टैक्स दर के अनुपालन से सरकार को और अधिक राजस्व प्राप्त होगा और देश का अधिक विकास होगा। वांछित परिणाम पाने हेतु, पहले से उपलब्ध रियल टाइम डेटा के साथ सरकारी नीतियों को भी लक्षित किया जा सकता है।

3.2. RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

(RBI's Financial Stability Report)

सुर्खियों में क्यों?

- RBI ने हाल ही में द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FCR) जारी की है।

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क

- कुछ नियमों के उल्लंघन की स्थिति में, त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही द्वारा RBI को अन्य बैंकों पर कुछ प्रतिबंध आरोपित करने की अनुमति प्रदान की गयी है।
- इन प्रतिबंधों में शाखा विस्तार एवं लाभांश भुगतान रोकना, स्पेशल ऑडिट और अन्य उपाय शामिल किये गए हैं।
- संपत्ति की गुणवत्ता, लाभप्रदता, NPA को सीमित करना तथा अन्य ऐसी ही जोखिम सीमाओं (risk threshold) से संबंधित कार्यवाहियों को शामिल किया गया है।
- RBI द्वारा PCA को पहली बार मई, 2014 में जारी किया गया और हाल ही में, अप्रैल 2017 में संशोधित किया गया है।

जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (CRAR)

- इसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) भी कहा जाता है। यह पूंजी की उस राशि को संदर्भित करता है जो बैंकों को अपनी वर्तमान देनदारियों एवं जोखिम भारित संपत्तियों (ऋण) के एवज में अपने पास रखनी पड़ती है।
- यह मुख्य रूप से बैंकों को अधिक लाभ प्राप्त करने और दिवालिया होने से रोकता है।
- PCA के संशोधित मानदंडों के अनुसार बैंकों को 9% न्यूनतम (CRAR) बनाए रखना आवश्यक है।

दबावग्रस्त परिसंपत्ति अनुपात (Stressed Assets Ratio)-

- यह कुल संपत्ति पर (सकल गैर-निष्पादन अग्रिम (GNPA) + पुनर्गठित ऋण) दबावग्रस्त संपत्तियों के अनुपात को संदर्भित करता है।

रिपोर्ट के मुख्य तथ्य

- **वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (Real Gross Value Added)** वृद्धि दर, वर्ष 2015-16 के 7.9 प्रतिशत के मुकाबले घटकर वर्ष 2016-17 में 6.6 प्रतिशत हो गई है।
- RBI का मानना है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन ,प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सुधार तथा बाह्य मांग में पुनरुत्थान से वर्ष 2017-18 में सकल मूल्य वर्धित (GVA) वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- बैंकिंग क्षेत्र के सकल गैर-निष्पादन अग्रिम (GNPA) में वृद्धि हुई है। परन्तु, दबावग्रस्त अग्रिमों का अनुपात सितंबर 2016 और मार्च 2017 के मध्य कम हुआ है।
- केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है की यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है तो GNPA के मार्च 2017 के 9.6% से बढ़कर 2018 में 10.2% तक होने की सम्भावना है।
- मुख्य रूप से विदेशी और निजी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता में सुधार के परिणामस्वरूप जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (CRAR) सितंबर 2016 और मार्च 2017 के मध्य 13.4% से बढ़कर 13.6 % हो गया है।
- हालांकि, RBI का पूर्वानुमान है कि CRAR मार्च 2017 में 13.3% से कम हो कर मार्च 2018 में 11.2% हो सकता है।
- समष्टि आर्थिक परिस्थितियों (macroeconomic conditions) के बिगड़ने से बैंकों में GNPA और CRAR की विनियामक सीमा का उल्लंघन हो सकता है।

चुनौतियां

- निवेश की मांग में कमी और GNPA में वृद्धि से **ट्विन बैलेंस शीट से** संबंधित समस्या को हल करना जटिल हो जाएगा ।
- बैंकों के लिए **IND AS (ऑडिट की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था) को अपनाना** चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि इसके लिए NPA एवं तनावग्रस्त संपत्तियों से संबंधित अधिक प्रभावी प्रावधानों की आवश्यकता होगी।
- हाल में हुए **रैंसममवेयर (RANSOMWARE) हमले** जैसे साइबर खतरें डिजिटल बैंकिंग के लिए नई चुनौतियों के रूप में उभरें है।
- धोखाधड़ी वाले बैंकिंग लेनदेन।

RBI द्वारा अपनाये गए नियामकीय उपाय

- RBI द्वारा दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए अधिक *प्रो-एक्टिव* दृष्टिकोण को अपनाते हुए जोखिम भार एवं मानक परिसंपत्ति प्रावधानों को अधिक कठोर किया गया है।
- रिज़र्व बैंक ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढांचे में सुधार करके और **प्रवर्तन विभाग** स्थापित कर अपने पर्यवेक्षी और प्रवर्तन ढांचों को भी सख्त बनाया है।
- RBI ने साइबर सुरक्षा पर एक **अंतर अनुशासनिक स्थायी समिति** गठित की।

VISION IAS

3.3. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (RECs) का पहला ग्रीन बॉन्ड

(REC's First Green Bond)

सुर्खियों में क्यों ?

- **लंदन स्टॉक एक्सचेंज** में व्यापार के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा पहला ग्रीन बांड जारी किया गया है।

बॉन्ड से संबंधित अन्य तथ्य

- यह **क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव** द्वारा प्रमाणित ग्रीन बॉन्ड है।
- बॉन्ड से होने वाले लाभों का उपयोग भारत की पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं जैसे सौर, पवन और बायोमास संपदाओं के साथ-साथ सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा।
- LSE में सूचीबद्ध होने से इस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) को नए निवेशक आधार तक पहुंचने की संभावना है।

क्लाइमेट बांड इनिशिएटिव

- यह एक गैर-लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो जलवायु के अनुकूल परियोजनाओं और पहल के लिए ऋण पूंजी बाजार को लामबंद करता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

- यह ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत 1969 में स्थापित एक नवरत्न कंपनी है।
- नवरत्न कंपनी वह है जिसे सरकार की पूर्वानुमति के बिना 1,000 करोड़ रुपये निवेश की स्वायत्तता दी गयी है।
- यह DDUGJY (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना) के कार्यान्वयन के लिए *नोडल* एजेंसी है तथा UDAY (*उज्ज्वल डिस्काउंट एश्योरेंस योजना)* के लिए सहायक एजेंसी है।

ग्रीन बॉन्ड क्या हैं?

- SEBI के अनुसार, ग्रीन बांड, उस बांड को माना जायेगा जिससे प्राप्त निधि को नवीकरणीय एवं सतत ऊर्जा में उपयोग किया जायेगा जिसमें पवन, सौर, जैव ऊर्जा, ऊर्जा के अन्य ऐसे सभी स्रोत शामिल हैं जिनके द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता हैं।
- ग्रीन बांड सर्वप्रथम 2007 में बहुपक्षीय संस्थानों (यूरोपीय निवेश बैंक एवं विश्व बैंक) द्वारा जारी किया गया था।
- भारत में प्रथम ग्रीन बांड 2015 में YES BANK द्वारा जारी किया गया था।
- भारतीय संस्थाओं द्वारा मसाला ग्रीन बांड भी जारी किए जाते हैं।
- SEBI ने ग्रीन बांड्स जारीकर्ता से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए है जिसमें जारीकर्ताओं के लिए ऐसी प्रतिभूतियों एवं चिन्हित परियोजनाओं के जारी करने के पर्यावरण उद्देश्यों को प्रकट करना अनिवार्य किया हैं।

भारत के लिए ग्रीन बांड महत्वपूर्ण क्यों है?

- वर्तमान में भारत शीर्ष 10 ग्रीन बांड बाजारों में से एक है।
- भारत न केवल इससे 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा के 175GW के लक्ष्य को पूरा कर पाएगा , बल्कि *सोलर रूफ टॉप* जैसी अन्य छोटी परियोजनाओं को भी वित्तपोषित कर सकेगा।
- ग्रीन बॉन्ड का उपयोग भारत की जल संबंधी अवसंरचना, (**ऐसे बांड जो जल अवसंरचना सम्बन्धी योजनाओं की वित्त पोषण में सहायक होते है, को "ब्लू बांड" के रूप में जाना जाता है)**, कचरा प्रबंधन और बायोमास परियोजनाओं के वित्त पोषण में किया जाता है।
- निश्चित रूप से ग्रीन बांड भारत को कार्बन उत्सर्जन को कम करने (**भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता 33-35% कम करने के लिए प्रतिबद्ध है)** एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क अपनाने में सहायता करता है।

3.4. ग्रामीण विद्युतीकरण

(Rural Electrification)

सुर्खियों में क्यों?

- सरकार द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक बिजली पहुंचाने के लिए 17,000 करोड़ रुपये लागत की "सस्ती बिजली हर घर योजना" को मंजूरी दी गयी है।

सामयिक तथ्य

- सरकार का लक्ष्य: 2022 तक 100% विद्युतीकरण·

VISION IAS

- वर्तमान में लगभग 40 मिलियन घर अविद्युतीकृत हैं तथा 304 मिलियन के लगभग भारतीय बिजली के अभाव में रह रहे हैं।
- सरकारी आंकड़ों में 10% गांवों का उल्लेख गलत ढंग से किया गया है।
- 28% विद्युतीकृत ग्राम, ओवर चार्जिंग (over charging) और अनौपचारिक बिलिंग की समस्या से ग्रसित है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के समक्ष चुनौतियां

- अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता।·
- विद्युतीकरण के प्रति ग्रामीण उपभोक्ताओ की उदासीनता
- सामर्थ्य सम्बन्धी मुद्दे ।
- ग्रामीण विद्युत् आपूर्ति की व्यावसायिक नहीं बल्कि कल्याणकारी गतिविधि के रूप में गणना करना।
- सौर विद्युतीकरण घरेलू विद्युतीकरण के लिए उपयोगी है। यह लागत प्रभावी नहीं होगी यदि इसके साथ बैटरी बैक-अप भी प्रदान किया जाये।
- आपूर्ति की अवधि, गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता।
- विभेदीकृत संसाधनों के लिए निधि और राज्यों के आर्थिक विकास की पद्धति ।
- अस्थायी एवं कम आय के कारण बिल का एक बार में भुगतान करने में असमर्थता।
- रखरखाव व्यवस्था का अभाव- 52% ग्रामों को ठेकेदारों, मरम्मत करने वालों इत्यादि से समस्याएं।
- विभिन्न ग्रामों को एक बार में दिए जाने वाले कनेक्शन शुल्को का भिन्न-भिन्न होना ।

भौगोलिक इलाके- LWE प्रभावित क्षेत्र, वन क्षेत्र

नवीनतम परिभाषा के अनुसार, एक ग्राम को विद्युतीकृत घोषित किया जाएगा,यदि

- मूलभूत संरचना उदाहरणार्थ बसे हुए क्षेत्रों में *डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर* और *डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें* दलित बस्ती वाले कस्बो में भी उपलब्ध कराई जाये ।
- विद्यालय, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, दवाखाने, सामुदायिक केंद्र आदि जैसे सार्वजनिक स्थलो पर विद्युत प्रदान की जाती हो ।
- विद्युतीकृत घरों की संख्या कुल संख्या का कम से कम 10% होनी चाहिए ।

2015 की योजना के अनुसार 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत किया जाना था जिसमें से केवल 3,458 गांव विद्युतीकृत होने से बचे हैं तथा 966 गांव निर्जन हैं।

योजना का सकारात्मक प्रभाव

- घरों तक *मीटर* के साथ विद्युत की पहुंच से मांग उत्पन्न होगी जिसके परिणामस्वरूप *डिस्कॉम* इन गांवों को आपूर्ति प्रदान करने के लिए विवश होंगे। वर्तमान में, विद्युतीकरण हो जाने के बाद भी वे विद्युत् आपूर्ति नहीं करना चाहते हैं।
- घरेलू स्तर पर विद्युतीकरण सुनिश्चित होने से इनमें वह बस्तियां भी शामिल होंगी जिन्हें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों (NSS) और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) में शामिल नहीं किया गया है।
- बढ़ी हुई मांग से इन नागरिकों के ऊर्जा ग्रिड की मुख्यधारा में एकीकरण तथा ऊर्जा क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में भी सुधार आएगा। यह ग्रामीण भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
- इससे *इंडक्शन कुकिंग* के लिए विद्युत् के उपयोग का लाभ उठाने में मदद मिलेगी जो *बायोमास कुकिंग* के लिए एक और विकल्प प्रदान करेगा।

समाधान

- सौर ऊर्जा जैसे ऑफ ग्रिड समाधानों के माध्यम से विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन को प्रोत्साहन देना।
- 100% मीटरींग उन्नत बिलिंग और मीटरिंग (metering) कार्यों के साथ, उपभोक्ताओं को क्रमबद्ध ढंग से बिल का भुगतान करने का अवसर प्रदान करता है।
- उर्ज़ा (power) समवर्ती सूची का विषय है। यदि केंद्र द्वारा फंड्स जारी किए जाते हैं तो राज्यों को इसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना होगा। इस प्रकार, राज्यों को राज्य नोडल एजेंसियों (SNAs) का निर्माण एवं उन्हें मजबूत करना चाहिए ताकि वे परिणाम के लिए जवाबदेह हो सकें।

VISION IAS

- विद्युत् उत्पादन, संचरण और वितरण को अधिक सरल बनाना चाहिए ताकि इससे संबंधित घाटों को कम किया जा सके। इससे परिवारों तक बिजली की पहुँच अधिक सुलभ हो सकेगी। वर्तमान में कुछ राज्यों में T&D घाटा 50% तक बढ़ गया है।
- विद्युतीकरण कार्यक्रम में पारदर्शिता हेतु,निगरानी और समीक्षा प्रक्रिया में लोगों की सलाह को शामिल किया जाना चाहिए जिससे रिपोर्ट में वास्तविक वस्तुस्थिति भी शामिल हो सके।

3.5. राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का मसौदा

(Draft National Energy Policy)

सुर्खियों में क्यों ?

नीति आयोग ने राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के लिए एक मसौदा तैयार किया है जो 2000 के दशक के मध्य की एकीकृत ऊर्जा नीति पर आधारित है|

ऊर्जा नीति के मुख्य उद्देश्य गरीबों और वंचितों को ध्यान रखते हुए सस्ती कीमतों पर ऊर्जा उपलब्धता।
- आयात के स्रोत में विविधता लाते हुए या आयात में कमी लाकर या घरेलू उत्पादन में वृद्धि द्वारा स्वायत्तता और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे की पृष्ठभूमि में अधिक धारणीयता।
- ऊर्जा-गहन क्षेत्रों के अनुरूप आर्थिक विकास

नई ऊर्जा नीति की आवश्यकता क्यों ?

- हालिया सरकारी घोषणाओं को पूर्ण करने के लिए:
  - 2018 तक सभी जनगणना गांवों का विद्युतीकरण करना, और 2022 तक 24x7 बिजली के साथ सार्वभौमिक विद्युतीकरण प्राप्त करना। अभी भी, 304 मिलियन भारतीयों को बिजली उपलब्ध नहीं है।
  - GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्तमान 16% से बढ़ाकर 25% तक पहुंचाना।
  - पेट्रोलियम मंत्रालय का लक्ष्य 2022 तक तेल आयात को 10% (2014-15 के स्तर) से कम करना है।
  - INDC लक्ष्य प्राप्त करना।
- विशाल आबादी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना, अनुमान है कि 2040 तक भारत की आबादी 1.6 अरब हो जायेगी।
  - 5 करोड़ लोग अभी भी खाना पकाने के लिए ठोस जैव मॉस ईंधन पर निर्भर हैं।
  - नीति आयोग के अनुमान के अनुसार, भारत में ऊर्जा की मांग 2012 से 2040 के बीच 2.7-3.2 गुना तक बढ़ने की संभावना है और इस प्रकार आयात मांग 2012 में 31% से बढ़कर 2040 में 36-55% हो सकती है।
- ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा से सम्बंधित विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय आवश्यक है। क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र का संबंध विभिन्न मंत्रालयों से है जिनके द्वारा अपने एजेंडे के अनुसार अलग-अलग नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं।
- वायु प्रदूषण के कारण बढ़ने वाली स्वास्थ्य लागतों को नियंत्रित करना - जिसका GDP के 3% होने का अनुमान है और इसके कारण हर वर्ष 1.2 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है।
- ऊर्जा परिदृश्य में उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियों के अनुरूप नए एजेंडे को बढ़ावा देना, जैसे कि
  - **वैश्विक ऊर्जा घटको में परिवर्तन** जहां जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 88% से 86% हो गई है और 2005-2015 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 12.5% से 14% हो गया है।
  - प्राकृतिक गैस के उत्पादन (जिससे तेल की तुलना में 1/3 कम कार्बन उत्सर्जन होता है) में बढ़ोतरी के साथ ही तेल की तुलना में इसकी कीमतें कम हो गयी है।
  - तेल और गैस के बाजारों में अधिक आपूर्ति से उनकी कीमतों में कमी आई है। इससे भारत जैसे देशों को ऊर्जा क्षेत्र संबंधी सुधारों को संपन्न करने का अवसर तथा वित्तीय सामर्थ्य प्राप्त हुई है।
  - नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की कीमत में कमी - 2010 और 2015 के बीच क्रमशः पवन और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी लागतों में क्रमशः 60% और 52% की कमी आई है।
  - **जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताएँ -** ऊर्जा उपयोग और उसके प्रतिकूल पर्यावरणीय नतीजों के बीच संबंधों के विषय में समझ में वृद्धि हुई है तथा साथ ही वायु की गुणवत्ता सम्बन्धी मानकों के बारे में जागरूकता उत्पन्न हुई है।

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख प्रावधान

- **धारणीयता (sustainability) सुनिश्चित करने के लिए**
  - सभी नए वाणिज्यिक निर्माण के लिए एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड को अपनाया जाये तो ऊर्जा के उपयोग में 50% कटौती की जा सकेगी।
  - ऊर्जा दक्षता के माध्यम से जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना -
    - ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) सुदृढ़ डेटा बेस की स्थापना हेतु एक अध्ययन करेगा ताकि ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों का निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के सन्दर्भ में मूल्यांकन किया जा सके।
    - रेलवे आधारित जन परिवहन प्रणालियों और परिवहन क्षेत्र में हाइब्रिड वाहनों को अपनाने के कारण सरकारी व्यवस्था पर पड़ने वाले वित्तीय दबावों को कम करने के साथ-साथ प्रदूषण को भी कम करना।
    - सभी प्रमुख उपकरणों और वाहनों हेतु 2020 तक अनिवार्य मानक और लेबलिंग प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए।
    - नीति आयोग द्वारा राज्यों के लिए एक सूचकांक बनाया जाये एवं उसका उपयोग ऊर्जा दक्षता संबंधी मापदंडों के अनुसार राज्यों को रेटिंग प्रदान करने हेतु किया जाये। इसके माध्यम से उन्हें राज्य नोडल एजेंसियाँ (SNA) बनाने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाए।
    - एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड या अन्य एजेंसियों को ऋण की पेशकश करने के लिए लाइन ऑफ़ क्रेडिट जैसी पहल करना। प्राथमिकता आधारित ऋण हेतु निर्धारित क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को शामिल करना साथ ही ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों द्वारा आंशिक जोखिम साझा करना आदि।
    - प्रमुख ऊर्जा खपत क्षेत्रों हेतु विशिष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करना जैसे AC, पंखो आदि के लिए मानकों में संशोधन, AC, पंखों तथा पम्प आदि के लिए डोमेस्टिक एफिशिएंसी लाइटिंग प्रोग्राम (DLP) अपनाना, हाइ ड्यूटी वाहनों संबंधी मानकों को निर्धारित करना और समय-समय पर लो ड्यूटी वाहनों हेतु मानकों को संशोधित करना।
    - 2020 तक असंगठित क्षेत्र सहित सभी औद्योगिक खपत का 80% कवर करने के लिए PAT (perform achive and trade) का विस्तार।
    - औद्योगिक ऊर्जा खपत को कम करने के लिए BAT (सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध तकनीकों) को अपनाना
- **अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना -** मसौदे के अनुसार परमाणु ऊर्जा पर भरोसा करना जरुरी है, क्योंकि यह एकमात्र हरित ऊर्जा है जिसे बेसलोड आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह संसाधनों के व्यर्थ उपयोग को रोकने के लिए कोयला, अन्य ईंधन और बिजली के मूल्य को बाजार सिद्धांतों पर आधारित करने का प्रावधान करता है। यह निजी क्षेत्र को ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- **बिजली पर सब्सिडी समाप्त करना-** अंततः उद्योगों की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म करते हुए बजट पर इसका बोझ कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। इससे विद्युत-सघन व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।
- बड़ी कारों, SUV पर उच्च टैक्स दरें और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जैसे मेट्रो रेल को प्रोत्साहन देने से वायु की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
- **वायु की गुणवत्ता में सुधार**- बिजली संयंत्रों को भौगोलिक रूप से इस प्रकार स्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि वे मानव बस्तियों में वायु की गुणवत्ता तथा जल आपूर्ति को नुकसान न पहुँचाएं। साथ ही वायु व जल संसाधनों की दुर्लभता के आधार पर उनकी कीमत इन कंपनियों से वसूल की जानी चाहिए।

स्वायत्तता और सुरक्षा के लिए

- हमारी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से पड़ोसी देशों के साथ पेट्रोलियम उत्पाद और बिजली के क्रॉस बॉर्डर व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए।
- कोयला, बिजली और पेट्रोलियम क्षेत्र के बेहतर विनियमन और समन्वय बढ़ाने के लिए वैधानिक नियामक प्राधिकरण (SRA) की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उद्योग उचित कदम उठा सकेंगे जिससे अंततः ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
- विदेशी भागीदारी - व्यावसायिक प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति हेतु आयात पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए भारतीय कंपनियों को विदेशी ऊर्जा कारोबार में अधिकाधिक भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
- आयात आपूर्ति के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ऊर्जा के बुनियादी ढांचे के विस्तार और सामरिक भंडार में वृद्धि।

VISION IAS

वहनीयता हेतु

- CIL का निगमीकरण - कोल इंडिया लिमिटेड की 7 सहायक कंपनियों को स्वतंत्र कंपनियों में परिवर्तित करके और बेहतर उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई है। यह वर्तमान में एकाधिकार लागत को नियंत्रित करने के प्रयासों को प्रदर्शित करता है।
    - मूल्य वृद्धि की स्थिति में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से ग्राहकों को मुआवजा।
    - प्रौद्योगिकी उपयोग के साथ-साथ प्रौद्योगिकी का विकास करना - विभिन्न ऊर्जा उप-क्षेत्रों के लिए तकनीकी रूपरेखा निर्धारित की जानी चाहिए जिसे उद्योग-शिक्षा गठबंधन, सरकारी विभागों और निजी क्षेत्रों के सहयोग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में दिशा-निर्देशों के लिए भारतीय डायस्पोरा से भी सहयोग लिया जाना चाहिए।

सामान्य और ऊर्जा गहन क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए

- कोयला उत्पादन का निजीकरण - निजी कोयला खानों से उच्च उत्पादन को प्रोत्साहन - इसके लिए कोयला खनन में विशिष्ट कंपनियों को वाणिज्यिक आधार पर कोयला ब्लॉक आवंटित करने की आवश्यकता है।
- कोयले द्वारा उत्पादित ऊर्जा को दोगुना करके वर्तमान 195 GW से 2040 तक 330 से 441 गीगावॉट के बीच पहुँचाना।
- ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना।
    - ऊर्जा अवसंरचना परियोजनाओं में जोखिम कम करने के लिए, एक्सटेंडेड डेब्ट टेन्योर, VGF (वायबिलिटी गैप फंडिंग), टोलिंग जैसे उपकरणों का उपयोग करना चाहिए जिससे इस क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित हो सके।
    - ECB के लिए उचित हेजिंग तंत्र पर विचार करना।
    - उभरते हुए क्षेत्रों जैसे कि स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, बैटरी स्टोरेज आदि क्षेत्रो में विकास को प्रोत्साहित करना।

उपभोक्ताओं से संबंधित कुछ प्रावधान

- इनोवेटिव बिलिंग और मीटरिंग के जरिए भुगतान प्रक्रिया को सुविधा जनक बनाना।
- ऊर्जा दक्षता के लिए पुरस्कार और कर छूट, जागरूकता पैदा करने और उपभोक्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का एक प्रभावी तरीका है।

चिंताएं

- **ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के साथ संगत नहीं :** जैसा कि अनुमान है कि अगले दशक में 2027 तक भारत में किसी नए कोयला बिजली घर की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय उनके जो पहले से ही निर्माणाधीन हैं। औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं से कोयले की मांग में गिरावट के परिदृश्य में हमारे कोयला उद्योग के कोयले के निर्यातक के रूप में उभरने की संभावना अस्वाभाविक प्रतीत होती है। ऐसे समय में जब सौर और पवन ऊर्जा टैरिफ ऐतिहासिक रूप से अपने निम्नतम स्तर तक पहुँच गया है, 2040 में भी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता **ऊर्जा धारणीयता और सुरक्षा** जैसे लक्ष्यों से असंगत है।
- **पूंजी की कमी:** अन्य क्षेत्रों में पूंजी की उपलब्धता को प्रभावित किए बिना 2040 तक वार्षिक आधार पर ऊर्जा क्षेत्र में 150 अरब डॉलर के पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी ।
- **ग्रामीण-शहरी असमानता:** केवल 4% शहरी परिवारों ने प्रकाश के प्राथमिक स्रोत के रूप में बिजली का उपयोग नहीं किया, जबकि 26% से भी अधिक ऐसे अधिक ग्रामीण परिवार इस देश में हैं जो केरोसिन आधारित प्रकाश व्यवस्था पर आश्रित हैं।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं**: सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में मसौदा नीति अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी है क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के सन्दर्भ में यह केवल इनडोर वायु प्रदूषण के मामलों पर ही थोड़ा बहुत ध्यान केन्द्रित करती है। यह मसौदा केवल अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक है। यह शहरों में निवास करने वाले उन लाखों निवासियों को नजरअंदाज करता है, जिनको अकुशल थर्मल पावर स्टेशनों के कारण प्रदूषण का सामना करना पड़ता है।
- **परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता** : अगले कुछ दशकों में ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी के तेजी से परिपक्व होने के कारण अन्य विकल्प भी उपलब्ध होने की संभावना है, इससे यह संकल्पना भी बदल जाएगी कि परमाणु ऊर्जा बेसलोड पावर हेतु उपलब्ध एक मात्र ग्रीन ऊर्जा है। इसके अलावा, यह निर्माण एवं अपग्रेडेशन के सन्दर्भ में अत्यधिक कॉस्ट-इंटेंसिव है। इस क्षेत्र में भारत का अच्छा रिकॉर्ड होने के बावजूद इसमें आपदा जोखिम निहित है। इसके अलावा, यह भी एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि जर्मनी और स्विटजरलैंड जैसे देशों ने किसी नए परमाणु ऊर्जा केंद्रों का निर्माण नहीं करने का निर्णय लिया है।
- **अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव**: थर्मल पावर के विस्तार से हमारे पड़ोसी देशों बांग्लादेश और मालदीव समेत विभिन्न देशों में समुद्र स्तर की वृद्धि सबंधी खतरों का सामना करना पड़ सकता है ।

VISION IAS

आगे की राह

- **केवल गांवों की बजाय परिवारों (households) के कवरेज को सुनिश्चित करना**: 'विद्युतीकरण' की अवधारणा को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। इस नई अवधारणा में DDUGJY कार्यक्रम के अंतर्गत किसी गांव को पूरी तरह से विद्युतीकृत तब माना जाना चाहिए जब गांव के सभी घरों में बिजली कनेक्शन हो, जो कम से कम कुछ निश्चित घंटों के लिए विश्वसनीय आपूर्ति प्राप्त करते हों।
- शासन में सुधार: BEE को सशक्त बनाकर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।
- जागरूकता सृजन, नवीनीकृत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम का एक अनिवार्य घटक है। वर्तमान लागतों की तुलना में इस प्रकार के कार्यक्रमों के दीर्घकालिक लाभों को स्पष्ट करते हुए कार्यक्रम की विश्वसनीयता में वृद्धि करना।

3.6. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP)

(Hydrocarbons Exploration And Licensing Policy- Help)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत सरकार ने हाल ही में **हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति** लॉन्च की। यह नीति **मौजूदा नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (NELP)** को प्रतिस्थापित कर देश में तेल एवं गैस संसाधनों के अन्वेषण को प्रशासित करेगी।

नेशनल डेटा रिपॉजिटरी

- हाइड्रोकार्बन अन्वेषण नीति के साथ सरकार ने भौगोलिक एवं हाइड्रोकार्बन संबंधी जानकारी का डाटाबेस भी आरंभ किया है जो सभी के लिए नि:शुल्क उपलब्ध होगा।
- नेशनल डेटा रिपॉजिटरी पेट्रोलियम अन्वेषण की संभावनाओं को बढ़ाएगा एवं **गुणवत्तापूर्ण डेटा की उपलब्धता के माध्यम से बोली लगाए जाने की प्रक्रिया को सुसाध्य बनाएगा।**

नीति क्यों आवश्यक है?

- भारत का 2015-16 में 36.95 मिलियन टन घरेलू कच्चा तेल उत्पादन, इसकी 20% तेल आवश्यकताओं की मुश्किल से ही पूर्ति कर पाया। 32.249 बिलियन क्यूबिक मीटर का प्राकृतिक गैस आउटपुट, इसकी आधे से कम आवश्यकताएं ही पूरी कर पाता है।
- पारंपरिक तेल एवं गैस, कोल बेड मीथेन, शेल तेल एवं गैस तथा गैस हाइड्रेट के लिए पृथक-पृथक नीतिगत प्रशासन तंत्र ने अन्वेषण में अकुशलता उत्पन्न की है।
- पूर्ववर्ती नीतिगत प्रशासन में **लाभ साझेदारी मॉडल (प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल)** था जिसके परिणामस्वरूप विलंब एवं विवाद हुए।
- नई अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति **उथले जल क्षेत्रों** (जहाँ लागत एवं जोखिम कम होते हैं) एवं गहरे/अत्यधिक गहरे जल क्षेत्रों में भेद नहीं करती है जहाँ जोखिम एवं लागतें रॉयल्टी निर्धारित करने के लिए अत्यधिक उच्च होते हैं।
- वर्तमान में, गैस का उत्पादक मूल्य (प्रोडूसर प्राइस) सरकार द्वारा प्रशासनिक रूप से निर्धारित किया जाता है। इसके कारण राजस्व की हानि, कई प्रकार के विवाद, अर्बिट्रेशन एवं अदालती मामले उत्पन्न हुए हैं।

इस नीति के उद्देश्य

- विनियामक प्रतिबंधों को कम करके भारत को **व्यापार एवं निवेश हेतु अनुकूल** बनाना।
- भारत के वर्तमान तेल उत्पादन को 80 मिलियन मीट्रिक टन से दुगुना कर 2022 तक लगभग 150-155 मिलियन मीट्रिक टन करना।
- ऐसे **क्षेत्रों की पहचान करना** जहां विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण करना संभव बनाया जा सके।

नीति की विशेषताएं

- **एकल लाइसेंसिंग**– यह विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन जैसे:- तेल, गैस, कोल बेड मीथेन इत्यादि के लिए एक ही लाइसेंस की व्यवस्था करती है।
- **खुली रकबा नीति**– अन्वेषक अब सम्पूर्ण वर्ष अन्वेषण करने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद सरकार क्षेत्र को बोली लगाए जाने के लिए खोल देगी।
- **राजस्व साझेदारी** - सरकार कुल आय का एक भाग प्राप्त करेगी। बोली लगाने वालों को अपनी बोलियों में राजस्व साझेदारी भागों (revenue shares) को उद्धृत करने की आवश्यकता होती है।
- **विपणन एवं मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता -** यह नीति ऊपरी मूल्य सीमा के अधीन विपणन एवं मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता प्रदान करती है।
- **अन्वेषण चरण -** तटीय क्षेत्रों के लिए अन्वेषण चरण को 7 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष और अपतटीय (ऑफशोर) क्षेत्रों के लिए 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।

VISION IAS

हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति बनाम नई अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति

नीति वर्ग	हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP)	नई अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (NELP)
हाइड्रोकार्बन के प्रकार	सभी पारंपरिक एवं अपारंपरिक तेल एवं गैस को कवर करती है।	NELP केवल पारंपरिक तेल एवं गैस को कवर करती थी जबकि कोल बेड मीथेन नीति, कोल बेड मीथेन को कवर करती थी।
लाइसेंस	सभी प्रकार के तेल और गैस के अन्वेषण एवं निष्कर्षण के लिए एक ही लाइसेंस।	पारंपरिक तेल एवं गैस, कोल बेड मीथेन तेल, शेल तेल एवं शेल गैस तथा गैस हाइड्रेट के लिए पृथक लाइसेंस की आवश्यकता होती थी।
राजस्व मॉडल	राजस्व साझेदारी मॉडल जिसके अंतर्गत सरकार के साथ राजस्व की साझेदारी, बोली लगाने वाले के द्वारा प्रस्तुत अनुपात में की जाएगी।	उत्पादन/लाभ साझेदारी मॉडल जिसके अंतर्गत सरकार ने लाभ में एक भाग प्राप्त करती थी।
कवरेज	खुली रकबा नीति, जिसके अंतर्गत अन्वेषण कंपनियां अन्वेषण के अंतर्गत सम्मिलित न किए गए किसी प्रखंड के लिए आवेदन कर सकती हैं।	अन्वेषण, सरकार द्वारा खोले गए प्रखंडों तक ही सीमित था।
तेल एवं गैस का मूल्य निर्धारण	कंपनियों को अपना उत्पादन घरेलू रूप से सरकार के हस्तक्षेप के बिना विक्रय करने की स्वतंत्रता है।	कच्चे तेल का मूल्य आयात समता पर आधारित था; गैस का मूल्य सरकार द्वारा नियत किया जाता था।
रॉयल्टी	अन्वेषण हेतु कठिन गहरे जल क्षेत्रों (5 प्रतिशत) एवं अत्यधिक गहरे जल क्षेत्रों (2 प्रतिशत) के लिए रॉयल्टी में छूट एवं उथले जल क्षेत्रों में रॉयल्टी में कमी (10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत)।	तटीय क्षेत्रों के लिए 12.5 प्रतिशत तथा अपतटीय क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत; कोल बेड मीथेन के लिए 10 प्रतिशत।

महत्व

- ऐसी नीति **हाइड्रोकार्बन अन्वेषण बढ़ाने** एवं देश में **ऊर्जा दक्षता** को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करने में सहायता कर सकती है।
- तेल एवं प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन, आयातों पर निर्भरता कम करने में सहायता कर सकता है।
- यह **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** को आकर्षित करने में सहायता करेगी।

3.7. सॉवरेन गोल्ड बांड योजना

(Sovereign Gold Bond Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बांड की नई श्रृंखला जारी की है।

सॉवरेन गोल्ड बांड क्या हैं?

- सॉवरेन गोल्ड बांड, भौतिक स्वर्ण में मूल्यांकित सरकारी प्रतिभूतियां हैं।
- इसे सर्वप्रथम **2015 की स्वर्ण मुद्रीकरण योजना** के अंतर्गत भारतीय घरों में विद्यमान कई टन भौतिक स्वर्ण को बैंकिंग प्रणाली में आकर्षित करके एवं आयात मांग में कमी करके भारत के चालू खाता घाटे को कम करना था।
- इसे **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से जारी किया जाता है।**
- यह बांड **निवेशित पूंजी एवं ब्याज दोनों पर संप्रभु गारंटी देता है।**
- यह **2.50% प्रतिवर्ष की नियत ब्याज दर भी प्रदान करता है।**
- केवल निवासी भारतीय ही सावरेन गोल्ड बांड में न्यूनतम 1 ग्राम तथा अधिकतम 500 ग्राम प्रति वर्ष हेतु निवेश कर सकते हैं।
- गोल्ड बांड, शेयर बाजार पर लेन-देन किए जाने योग्य होते हैं तथा उन्हें भौतिक तथा डीमैट दोनों रूपों में धारण किया जा सकता है।
- बैंकों द्वारा इस प्रकार के बांड में निवेश, **वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)** की गणना में मान्य होगा।

यह भौतिक स्वर्ण की तुलना में बेहतर क्यों है?

- गोल्ड बांड का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे भौतिक स्वर्ण के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के प्रति काफी हद तक सुरक्षित होते हैं क्योंकि ये आरंभिक बांड मूल्य पर नियत ब्याज वहन करते हैं।
- इनका प्रयोग बैंकों से **ऋण प्राप्त करने हेतु कोलेटरल (गिरवी)** के रूप में किया जा सकता है।

- इनको भुनाने के समय होने वाले पूंजीगत लाभ कर पर छूट दी गई है।

3.8. अवसंरचना परियोजनाओं का समय एवं लागत अनुमान से अधिक होना

(Time and Cost Over-Runs of Infrastructure Projects)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं द्वारा कॉस्ट ओवर-रन (पूर्वानुमानित लागत से अधिक लागत होना) में वित्तीय वर्ष 2017 के अंत तक, वर्ष 2015 की तुलना में 20% से भी अधिक गिरावट दर्ज की गयी है।

पृष्ठभूमि

- सरकारी योजना एवं इसके कार्यान्वयन में पूर्वानुमान की तुलना में अधिक लागत एवं समय लगना प्रमुख बाधा रही है।
- इसके लिए **बढ़ती भूमि अधिग्रहण लागतों, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों एवं पुनर्वास उपायों की उच्च लागतों, परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, उपकरण सेवाओं के एकाधिकारी मूल्य विक्रेताओं तथा अधिक समय लगने** को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

स्थगित परियोजनाओं के प्रमुख निहितार्थ

- यह **भविष्य के योजना-निर्माण एवं राजकोषीय प्रबंधन** को अस्त-व्यस्त कर देता है।
- यह सामान्य जनता को सार्वजनिक वस्तुओं जैसे:- रेलवे लाइनों, सड़कों, पुलों इत्यादि से प्राप्त होने वाले लाभ में विलम्ब करता है।
- यह रोजगार के सृजन को प्रभावित करता है।
- **यह गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की मात्रा में बढ़ोतरी करता है तथा परिणामस्वरुप ट्विन बैलेंस शीट की समस्या में योगदान करता है।**

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

सरकार ने स्थगित परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने तथा लालफीताशाही से लड़ने के लिए भी अनेक उपाय किए हैं जैसे:- त्वरित अनुमति, समय-समय पर निगरानी तथा समीक्षा इत्यादि। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-

- **अग्र-सक्रिय प्रशासन एवं समय पर कार्यान्वयन (PRAGATI):** इसकी एक प्रमुख भूमिका भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की निगरानी एवं समीक्षा करना है।
- **तापीय ऊर्जा संयंत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए PSUs का नियोजन:** सरकार द्वारा निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को पुनः आरंभ करने के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों (PSUs) का नियोजन किया जा रहा है।
- **जल विद्युत नीति**: 11639 मेगावाट (MW) क्षमता की बढ़ोतरी करने में सक्षम 40 स्थगित जल विद्युत परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए 16709 करोड़ रुपए प्रदान करने के लक्ष्य वाली नीति के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। यह नीति वर्तमान में छोटी परियोजनाओं को उपलब्ध प्रोत्साहन के साथ ही बड़ी परियोजनाओं को भी प्रोत्साहन प्रदान करने में सक्षम होगी।

3.9. गौण खनिजों की स्टार रेटिंग के लिए मसौदा टेम्पलेट

(Draft Template for Star Rating of Minor Minerals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **खान मंत्रालय द्वारा गौण खनिजों की स्टार रेटिंग के लिए ड्राफ्ट मूल्यांकन टेम्पलेट का निर्माण किया गया है।**

- **खनिजों** को **खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957** के अनुसार प्रमुख एवं गौण खनिजों में वर्गीकृत किया गया है।
- इस अधिनियम के अनुसार **गौण खनिज निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग होने वाले रेत के अतिरिक्त अन्य साधारण रेत एवं साथ ही साथ सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से गौण खनिजों के रूप में अधिसूचित कोई अन्य खनिज हैं।**
- इस अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख खनिजों का कोई स्पष्ट वर्गीकरण नहीं रहा है। इसलिए, **जिस किसी भी खनिज को गौण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उसे प्रमुख खनिज माना जाता है।**

यह क्या है?

- गौण खनिजों जैसे:- बालू और मिट्टी के लिए स्टार रेटिंग मूल्यांकन टेम्पलेट, 2016 में लांच प्रमुख खनिजों की स्टार रेटिंग प्रणाली के अनुरूप निर्मित की गई है।
- इसके आकलन के लिए **छह विभिन्न वर्ग** हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत और अधिक विभेदीकरण भी किया जाता रहा है।

मूल्यांकन के लिए मानदंड	कुल अंक
व्यवस्थित और संधारणीय खनन	28 अंक
पर्यावरण का संरक्षण	15 अंक
जल का संरक्षण एवं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग।	10 अंक
कर्मचारियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा	20 अंक
कल्याण उपाय एवं समुदाय संलग्नता	13 अंक
वैधानिक अनुपालन	14 अंक

- अगर पट्टा क्षेत्र (लीज़ एरिया) अपने मूल्यांकन में **75 अंक से अधिक प्राप्त करता है तो इसे 5-स्टार रेटिंग दी जाएगी। यदि यह 60-75 अंक प्राप्त करता है तो इसे 4-स्टार रेटिंग दी जाएगी जबकि 50-60 अंक से 3-स्टार रेटिंग प्राप्त होगी।**

महत्व

- यह सरकार को खनन क्षेत्रक के लिए **संधारणीय विकास रूपरेखा (SDF)** प्राप्त करने में सहायता कर सकता है।
- खनन गतिविधियों द्वारा भूमि, वायु और जल पर पर्यावरणीय प्रभावों का व्यापक शमन।
- खनन पर जानकारी की उपलब्धता एवं **अधिकाधिक पारदर्शिता** और विरोधों का शीघ्र समाधान संभव करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में खनन एवं साथ ही संरक्षण गतिविधियों के विषय में जानकारी की उपलब्धता।

प्रमुख खनिजों की स्टार रेटिंग

- प्रमुख खनिजों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली **भारतीय खान ब्यूरो (IBM)** के माध्यम से मई 2016 में लागू की गई थी।
- खानों की स्टार रेटिंग के लिए मूल्यांकन टेम्पलेट की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए एक **वेब पोर्टल** विकसित किया गया है।
- स्व-प्रमाणीकरण का मूल्यांकन और पुष्टि भारतीय खान ब्यूरो (IBM) द्वारा किया जाता है। खनन पट्टे के प्रदर्शन के आधार पर 1-5 की स्टार रेटिंग प्रदान की जाती है।
- **स्टार रेटिंग निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगी:**
  - पर्यावरणीय प्रभाव का शमन करने के लिए वैज्ञानिक और व्यवस्थित खनन।
  - खनन प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए सामाजिक प्रभावों को संबोधित करना।
  - स्थानीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्थानीय समुदायों की संलग्नता एवं कल्याण कार्यक्रम।
  - खनन के दौरान प्रयुक्त भूमि को पहले से बेहतर बनाने के लिए खदानों को प्रगतिशील उपायों को अपनाते हुए अंतिम रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए।
  - खनन कार्यों और रिपोर्टिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का अंगीकरण।

3.10. कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन

(Sub-Mission On Agricultural Mechanization)

पृष्ठभूमि

- कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन **(SMAM), वर्ष 2014-15 में कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन के तहत लांच किया गया था।**
- यह छोटे और सीमांत किसानों के बीच एवं ऐसे क्षेत्रों में **कृषि यंत्रीकरण** को बढ़ावा देने के लिए लांच किया गया था जहाँ कि मशीनीकरण का स्तर एवं विद्युत उपलब्धता बहुत कम होती है।
- वर्तमान वर्ष 2017-18 के दौरान, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन **(SMAM)** हेतु आवंटन पिछले वर्ष (577 करोड़ रु.) की तुलना में दोगुना से अधिक बढ़ा दिया गया है।
- मशीनीकरण पर उप-मिशन **(SMAM)** के अतिरिक्त, मंत्रालय की विभिन्न अन्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना **(RKVY)**, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन **(NFSM)**, राष्ट्रीय बागवानी मिशन **(NHM)**, तिहलनों एवं पाम तेल पर राष्ट्रीय मिशन **(NMOOP)** इत्यादि के माध्यम से भी कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया गया है।

मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM) **के अवयव**

- **प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि मशीनीकरण का समर्थन एवं सुदृढ़ीकरण**: इसका लक्ष्य कृषि मशीनरी और उपकरण के गुणवत्ता परीक्षण, किसानों और अंतिम उपयोगकर्ताओं के क्षमता निर्माण एवं प्रदर्शनों के माध्यम से कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना सुनिश्चित करना है।
- **कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी और प्रबंधन** (PHTM) **का प्रदर्शन, प्रशिक्षण और वितरण:** इसका लक्ष्य प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, कम लागत पर वैज्ञानिक भंडारण/परिवहन और फसल उत्पाद प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना है।

- **कृषि मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता:** सहायता के मानदंडो के अनुसार, यह विभिन्न कृषि मशीनरी एवं उपकरणों के स्वामित्व को बढ़ावा देती है।
- **आवश्यकतानुसार किराए पर लेने के लिए कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना करना:** उपयुक्त स्थानों और फसलों के लिए आवश्यकतानुसार किराए पर लेने के लिए कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना करने हेतु उपयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

फार्म मशीनीकरण के लाभ

- **भूमि की प्रति इकाई के लिए उत्पादन और उपज बढ़ाता है** – कृषि मशीनीकरण खेत पर किए जाने वाले कार्य की गति एवं गुणवत्ता दोनों में सुधार कर सकता है जिससे प्रति इकाई भूमि में उत्पादन और उपज सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- **कृषि तकनीकों में अन्य सुधार लाता है –** मशीनरी का उपयोग सिंचाई, भू-पुनरुपयोग में सुधार करता है एवं मृदा अपरदन को रोकता है।
- यह निर्वाह कृषि से व्यावसायिक कृषि की ओर परिवर्तन में परिणामित होता है।
- इसके अन्य लाभ भी हैं जैसे:- भूमि का बेहतर उपयोग, कृषि आय में वृद्धि, श्रम की कमी की समस्या हल करता है एवं किसानों को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करता है।

कृषि मशीनीकरण की हानियाँ

- **छोटे खेत के लिए उपयोगी नहीं–** कृषि मशीनरी के उचित और कुशल उपयोग के लिए बड़े खेत जोत आवश्यक होते हैं।
- **कामगारों की अतिरिक्त संख्या** – अतिरिक्त बेरोजगार कार्यबल उत्पन्न हो सकता है क्योंकि मशीनें अधिक कुशलता से काम करती हैं।
- इसे पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में ठूँठ जलाए जाने की समस्या के साथ भी संबद्ध किया गया है।

आगे की राह

- भारत में कृषि मशीनीकरण को ऐसे क्षेत्रों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा जहाँ शारीरिक श्रम अधिक उपयोगी नहीं होता है जैसे कि **खरपतपारों से ग्रसित भूमि का उद्धार या ट्रैक्टर की सहायता से भूमि का समतलीकरण।**
- किसान मशीनरी का उपयोग उचित रूप से करने के लिए शिक्षित या कुशल नहीं होते हैं। किसानों को कृषि मशीनीकरण के लाभ के विषय में शिक्षित करने के लिए **जागरूकता अभियान अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाने चाहिए।**

3.11. भारत का वैश्विक विदेशी मुद्रा समिति का भाग बनना तय

(India Set To Be A Part Of Gfxc)

सुर्खियों में क्यों?

- भारत शीघ्र ही, नवगठित **विदेशी विदेशी मुद्रा समिति (GFXC)** का सदस्य बनेगा।

अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक **(BIS)**

- यह केंद्रीय बैंकों के लिए बैंक है एवं इसका लक्ष्य वैश्विक वित्तीय तथा मौद्रिक स्थिरता का समर्थन करना है।
- इस पर विश्व भर के देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 60 सदस्यीय केंद्रीय बैंकों का स्वामित्व है।
- इसकी स्थापना 1930 में की गई थी और यह विश्व का सबसे पुराना वित्तीय संगठन है।
- इसका मुख्यालय बेसल, स्विट्जरलैंड में है।

वैश्विक विदेशी मुद्रा समिति

- यह मजबूत और पारदर्शी **विदेशी मुद्रा बाजार** के संवर्धन हेतु कार्य करने वाला **केंद्रीय बैंकरों एवं विशेषज्ञों का फोरम** है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- इस समिति में 16 अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा व्यापार केंद्रों की विदेशी मुद्रा समितियों से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।
- समिति के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक **"वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार के लिए आचार संहिता" बनाए रखना एवं अद्यतन करना** है।

3.12. ट्रेडमार्क अधिनियम

(Trademark Act)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, मुंबई के ताज महल पैलेस होटल को ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ जिससे भारत में यह प्रस्थिति प्राप्त करने वाली पहली संरचना बना।

पृष्ठभूमि

- ट्रेडमार्क का संदर्भ, अन्य से भिन्न बनाने वाली **वस्तुओं एवं सेवाओं के चित्रमय प्रतिनिधित्व** से है। ट्रेडमार्क कोई शब्द, प्रतीक, ध्वनि, रंग, वस्तुओं का आकार, चित्रमय प्रदर्शन या पैकेजिंग इत्यादि हो सकता है।

- भारत में, **औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग (DIPP)** के तत्वावधान में **ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999,** के तहत ट्रेडमार्क प्रशासित किया जाता हैं।
- इसका कार्यान्वयन निकाय पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक है।
- हाल ही में, सरकार ने ट्रेडमार्क प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल एवं निर्बाध बनाने के लिए ट्रेडमार्क नियम, 2017 भी जारी किए हैं।

विश्व भर में ट्रेडमार्क

विश्व में ट्रेडमार्क प्राप्त करने वाली अन्य संरचनाएं

- एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमरीका
- एफिल टॉवर, पेरिस, फ्रांस
- ओपेरा हाउस, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया

विश्व में प्राप्त किए गए अन्य ट्रेडमार्क – ध्वनि ट्रेडमार्क (टार्ज़न की चीख़), रंग पेटेंट (कैडबरी, टिफ़नी आदि), खुशी मनाने की विशिष्ट मुद्रा (उसेन बोल्ट)।

ट्रेडमार्क अधिनियम की सीमाएं

यद्यपि ट्रेडमार्क अधिनियम, ट्रेडमार्कधारक को अनुचित प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, उसकी प्रतिष्ठा एवं उपभोक्ता को संभावित क्षति से बचाता है। लेकिन, इसकी कुछ सीमाएँ हैं।

- ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत शिक्षा, अनुसंधान आदि के उद्देश्य के लिए कुछ ट्रेडमार्क का **'उचित उपयोग'** उपलब्ध नहीं है। इसलिए, तृतीय-पक्ष को ट्रेडमार्कधारक से प्रत्येक बार अनुमति लेना आवश्यक होता है। इस प्रकार, बहुमूल्य समय नष्ट होता है।
- कुछ ट्रेडमार्क **सांस्कृतिक विरासत के प्रति जनता के अधिकार** को प्रभावित करते हैं। ट्रेडमार्क अधिनियम, गैरपरंपरागत चिह्नों के पंजीकरण का सार्थक रूप से निषेध नहीं करता है। इस प्रकार, दुरूपयोग के लिए कमियाँ रह जाती है।
- यह अधिनियम भारतीयों या विदेशी नागरिकों को एक साथ अन्य देशों में ट्रेडमार्क के लिए आवेदन करने के प्रावधान का अनुमति नही देता है। इस प्रकार, यह **मैड्रिड प्रोटोकॉल** का उल्लंघन करता है।

आगे की राह

- ट्रेडमार्कधारक एवं सामान्य जनता के हितों को सुनिश्चित करने के लिए ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 का संशोधन आवश्यक है। संसद में लंबित संशोधन विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान है-
  - भारत एवं साथ ही साथ अन्य देशों में **ट्रेडमार्क का एक साथ पंजीकरण।**
  - यह **ट्रेडमार्क पंजीकरण की अवधि** को भी बढ़ाकर 18 माह करता है तथा **विरोध की सूचना हेतु समयावधि** को भी बढ़ाकर 4 महीने करता है।
- **कॉपीराइट कानून के 'उचित उपयोग' प्रावधान को** ट्रेडमार्क अधिनियम में सम्मिलित किया जा सकता है, ताकि न तो ट्रेडमार्क के उपयोग का और न ही उपभोक्ता को क्षति पहुंचे।

3.13. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से सरकार को 5700 करोड़ से अधिक की बचत

(Government Saved Over 5700cr Through DBT)

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य सब्सिडी को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित करना है ताकि **लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सके और अनियमितता के मार्गों को बंद किया जा सके।**
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत, मनरेगा (MGNREGA), पहल (PAHAL), धनलक्ष्मी योजना, जननी सुरक्षा योजना इत्यादि सम्मिलित हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लाभ

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने सुनिश्चित किया है कि लाभार्थियों को **वास्तविक समय (रियल टाइम) आधार** पर उनके व्यय के अनुसार धन आवंटित किया जाए। जैसे- LPG में प्रत्यक्ष धन अंतरण।
- **यह राजकोषीय लागत को कम करके तथा धन के लीकेज को रोककर दक्षता में वृद्धि करता है।** यह बाजार में मूल्य विरूपण, आपूर्ति के डायवर्जन एवं काले बाजार में मुनाफाखोरी को कम करने में भी सहायता करता है। उदाहरण के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
- इसके चलते **शारीरिक परिश्रम** कम करना पड़ता है तथा इसने लाभों को पहुँचाने में होने वाली **मानवीय त्रुटि को समाप्त किया है।**

सीमाएँ

- **अवसंरचना:** जैम (JAM) ट्रिनिटी – सरकार हेतु इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए जन धन, आधार एवं मोबाइल आवश्यक अवसंरचनागत आवश्यकताएं हैं। लेकिन, वर्तमान में अवसंरचनागत पैठ अपर्याप्त है।
    - **जन धन –** वर्तमान में वित्तीय समावेशन की पैठ पर्याप्त नहीं है एवं बैंकिंगरहित क्षेत्र अभी भी मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों में कर्मचारियों का अभाव है और प्राय: यह रिपोर्ट दी जाती है कि इन क्षेत्रो में बैंकिंग गतिविधि अलाभकारी है। इस प्रकार, अंतिम व्यक्ति तक कनेक्टिविटी की समस्या उत्पन्न होती है।
    - **आधार -** अभी भी लोगों के ऐसे समूह विद्यमान हैं जिनके पास आधार संख्या नहीं है और बैंक खातों के साथ इनका लिंकेज भी एक चुनौती है। परिणामस्वरुप, बाधा उत्पन्न होता है।
    - **मोबाइल -** भारत में मोबाइल की पैठ केवल 65-75% है। अत: योजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए भारत में मोबाइल की पहुँच बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- **लाभार्थियों की पहचान –** यह एक चुनौती है क्योंकि लाभार्थी डेटाबेस की सटीकता एवं वैधता प्रशासनिक एवं राजनीतिक विवेकाधिकार के कारण बाधित होती है। उदाहरणस्वरुप LPG की सब्सिडी में गलत लाभार्थी।

3.14. राज्य निवेश सम्भाव्यता सूचकांक

(State Investment Potential Index)

सुर्खियों में क्यों?

- आर्थिक थिंक टैंक NCAER की एक रिपोर्ट के अनुसार, व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मकता और निवेश परिवेश के सन्दर्भ में, गुजरात ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में स्वयं को शीर्ष स्थान पर बनाये रखा है।

NCAER और सूचकांक के सम्बन्ध में:

- 1956 में स्थापित नेशनल काऊंसिल ऑफ़ एप्लाईड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER), भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्वतंत्र, गैर-लाभकारी, आर्थिक नीति अनुसन्धान संस्थान है।
- यह छह स्तम्भों– श्रम, अवसंरचना, आर्थिक परिवेश, शासन और राजनीतिक स्थिरता, लोगों की राय तथा भूमि एवं 51 उप-संकेतकों पर आधारित है।
- रिपोर्ट के अनुसार, "भ्रष्टाचार" एवं "व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना" व्यवसायियों के सम्मुख आने वाली शीर्ष दो बाधाएँ हैं।

3.15. प्रधानमन्त्री वय वन्दना योजना

(Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमन्त्री वय वन्दना योजना (PMVVY) नामक पेंशन योजना प्रारम्भ की। यह केवल जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा संचालित है।

योजना के अंतर्गत लाभ:

- 10 वर्षों के लिए 8% का निश्चित वार्षिक रिटर्न और वास्तविक रिटर्न में किसी भी कमी के लिए सरकार, LIC को आर्थिक सहायता देगी।
- अधिकतम पेंशन की सीमा पेंशनधारी, उसके पति/पत्नी और उस पर आश्रित सदस्यों सहित सम्पूर्ण परिवार के लिए है।
- पालिसी खरीदने के समय चुनी गई मासिक/त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक आवृत्ति के आधार पर, 10 वर्षों की पूर्ण पालिसी अवधि में चुनी गई प्रत्येक अवधि के अंत में पेंशन देय है।
- स्वयं या पत्नी के लाइलाज या गम्भीर बीमारी के उपचार के लिए समय से पूर्व निकासी सम्भव है। इस मामले में, निवेश की गई राशि की 98 प्रतिशत राशि वापस कर दी जाएगी।
- लिक्विडिटी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पॉलिसी क्रय के तीन वर्षों के पश्चात क्रय मूल्य के 75% तक का ऋण लिया जा सकता है। ऋण पर ब्याज का भुगतान, पेंशन की किश्तों से किया जा सकता है।

3.16. फसल बीमा योजनाओं पर कैग की रिपोर्ट

(Cag Report Of The Crop Insurance Schemes)

सुर्खियों में क्यों?

- केंद्र की फसल बीमा योजनाओं की CAG आडिट रिपोर्ट ने किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के कार्यान्वयन में उन कमियों पर प्रकाश डाला है जहाँ इनके उद्देश्य से समझौता किया गया है।
- कैग ने दो योजनाओं – संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) और राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (NCIP) के प्रदर्शन की जाँच की है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- विलंबित भुगतान : राज्य स्तर पर हुई देरी ने किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में बाधा उत्पन्न की है।
- वर्तमान कृषि फसल बीमा योजना "फसल बीमा की तुलना में ऋण बीमा योजना" के रूप में अधिक कार्य करती है। भारत में लगभग 97% किसानों ने, जिन्होंने 2012-13 और 2015-16 के बीच फसल बीमा लिया था, केवल बैंकों से लिए गये ऋण के बराबर की राशि का बीमा करवाया था।
- योजनाओं का कार्यान्वयन करने वाली सरकारी स्वामित्व वाली संस्था, कृषि बीमा कम्पनी, निजी बीमा कम्पनियों को धन जारी करने से पूर्व दावों का सत्यापन करने में विफल रही है।
- **जन जागरूकता की कमी:** यह पाया गया है कि केवल 37 प्रतिशत किसान फसल बीमा योजनाओं से अवगत थे।
- समस्या निवारण व्यवस्था और निगरानी प्रणालियाँ- केंद्र एवं राज्य स्तर पर किसानों की शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए पर्याप्त तन्त्र उपलब्ध नहीं थे।
- **छोटे किसान सम्मलित नहीं :** छोटे और सीमांत किसानों की संख्या देश के कुल किसानों का 85% है। फिर भी, NAIS योजना में उनकी भागीदारी केवल 13.32% ही थी।
- **रिकार्ड्स की अनुपलब्धता :** लाभार्थियों तक धन पहुँचा है या नहीं, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि लाभार्थियों का डाटाबेस ही नहीं बनाया गया था। इस प्रकार सरकार केवल ऋण वितरण करने वाले बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बीमा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गयी जानकारी पर ही निर्भर है।

अनुशंसाएं

- यह सुनिश्चित करने के लिए एक तन्त्र को प्रारम्भ करने की अनुशंसा की गयी है ताकि राज्य सरकारों को उनका हिस्सा समय पर प्राप्त हो सके।
- केंद्र सरकार को लाभार्थी किसानों का विस्तृत डाटा बेस बनाये रखना चाहिए।
- सरकार को किसानों को, विशेष रूप से गैर-ऋणी किसानों को बीमा योजनाओं के अंतर्गत लाने का प्रयास करना चाहिए।
- फसल के उत्पादन के अधिक सटीक आंकलन और कवरेज को कम किये बिना सरकार की देनदारियों को कम करने के लिए तकनीकी का उपयोग।

3.17. जूट किसानों की आय को दोगुना करने का सरकार का लक्ष्य: जूट-ICARE

(Government To Double The Income Of Jute Farmers:Jute-Icare)

सुर्खियों में क्यों?

- **जूट-ICARE** परियोजना के अंतर्गत, केन्द्रीय जूट और संबद्ध फाइबर अनुसन्धान संस्थान (CRIJAF) ने **सोना (SONA)** नामक सूक्ष्मजीव (माइक्रोबियल) विकसित किया है।

मुख्य बिंदु

- माइक्रोबियल, फाइबर उपज की मात्रा में 20% वृद्धि करेगा और साथ ही इसकी गुणवत्ता को ग्रेड के मानक में कम से कम 1 ½ ग्रेड तक बढ़ाएगा।
- प्रदर्शन के उद्देश्य से सीड ड्रिल और निराई उपकरणों की आपूर्ति की गई है।
- पंजीकृत किसानों को जूट की खेती में बेहतर तरीकों को अपनाने हेतु क्षेत्रीय भाषाओँ में नियमित रूप से SMS भेजे जाते हैं।

भारत में जूट की खेती:

प्राकृतिक रेशे (फाइबर) की फसल जिसे *गोल्डन फाइबर* भी कहा जाता है, विश्व के 95% जूट का उत्पादन भारत और बांग्लादेश में होता है।

- यह पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में व्यापक रूप से उगाया जाता है।
- यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-वाणिज्यक फसलें (NFSM-CC) के अंतर्गत सम्मिलित है।

VISION IAS

दशाएं: मार्च-मई का गर्म और आर्द्र मौसम, **तामपान** 24°C to 35°C, **वर्षा:** 120 से 150 से.मी., **मिट्टी:** चिकनी बलुई मिट्टी और रेतीली दुमट मिट्टी।
प्रसंस्करण: गलाने के लिए जैविक और रासायनिक दोनों ही पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। जैविक पद्धति अधिक प्रचलित हैं।
प्रयोज्यता:

- वस्त्र, कागज, भवन और मोटर वाहन उद्योगों के लिए कच्चा माल।
- सजावटी और साज-सज्जा वाली सामग्री के रूप में उपयोग।
- कम तापीय चालकता।
- अच्छा कुचालक और प्रतिस्थैतिक (एंटीस्टेटिक) गुण।
- सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में विच्छेदन, निस्पंदन और जल निकासी।
- ग्रामीण सड़क फुटपाथ निर्माण और कृषि संयन्त्रों में उपयोगी।

पर्यावरणीय लाभ:

- जैव निम्नीकरणीय और पुन:-प्रयोज्य क्षमता,
- मृदा रक्षण में उपयोगी,
- जलाये जाने पर विषैली गैसें नहीं छोड़ता,
- विभिन्न फसल-चक्रण में फिट हो जाता है (कम पर्यावरण लागत में खेती हो सकती है)

सामाजिक-आर्थिक कारक

- पूर्वोत्तर के लोगों का पारम्परिक व्यवसाय।
- कुल किसानों के 60% से अधिक लघु और सीमांत कृषक हैं।
- श्रमिक सरलता से उपलब्ध हैं (उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है)।
- कम यांत्रिक, उर्वरकों और कीटनाशकों की कम आवश्यकता।

चुनौतियाँ

- सिंथेटिक **नायलोन फाइबर** की बढती हुई मांग।
- अप्रचलित (पुरानी) मिलें और मशीनरी।
- कच्चे माल और उत्पादन की अनियमित आपूर्ति।
- जूट के लाभों में बारे में कम ज्ञान।

संस्थान: राष्ट्रीय जूट बोर्ड (NJB)

- वस्त्र मंत्रालय के तहत,राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008 द्वारा शासित।
- अनुसन्धान और मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों में सलंग्न।
- नयी प्रौद्योगिकियों का प्रसार।

जूट-ICARE परियोजना:

- बेहतर कृषि पद्धतियों के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड द्वारा निम्नलिखित के माध्यम से वर्ष 2015 में इस परियोजना को प्रारम्भ किया गया था:-
  - 50% सब्सिडी पर गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण;
  - सीड ड्रिल की सहायता से पंक्तियों में जूट की बुवाई करने से उपज में 10-15% की वृद्धि;
  - हाथों से निराई करने के स्थान पर व्हील होइंग/नेल विडर द्वारा निराई की लागत को कम करना।
- 2017 में इस परियोजना को राज्य कृषि विस्तार मशीनरी द्वारा विस्तारित किया गया था जिसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे:-
  - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत जूट-ICARE कार्यक्रम।
  - कृषि मिशन में उप-मिशन (SMAM) के अंतर्गत कृषि उपकरणों की आपूर्ति।
  - MGNREGS के अंतर्गत गलाने के लिए टैंकों का निर्माण करना।
  - किसानों की सहायता के लिए कृषि मेलों का आयोजन किया जा रहा है।
- पिछले दो वर्षों से, किसानों की संबद्धता और जूट उत्पादन में क्रमशः 147% व 169% की वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय जूट नीति, 2005

- सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (NCMP) के अंतर्गत।

VISION IAS

- बाजार आधारित हस्तक्षेप के साथ जूट प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना।
- विविध और समग्र जूट उत्पादों तथा जूट हस्तशिल्प को प्रोत्साहन।
- कृषि विस्तार, विपणन, अनुसन्धान और विकास के माध्यम से क्षेत्र आधारित पहल।

अन्य पहलें

- **जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकेजिंग कमोडिटीज़ में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987** (JPM अधिनियम) का कुल उत्पादन के न्यूनतम प्रतिशत तक विस्तार किया गया है।
- **जूट के कच्चे माल का बैंक (JRMB) योजना:** जूट के कच्चे माल को छोटे छोटे कारीगरों, उद्यमियों को उनकी वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिल की कीमत पर स्थानीय रूप से उपलब्ध कराने के लिए।
- जूट डिजाइन सेल: नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन (NID), अहमदाबाद के प्राकृतिक फाइबर हेतु अभिनव केंद्र (ICNF) के अंतर्गत।
- साझा सुविधा केंद्र (CFCs): जूट के विविध उपयोगों के विकास में कारीगरों के प्रशिक्षण, अवसंरचना, मशीनरी और विपणन में महिला स्वय-सहायता समूहों (WSHGs) को सहायता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय जूट बोर्ड द्वारा प्रौद्योगिकियों के अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए संयन्त्र और मशीनरी के अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहन योजना (IISAPM), शैक्षिणिक सहायता छात्रवृति योजना।
- NJB द्वारा कार्यान्वित रिटेल आऊटलेट योजना, जो चयनात्मक और व्यापक उपभोग के लिए आपूर्ति श्रंखला और JDPs की थोक आपूर्ति में मदद करती है।

आगे की राह

- जूट को खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा भविष्य का फाइबर कहा गया है। उष्णकटिबंधीय फसल होने तथा इसकी श्रम गहन प्रकृति होने के कारण भारत में विश्व के जूट उत्पादन का केंद्र बनने की उच्च क्षमता है।

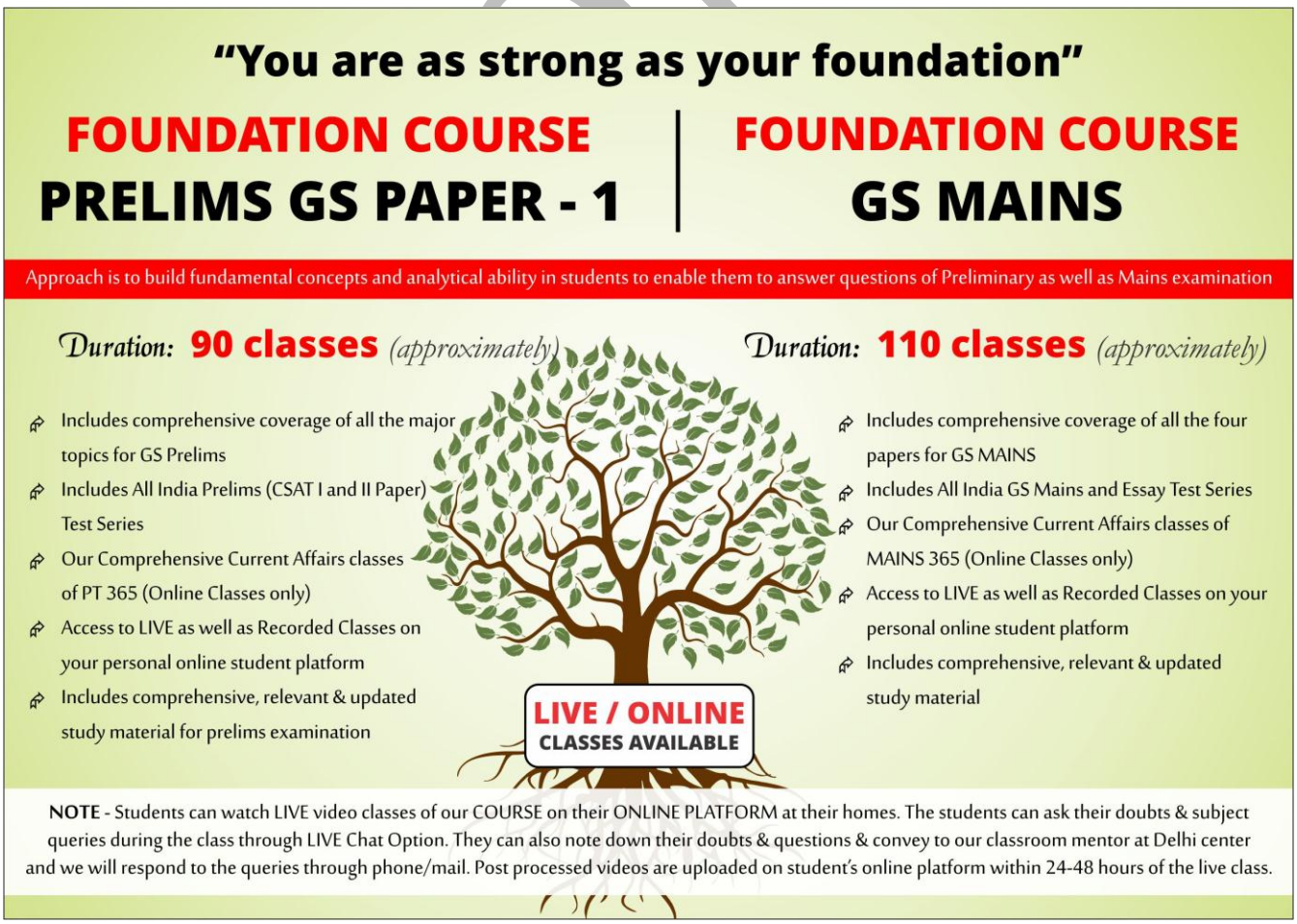

4. सुरक्षा

(SECURITY)

4.1. साक्ष्य आधारित पुलिस व्यवस्था (EBP):पुलिस सुधार

(Evidence Based Policing (EBP): Police Reform)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी द्वारा आयोजित हाल ही के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में **साक्ष्य आधारित पुलिस व्यवस्था** की आवश्यकता पर बल दिया गया।

साक्ष्य आधारित पुलिस व्यवस्था (EBP)

- यह निर्णय लेने की ऐसी पद्धति है जो बताती है कि पुलिस व्यवस्था में कौन सी कार्यविधि प्रभावी है। यह उन तौर तरीकों और रणनीतियों के संबंध में निर्णय लेती है जो पुलिस अभियानों को सर्वाधिक लागत प्रभावी रूप से पूर्ण कर सकें।
- इसमें उन विभिन्न स्थानों, समय, लोगों और परिस्थितियों की व्यवस्थित रैंकिंग और उनसे संबद्ध हानि के स्तर की तुलना सम्मिलित है जिसे पुलिस व्यवस्था के द्वारा कानूनी रूप से सम्बोधित किया जा सकता है।

साक्ष्य आधारित पुलिस व्यवस्था का सैद्धांतिक मॉडल

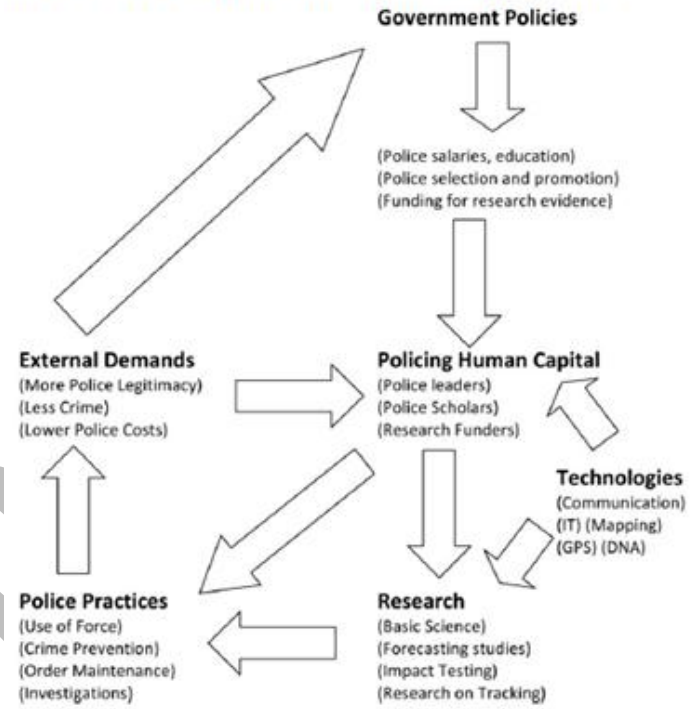

पृष्ठभूमि

- भारत की पुलिस व्यवस्था, अंग्रेजों की पुरानी नियन्त्रण व्यवस्था पर आधारित है और साथ ही यह राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित है।
- विधि निर्माताओं के उदासीन रवैये के कारण पुलिस व्यवस्था के क्षेत्र में शोध निराशाजनक स्थिति में है।
- उपलब्ध कौशल को बुद्धिमत्ता से उपयोग करने के स्थान पर सरकार पुलिस संसाधनों के केवल यांत्रिक उपयोग पर ही जोर देती है।

EBP की आवश्यकता क्यों है?

- **लक्षित करने (टारगेटिंग), परीक्षण करने (टेस्टिंग) और पीछा करने (ट्रैकिंग)** के पारम्परिक दृष्टिकोण के माध्यम से पुलिस के लिए विधि व्यवस्था को बनाये रखने और पारम्परिक अपराधों का सामना करने की, दोहरी समस्याओं से निपटना कठिन है।
- समाज में अपराध की परिवर्तित होती प्रकृति (साइबर अपराध) के कारण, पुलिस के पारम्परिक दृष्टिकोण के स्थान पर सशक्त **शोध आधारित दृष्टिकोण** की आवश्यकता है।
- EBP, पुलिस संस्थाओं को प्रतिक्रियाशील, अनुक्रिया संचालित दृष्टिकोण से आगे बढ़ने को सुगम बनाती है और इसे अपराध के **पोस्टमार्टम एप्रोच** से अलग करती है।
- इस रणनीति में अपराध के '**प्रमुख क्षेत्रों**' और समुदाय के संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जाती है।

4.2. युद्ध सामग्री की क्षमता पर कैग रिपोर्ट

(CAG On Ammunition Capacity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- CAG ने हाल की एक रिपोर्ट में पूर्वी वायु कमान में गोला-बारूद के भंडारों और मिसाइलों की तैनाती की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला।

पृष्ठभूमि

- बड़े पैमाने पर सैन्य अवसरंचना के निर्माण के जरिए चीन सीमा के निकट पूर्वी वायु कमान की स्थिति को 'निवर्तक'(डिसूएसिव) से 'निवारक' (डिटरेंस) में परिवर्तित किया गया है।
- पड़ोसी देशों (पाकिस्तान और चीन) के साथ हालिया गतिरोध ने सशस्त्र बलों और वायु सेना की गोला-बारूद क्षमता पर प्रश्न खड़े किए हैं।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड (OFB)

- मुख्यालय: कोलकता, रक्षा मंत्रालय।
- भारत में कुल 41 फैक्ट्रियां
- कार्य: उत्पादन, परीक्षण, लॉजिस्टिक्स, अनुसन्धान, विकास और विपणन।
- रक्षा हार्डवेयर और उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन।
- सशस्त्र सेनाओं को सक्षम करने हेतु आत्मनिर्भरता प्राथमिक उद्देश्य।

युद्ध अपव्यय रिजर्व (WWR)

- 40 दिनों के **गहन युद्ध** की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयुध का रिजर्व।

न्यूनतम स्वीकृत जोखिम स्तर (MARL)

- 20 दिनों तक युद्ध लड़ने के लिए न्यूनतम आवश्यकता।
- यह परिचालन के लिए सदैव तैयार रहने के लिए न्यूनतम अपरिहार्य आवश्यकता है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- 55% गोला-बारूद के प्रकारों का भंडार MARL से भी नीचे था।
- उपलब्ध गोला-बारूद के प्रकारों में से लगभग 50% का भंडार 10 दिन के युद्ध के लिए आवश्यक भंडार से कम था।
- सितम्बर 2016 तक, 40% प्रकार के गोला-बारूद की स्थिति नाजुक स्तर पर थी।
- OFB द्वारा उत्पादन लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है और 2009-13 की अधिकांश खरीद भी लम्बित थी।
- चीनी सीमा के लिए सामरिक मिसाइल प्रणाली अभी तक भारतीय वायुसेना में सम्मिलित नहीं हुई है।
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा आपूर्ति की गयी मिसाइलों की गुणवत्ता निम्नस्तरीय थी जैसे:
  - आवश्यकता से कम वेग।
  - 71 मिसाइलों में नमी का प्रवेश।
  - इंडक्शन न होने के कारण गारंटी की अवधि में कमी।
- साइटों पर अवसंरचना के निर्माण में देरी के कारण पूर्वी-वायु कमान के छह स्थानों में मिसाइल प्रणाली को स्थापित नहीं किया गया है।

सम्बन्धित समस्याएं

- **सेना का विशाल आक़ार** उपकरण खरीद नीति को कठिन बना देता है।
- रक्षा पर्यवेक्षकों का कहना है कि **लालफीताशाही** और **पुरानी नौकरशाही** प्रथाओं ने वर्षों से रक्षा क्षेत्र में बाधा उत्पन्न की है।

4.3. क्रॉस-LOC व्यापार का उपयोग आंतकवाद वित्त पोषण के लिए किया जाता है: NIA

(Cross-LOC Trade is used for Terrorist Funding: NIA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने दृढ़तापूर्वक यह कहा है कि नियन्त्रण रेखा पर सक्रिय व्यापार, आतंकवादी वित्त पोषण का स्रोत है।

आतंकवाद का वित्त पोषण क्या है?

- आतंकवादी गतिविधियों के लिए (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक) वित्त।
- यह वैध और अवैध, दोनों ही स्रोतों से जुटाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

- इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (1999),
- सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव संख्या 1373 (2001),
- फाइनेंसियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF)

इस विषय में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य :

- NIA की छान-बीन में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों से कश्मीरी अलगावादियों (हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी) के लिए धन आ रहा है।
- घाटी में पत्थरबाजी और अन्य आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए **हवाला व्यापारियों** की सहायता से दुबई के माध्यम से पाकिस्तान से धन आ रहा है।

VISION IAS

- कैलीफोर्निया के बादाम, शालें, दालें आदि जैसे उत्पादों की बड़े पैमाने पर अंडर इन्वोइसिंग (Under invoicing) और ओवर इन्वोईसिंग(Over invoicing) प्रदर्शित की जा रही है।
- इससे न केवल अन्य व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा, बल्कि अवैध रूप से धन हस्तान्तरण का मार्ग भी उपलब्ध हो रहा है।
- इसके अतिरिक्त, आतंकवादी अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए धन हस्तान्तरण के लिए सीमा पर व्यापार के संदर्भ में प्रचलित वस्तु विनिमय प्रणाली का भी दुरूपयोग कर रहे हैं।

भारत के प्रयास:

- **राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (NATGRID):** आतंकवाद के वित्त पोषण और आन्तरिक सुरक्षा संकट का सामना करने के लिए कार्रवाई योग्य आसूचना हेतु डाटाबेस को लिंक करना।
- दंडात्मक उपायों को सुदृढ़ बनाने के लिए, 2008 और 2012 में **अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967** में संशोधन किया गया है।
- **2009 में प्रिवेंशन ऑफ मनीलांड्रिंग एक्ट में संशोधन**, कुछ निश्चित अपराधों को निर्दिष्ट अपराध (predicate offence) के रूप में सम्मिलित करता है।
- **फेमा (FEMA) और FCRA जैसे अधिनियमों** का उद्देश्य सीमा-पार से आतंकवादी वित्त पोषण पर कठोर निगरानी रखना है।
- **G-20** मंच और आतंकवाद के वित्तपोषण स्रोतों को रोकने के लिए **21-सूत्रीय संयुक्त घोषणा** की स्वीकृति।

4.4. डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी के लिए बीमा कवर

(Insurance Cover for Digital Transaction Frauds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार डिजिटल लेनदेन के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने की सम्भावनाओं की जाँच कर रही है।

बीमा की आवश्यकता क्यों है?

- 1.3 बिलियन की जनसंख्या वाली अर्थव्यस्था नकदी-रहित हो रही है और कुल उपभोक्ताओं के 50 प्रतिशत से अधिक लोग पहली बार प्लास्टिक मनी की ओर जा रहे हैं।
- RBI के आंकड़े दिखाते हैं कि 2014-15 एवं 2015-16 में ATM, क्रेडिट, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग में धोखाधड़ी से सम्बन्धित लगभग पन्द्रह हजार मामले दर्ज किये गये थे।
- डिजिटल लेनदेन धोखाधड़ी का सामना करने और क्षतिपूर्ति करने के लिए **कोई एकल संस्थागत तन्त्र** नहीं है।
- **भारतीय बैंकिग कोड्स और मानक बोर्ड ने** धोखाधड़ी के मामलों में **एक मुश्त क्षतिपूर्ति** के साथ ही क्षतिपूर्ति की कुछ सीमा भी निर्धारित की है।
- बढ़ते डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए बैंकिग ढांचा मजबूत नहीं है, उदाहरण के लिए कुल डेबिट/क्रेडिट कार्ड का 75% मैग्नेटिक स्ट्रिप पर आधारित हैं जिनका सरलता से प्रतिरूपण (cloned) किया जा सकता है।
- **चंद्रबाबू नायडू समिति ने** बताया कि लोगों के बीच डिजिटल लेनदेन के प्रति आशंकाओं को बीमा कवरेज प्रदान करके कुछ कम किया जा सकता है।

जोखिम के प्रकार:

- **डिवाईस से सम्बन्धित जोखिम:** मोबाइल फ़ोन के गुम हो जाने से इ-वालेट सुरक्षा से समझौता हो सकता है।
- **एक्सेस राइट्स संबंधी जोखिम :** इ-वालेट या अन्य फिन-टेक (fin-tech) एप्स को सोशल नेटवर्क्स जैसे अन्य नेटवर्क्स से जोड़ना, डाटा चोरी के जोखिम या उपभोक्ता द्वारा अनजाने में जानकारी साझा करने के जोखिम को बढ़ाता है ।
- पासवर्ड या OTP को दूसरे लोगों से साझा करने में **लापरवाही** विशेषकर जब इन साधनों का सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जाता है।

4.5. चीन–भारत सीमा अवसंरचना

(Sino-India Border Infrastructure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वर्तमान सरकार के अंतर्गत अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है परन्तु अभी भी भारत-चीन सीमा पर विकास की गति धीमी है।

पृष्ठभूमि

- कई सैन्य और आसूचना स्रोतों के अनुसार भारत को चीन के द्वारा सीमा पर किये गये अवसंरचना विकास के समकक्ष आने में कम से कम एक दशक का समय लगेगा। चीन की ओर सीमा पर अवस्थित अधिकांश चौकियों तक सड़क से सीधी पहुंच है।
- तिब्बत में बड़े पैमाने पर अवसंरचनात्मक परियोजनाएं चल रही हैं जो कि चीन की सेना के लिए सीमा तक सुगम पहुंच प्रदान करती हैं।

भारत-चीन सीमा विवाद:

- भारत-चीन सीमा पर छिटपुट आक्रामकता– उदाहरण 1962 का युद्ध।
- सीमा पार पूर्वोत्तर पड़ोसी देशों में विद्रोहियों के लिए सुरक्षित आश्रयस्थल।
- अरुणाचल प्रदेश में स्थल सीमा विवाद।
- महत्त्वपूर्ण अवसंरचना का अभाव जैसे कि सीमा पर सड़क विकास में विलम्ब, एकल सैन्य कमान और एकीकृत जाँच चौकियों का अभाव।
- विलम्ब के प्रमुख कारण हैं- अत्यधिक ऊंचाई और पर्वतीय क्षेत्र, ऊबड़-खाबड़ और कठिन क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाएं, वन और वन्यजीव अनुमति में देरी, भूमि अधिग्रहण और रसद आपूर्ति के मुद्दों के साथ सीमित कामकाजी मौसम।

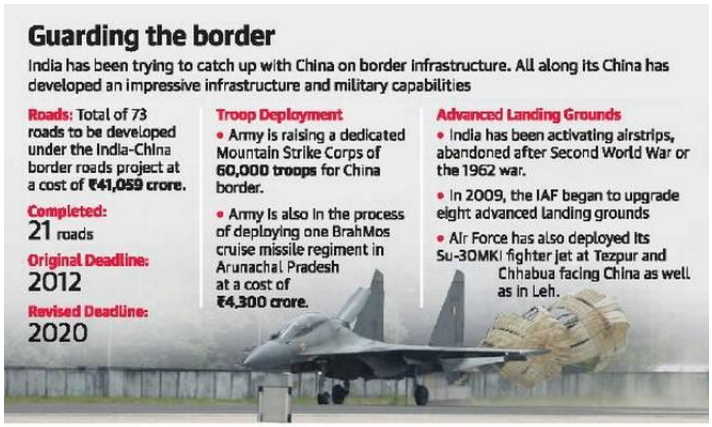

आगे की राह

- भारत भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ महत्त्वपूर्ण पुलों का निर्माण कर रहा है जिससे सेना के आवागमन में लगने वाले समय में कमी आएगी। हाल ही में 9.2 किमी लम्बाई के ढोला-सदिया पुल के उद्घाटन से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 165 किमी कम होगी।
- इसके अतिरिक्त इन सड़कों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए गृह मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में एक परिचालन (steering) समिति की स्थापना की गयी है।

4.6. साइबर सुरक्षा सूचकांक

(Cyber-Security Index)

सुर्खियों में क्यों?

- **वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (GCI)** में 165 देशों की सूची में भारत का 23वाँ स्थान है।

पृष्ठभूमि

- इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन (ITU) द्वारा जारी किये गये दूसरे वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (GCI) में कहा गया है कि विश्व के लगभग आधे देशों में एक साइबर सुरक्षा नीति है या वे इसे विकसित करने की प्रक्रिया में हैं। ITU ने साइबर अपराधों से सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नीतियों पर विचार करने के लिए और अधिक देशों से आग्रह किया है।
- सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और मलेशिया साइबर सुरक्षा के लिए शीर्ष 3 सबसे प्रतिबद्ध देश हैं।
- **भारत 0.683 स्कोर के साथ 23वें स्थान पर है। भारत को "परिपक्व" (maturing) देशों की श्रेणी में रखा गया है। यह श्रेणी उन 77 देशों को संदर्भित करती है जिन्होंने साइबर सुरक्षा के लिए जटिल प्रतिबद्धताओं का विकास किया है तथा साइबर सुरक्षा कार्यक्रमों और पहलों में संलग्न हैं।**

ITU के बारे में

- ITU स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित UN की ICT के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है।
- सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए वैश्विक केंद्र बिंदु के रूप में ITU की भूमिका का विस्तार विश्व संचार की सहायता करने में तीन प्रमुख क्षेत्रों में है: रेडियो संचार, मानकीकरण और विकास।

ITU दूरसंचार कार्यक्रमों का आयोजन करता है तथा इनफार्मेशन सोसायटी पर विश्व शिखर सम्मेलन के आयोजन की प्रमुख संस्था है।

4.7. एडवांस्ड MRSAM

(Advanced MRSAM)

सुर्खियों में क्यों?

- भारतीय सेना ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके तहत उन्नत मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (MRSAM) की एक रेजीमेंट का विकास किया जायेगा ।

MRSAM के बारे में:

- **यह एक एडवांस्ड तथा सभी मौसम में कार्य करने वाली, मोबाइल, भूमि आधारित वायु रक्षा प्रणाली है।**
- यह 50 किमी से अधिक की रेंज पर कई हवाई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।
- इस प्रणाली को संयुक्त रूप से इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) और DRDO द्वारा निजी क्षेत्र और DPSU की भागीदारी के माध्यम से विकसित किया जायेगा। अधिकांश स्वदेशी सामग्री के उपयोग के कारण यह प्रणाली मेक-इन-इंडिया पहल को बढ़ावा देगी।
- MRSAM लम्बी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) या बराक-8 नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का भूमि आधारित संस्करण है। बराक-8 नौसेना वायु रक्षा प्रणाली को नौसेना के जहाजों से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

5. पर्यावरण

(ENVIRONMENT)

5.1 गहरे सागरीय छिद्र/निकास के आस-पास जैव विविधता

(Biodiversity around the Deep Sea Vents)

पृष्ठभूमि

सागर के तल पर गहरे समुद्री छिद्र (वेंट्स) पाए जाते हैं जिनके माध्यम से **भू-तापीय गर्म जल, खनिज और गैस** बाहर आते हैं। जिस स्थान पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलते हैं वहां **महासागरीय कटक (oceanic ridges)** के आस- पास हाइड्रोथर्मल वेंट्स (Hydrothermal Vents) बनते हैं। उदाहरण के लिए **अटलांटिक महासागर के मध्य महासागरीय कटक में स्थित सिस्टर पीक और टर्टल पिट।**

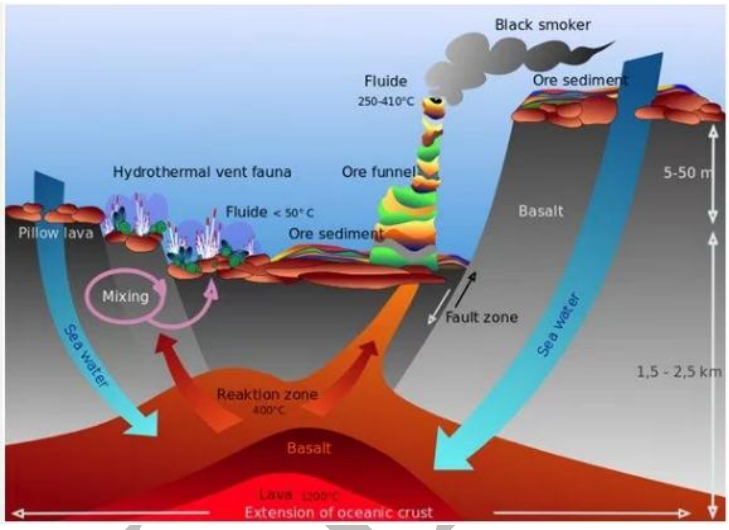

- **पिघले हुए क्रस्ट** के संपर्क में आने से जल गर्म हो जाता है जिससे इस क्षेत्र का तापमान 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। ये वेंट्स भी **ब्लैक स्मोकर्स** नामक लक्षण प्रदर्शित करने वाले होते हैं।
- इसकी खोज वैज्ञानिकों द्वारा सागरीय तापमान का अध्ययन करते समय हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास गहरे समुद्र में एक **विविधतापूर्ण और जीवंत बेन्थिक समुदाय** का अस्तित्व रहा है।
- हाइड्रोथर्मल वेंट्स में भी खनिज अन्वेषण के लिए व्यापक संभावनाएं हैं क्योंकि वेंट्स पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स में समृद्ध हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए उपयोगी कोबाल्ट, सोना, तांबा और दुर्लभ मृदा खनिज शामिल हैं।

हाइड्रोथर्मल वेंट्स में बैंथिक जीव

- आमतौर पर पृथ्वी पर जीवन सूर्य की प्रकाश ऊर्जा से संचालित होता है। हालांकि हाइड्रोथर्मल वेंट्स में बैंथिक जीव भोजन के लिए **केमोसिंथेटिक जीवाणु** पर निर्भर होते हैं।
- हाइड्रोथर्मल वेंट्स का जल घुले हुए खनिजों (dissolved minerals) से समृद्ध है। यह केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए **ऊर्जा का श्रोत** बनता है। इन छिद्रों में पाए जाने वाले बैंथिक जीव अपने शरीर पर केमोसिंथेटिक जीवाणुओं को आश्रय प्रदान करते हैं इस प्रकार वे **सहजीवी संबंधों** में रहते हैं।
- ये बैक्टीरिया सल्फाइड अथवा सल्फर तत्व का आक्सीकरण करके उसे ऊर्जा में बदलते हैं।

वेंट्स में पाए जाने वाले बैंथिक जीव हैं:

- **वेंट श्रिम्प्स (Vent Shrimps):** इनमें रेडियोधर्मी कणों का पता लगाने के लिए फोटोरिसेप्टर आँखें होती हैं।
- **विशालकाय ट्यूबवॉर्म (Giant Tubeworm):** इनमें हीमोग्लोबिन न केवल ऑक्सीजन के साथ बंध बनाते हैं बल्कि सल्फाइड के साथ भी जो कि पृथ्वी पर अन्य जीवों के लिए आमतौर पर विषाक्त होता है।
- **सिबोग्लिनिड ट्यूबवॉर्म (Siboglinid Tubeworms):** इनमें कोई मुंह या पाचन तंत्र नहीं होता है, इसलिए ये परजीवी कीटों की भांति पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं।

5.2 सुन्दरवन में तेजी से समाप्त होते प्रसिद्ध मैंग्रोव वन

(Sunderbans Steadily Losing its Famed Mangroves)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जादवपुर विश्वविद्यालय के समुद्र विज्ञान विभाग द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि 1986 से 2012 तक 124.418 वर्ग किमी. मैंग्रोव वन आवरण समाप्त हो गया है।

अन्य तथ्य

- इसके अध्ययन के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया।
- 1986 से अब तक भारत में सुंदरवन के मैंग्रोव वन के कुल क्षेत्र में लगभग 5.5% की कमी आयी है।
- समुद्र का जलस्तर बढ़ने से तटीय क्षरण, तटीय बाढ़ और ज्वार द्वारा निर्मित क्रीक की संख्या में वृद्धि इसके मुख्य कारक रहे हैं।

- समुद्र की सतह पर सबसे छोटे निर्जन द्वीपों में से एक जम्बूद्वीप में भी वन आवरण 1986 के 6.095 वर्ग किमी. से घटकर 2012 में 5.003 वर्ग किमी रह गया है, यह वन आवरण में लगभग 10% की कमी दर्शाता है।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- ताजे जल के प्रवाह और तलछट की आपूर्ति से समुद्र के जलस्तर में अधिक वृद्धि होने के कारण मैंग्रोव भूमि को नुकसान होता है।
- ताजे जल के प्रवाह की अनुपस्थिति के कारण मैंग्रोव की उत्तरजीविता में बदलाव आता है। मैंग्रोव की ताजे जल की प्रजातियां लवण जल वाली प्रजातियों में परिवर्तित हो रही हैं।
- यह मछुआरा समुदाय के लिए समस्या उत्पन्न करेगा। यहां वाणिज्यिक रूप से अधिक मांग वाली मछलियों की प्रजातियों के बजाय ऐसी मछलियों को आवास मिलेगा जिनका बाजार मूल्य कम होता है।

मानवजनित प्रभाव

- मानव उपभोग के लिए तेल और अल्कोहल का उत्पादन करने के लिए **गोलपाटा वृक्ष का व्यावसायीकरण।**
- टिम्बर और लुगदी के लिए सुन्दरी वृक्षों की **लॉगिंग।**
- विशेषकर पर्यटन स्थलों पर सौंदर्य प्रयोजनों के लिए **कृत्रिम वृक्षारोपण** किया जा रहा है। ये पौधे प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं तथा मैंग्रोव के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।
- **श्रिम्प कल्चर** के कारण मैंग्रोव वनों को गंभीर क्षति हुई है।
- **तेल रिसाव** प्रमुख मानव निर्मित कारणों में से एक है जिसके कारण मैंग्रोव वनों में क्षति हुई है।

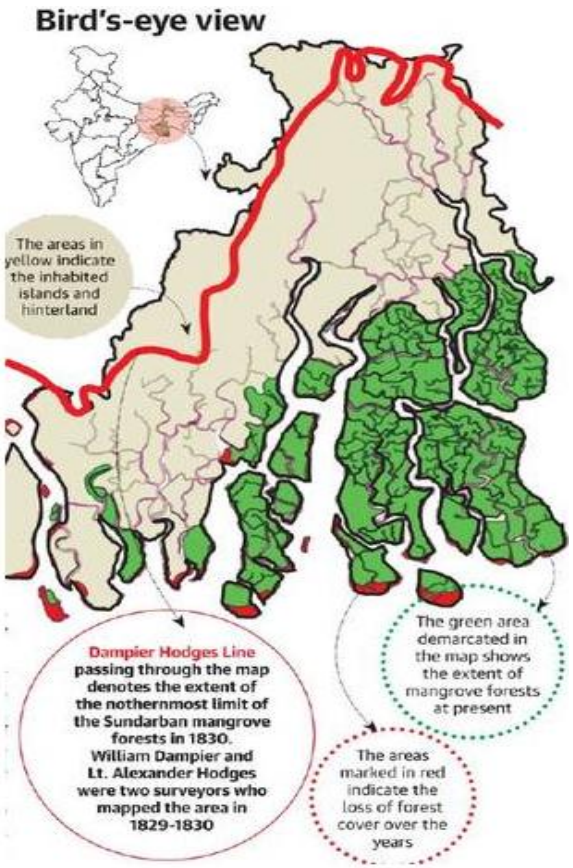

सुन्दरवन की विशेषताएँ

- इसे एक नम उष्णकटिबंधीय वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- यह यूनेस्को में सूचीबद्ध एक विश्व विरासत स्थल है।
- रामसर आर्द्रभूमि स्थल के तहत मान्यता प्राप्त।
- "सुंदरी वृक्षों" की अधिकता।
- विश्व के हैलोफाईटिक मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र।
- इसमें एस्चूरियन और मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र दोनों की सामान्य विशेषताएं पाई जाती है।
- कार्बन अवशोषण (Sequestration) का एजेंट।
- यह क्षेत्र भारत और बांग्लादेश दोनों में स्थित है।
- यह तूफान, चक्रवातों, ज्वारीय लहरों, समुद्री जल के रिसाव (seepage) तथा अंतर्गमन (intrusion) के लिए प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है तथा लोगों को इनके विपरीत प्रभावों से बचाता है।
- लाखों लोगों की आजीविका का साधन है जैसे कि लकड़हारों, मछुआरों, मधु तलाश करने वालों, पत्ते और घास एकत्रित करने वाले लोगों के लिए।

भविष्य के लिए मैंग्रोव

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजरवेसन ऑफ़ नेचर (IUCN) द्वारा एक क्षेत्रीय पहल को समन्वित किया जा रहा है।
- इसका लक्ष्य भारत सहित छह सुनामी प्रभावित देशों में तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।
- भारत में भविष्य के लिए मैंग्रोव (MFF) कार्यक्रम द्वारा तटीय और समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र को केंद्र में रखा गया है:

1. तटों की पुनर्बहाली (restoration);
2. तटीय आजीविका; और
3. समन्वित तटीय क्षेत्र प्रबंधन।

VISION

5.3 अंटार्कटिका के बर्फ-मुक्त द्वीप प्रसार की ओर अग्रसर

(Antarctica's Ice-Free Islands Set to Grow)

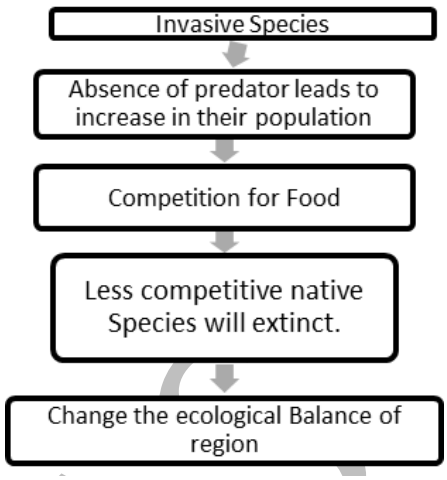

सुर्ख़ियों में क्यों?

- जुलाई 2017 में नेचुरल साइंस के साप्ताहिक जर्नल, नेचर में प्रकाशित पेपर ने दावा किया है कि वर्ष 2100 तक अंटार्कटिका का एक चौथाई क्षेत्र बर्फ मुक्त हो जायेगा।

अध्ययन की मुख्य विशेषताएं

- यदि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी नहीं की गई तो बर्फ मुक्त क्षेत्र में 17,000 वर्ग किमी तक का विस्तार (लगभग 25% की वृद्धि) हो सकता है।
- जिस प्रकार से महासागरों में द्वीप समूह वहाँ विद्यमान जीवन के कारण भिन्न समूह का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार अंटार्कटिका पर बर्फ-मुक्त क्षेत्र एक दूसरे से पृथक हैं।
- यदि यह विस्तार जारी रहा तो भविष्य में ये क्षेत्र एक-दूसरे के करीब आ जाएंगे और इनमें से कई भिन्न समूह एक दूसरे से जुड़कर संभवतः एकरूप समूह का निर्माण करेंगे।
- अंटार्कटिका प्रायद्वीप में लगभग 85% क्षेत्र नया बर्फ मुक्त क्षेत्र बनेगा जो दक्षिणी महासागर में चिली की ओर विस्तारित हो रहा है।
- इसके अलावा, आक्रामक प्रजातियां नए द्वीप पर आक्रमण (invade) कर सकती हैं जिससे इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी अस्थिर हो सकती है।

5.4. एयरोसोल- भारतीय मॉनसून के कमजोर होने का कारण

(Aerosols Causes Shrinking of India's Monsoon)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय ऊष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार एयरोसोल (कण पदार्थ) मानसून को कमजोर करने वाला एक प्रमुख कारण है।

एयरोसोल क्या है?

- वातावरण में कणों का निलंबन जो कि मानव निर्मित और प्राकृतिक स्रोतों के माध्यम से हो सकता है। जैसे ज्वालामुखीय और मरुस्थलीय धूल, कोयले के सल्फेट आदि।
- एयरोसोल कणों पर जल का जमाव होने से **बादलों का निर्माण प्रभावित** होता है।
- **ग्रीनहाउस गैसों से वार्मिंग ऑफसेट** क्योंकि यह सूर्य की किरणों को वापस अंतरिक्ष में भेज देती है जिससे पृथ्वी की जलवायु पर शीतलन प्रभाव होता है।

अन्य तथ्य

- उन्नत अध्ययन मॉडल से पता चला है कि मानसून पर प्रभाव डालने में ग्रीन हाउस गैसों (GHGs) की तुलना में एयरोसोल महत्वपूर्ण कारक हो सकता है।
- GHG, एयरोसोल तथा वन और कृषि आवरण में परिवर्तन आदि के कारण मानसून की क्षमता प्रभावित होती है जिसके कारण पिछले 50 वर्षों में मानसून कमजोर हुआ है।
- एक अच्छा मानसून जो सतह और समुद्र के बीच के तापमान में अंतर से उत्पन्न होता है, एयरोसोल की उपस्थिति द्वारा कमजोर हो जाता है।
- यह अध्ययन मॉडल ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान हेतु भारत निर्मित प्रथम स्वदेशी मॉडल को तैयार करने में मदद करेगा।

5.5. केरल में नौ अन्य पक्षी, जैव विविधता वाले क्षेत्र

(Nine More Bird, Biodiversity Areas in Kerala)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- जुलाई 2017 में, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने नौ अन्य पक्षी और जैवविविधता क्षेत्र को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्रों (IBA) के रूप में चिन्हित किया है।

अन्य तथ्य

केरल में नए पहचान किये गए IBA :

- एचेनकोइल वन विभाग;

VISION IAS

- अनाइमुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान;
- कैमल्स हम्प पर्वत;
- कुरिंजिमाला वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड ;
- मलयत्तूर आरक्षित वन;
- मंकुलम वन विभाग;
- मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान;
- मुथीकुलम-सिरुवनी;
- पंपदूम शोला राष्ट्रीय उद्यान;

केरल के IBA तीन क्रिटिकली इन्डैन्जर्ड (IUCN स्टेटस) प्रजातियों का आवास हैं :

- सफेद पूंछ वाला गिद्ध (White-rumped Vulture)
- भारतीय गिद्ध (Indian Vulture)
- लाल सिर वाला गिद्ध (Red-headed Vulture)

बर्ड लाइफ इंटरनेशनल

- ब्रिटेन का गैर-लाभकारी तथा पर्यावरण संरक्षण संगठन
- इसमें नौ वैश्विक कार्यक्रम हैं-
  - जलवायु परिवर्तन
  - फॉरेस्ट ऑफ होप
  - साइट्स और हैबिटैट **(मुख्य जैव विविधता क्षेत्र और महत्वपूर्ण पक्षी तथा जैव विविधता क्षेत्र)**
  - आक्रामक विदेशी प्रजातियां
  - प्रवासी पक्षी
  - समुद्री जैव विविधता
  - विलुप्त होने से रोकना (Prevent Extinction)
  - स्थानीय जुड़ाव
  - क्षमता निर्माण
- महत्वपूर्ण जैवविविधता क्षेत्र (KBA): ऐसे क्षेत्र जो जैवविविधता की वैश्विक स्थिति में योगदान करते हैं। जिसमें उस क्षेत्र के स्थलीय, ताजा जल और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र आवास के संकटग्रस्त पौधे और पशु प्रजातियाँ शामिल हैं।
- महत्वपूर्ण पक्षी और जैवविविधता क्षेत्र (IBA): ऐसे KBA जिन्हें बर्ड लाइफ पार्टनर्स और विशेषज्ञों द्वारा स्थानीय रूप से लागू होने वाले अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उपयोग करके पक्षियों के लिए चिन्हित किया गया है।
- IBA और KBA के मध्य संबंध: IBA, KBA का सबसे बड़ा उपवर्ग है, जिसे चयनित प्रजाति के रूप में पक्षियों का उपयोग करके चिन्हित किया जाता है। यह उम्मीद है कि कई IBA अन्य प्रजातीय समूहों के लिए KBA भी हो सकते हैं, साथ ही ऐसे पारिस्थितिक तंत्र भी हो सकते हैं जिनके विषय में KBA मानकों के तहत रुचि ली जा सकती है।

- **पक्षियों की आबादी में गिरावट के कारण**
  - चाय बागान और प्लांटेशन;
  - उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में आवास विखंडन;
  - आक्रामक वृक्ष प्रजातियों द्वारा उपनिवेशन;
  - कीटों की आबादी में गिरावट;और
  - आकर्षक पक्षियों का व्यापार और शिकार।

5.6. अधिक कुशल जैव ईंधन की ओर कदम: शैवाल से वसा

(Step towards more Efficient Biofuel: Fat from Algae)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नेचर बायोटेक्नोलॉजी में प्रकाशित अनुसंधान ने अधिक कुशल जैव-ईंधन **(तीसरी पीढ़ी के ईंधन)** के विकास का दावा किया है।

अन्य तथ्य

शैवाल कार्बन डाईऑक्साइड का उपयोग वसा उत्पादन करने के लिये करते हैं और इस वसा से ऊर्जा उत्पन्न प्राप्त करते हैं। लेकिन जीनोमिक्स अनुसंधान टीम ने शैवाल की वसा सामग्री को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत से अधिक करने के लिए एक शैवाल स्ट्रेन में संशोधन किया।

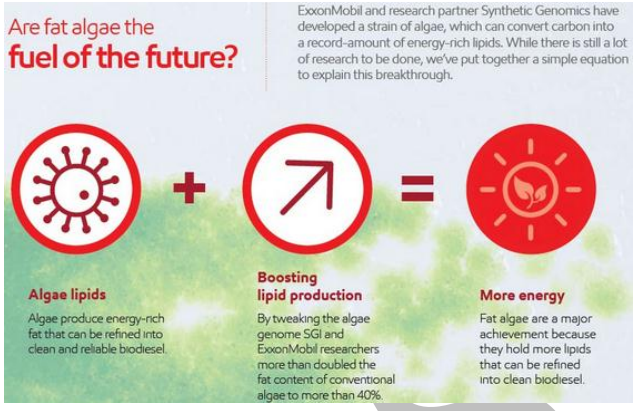

- अधिक वसा युक्त शैवाल स्ट्रेन को औद्योगिक स्तर पर जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त बनाता है।
- इसके अलावा नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों की उपलब्धता को सीमित करना शैवाल में तेल उत्पादन को बढ़ाने का एक तरीका है, लेकिन यह नाटकीय रूप से प्रकाश संश्लेषण को कम कर सकता है या यहाँ तक कि रोक भी सकता है। इस प्रकार इससे शैवाल की वृद्धि रुक जाएगी और अंततः उत्पादित वसा की मात्रा कम हो जाएगी।

शैवाल वसा के लाभ

- पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में यह ईंधन कम ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है।
- मक्का जैसे अन्य जैव ईंधन फीडस्टॉक के विपरीत, इससे खाद्य उत्पादन और कृषि योग्य भूमि तथा मीठे जल की आवश्यकता पर कोई दबाव नहीं पड़ता है।
- इससे फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन और पोषण जैसे क्षेत्रों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

5.7. सरदार सरोवर परियोजना (SSP) आधिकारिक तौर पर पूर्ण

(Sardar Sarovar Project (SSP) Officially Complete)

सुर्खियों में क्यों?

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (NCA) ने सरदार सरोवर बांध (SSD) के गेट्स को बंद करने के लिए अंतिम फैसला गुजरात सरकार को दिया है।

SSP के लाभ

- **सिंचाई**: तीन राज्यों में 18.45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा
- **पेयजल**: वर्तमान में 28 मिलियन आबादी और वर्ष 2021 तक 40 मिलियन आबादी को पेयजल की सुविधा।
- **ऊर्जा:** नदी के तट पर 1200 मेगावाट और नहर पर 250 मेगावाट क्षमता के पॉवर हाउस स्थापित करना।
- मध्य प्रदेश (57 प्रतिशत) महाराष्ट्र (27 प्रतिशत) और गुजरात (16 प्रतिशत) तीन राज्यों में बिजली आपूर्ती की जायेगी।
- **बाढ़ संरक्षण:** नदियों की पहुँच तक 30,000 हेक्टेयर भूमि बाढ़ से संरक्षित होगी।
- वन्य-जीवन: शूलपनेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, कच्छ के छोटे रण में जंगली गधा अभ्यारण्य, वेलावादर में ब्लैक बक नेशनल पार्क, कच्छ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य और नदी के मुहाने पर स्थित आलिया बेट अभ्यारण्य।

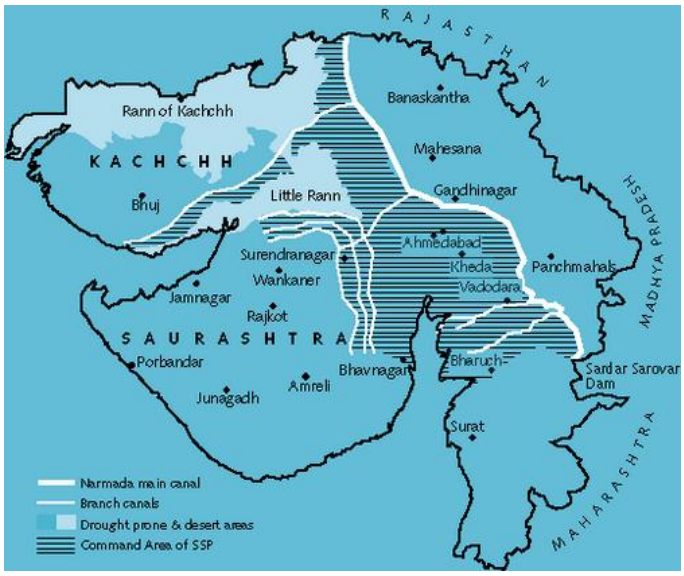

विकासात्मक विस्थापन

- इस परियोजना से एक शहर और कम से कम 176 गांव डूब जाएंगे तथा करीब 20,000 परिवार विस्थापित होंगे।
- विस्तृत दस्तावेज परियोजना के जल संरक्षण, आर्थिक विकास और सुरक्षा के दावों पर संदेह जताते हैं।
- **सिल्टेशन** इस बांध की दीर्घावधिक सफलता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए:
  - यह पनबिजली उत्पादन करने की क्षमता कम कर सकती है;

- प्रत्यक्ष जल भंडारण की क्षमता को कम कर सकती है;
- वाष्पीकरण में वृद्धि के कारण जल क्षमता कम हो सकती है।

अपर्याप्त मुआवजा:

- कृषि या रहने के लिए अनुपयुक्त भूमि, नदी के किनारे पर स्थित बाढ़ के जोखिम वाले चट्टानी इलाके जिनको जोता नहीं जा सकता है आदि को अपर्याप्त मुआवजा ।
- पुनर्वास स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है: कुओं, पेयजल पाइपलाइनों, पशुओं के लिए चारागाह जमीन, स्कूल या सड़क की सुविधाओं की कमी है।

पर्यावरणीय ह्रास

- नर्मदा पर स्थित बांध ने सामान्य जल प्रवाह को बदल दिया है जिससे आस-पास के आवास स्थलों में परिवर्तन होगा तथा जैव विविधता पर प्रभाव पड़ेगा।
- नर्मदा नदी का मुहाना जहां नदी समुद्र से मिलती है। बांधों से आने वाले ताजा जल के प्रवाह में कमी के कारण तेजी से लवणीय हो रहा है।
- मछली पकड़ने के दौरान कुछ प्रजातियों की मछलियों में 75% तक की गिरावट आई है, यह एक समय में प्रसिद्ध मत्स्य पालन उद्योग के लगभग पूर्ण पतन का संकेत देता है।

सरदार सरोवर परियोजना (SSP)

- 5 अप्रैल 1961 को प्रारंभ हुई।
- गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच जल साझाकरण विवाद।
- नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (NCA) को नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल (NWDT) के अंतिम आदेश और निर्णय के तहत स्थापित किया गया है।
- मुद्दा: मेधा पाटकर और बाबा आमटे द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन।

5.8. डीप सी ट्रॉलिंग

(Deep Sea Trawling)

सुर्खियों में क्यों?

श्रीलंका की संसद ने मत्स्यन और जल संसाधन अधिनियम (Fisheries and Aquatic Resources Act) में संशोधन किया है जो कि पाक की खाड़ी (Palk Bay) में ट्रॉलिंग पर प्रतिबंध लगायेगा, जिसका उल्लंघन करने पर 50,000 श्रीलंकाई रुपए का जुर्माना लगेगा।

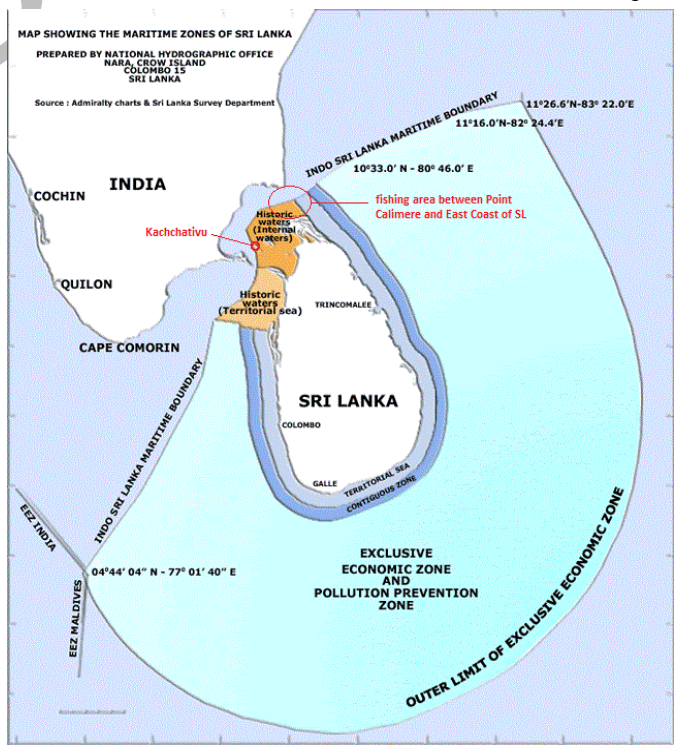

पृष्ठभूमि

- **डीप सी ट्रॉलिंग (गहरे समुद्र में ट्रॉलिंग)** मछली पकड़ने की एक विधि है जिसमें मछली विशेष रूप से झींगा, कॉड, सोल और फ़्लाउंडर जैसे समुद्री नितल (sea floor) के जानवरों को पकड़ने के लिए जाल को **समुद्री तल के सहारे खींचा (drag) जाता** है।
- इस अभ्यास का उपयोग मुख्य रूप से समशीतोष्ण क्षेत्रों में **वाणिज्यिक मत्स्यन** को अधिकतम करने के लिए किया जाता है।
- भारत के समुद्रतट की लम्बाई लगभग **7517 किमी** है इस कारण से मत्स्यन उद्योग को विकसित करने की काफी संभावनाएं हैं। हालांकि जनसंख्या के दबाव और समुद्री संसाधनों के निरंतर दोहन के कारण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर खतरा है।

डीप सी ट्रॉलिंग से चुनौतियां और खतरे

- **बॉटम ट्रॉलिंग** या गहरे समुद्र में ट्रॉलिंग चयनात्मक नहीं होती है जिससे समुद्री सतह के पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचता है।
- यह **उष्णकटिबंधीय जल में समुद्री विविधता** के लिए हानिकारक है जहां प्रजातियों की विविधता उनकी प्रत्येक प्रजाति की आबादी की तुलना में अधिक है।

- यह भी देशों के बीच **संघर्ष और विवाद** का कारण है जैसे कि इंडोनेशिया - चीन, भारत - श्रीलंका आदि के बीच विवाद |
- डीप सी ट्रॉलिंग के दौरान नेट, प्लवों (Buoys) और अन्य उपकरणों के क्षत-विक्षत होने के कारण प्लास्टिक मलबे में वृद्धि होती है।

श्रीलंकाई ट्रॉलिंग विधेयक के निहितार्थ

- **मत्स्यन और जल संसाधन अधिनियम** में संशोधन को समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए एक स्वागत योग्य कदम के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इससे धारणीय मत्स्यन के तरीकों को बढ़ावा मिलेगा।
- पाक की खाड़ी जैसे विवादित क्षेत्र में भारतीय और श्रीलंका के मछुआरों द्वारा ट्रॉलिंग के कारण दबाव बढ़ रहा है। यदि निवारक कदम नहीं उठाए जाते हैं तो पाक की खाड़ी में जैव विविधता की अपूरणीय क्षति होगी।
- इस अधिनियम में संशोधन पहले से ही **तनावग्रस्त भारत-श्रीलंका संबंधों में और तनाव** उत्पन्न कर सकता है। इसका कारण यह है कि संशोधन उस समय आया जब **संयुक्त कार्य दल** डीप सी ट्रॉलिंग और EEZ में अवैध मत्स्यन की समस्या को हल करने के लिए बातचीत कर रहा था।
- ट्रॉलिंग का विकल्प " **गहरे समुद्र में मत्स्यन**" हो सकता है लेकिन यह गरीब मछुआरों के लिए एक **महंगा उद्यम** है।

आगे की राह

- ट्रॉलिंग पर प्रतिबंध एक सकारात्मक कदम है हालांकि कार्यान्वयन से पहले सभी हितधारकों के साथ निर्णय पर चर्चा की जानी चाहिए।
- डीप सी ट्रॉलिंग के वैकल्पिक उपाय के रूप में 'गहरे समुद्र में मत्स्यन' को सरकार की योजनाओं और प्रयासों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जैसे :
  - तमिलनाडु में **गहरे समुद्र में मत्स्यन योजना** के अंतर्गत मछुआरों को नए जहाजों को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
  - **सरकार** द्वारा 2019-20 तक मौजूदा 2000 ट्रॉलरों को गहरे समुद्री पोतों (वेसल्स) में परिवर्तित करने की भी कोशिश की जा रही है।
- दोनों पक्षों कि ओर से प्रभावित मछुआरों को संबंधित क्षेत्रों जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग में **वैकल्पिक रोजगार अवसर** प्रदान किया जाना चाहिए।

5.9. नीलगिरि में सफेद बाघ देखा गया

(White Tiger Spotted in the Nilgiris)

सुर्खियों में क्यों?

- वन्य-जीवन फोटोग्राफर ने हल्की सफेद त्वचा वाले दुर्लभ बाघ को नीलगिरि में पहली बार देखा।

विषय से संबंधित अन्य तथ्य

- यह सुनहरे भूरे रंग की धारियों वाला सफेद बाघ था और जो कि वर्णकहीन (albino) नहीं प्रतीत हो रहा था।

- बाघों में आनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण एमिनो एसिड में परिवर्तन से बाघ के सामान्य रंग का निर्माण होता है जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक बहुरूपता आती है।
- संरक्षणवादियों का दावा है कि सफ़ेद बंगाल टाइगर के जन्म के लिए माता-पिता दोनों में सफेद रंग के लिए जिम्मेदार असामान्य जीन होना आवश्यक है। आनुवंशिक कोड में यह *डबल रिसेसिव एलील* (double recessive allele) प्राकृतिक रूप से 10,000 जन्मों में केवल एक बार संभव होता है।

सफेद बाघ

- विश्व में मात्र 200 के लगभग सफेद बाघ बचे हैं |
- बांधवगढ़ (MP) विश्व का पहला सफेद बाघ अभ्यारण्य है |
- **2014 में संरक्षण की स्थिति** वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सम्मिलित है |

5.10- एक सींग वाले गैंडों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स

(Special Protection Force for One-horned Rhino)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

असम सरकार ने एक सींग वाले गैंडों (वन-हार्नड राइनो) को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स (SPF) का गठन किया है।

ग्रेटर वन-हार्नड राइनो (भारतीय गैंडा)

- इसका जंतु वैज्ञानिक नाम **राइनोसेरस यूनिकॉरनिस** (Rhinoceros unicornis) है। ये **विशालकाय शाकाहारी (mega-herbivores)** जीव होते हैं।
- **इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्सर्वेशन ऑफ़ नेचर (IUCN)** द्वारा भारतीय गैंडों को *इन्डैन्जर्ड* (1986 से) की स्थिति से **2008 में *वल्नरेबल*** में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- ये मुख्य रूप से **भारत और नेपाल के क्षेत्रों** में पाए जाते हैं। गैंडो की **कुल जनसंख्या का 85 प्रतिशत से अधिक अथवा** 2,200 गैंडे भारत में पाए जाते हैं।
- वर्तमान में भारत के **कुछ हिस्सों यथा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम** में गैंडे पाए जाते हैं।
- 2012 के वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड के आंकड़ों के अनुसार, **भारत की कुल गैंडों की जनसंख्या के 91 प्रतिशत असम में पाए जाते** हैं जोकि मुख्यतः **काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान** में और कुछ **पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य** में हैं।
- भारतीय गैंडों को बीज फैलाव में मदद करने के लिए भी जाना जाता है। ये मलोत्सर्ग के माध्यम से पेड़ के बड़े बीजों को वन क्षेत्रों से घास के मैदानों में पहुंचाते हैं।
- भारतीय गैंडों का उनके सींगों के लिए शिकार किया जाता है। इसका शिकार अपने चरम पर पहुंच गया है, किंतु फिर भी सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न प्रयासों के कारण इसमें कमी आयी है।

इंडियन राइनो विजन, 2020

- इसे 2005 में लांच किया गया था। इंडियन राइनो विजन 2020 एक महत्वाकांक्षी प्रयास है, जिसके तहत वर्ष 2020 तक भारतीय राज्य असम के सात संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडों की संख्या को कम से कम 3,000 से अधिक करना है।
- इंडियन राइनो विजन का उद्देश्य **काजीरंगा नेशनल पार्क और पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य से गैंडों को पांच अन्य संरक्षित क्षेत्रों, जैसे मानस, लाओखोवा, बुराचारपोरी-कोछमोरा, डिब्रूसैखोवा और ओरांग में स्थानांतरित करना है।**
- संपूर्ण गैंडों की आबादी एक विशिष्ट क्षेत्र में केंद्रित है। अतः जोखिमों को टालने के लिए गैंडों का स्थानांतरण किया जा रहा है।

5.11 अल नीनो और चेन्नई बाढ़

(El Nino and Chennai floods)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जुलाई 2017 में एक अध्ययन में, उत्तर-पूर्व मानसून के दौरान बंगाल की खाड़ी में भारी वर्षा का कारण, अल नीनो की चरम स्थिति बताया गया है।

अन्य तथ्य

- 2015 में अल नीनो की चरम स्थितियों और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न गर्म धारा ने 2015 में चेन्नई में हुई असंभावित भारी वर्षा में समान रूप से योगदान दिया।
- अल नीनो आमतौर पर दक्षिण-पश्चिमी मानसून के मामले में सामान्य से कम वर्षा का कारण बनता है।
- इसके विपरीत, यह उत्तर-पूर्व मानसून के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा लाया।
- यह दो मानसूनों के मध्य मौसमी वायु के स्वरूप में अंतर के कारण उत्पन्न होता है।
  - तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में हो रहे निरंतर तापन की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
  - बंगाल की खाड़ी में समुद्र की सतह के तापमान की सकारात्मकता और उत्तर-पूर्व मानसून से होने वाली वर्षा में महत्वपूर्ण संबंध है, जो एक प्रकार के सहसम्बन्ध को दर्शाता है।

- जब भी अल नीनो का संकेत वायुमंडलीय परिसंचरण में दिखाई देता है। इससे स्थानीय समुद्री सतह का तापमान भी बदल सकता है।

उत्तर-पूर्व मानसून

- अक्टूबर से दिसंबर की अवधि को उत्तर-पूर्व मानसून के मौसम के रूप में जाना जाता है। इस समय दक्षिण-पश्चिमी मानसून वापस लौटता है।
- इसके कारण दक्षिणी प्रायद्वीप पर वर्षा होती है, विशेषकर पूर्वी तट पर स्थित तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु-पुदुचेरी में वर्षा होती है।
- राज्य के तटीय जिलों में वार्षिक वर्षा की लगभग 60% वर्षा तथा आंतरिक जिलों में वार्षिक वर्षा की लगभग 40-50% वर्षा उत्तर-पूर्व मानसून से प्राप्त होती है।
- पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतह के जल का असामान्य तापन।
- अल नीनो का प्रभाव निम्न पर पड़ता है:
  - महासागर का तापमान,
  - महासागरीय धाराओं की गति और तीव्रता,
  - तटीय मत्स्य पालन पर प्रभाव।
- अल नीनो की घटना अनियमित रूप से 2-7 वर्ष के अंतराल पर होती है। हालांकि, अल नीनो एक नियमित चक्र नहीं है।

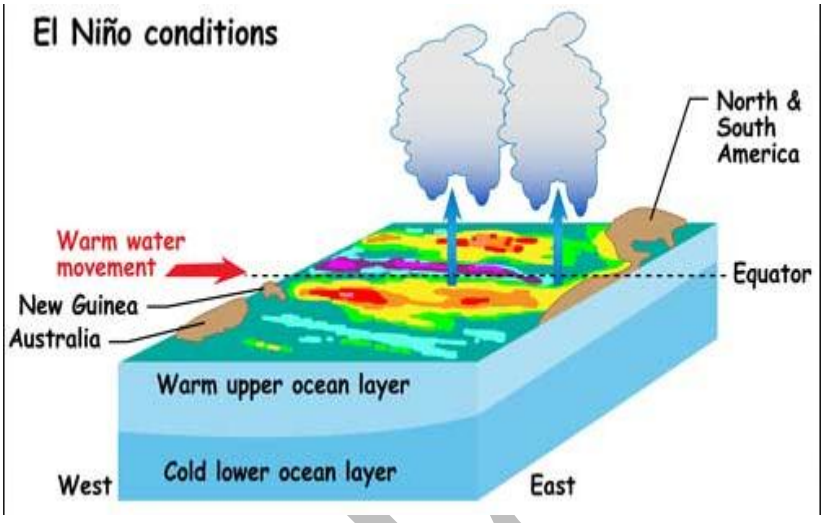

पेरू के समुद्री तट पर मछुआरों द्वारा असामान्य रूप से गर्म जल की उपस्थिति के द्वारा इसकी पहचान की जाती है।

5.12. संदूषण को साफ़ करने के लिए सूक्ष्मजीव

(Microbes to Clean Contamina)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि विश्व भर में प्रदूषित स्थलों को साफ करने के लिए सूक्ष्मजीवों का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। यह पर्यावरण के लिए अच्छा संकेत है।

Techniques used in the past to clean contaminated sites

- **In-situ (ON SITE) METHOD** - Uses microorganisms to treat contaminated material at the site, as was done in the Exxon-Valdez oil spill in 1989
- **Ex-situ (OFF SITE) METHOD** - Transporting the contaminated material from the site of contamination and using microbes for treatment. Used by the Indian Oil Corporation Limited to clean up the Chennai oil spill this year
- **Bioaugmentation** - Non-indigenous microbial species added to a contaminated site to enhance the breakdown process. Villalba de los Barros, a municipality in Spain, has been using this technique since 2012 to treat wastewater
- **Electro-remediation** - Using microbes to remove nitrates from soil. Trials conducted in South Korea in 2009 to treat nitrate-rich soil
- **Electrokinetic BIOREMEDIATION** - In-situ treatment of soil pollutants known as Hydrophobic Organic Compounds. Denmark used this technique in 2012 to degrade PCE, or Perchloroethylene, a soil contaminant

सूक्ष्मजीवों के लाभ

- इनका उपयोग दूषित मृदा, औद्योगिक अपशिष्ट जल, भूमिगत जल, खानों तथा कीटनाशकों से युक्त स्थल और फ्लाई एश निपटान स्थलों की सफाई करने में कर सकते हैं।
- इन सूक्ष्मजीवों में मौजूद एंजाइम प्रदूषकों को गैर-विषैले यौगिकों में तोड़ने का कार्य करते हैं, और उनका भक्षण करके उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं।
- इस संदर्भ में केवल बैक्टीरिया का ही उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि एस्परजिलस नाइजर, ए टेरियस, क्लैडोस्पोरियम ऑक्सीस्पोरम जैसे कवकों का भी उपयोग प्रदूषण निपटान के लिए किया गया है।
- सूक्ष्मजीवों के रूप में कवक का उपयोग धातु प्रदूषण की रासायनिक अवस्था को प्रभावित कर सकता है, साथ ही जीनोबायोटिक यौगिकों के विघटन के लिए भी महत्वपूर्ण है।

जैव उपचार तकनीक

ऑयल जैपर

- यह अनिवार्य रूप से पांच अलग बैक्टीरियल स्ट्रेन का मिश्रण है जो एक वाहक सामग्री (पाउडर या एनकॉब) के साथ स्थिर और मिश्रित होते हैं।
- यह कच्चे तेल और तैलीय गाद में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों का भक्षण करते हैं और उन्हें हानिरहित CO_2 और जल में परिवर्तित कर देते हैं।

ऑयलिवॉरस-एस

- यह ऑयल जैपर से भिन्न एक टैड (tad) है। इसमें एक अतिरिक्त बैक्टीरियल स्ट्रेन होता है जो उच्च-सल्फर युक्त गाद और कच्चे तेल के विरुद्ध इसे ऑयलजैपर की तुलना में अधिक प्रभावशाली बनाता है।
- ऑयलजैपर और ऑयलिवॉरस-एस दोनों स्व-स्थाने (in-situ) प्रयोग किये जा सकते हैं, जो प्रभावित स्थान से बड़ी मात्रा में दूषित कचरे को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता को समाप्त कर देते हैं। इस प्रक्रिया में पर्यावरण को कम जोखिम रहता है।

5.13- गोदावरी में प्रदूषण का मानचित्रण और अनुमान

(Mapping and Predicting Pollution in Godavari)

सुर्ख़ियों में क्यों?

U.S. के शोधकर्ताओं का एक समूह गोदावरी में प्रदूषण को कम करने के लिए एक प्रणाली पर काम कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- यह अध्ययन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन परियोजना का हिस्सा है। यह **एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ASCI)** के कार्यक्रम का समर्थन करता है जोकि पूरे शहरी आंध्र प्रदेश में स्वच्छता में सुधार करता है।
- नदी प्रदूषण की निगरानी के लिए सेंसर का उपयोग भारत में एक उभरता हुआ तकनीकी दृष्टिकोण है।
- यह जल में कुल घुले हुए लवण, नाइट्रेट, pH, तापमान, मैलापन और विद्युत चालकता आदि पैरामीटर को मापता है।

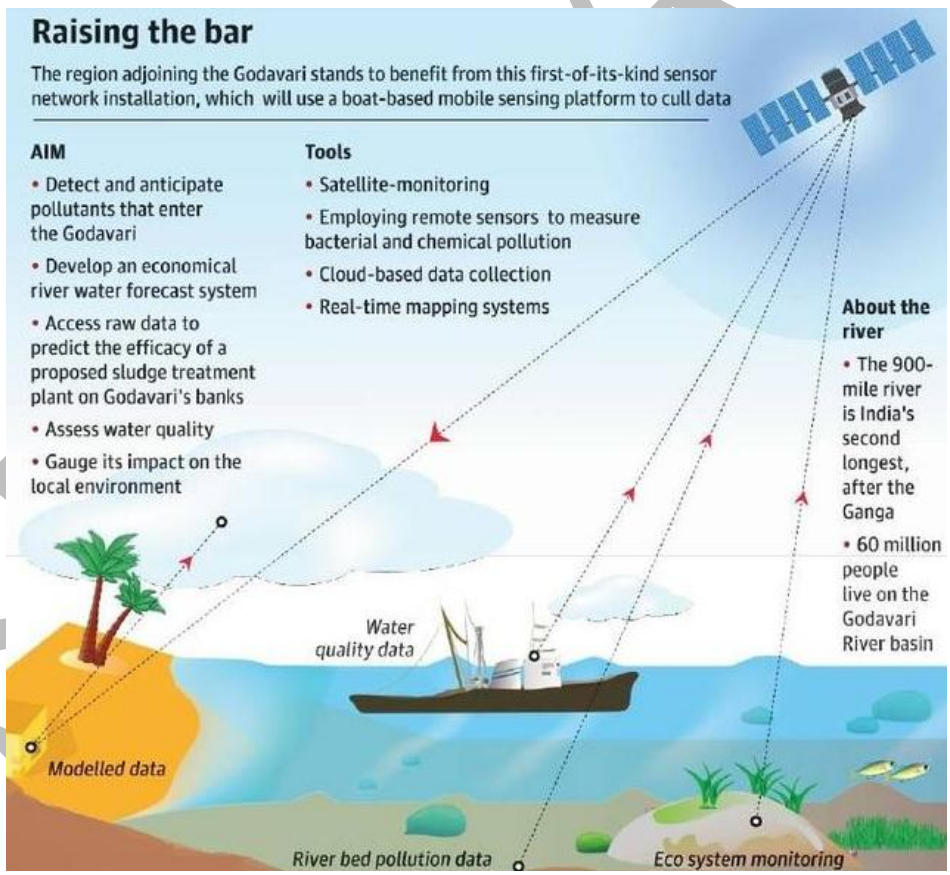

- लागत प्रभावी भविष्यवाणी प्रणाली के लिए निम्नलिखित विधियों के मिश्रित उपयोग –
  - उपग्रह निगरानी;
  - *क्लाउड-बेस्ड डेटा कलेक्शन* और *रियल टाइम मैपिंग सिस्टम;*
  - नदी के विस्तार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से जल नमूना संग्रहण;
  - बैक्टीरियल और केमिकल प्रदूषण के मापन के लिए विशेष सेंसर का उपयोग।

लक्षित लाभ

- नदी में खतरनाक सूक्ष्मजीवों या प्रवाह के स्तर के बारे में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचना देना।
- प्रस्तावित *फीकल स्लज* (faecal sludge) *ट्रीटमेंट प्लांट* की प्रभावकारिता की निगरानी।

- नदी प्रदूषित करने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहन और दंड सहित व्यवहार संबंधी हस्तक्षेपों की जांच करना।

5.14. भूवैज्ञानिकों ने भारतीय समुद्री जल की तलहटी में खनिजों की खोज की

(Geologists Strike Seabed Treasure in Indian Waters)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण (GSI) के वैज्ञानिकों ने प्रायद्वीपीय भारत के निकट जल के नीचे लाखों टन कीमती धातुओं और खनिजों की मौजूदगी की खोज की है।

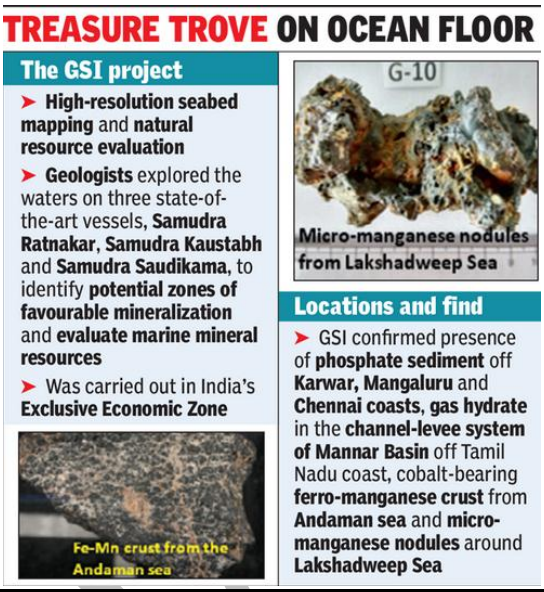

विषय संबंधित अन्य तथ्य

- इसका उद्देश्य अनुकूल खनिज के संभावित क्षेत्रों की पहचान करना और समुद्री खनिज संसाधनों का मूल्यांकन करना है।
- समुद्री संसाधनों की विशाल उपस्थिति को 2014 में सर्वप्रथम मंगलूरू, चेन्नई, मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के निकट खोजा गया था।
- यह चूने के कीचड़ (lime mud), फॉस्फेट युक्त और कैल्शियम के तलछटों, हाइड्रोकार्बन, मेट्लिफेरस डिपाजिट्स और माइक्रोनोड्यूल के रूप में पाया जाता है।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

- **मुख्यालय:** कोलकाता, **खान मंत्रालय** के अंतर्गत संलग्न कार्यालय।
- 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयले के भंडार की खोज के लिए स्थापित किया गया था।
- कार्य:
  - राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक सूचना का सृजन और उसे अद्यतन करना;
  - खनिज संसाधन मूल्यांकन;
  - जमीनी, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण;
  - खनिज की जांच और अनुसन्धान;
  - भू-पर्यावरण और प्राकृतिक जोखिमों का अध्ययन।

5.15 सूखा की परिभाषा में परिवर्तन

(Change in Definition of Drought)

सुर्ख़ियों में क्यों?

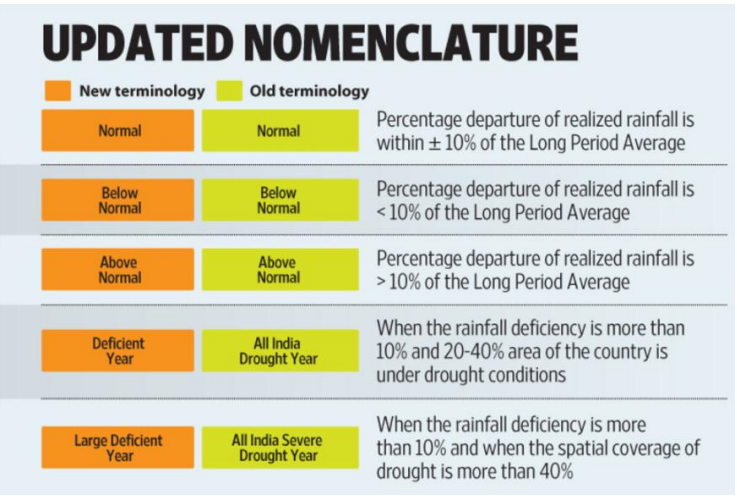

- दिसंबर 2016 में सरकार द्वारा 'मैनुअल फॉर ड्राट मैनेजमेंट' जारी किया गया, जिसमें से 'सामान्य' (moderate) श्रेणी के सूखे को हटा दिया गया है।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा कम वर्षा शब्द को परिभाषित करते हुए "सूखा" शब्द के स्थान पर "अल्प वर्षा वाला वर्ष" तथा "अत्यधिक अल्प वर्षा वाला वर्ष" का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही वैश्विक मानक कार्य पद्धति को भी अपनाया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नए मानदंडो का निर्धारण किया गया है। ये मानदंड अनिवार्य प्रकृति के हैं।
- कर्नाटक सरकार ने "सूखा मूल्यांकन" के लिए मानदंडों को परिवर्तित करने के निर्णय का विरोध किया है।

यह समस्या क्यों है?

- इस परिवर्तन का अर्थ है कि अब सूखा प्रभावित क्षेत्रों को 'सामान्य' और 'गंभीर' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। केवल 'गंभीर' सूखे की स्थिति में, राज्य को **राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (NDRF)** से केंद्रीय सहायता के लिए पात्र माना जायेगा।

VISION IAS

- राज्यों को राहत कार्यों के लिए भुगतान स्वयं करना पड़ेगा।
- सूखा को 'गंभीर' सिद्ध करने के लिए सख्त मापदंड निर्धारित किये गए हैं।
- बुवाई क्षेत्र एवं मिट्टी की नमी पर आधारित संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। सूखा की स्थिति को 'गंभीर' के रूप में स्वीकृत किए जाने के लिए, बुवाई सामान्य से 50 प्रतिशत कम होनी चाहिए। अतः 'गंभीर' सूखे की स्थिति का दर्जा प्राप्त करना कठिन होगा, क्योंकि यहाँ तक कि कठोरतम सूखे के समय भी 80% से अधिक बुवाई होती है।
- राज्यों के लिए यह चिंता का विषय है क्योंकि पहले से ही अधिकांश राज्यों में सूखे की पूर्व चेतावनी प्रणालियों का अभाव है।
- यह आरोप लगाया गया है कि केंद्र ने राज्यों से परामर्श किये बिना मानदंडों को परिवर्तित किया है।

नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फण्ड (NDRF) को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रबन्धित ऐसा कोष है जिसका उपयोग आपदा जैसी स्थिति या आपदा के संबंध में आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
NDRF का गठन स्टेट डिजास्टर रिस्पोंस फण्ड के पूरक के रूप में किया गया है।

सूखा संबंधित तथ्य :

- सूखा एक अस्थायी विक्षेप है, यह शुष्कता या मौसमी शुष्कता से भिन्न है, जो कि जलवायु की एक स्थायी विशेषता है। यह आवर्ती है फिर भी जलवायु की एक अस्थायी विशेषता है। जिसे जलवायु के नियमों के अंतर्गत घटित होना पड़ता है और सामान्यता इसे स्थानिक विशेषत , तीव्रता और अवधि के संदर्भ में परिवर्तनशीलता के रूप में चिन्हित किया गया है।
- सूखा की स्थिति वर्षा के अभाव या वर्षा के अनियमित वितरण से उत्पन्न होती है। किन्तु आपदा का प्रसार और मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है, इन कारकों में सतह एवं भू-जल संसाधनों की स्थिति, कृषि-जलवायवीय विशेषताएं, फसलों के विकल्प और पद्धतियां, स्थानीय आबादी की सामाजिक-आर्थिक सुभेद्यता आदि शामिल है।

निगरानी के लिए संस्थागत संरचनाएं
केन्द्रीय सरकार- केंद्रीय सूखा राहत आयुक्त (CDRC) और क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप।
राज्य सरकार- राज्य सूखा निगरानी केंद्र

राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार निम्न 3 प्रकार के सूखे हैं-
मौसम विज्ञान संबंधी सूखा: यह स्थिति तब होती है जब किसी क्षेत्र में लम्बे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और उस क्षेत्र की जलवायु के तहत अपेक्षित मात्रा से बहुत कम होती है।

- अत्यधिक : सामान्य से 20% या और अधिक ऊपर
- सामान्य: सामान्य से 19% ऊपर - सामान्य से 19% नीचे
- न्यून : सामान्य से 20% नीचे - सामान्य से 59 % नीचे
- अपर्याप्त : सामान्य से 60 % या उससे भी नीचे

जल विज्ञान संबंधी सूखा: यह स्थिति तब होती है जब सतही जल में उल्लेखनीय कमी के चलते बहुत कम धारा प्रवाहित हो रही हो और जिसके कारण झीलें, नदियाँ और जलाशय सूख जाते हैं।
कृषि सूखा: मृदा में अपर्याप्त आर्द्रता के कारण कृषि सूखा पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप फसलों पर अत्यधिक दबाव और कृषि में गिरावट होती है।
IMD द्वारा मौसम विज्ञान संबंधी सूखे को परिभाषित किया जाता है, परन्तु कृषि एवं जल विज्ञान संबंधी सूखे भिन्न होते हैं और राज्य इन्हें बेहतर रूप से परिभाषित कर सकते हैं।

नई नियमावली (manual) में शामिल किये गए परिवर्तन

- नई नियमावली में विश्व की मानक पद्धतियों को अपनाया गया है। इसमें सूखे की घोषणा के लिए कुछ विशिष्ट मापदंड निर्धारित किये गए है। इन श्रेणियों के सूचकांक निम्न हैं:
  - वर्षा-संबंधित सूचकांक
  - रिमोट सेन्सिंग-आधारित वनस्पति सूचकांक
  - कृषि स्थिति आधारित सूचकांक
  - जल विज्ञान संबंधी सूचकांक
  - ग्राउंड वेरिफिकेशन
- इन सूचकांकों को 13 से अधिक उप-श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिससे यह तकनीकी रूप से अधिक व्यापक बन गया है।

- वर्षा और ग्राउंड वेरिफिकेशन के अतिरिक्त, अन्य सभी सूचकांकों को प्रभाव संकेतक (impact indicators) माना जाएगा। किसी राज्य को 'गंभीर' सूखे की श्रेणी के अंतर्गत आने के लिए इन चार प्रभाव संकेतकों में से तीन का प्रभाव दृढ़ता से सिद्ध करना होगा।
- वर्तमान नियमावली में कहा गया है कि तीन सप्ताह से अधिक समय की शुष्क अवधि फसल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ध्यातव्य है कि पहले शुष्क अवधि की यह सीमा तीन सप्ताह से कम थी।

नियमवाली में चार महत्वपूर्ण मानक निर्धारित किये गए हैं, जिन्हें राज्य सरकार को केंद्र सरकार की सहायता से सूखे के समय अपनाना चाहिए:

- सूखा प्रभावित लोगों को तत्काल रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) का उपयोग करना चाहिए।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए भोजन और चारा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण तंत्र को मजबूत करना चाहिए।
- सरकार द्वारा चेक डैम के निर्माण, जल की पाइप लाइन और अन्य सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करने संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए।
- सरकार को किसानों के कर्ज को माफ़ करने या राहत देने तथा फसल क्षतिपूर्ति के लिए व्यवस्था करनी चाहिए ।

5.16. बाघों के विचरण के लिए इको-ब्रिज

(Eco-Bridges for the Movement of Tigers)

सुर्ख़ियों में क्यों?·

- तेलंगाना राज्य द्वारा तडोबा-अंधेरी टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले बाघ गलियारे में स्थित एक नहर पर इको-फ्रेंडली ब्रिज का निर्माण किया जायेगा। यह अपनी तरह का पहला ब्रिज है।

इको ब्रिज की आवश्यकता क्यों?

- यह जैव विविधता के संरक्षण एवं देश की पारिस्थितिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- नए क्षेत्रों में उपनिवेशन में सहायक है। जिससे बाघों को सजातीय प्रजनन में सुरक्षा प्राप्त होगी।
- मानव-पशु संघर्ष को कम करेगा।
- पशुओं की प्रवास सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है।

कुछ अन्य तथ्य

- **यह बाघ गलियारा महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित तडोबा-अंधेरी टाइगर रिजर्व (TATR) को तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में स्थित कुमराम भीम के जंगलों से जोड़ने का कार्य करेगा।**
- 72 किमी लम्बे 'ईको ब्रिज' का निर्माण किया जायेगा साथ ही इस पर घास और पौधों के रोपण के लिए उपजाऊ मिट्टी को फ़ैलाया जायेगा। जिससे आरक्षित वन के विखंडन को छद्मावरण द्वारा ढका जा सके।
- इको ब्रिज के आकार और अवस्थिति संबंधी अनुशंसाओं के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

5.17 पृथ्वी के समक्ष छठें सामूहिक विलोपन की समस्या

(Earth Facing Sixth Mass Extinction)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

जुलाई माह में विभिन्न अनुसंधान पत्रों के माध्यम से नेशनल अकादमी ऑफ़ साइंस ने दावा किया है कि पृथ्वी इतिहास की छठी सामूहिक विलोपन की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।

संभावित (intended) कारण

- जलवायु परिवर्तन
- वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को क्षति
- उपभोग आधिक्य
- प्रदूषण
- आक्रामक प्रजातियाँ
- बीमारियों के साथ-साथ बाघ, हाथी, गैंडा और अन्य बड़े जानवरों का उनके शरीर के अंगों के लिए शिकार

प्रमाण संबंधी आंकडें

- प्रत्येक वर्ष औसतन दो कशेरुकी (vertebrate) प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं।

- 30 प्रतिशत से अधिक रीढ़ वाले जानवर जैसे मछली, पक्षी, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी फैलाव एवं आबादी दोनों तरह से कम हो रहे हैं।
- इनमें से 40 प्रतिशत जिनमें गैंडा, ओरंगुटान, गोरिल्ला और कई बड़ी बिल्लियाँ शामिल हैं, उस क्षेत्र के 20% या कम पर जीवित रहते हैं, जिस पर कभी वे घूमते रहते थे।
- स्तनधारियों की कई प्रजातियां जैसे चीता, शेर और जिराफ एक या दो दशक पहले अपेक्षाकृत सुरक्षित थे। वर्तमान में वे इंडेंजर्ड सूची में शामिल हैं।
- उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लुप्त होने वाली प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है।

प्रारंभिक सामूहिक विलोपन

1. **कैम्ब्रियन विस्फोट:** प्रारंभिक जीवन का विकास आरम्भ (540 मिलियन वर्ष पूर्व)
2. **ऑर्डोविशियन-**सिलुरियन विलोपन: छोटे समुद्री जीवों की मृत्यु हो गई। (440 मिलियन वर्ष पूर्व)
3. **डेनोवियन विलोपन:** कई उष्णकटिबंधीय समुद्री प्रजातियाँ विलुप्त हुई। (365 मिलियन वर्ष पूर्व)
4. **परमियन-ट्राएसिक विलोपन :** पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ी सामूहिक विलोपन की घटना जिसमें कई प्रजातियाँ जैसे कशेरुकी प्रभावित हुई। (250 मिलियन वर्ष पूर्व)
5. **ट्राएसिक-जुरासिक विलोपन:** भूमि पर अन्य कशेरुकी प्रजातियों के विलोपन से डायनासोर के उद्भव को बढ़ावा मिला। (210 मिलियन वर्ष पूर्व)

5.18 पवित्र उपवनों को खतरा

(Threat to Sacred Groves)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार तेजी से बढ़ते शहरीकरण, आक्रामक प्रजातियों और घटते पवित्र (sacred) उपवनों में सह-संबंध पाया गया है।

मुख्य बिंदु

- बढ़ता हुआ शहरीकरण अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादन का कारण है जो विभिन्न आक्रामक प्रजातियों को आकर्षित करता है।
- ये आक्रामक प्रजातियां आसपास के क्षेत्रों में फसलों, लाभकारी कीटों, केकड़ों एवं देशज प्रजातियों को हानि पहुंचाती हैं।
- महाराष्ट्र में पवित्र उपवनों का सर्वाधिक विस्तार है इसके बाद कर्नाटक का स्थान है।
- पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए कोई **विशेष कार्य योजना नहीं** है।
- इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत आरक्षित समुदाय में संरक्षण प्रदान किया गया है

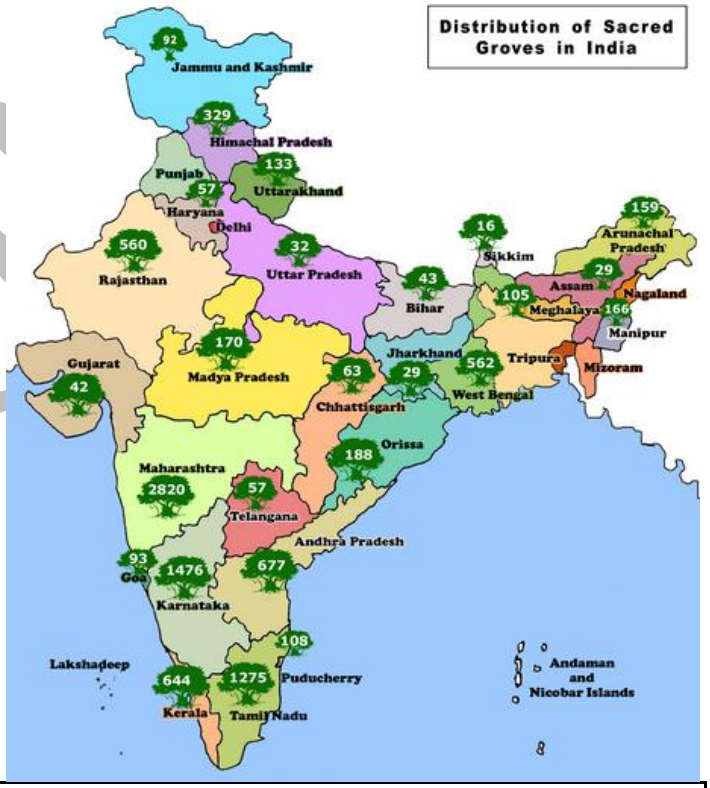

पवित्र उपवन क्या हैं?

- यह स्थानीय देवताओं और वृक्ष की उपासना को समर्पित प्राकृतिक वनस्पतियों का क्षेत्र होता है।
- यहाँ शिकार और प्रवेश वर्जित होता है तथा स्थानीय समुदाय (जनजाति) द्वारा संरक्षित होते हैं।
- देवी और लोगों के मध्य रहस्यवादी बंधनों को पुन: स्थापित करने के लिए वार्षिक जुलूस उत्सव का आयोजन किया जाता है।

पारिस्थितिकीय महत्व: जैव विविधता का संरक्षण, जलभृतों का पुनर्भरण, मृदा संरक्षण, मूल्यवान औषधीय पौधे

खतरा: तेजी से शहरीकरण, पशुओं के लिए चारा संग्रहण, आक्रामक प्रजातियां

आक्रामक प्रजाति (Invasive Species)

- यह प्रजातियां अपने मूल आवास क्षेत्र के बाहर प्रचुर मात्रा में जननक्षम उपप्रजातियाँ (Offspring) उत्पन्न करती हैं।

- खाद्य श्रृंखला (विशेष आवास) में उनके परभक्षियों के अभाव के कारण इनकी आबादी अत्यधिक बढ़ रही है।
- यह भोजन एवं आवास के लिए देशज प्रजातियों के साथ गहन प्रतिस्पर्धा करती है।
- यह विश्व में जैव विविधता की क्षति का दूसरा सबसे बड़ा कारण है (IUCN report)।

5.19 तापीय प्रदूषण

(Thermal Pollution)

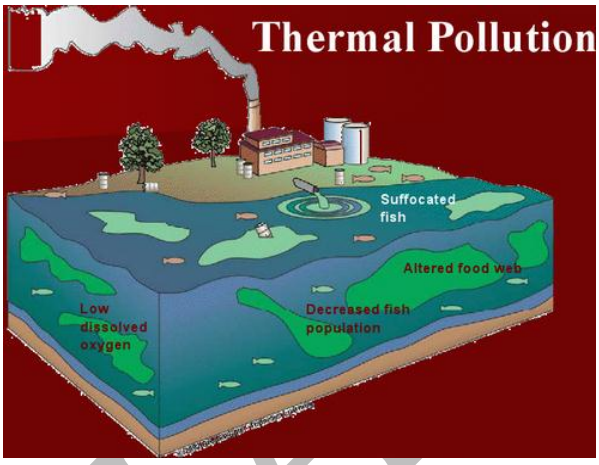

तापीय प्रदूषण क्या है?

- कोई प्रक्रिया जो जलीय वातावरण के संतुलन को प्रभावित करके उसके तापमान में परिवर्तन लाती है और तत्पश्चात यही प्रक्रिया तापीय प्रदूषण का कारण बन जाती है।
- यह झील, नदी या समुद्र में बहकर आने वाले गर्म या ठंडे जल के रूप में भी हो सकता है।

तापीय प्रदूषण के स्रोत:

- महासागर के नीचे ज्वालामुखीय विस्फोट या भूतापीय गतिविधियां;
- कोयला आधारित बिजली संयंत्र, कपड़ा, कागज एवं लुगदी उद्योगों (Pulp industries) से गर्म अपशिष्ट जल का प्रवाह;
- वनोन्मूलन एवं घटता वनावरण;
- मृदा अपरदन

तापीय प्रदूषण के पारिस्थितिकीय प्रभाव:

- घुलनशील (Dissolved) ऑक्सीजन में कमी: गर्म जल कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की दर को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप *डिप्लीटेड ऑक्सीजन* कम हो जाती है।
- तापीय प्रदूषण तापमान संवेदनशील जीवों के लिए हानिकारक होता है; उदाहरणस्वरूप, तनुतापी (Stenothermic) जीव तापमान के संकीर्ण परास में जीवित रह सकते हैं, तापमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उनके अस्तित्व के लिए हानिकारक हो सकता है।
- यह खाद्य श्रृंखला की स्थिरता को बाधित करता है और समुद्री जीवों की पारिस्थितिकी को परिवर्तित करता है।

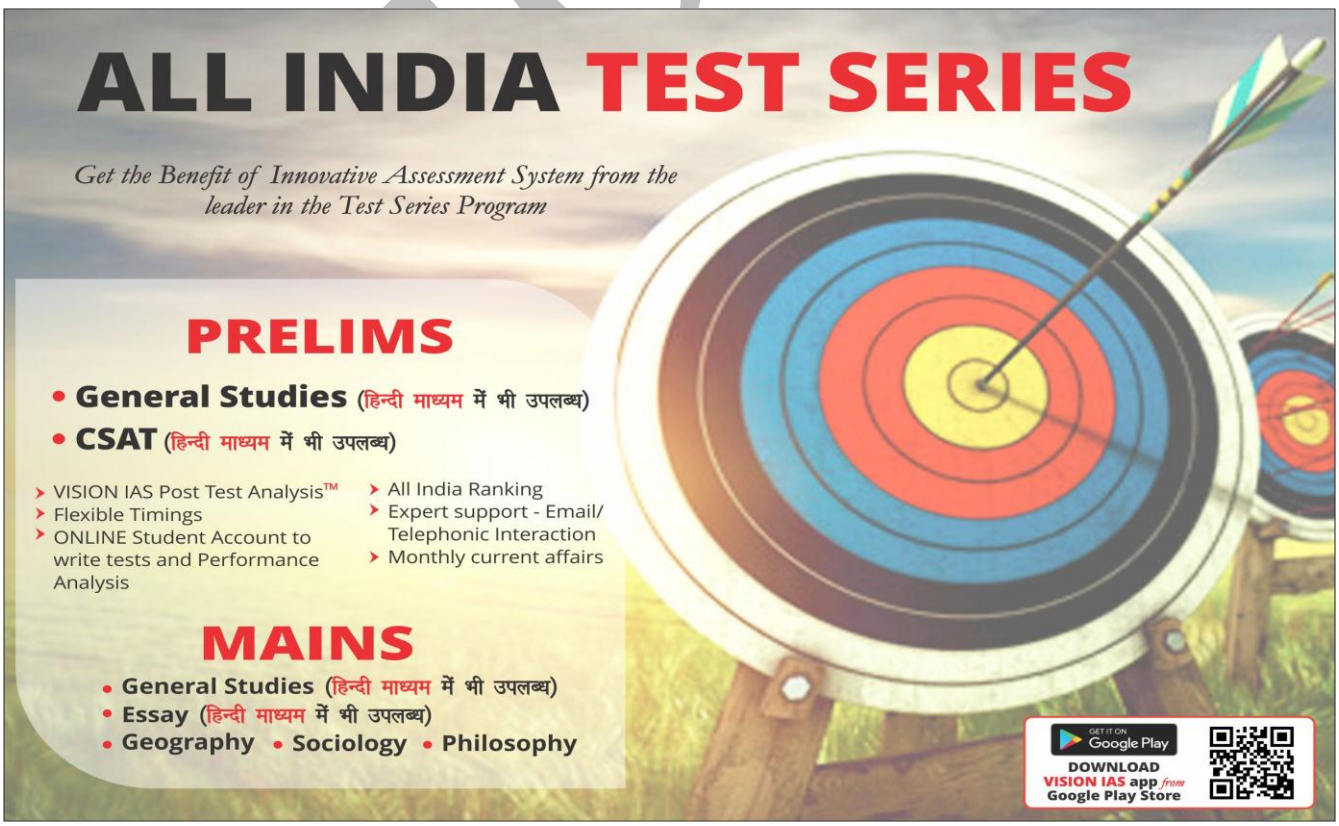

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

(SCIENCE AND TECHNOLOGY)

6.1. प्रयोगशाला में एंटीबॉडी

(Antibodies In Lab)

- *हारवर्ड* और *मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी* (MIT) के वैज्ञानिकों ने मानव एंटीबॉडी का उत्पादन किया है।
- नई तकनीक रोगी के रक्त नमूनों से निकाली गई बी-कोशिकाओं (B-Cells) से विशिष्ट एंटीबॉडी का उत्पादन कर सकती है। हालांकि विशिष्ट मानव एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए एक द्वितीय संकेत (सेकंड सिग्नल) की आवश्यकता होती है।
- यह द्वितीय संकेत छोटे DNA अंशों द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इन DNA अंशों को CpG *ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड* कहा जाता है। ये बी-कोशिकाओं के अंदर TLR9 नामक प्रोटीन को सक्रिय करते हैं।
- यह कई प्रकार के संक्रामक रोगों का उपचार करने वाले नए टीकों के तेजी से विकास में सहायता कर सकता है।

एंटीबॉडी क्या हैं?

- एंटीबॉडी Y-आकार के बड़े प्रोटीन होते हैं। ये प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बाहरी वस्तुओं जैसे जीवाणुओं एवं विषाणुओं की पहचान करने के लिए उत्पादित किए जाते हैं।
- यह विशिष्ट एंटीजन से संबद्ध होते हैं। ये प्रतिरक्षा प्रणाली की अन्य कोशिकाओं को आक्रमणकारी सूक्ष्मजीवों से छुटकारा पाने के लिए संकेत देते हैं।

6.2. सागर वाणी

(Sagar Vani)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 'सागर वाणी' प्रणाली लॉन्च की।
- पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन - भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (*अर्थ सिस्टम साइंसेज़ आर्गेनाइजेशन-इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसियन इनफार्मेशन*: ESSO-INCOIS) इस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न सुविधाएं प्रदान करेगा।

पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन -भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (ESSO-INCOIS)

- इसे 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (पर्यावरण एवं विज्ञान मंत्रालय) के अंतर्गत स्वायत्त निकाय के रुप में स्थापित किया गया था। यह ESSO की एक इकाई है।
- यह तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या को सुनामियों, तूफान महोर्मियों, उच्च लहरों, आदि के संबंध में सेवा प्रदान करता है।
- यह मछुआरों को संभावित मत्स्यन क्षेत्र के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है।
- यह हिंद महासागर में महासागर निरीक्षण प्रणालियाँ विकसित करता है जिससे महासागर की प्रक्रियाओं को समझने के लिए और उनके परिवर्तन का पूर्वानुमान करने के लिए विभिन्न महासागरीय मानदंडों पर आंकड़े एकत्रित किये जा सकें।

सागर वाणी क्या है?

- यह सागर सूचना तंत्र हेतु एक एकीकृत सूचना प्रसार प्रणाली है। यह एक सेंट्रल सर्वर का उपयोग करती है।
- यह ऑडियो कॉल/ऑडियो एडवाइसरी, मोबाइल ऐप (यूजर/एडमिन मॉड्यूल), सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर आदि), ईमेल, GTS, फैक्स, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, रेडियो/टेलीविजन प्रसारण इकाइयों, IVRS, क्लाउड चैनल आदि के माध्यम से चेतावनी सूचना के प्रसारण के लिए टेलीविजन और केबल नेटवर्क का उपयोग करेगी।
- यह तटीय समुदाय को क्षेत्रीय भाषाओं में परामर्श प्रदान करेगी।

6.3. हाईटेक सार्वजनिक परिवहन हेतु प्रस्ताव

(Proposals For High-Tech Public Transport)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नीति आयोग ने भारत की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए छह प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।
- इन प्रौद्योगिकियों में मेट्रिनो, स्टेडलर बसें, हाइपर लूप, पॉड टैक्सियाँ, हाइब्रिड बसें और माल ढुलाई रेल प्रणाली सम्मिलित हैं।

VISION IAS

Metrino	Hyper loop	Pod-Taxi
	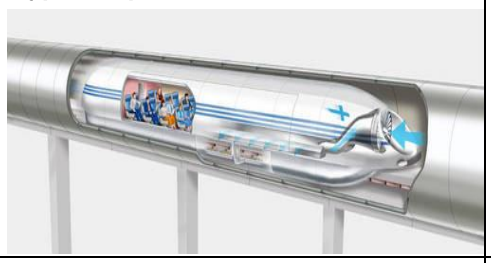	
Stadler Bus	**Hybrid Bus**	**Freight Rail System**

मेट्रिनो

- यह पूर्णतया स्वचालित छोटी पॉड है। यह ऊपर स्थित तारों के नेटवर्क पर लटकती हुई स्वतंत्र रूप से यात्रा करती है।

पॉड टैक्सी

- यात्रियों के छोटे समूहों के लिए छोटी स्वचालित वाहन केबल कारें या पॉड कारें।

हाइपरलूप

- पॉड जैसे वाहन जो एक नियर-वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से वायुयान जैसी गति से शहरों के बीच चलते हैं।

स्टैडलर बस

- एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली ट्राम जैसी बस सेवा।

हाइब्रिड बस

- यह परिवहन प्रणाली हाइब्रिड प्रोपल्शन प्रणालियों का उपयोग करती है, जिसमें डीजल और विद्युत प्रणालियाँ सम्मिलित होती हैं।

माल ढुलाई रेल प्रणाली (फ्रेट रेल सिस्टम)

- रेल लाइनों से युक्त ऊंचे गलियारों का निर्माण किया जाएगा जहाँ माल ढुलाई ट्रकों (फ्रेट ट्रक्स) को रखा जा सकेगा।
- यह रेल लाइनों पर उच्च गति से चलेगी जिससे माल ढुलाई समय कम होगा तथा माल ढुलाई की मात्रा में वृद्धि होगी।

नए सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता क्यों है?

- शहरी गतिशीलता का वर्तमान स्तर पहले से ही कई समस्याएं पैदा कर रहा है जैसे कि कंजेशन (भीड़-भाड़) का उच्च स्तर, पर्यावरणीय प्रदूषण, यातायात संबंधी मृत्यु।
- परिवहन की वर्तमान अवसंरचना लोगों की गतिशीलता के स्थान पर वाहनों की गतिशीलता पर केंद्रित है।
- महानगर का 30 से 60% तक क्षेत्र सिर्फ परिवहन के लिए समर्पित हो सकता है। यह कुछ विशेष प्रकार के शहरी परिवहन के माध्यमों पर अत्यधिक निर्भरता का परिणाम है।
- यह योजना शहरी परिवहन समस्याओं के लिए समग्र समाधान प्रदान करेगी. इन समाधानों में पार्किंग नीति, कंजेशन प्राइसिंग (Congestion pricing) से लेकर **ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट** इत्यादि भी शामिल होंगे।

6.4. कालाज़ार से लड़ने के लिए प्राचीन उपाय

(Ancient Remedy To Fight Kala Azar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, कोलकाता के वैज्ञानिकों ने दवा-प्रतिरोधी कालाज़ार से लड़ने के लिए चरक संहिता में वर्णित एक प्राचीन उपचार का परीक्षण किया है।

अध्ययन के विषय में

- भारतीय रसोई में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले करी पत्ते से निकाले गये महानिन (mahanine) नामक यौगिक को कालाज़ार परजीवी की वृद्धि को बाधित करने वाला पाया गया है।
- यह परीक्षण प्रयोगशाला के चूहों पर बहुत सफल रहा था। मनुष्यों पर नैदानिक परीक्षणों के लिए आयुष मंत्रालय के साथ परामर्श किया जा रहा है।

VISION IAS

कालाज़ार या विस्केरल लीश्मेनियेसिस

- यह एक वाहक जनित रोग है जो *लीशमैनिया* जीनस के प्रोटोज़ोआ परजीवी से होता है।
- *पोस्ट-काला आजार डरमल लीश्मेनियेसिस* (PKDL) ऐसी स्थिति है जब *लैश्मनिया डोनोवनी* (*Leishmania donovani)* (परजीवी) त्वचा कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, एवं त्वचा में चक्कते बनाता है।
- कुछ कालाज़ार मामले उपचार के कुछ वर्षों के बाद PKDL के रूप में प्रकट होते हैं।

भारत में कालाज़ार का प्रसार

- यह भारत के पूर्वी राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल की स्थानिक बीमारी है तथा अन्य क्षेत्रों में भी इसके छिटपुट मामले देखे जाते हैं।
- उपर्युक्त 4 राज्यों में अनुमानित 165.4 लाख जनसंख्या इसकी चपेट में है।
- 2008 के बाद से, मामलों की संख्या में लगभग 80% की कमी आयी है।

कालाज़ार को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- बजट 2017-18 में 2017 तक ही इस रोग का उन्मूलन करने की परिकल्पना की गयी है।
- राज्यों को *नेशनल रोडमैप फॉर कालाज़ार एलिमिनेशन* (2014) दिया गया है। इस रोडमैप में उचित स्तर पर गतिविधियों और कार्यों के साथ-साथ स्पष्ट लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, समय-सीमा निर्दिष्ट की गयी है।
- भारत सरकार *बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन* (BMGF) जैसे विकास भागीदारों के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

6.5. बर्ड फ्लू

(Bird FLU)

- भारत ने स्वयं को बर्ड फ्लू (अत्यधिक रोगजनक *एवियन इन्फ्लुएंजा* – H5N1 तथा H5N8) से मुक्त घोषित कर दिया है। इस विषय में भारत सरकार द्वारा *वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ* को भी अधिसूचित कर दिया गया है।
- इस कदम के बाद उन देशों को पोल्ट्री उत्पाद निर्यात करना पुन: आरम्भ किया जा सकेगा जिन्होंने इस वर्ष के आरम्भ में ऐसी वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था।

वर्ल्ड आर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ

- इसे विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा 'संदर्भ संगठन' (रिफरेन्स आर्गेनाइजेशन) के रूप में मान्यता प्राप्त है। 2017 में इसमें कुल 181 सदस्य देश हैं।
- यह 71 अन्य अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ स्थायी संबंध रखता है।
- संगठन के द्वारा 90 दिनों तक निगरानी किए जाने के बाद प्रतिबंध हटा दिया जाता है।

एवियन इन्फ्लुएंजा

- इन्फ्लूएंजा वायरस 3 प्रकार के होते हैं: टाइप्स A, B, और C। इन्फ्लूएंजा A वायरस मनुष्यों और विभिन्न जानवरों को संक्रमित करते हैं।
- इन्फ्लूएंजा टाइप A वायरस को विभिन्न वायरस सरफेस प्रोटीन *हेमग्लूटिनिन* (H) और *न्यूरामिनिडेज* (N) के संयोजनों के अनुसार सबटाइप्स में वर्गीकृत किया जाता है।
- इन्फ्लूएंजा A वायरस को एवियन इन्फ्लुएंजा, स्वाइन इन्फ्लुएंजा, या अन्य प्रकार के पशु इन्फ्लुएंजा वायरस में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- इसके उदाहरणों में एवियन इन्फ्लुएंजा ''बर्ड फ्लू'' वायरस सबटाइप जैसे A(H5N1) और A(H9N2) सम्मिलित हैं।

6.6. सरस्वती: आकाशगंगाओं का सुपरक्लस्टर

(Saraswati: A Supercluster Of Galaxies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने पृथ्वी से लगभग चार अरब प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगाओं के एक 'सुपरक्लस्टर' की खोज की है। इस सुपरक्लस्टर के बारे में अभी तक पता नहीं था। इसे 'सरस्वती' नाम दिया है।

सुपरक्लस्टर क्या हैं?

- आकाशगंगाएं ब्रह्मांड रचना की मूल निर्माण इकाइयों के समान होती हैं। उनमें तारों की विशाल संख्या समाविष्ट होती है। एक आकाशगंगा क्लस्टर में 3-100 आकाशगंगाएं होती हैं, एवं सुपरक्लस्टर इन क्लस्टरों के क्लस्टर होते हैं।

- सुपरक्लस्टर के अन्दर, क्लस्टर डार्क मैटर के फिलामेंट्स और शीट्स के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं जिनमें आकाशगंगाएं अंतःस्थापित होती हैं।
- सरस्वती में 42 क्लस्टर हैं। सरस्वती सुपरक्लस्टर का महत्व इस तथ्य में निहित है कि इसकी पृथ्वी से दूरी 4000 मिलियन प्रकाश वर्ष है।

6.7. एस्टेरोइड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट मिशन

(Asteroid Impact And Deflection Assessment Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पृथ्वी को भविष्य में संभावित ब्रह्मांडीय पिंड से होने वाली टक्कर से सुरक्षित करने के लिए नासा पहली बार एक ऐसे अभियान को विकसित कर रहा है जिसके माध्यम से पृथ्वी के समीप स्थित क्षुद्रग्रह को उसके मार्ग से विक्षेपित किया जाएगा।

AIM अंतरिक्ष यान **(AIM spacecraft),** अपने वैज्ञानिक उपकरणों की व्यापक व्यूह-रचना से युक्त होकर, डार्ट की टक्कर से पूर्व डिडिमोज (Didymos) पर आ जाएगा। इसके द्वारा प्रथम बार किसी बाइनरी क्षुद्रग्रह का निकट अध्ययन किया जायेगा। इस दौरान यह बाइनरी प्रणाली की सतह की *हाई-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी* करेगा। इसके साथ ही यह डिडिमोज के दो पिण्डों के द्रव्यमानों, घनत्व एवं आकारों का माप भी प्रदान करेगा।

यह किस प्रकार कार्य करता है?

- *एस्टेरोइड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट* (AIDA) मिशन *यूरोपीयन स्पेस एजेंसी* (ESA), नासा, Observatoire de la Côte d´Azur (OCA), एवं *जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी* (JHU/APL) के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग है।
- AIDA एक दोहरी-मिशन अवधारणा है, जिसमें दो स्वतंत्र अंतरिक्ष यान सम्मिलित हैं – नासा का *डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट* (DART), एवं यूरोपीयन स्पेस एजेंसी का *एस्टेरॉयड इम्पैक्ट मिशन* (AIM)।
- इसका लक्ष्य पृथ्वी के निकट स्थित बाइनरी एस्टेरोइड *डिडिमोज* है, जिसमें लगभग 800 मीटर का प्राथमिक पिण्ड एवं एक 150-मीटर का द्वितीयक पिण्ड (या "मूनलेट") सम्मिलित है। यह क्षुद्रग्रह आकार की दृष्टि से पृथ्वी के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है।
- डार्ट (DART) अंतरिक्ष यान, डिडिमोज (Didymos) को मार्ग से विक्षेपित करने के लिए लगभग 6 किमी/सेकंड की गति से चलते हुए स्वयं मूनलेट से टकराएगा।

डिडिमोज (DIDYMOS) क्यों

- **डिडिमोज (Didymos)** जैसी बाइनरी प्रणाली दो पॉइंट ऑफ़ रिफरेन्स प्रदान करती है: डिडिमोज एवं डिडिमोज B (मूनलेट)। इस प्रकार यह उस प्रणाली पर डार्ट के टक्कर के प्रभाव के विषय में अधिक जानकारी प्रदान करेगी।
- यह 2022 में पृथ्वी के निकट से होकर गुजरेगा। डार्ट टक्कर एवं उसके बाद के प्रभाव के संबंध में भू एवं अंतरिक्ष आधारित उपकरणों के द्वारा अवलोकन से अतिरिक्त डेटा प्राप्त होगा।

6.8. सोहम - श्रवण परीक्षण (हियरिंग स्क्रीनिंग) उपकरण लांच

(Sohum-Hearing Screening Device Launched)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नवजात शिशुओं का श्रवण परीक्षण करने हेतु स्वदेश विकसित उपकरण - सोहम लांच किया गया है।

सोहम के संबंध में और अधिक

- इसे *स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायोडिजाइन* (SIB) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह डिवाइस शिशु के सिर पर रखे गए तीन इलेक्ट्रोड के माध्यम से श्रवणात्मक मस्तिष्क तरंगों *(ऑडिटरी ब्रेन वेव्स)* का मापन करती है। उद्दीपित (stimulate) किए जाने पर ये इलेक्ट्रोड मस्तिष्क की श्रवण प्रणाली द्वारा उत्पन्न की गई विद्युतीय प्रतिक्रियाओं का पता लगाते हैं। यदि कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है तो इससे इंगित होता है कि शिशु सुन नहीं सकता।

स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायोडिजाइन

- स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायोडिजाइन (SIB) जैव प्रौद्योगिकी विभाग का फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य नवोन्मेषी और सस्ते चिकित्सा उपकरण विकसित करना है। इससे भारत की नैदानिक आवश्यकताएं पूरी होंगी तथा भारत में चिकित्सा प्रौद्योगिकी नवोन्मेषकों की एक नई पीढ़ी को प्रशिक्षित किया जा सकेगा।

VISION IAS

- इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) एवं और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली द्वारा अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है।

लाभ

- यदि इस बीमारी का शुरूआती आयु में पता लग जाता है तो संचार कौशल में कमी एवं संभावित मानसिक रुग्णता जैसी अन्य समस्याओं को रोकने के लिए उपाय किए जा सकते हैं।
- यह बैटरी संचालित एवं हानिरहित उपकरण होता है। वर्तमान में उपयोग की जाने वाली जोखिम भरी प्रक्रिया के विपरीत, इसके प्रयोग के लिए शिशुओं को बेहोश करने की आवश्यकता नहीं होती है।

6.9. ISRO द्वारा लिथियम-आयन बैटरी के उपयोग की स्वीकृति

(ISRO Approved use of Lithion-Ion Battery)

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने लिथियम-आयन (Lithion-Ion) बैटरी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक उपयोग की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- इसमें एक समस्या यह है कि बैटरी निर्माताओं द्वारा ISRO को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क के रुप में एक मुश्त एक करोड़ रुपए का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।
- ISRO की प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण ई-वाहनों की लागत में 10-15 प्रतिशत की बचत करेगा।
- यह सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना - *राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020* की दिशा में सकारात्मक कदम है।

लेड एसिड (lead acid) बैटरी की तुलना में लिथियम-आयन बैटरी के लाभ

- **भार**: लिथियम-आयन बैटरियों का भार लेड एसिड बैटरियों की तुलना में एक-तिहाई होता है।
- **दक्षता**: लिथियम-आयन बैटरियाँ चार्ज एवं डिस्चार्ज दोनों दृष्टि से लगभग 100% दक्ष होती हैं जबकि लेड एसिड बैटरियों की दक्षता 70% तक होती है।
- **डिस्चार्ज**: लिथियम-आयन बैटरियाँ 100% डिस्चार्ज होती हैं जबकि लेड एसिड बैटरियां 80% तक डिस्चार्ज होती हैं।
- **जीवन चक्र**: रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी को 5000 या उससे अधिक बार चार्ज किया जा सकता है जबकि लेड एसिड बैटरियों को केवल 400-500 बार चार्ज किया जा सकता है।
- **वोल्टेज**: लिथियम-आयन बैटरियाँ पूरे डिस्चार्ज चक्र के दौरान अपना वोल्टेज बनाए रखती हैं। लेड एसिड बैटरियों का वोल्टेज डिस्चार्ज चक्र के दौरान लगातार कम होता जाता है।
- **लागत**: लिथियम-आयन बैटरियों की उच्च लागत होने के बावजूद, जीवन काल और दक्षता की दृष्टि से इसे खरीदना लेड एसिड बैटरियों की तुलना में लाभदायक है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव**: लिथियम-आयन बैटरियों की प्रौद्योगिकी अपेक्षाकृत अधिक पर्यावरण अनुकूल होती है और वे पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती हैं।

6.10. जिज्ञासा पहल

(Jigyasa Initiative)

- "जिज्ञासा" (अर्थात जानने की इच्छा) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा अपनी **प्लेटिनम जुबिली सेलिब्रेशन** वर्ष के दौरान शुरू की गई प्रमुख पहल है।
- CSIR इस कार्यक्रम के साथ अपने **वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व (SSR)** को और अधिक विस्तृत एवं सुदृढ़ कर रहा है।
- यह एक **छात्र-वैज्ञानिक सम्पर्क कार्यक्रम है**। जिसे **वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)** और **केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) समन्वित रूप से कार्यान्वित** कर रहे हैं।
- यह 1151 केन्द्रीय विद्यालय संगठनों को 38 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाओं से जोड़ेगा एवं 1,00,000 छात्रों और 1000 शिक्षकों को लाभान्वित करेगा।

वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व (SSR) – इसे समाज के प्रति वैज्ञानिक समुदाय के उत्तरदायित्व के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह इस कार्यक्रम के वैज्ञानिक विकास और जागरूकता निर्माण करके संपूर्ण समाज के हित में कार्य करने संबंधी इसके कर्तव्य में भी प्रतिबिंबित होता है।

6.11. भारत में प्रथम प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष समर्थन केंद्र

(First Technology and Innovation Support Center (TISC) in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP)** ने **भारत में प्रथम प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष समर्थन केंद्र (TISC)** स्थापित करने के लिए **पंजाब राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद** के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

TISC क्या है?

- प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष समर्थन केंद्र (TISC), विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) का कार्यक्रम है जो विकासशील देशों के नवोन्मेषकों को स्थानीय, उच्च गुणवत्ता वाली सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है।
- यह कार्यक्रम **नवोन्मेषकों को अपनी रचनात्मक क्षमता का पूर्ण उपयोग करने एवं साथ ही अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPRs) का संरक्षण करने** में भी सहयोग करेगा।
- **प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष समर्थन केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सम्मिलित हैं:**
  - ऑनलाइन पेटेंट और बिना पेटेंट वाले (वैज्ञानिक और तकनीकी) संसाधनों और बौद्धिक संपदा से संबंधित प्रकाशनों तक पहुँच;
  - प्रौद्योगिकी संबधी जानकारी की खोज और पुनर्प्राप्ति में सहायता;
  - डेटाबेस सर्च में प्रशिक्षण;
  - ऑन-डिमांड सर्च (नवीनता, अत्याधुनिक तकनीक और उल्लंघन);
  - प्रौद्योगिकी और प्रतिद्वंद्वी की निगरानी ;
- औद्योगिक संपत्ति कानून, प्रबंधन और रणनीति, और प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और विपणन के विषय में आधारभूत जानकारी।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्द्धन एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ (CIPAM)** को TISC नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
- **CIPAM मेजबान संस्थानों की पहचान करने, उनकी क्षमताएं बढ़ाना एवं TISC नेटवर्क में सम्मिलित करने हेतु** जिम्मेदार है।
- CIPAM, WIPO एवं TISC मेजबान संस्थानों के बीच मुख्य मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करेगा एवं TISC नेटवर्क की सभी गतिविधियों का समन्वय भी करेगा।

6.12. बौद्धिक सम्पदा अधिकार जागरूकता हेतु योजना - रचनात्मक भारत; नवोन्मेषी भारत

(Scheme For Ipr Awareness- Creative India; Innovative India)

- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति 2016, को आगे बढ़ाते हुए, बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्द्धन एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ (CIPAM) द्वारा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) के तत्वावधान में 'बौद्धिक सम्पदा अधिकार जागरूकता हेतु- रचनात्मक भारत; नवोन्मेषी भारत' योजना लांच की गई है।
- सम्पूर्ण भारत में टियर 1, टियर 2, टियर 3 शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अगले 3 वर्षों में छात्रों, युवाओं, लेखकों, कलाकारों, नवोदित अन्वेषकों और पेशेवरों को निर्माण करने, नवोन्मेष करने एवं अपनी कृतियों एवं आविष्कारों का संरक्षण करने के लिए उनके बीच बौद्धिक सम्पदा अधिकार (IPR) संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना इसका लक्ष्य है।

VISION IAS

7. सामाजिक

(SOCIAL)

7.1. बच्चों में मोटापे की समस्या

(Childhood Obesity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में किशोरों की जीवनशैली के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों, शारीरिक गतिविधियों एवं खान-पान शैली के संबंध में एक अध्ययन किया गया।

अन्य तथ्य

- मोटापे की समस्या से ग्रस्त बच्चों की 15.3 मिलियन संख्या के साथ चीन इस सूची में सबसे उच्च स्थान पर है।
- भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर है।यहाँ अधिक वजन वाले बच्चों की 14.4 मिलियन संख्या मौजूद है।
- विश्व के 70 से अधिक देशों में 1980 के बाद से मोटापे से संबंधित मामले दोगुने हो गये है।
- कई देशों में वयस्क में मोटापे की समस्या से संबंधित मामलों की तुलना में बच्चों में मोटापे की समस्या के मामलों में तीव्र वृद्धि हुई है।

महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- भारतीय किशोर वर्ग को जीवनशैली के कारण उत्पन्न रोगों के विषय में उचित जानकारी है। इसके बावजूद, उनके द्वारा इनसे बचने के उपाय नहीं अपनाए जाते हैं। अतः किशोरों में ज्ञान एवं व्यवहार के स्तर पर अंतर है।
- लगभग 82% किशोर कार्डियोवैस्कुलर रोगों (CVDs) को अपने लिए जोखिम नहीं मानते हैं। जो जोखिम मानते हैं भी हैं, उनकी आहार संबंधी आदत भी स्वस्थ्य जीवन शैली के अनुरूप नहीं हैं।
- अनुपयुक्त आहार आदते अधिक आयु के समृद्ध वर्ग के बालकों में निम्न या मध्यम वर्ग परिवारों के बच्चों की तुलना में अधिक विद्यमान थी।
- लगभग 20% प्रतिभागियों में CVDs के वंशानुगत लक्षण (family history) देखे गये जबकि अधिकांश को CVDs के विषय में बहुत कम जानकारी थी।
- बालकों में शारीरिक गतिविधियों में सम्मिलित होने की प्रवृति अधिक देखी गयी है (लगभग 1 घंटे प्रतिदिन की पर्याप्त शारीरिक गतिविधि)। इसके साथ ही उन लोगों में भी ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिली जो जोखिम के बारे में जागरूक थे।

बच्चों में मोटापे की समस्या से किस प्रकार निपटा जाए?

- **जागरुकता–** इन रोगों से संबंधित, विद्यालय आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। ताकि इस मिथक को दूर किया जा सके कि CVDs केवल अधिक आयु वर्ग के लोगों की ही समस्या है।
- **जीवनशैली में परिवर्तन–** खान-पान शैली एवं शारीरिक गतिविधि में परिवर्तन के माध्यम से।
- नमक, चीनी एवं वसा की उच्च मात्रा वाले अस्वास्थ्यकर भोज्य पदार्थों के **विपणन एवं प्रचार का विनियमन**।इस क्रम में विशेष रूप से बच्चों को लक्षित करते हुए निर्मित किए जाने वाले पदार्थों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
- **लेबलिंग–** डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के पैक के सामने के भाग को विविध घटकों के विषय में आवश्यक जानकारी देने हेतु प्रयोग करना चाहिए तथा मानकीकृत वैश्विक पद्धति के अनुसार पोषक तत्वों की लेबलिंग की जानी चाहिए। इससे स्वास्थ्यकर भोज्य पदार्थों एवं स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिल सकता है।
- **उच्च कर** शुगर-स्वीटेन्ड पेय पदार्थों पर उच्च करों का अधिरोपण करना।

मोटापे की समस्या से निपटने के लिए भारत में चुनौतियाँ

- निम्नस्तरीय मानक– वसा युक्त खाद्य पदार्थों (फैट स्प्रेड), हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेलों इत्यादि में ट्रांस-वसाओं की 5% स्वीकृति (वजन के आधार पर) का मानक वैश्विक सर्वोत्तम मानकों की तुलना में उच्च है। अनेक देश तो लगभग शून्य मानक की ओर बढ़ रहे हैं।
- विज्ञापनों संबंधी विनियमन का अभाव- नॉर्वे और ब्राजील में प्रचलित सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विपरीत वर्तमान में विज्ञापन प्रसारण तथा सेलिब्रिटी विज्ञापनों के विनियमन संबंधी प्रावधानों का अभाव है।

VISION IAS

- लेबलिंग से संबंधित मूलभूत विनियमन का अभाव– पोषण संबंधी वर्तमान लेबलिंग में नमक/सोडियम, सम्मिलित की गई चीनी की मात्रा एवं संतृप्त वसाओं आदि की घोषणा अनिवार्य रूप से नहीं की जाती है। एक बार में (*पर सर्व*) ग्रहण किए जाने वाले भोज्य पदार्थों में विद्यमान पोषक तत्वों की मात्रा के संबंध में घोषणा करने का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। प्रति 100 ग्राम उत्पाद के साथ इसे वैकल्पिक रूप से घोषित करने का प्रावधान है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2015 में भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) हेतु मोटापे की समस्या के नियंत्रण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गये। इसके बावजूद विद्यालयों द्वारा मोटापे को बढ़ाने वाली परिस्थितियों को नियंत्रित करने और स्वस्थ भोजन व जीवन शैली को बढ़ावा देने के विषय में कोई नीतिगत दिशा-निर्देश नहीं अपनाये गये है।
- हालाँकि शुगर-स्वीटेन्ड पेय पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर में इस वर्ष वृद्धि की गयी है किन्तु देश भर में मूल्यो पर इसका वास्तविक प्रभाव अभी प्रदर्शित नहीं हुआ है।

बच्चों से संबंधित मोटापे की समस्या को नियंत्रित करने के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने से , WHO ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर NCD (2013-2020), WHO कोम्प्रेहेंसिवे इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर मैटरनल, इन्फेंट, यंग चाइल्ड न्यूट्रीशन आदि से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी ।

7.2 जिला अस्पतालों में चयनित सेवाओं का निजीकरण

(Privatisation Of Select Services In District Hospitals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग एवं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शहरी भारत (विशेष रूप से टियर 2 एवं 3 शहरों) में गैर-संचारी रोगों के उपचार में निजी अस्पतालों की भूमिका बढ़ाने के लिए मॉडल अनुबंध का प्रस्ताव किया है।

पृष्ठभूमि

- **नेशनल हेल्थ पालिसी डोक्युमेंट (2017)** स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल देता है। इसके अनुसार बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संयुक्त जिम्मेदारी है।
- भारत में निजी क्षेत्रक ने 'हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम' में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी आरम्भ कर दी है।
- उपयोग पद्धति के अध्ययन से पता चलता है कि सामान्यतः व्यक्ति निजी हेल्थकेयर सुविधाओं को वरीयता देता है। साथ ही, निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि के कारण हेल्थ केयर की गुणवत्ता, लागत, निष्पक्षता और दक्षता संबंधी चिंतायें भी उत्पन्न हो गयी है।

योजना के तहत प्रस्तावित सुविधाएँ

- यह भारत के आठ सबसे बड़े महानगरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में निजी अस्पतालों को जिला अस्पताल भवन के कुछ हिस्सों और भूमि पर **30 वर्ष के पट्टे के लिए** बोली लगाने की अनुमति प्रदान करता है। यह प्रावधान 50-100 बिस्तर के अस्पताल स्थापित करने के लिए किया गया है।
- यह योजना **एस्क्रौ अकाउंट** का प्रावधान भी करती है। इसके द्वारा निजी प्रदाताओं के लिए सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति में संभावित विलंब की समस्या के समाधान हेतु किया जाएगा।
- इस सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत केवल तीन गैर-संचारी रोगों - हृदय रोग, फेफड़े के रोग, और कैंसर के लिए हेल्थकेयर सुविधा प्रदान की जाएगी।
- निजी भागीदार, इमारतों के नवीनीकरण एवं सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए निवेश करेगा और संचालन प्रबंधन और सेवा वितरण के लिए जिम्मेदार होगा। सरकार द्वारा *वाइअबिलटी गैप फंडिंग* प्रदान की जा सकती है।
- वित्तीय संरचना के सिद्धांत के तहत, इन सुविधाओं में **आरक्षित बेड या नि:शुल्क सेवा संबंधी कोई कोटा** नहीं होगा।

सकारात्मक पक्ष

- स्वास्थ्य के लिए अवसंरचना और मानव संसाधन की कमी के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में 72 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 79 प्रतिशत आबादी को हेल्थकेयर के लिए निजी सेवाएँ लेनी पड़ रही है। PPP मॉडल को अपनाए जाने और निजी प्रतिभागियों को शामिल करने से इस क्षेत्र की **अवसंरचना में सुधार** हो सकता है।
- देश के अधिकांश अस्पतालों में क्षमता की कमी होने की स्थिति में, 50-100 बेड के विस्तार से सेवाओं में वृद्धि की जा सकेगी। यह जिला स्तर पर पहुँच विकसित करने में और राज्य स्तर पर तृतीयक सुविधाओं पर दबाव कम करने में भी सहायता करेगा।
- यह आम आदमी के लिए निदान, उपचार और हेल्थकेयर आउट ऑफ़ पॉकेट पर व्यय करने की मज़बूरी को दूर करेगा ।
- जिला स्वास्थ्य प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जाँच केंद्रों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं उपक्रमों से रेफर किये गए मामले इन निजी अस्पतालों तक पहुँच सकें और उनका इलाज हो सके।

समस्याएँ

- निजी प्रदाता **विशेष रूप से ऐसे सबसे आकर्षक जिलों का चयन करने** लगेंगे जहाँ रोगियों की भुगतान करने की क्षमता उच्च है। इसलिए वे निर्धन और दूरस्थ जिलों का प्रबंधन सार्वजनिक क्षेत्र पर छोड़ देंगे व सम्पन्न जिलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करेंगे। यह प्रस्ताव हेल्थकेयर सेवाओं की उपलब्धता में **असमानता की स्थिति को और भी अधिक गम्भीर बनाएगा**।
- यह भी संभव है कि इस योजना से हजारों रोगियों को निजी सेवा **प्रदाताओं के अनैतिक आचरणों**, सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता करने के साथ ही अनावश्यक अतिरिक्त 'टॉप-अप सेवाओं' से संबंधित समस्या का सामना करना पड़े।
- हॉस्पिटल केयर संबंधी कार्यों की निजी सेवा प्रदाताओं को आउटसोर्सिंग समय के साथ अवहनीय होती जाएगी क्योंकि वे प्रतिपूर्ति और फीस की माँग में वृद्धि करते जाएँगे।
- प्रस्ताव के अनुसार अधिकतर रोगियों को सार्वजनिक सुविधाओं में भी हेल्थकेयर के लिए भुगतान करना होगा।
- इस नीति की नागरिक समाज और विशेषग (academia) वर्ग के सदस्यों से परामर्श न करने के कारण भी आलोचना की जा रही है।
- नीति आयोग के इस प्रस्ताव के अंतर्गत सार्वजनिक पिरसंपत्तियों को लाभ हेतु कार्य करने वाली कम्पनियों को सौंपा जा रहा है। इसे **सरकार द्वारा कर्तव्य त्याग** के रूप में देखा जा सकता है।

आगे की राह

- हॉस्पिटल केयर संबंधी कार्यों को निजी क्षेत्र को सौंपने के प्रस्ताव को इस तर्क से उचित ठहराया जाता है कि सार्वजनिक सेवाएँ हेतु पर्याप्त वित्त उपलब्ध नहीं है। इसके परिणामस्वरूप यह क्षेत्र प्रशिक्षित मानव संसाधन की भारी कमी का सामना कर रहा हैं।
- इस सरल उपाय से हेल्थकेयर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण सहित, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में होने वाले निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है।
- यह निर्णय सार्वजनिक संस्थानों की क्षमता पर संशय पर आधारित है। इस संशय को दूर किये जाने की आवश्यकता है।

7.3. मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना

(National Strategic Plan for Malaria Elimination)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा **मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना** (2017-22) को लांच किया गया।

पृष्ठभूमि

- रोगाणु विभिन्न माध्यमों से विभिन्न महाद्वीपों तक पहुचकर नई बीमारियाँ उत्पन्न कर रहे हैं। इससे वेक्टर-जनित रोगों का सामना करना सार्वजनिक स्वास्थ्य के सन्दर्भ में एक वैश्विक चुनौती है।
- भारत कम से कम **छह प्रमुख वेक्टर-जनित रोगों**- मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, जापानी एन्सेफलाइटिस और काला अजार के लिए *ब्रीडिंग ग्राउंड* है।
- विश्व में मलेरिया के तीसरे सर्वाधिक मामले भारत में दर्ज है अतः यहाँ लम्बे समय से एक कार्य योजना की आवश्यकता थी।

वेक्टर-जनित रोग

- मानव में रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं।
- **वाहकों द्वारा संचरित:** ऐसे जीवित जीव जो पैथोजेन को मनुष्यों के बीच या पशुओं से मनुष्य तक संचरित कर सकते हैं।
- वाहक,ऐसे जीव हैं जो संक्रमित *होस्ट* का रक्त चूसते समय पैथोजेन प्राप्त करते हैं तथा अगले *होस्ट* का रक्त चूसने के दौरान उसमे इन पैथोजेन का स्थानांतरण कर देते हैं ।

वेक्टर-जनित रोगों के उन्मूलन हेतु प्रयास

- *नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन* (NFME) ने 2030 तक मलेरिया के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
- इस प्रतिबद्धता को क्रियान्वित करने के लिए जुलाई 2017 में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना लांच की गई थी।
- सरकार 2027 तक मलेरिया का उन्मूलन करना चाहती है। इसके लिए उसने राज्यों से सक्रिय सहयोग का आग्रह किया है। इसके तहत 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु रणनीति निर्मित की गयी हैं।
- इन रणनीतियों में मलेरिया निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना, इसका समयपूर्व पता लगाने के लिए तंत्र की स्थापना एवं मलेरिया के प्रकोप की रोकथाम शामिल हैं। दीर्घस्थायी *इम्प्रेगनेटेड नेट्स* (LLINs) के उपयोग द्वारा मलेरिया की रोकथाम करना , प्रभावी *इंडोर रेसिड्रअल स्प्रे* एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानव शक्ति व क्षमता का संवर्धन करने जैसे प्रावधान भी इसमें सम्मिलित हैं।
- अंतर्क्षेत्रक समन्वय इस कार्यनीति का प्रमुख सूत्र है। वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए अन्य मंत्रालयों एवं नगरपालिका निगमों के साथ मिलकर कार्य करना होगा।

मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017-22)

मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSPME) के प्रावधान निम्नलिखित हैं -

- यह देश को 0-3 के स्तर पर चार श्रेणियों में विभाजित करती है अर्थात, -
  - श्रेणी 1 **(0)** - इसमें 75 जिलों को सम्मिलित करती है जहाँ पिछले 3 वर्षों में मलेरिया का कोई मामला नहीं देखा गया है।
  - श्रेणी 2 **(1)**- इसमें 448 जिले सम्मिलित हैं जिनमें प्रति 1000 व्यक्तियों में API (Annual Parasite Incidence) 1 से कम है।
  - श्रेणी 3 **(2)**- ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्रति 1000 व्यक्ति पर API एक या अधिक है, लेकिन 2 से कम है।
  - श्रेणी 4 **(3)**- ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ API प्रति 1000 व्यक्ति 2 या 2 से अधिक है।
- इस योजना का लक्ष्य 2022 तक श्रेणी 1और 2 में शामिल जिलों में मलेरिया को पूरी तरह से समाप्त करना है। जबकि अन्य दो श्रेणियों को पूर्व उन्मूलन या उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा।
- इस योजना का लक्ष्य मलेरिया के प्रति एंडेमिक जिलों में *यूनिवर्सल केस डिटेक्शन* और उपचार करना है ताकि सभी मामलों की पहचान व उपचार का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की अनुशंसाओं के आधार पर **योजना के 4 अवयव** निम्नलिखित हैं:

- जाँच (*डायग्नोसिस*) एवं *केस मैनेजमेंट*।
- निगरानी एवं महामारी के प्रति अनुक्रिया।
- एकीकृत वेक्टर प्रबंधन द्वारा रोकथाम।
- संचार व अनुसन्धान एवं विकास जैसे *क्रॉस-कटिंग* उपाय अपनाए जाना।

चिंताएँ

इस प्रकार के रोगों के उन्मूलन में निम्नलिखित बाधाएँ हैं:

- कमजोर एवं बिखरी हुई स्वास्थ्य प्रणाली प्रभावित जनसंख्या को हेल्थकेयर सुविधाए प्रदान करने में यह असमर्थ है। वेक्टर-जनित रोगों के उन्मूलन कार्यक्रमों के मार्ग यह एक बड़ी बाधा है।
- विभिन्न एजेंसियों, क्षेत्रों और सरकार के स्तरों के मध्य उचित सहयोग का अभाव है। यह सहयोग बेहतर अंतर-क्षेत्रीय कार्यनीति के लिए आवश्यक है ताकि एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जा सके।
- समस्या के मूल कारणों जैसे पैथोजेन में आनुवंशिक परिवर्तन, कीटनाशक एवं दवा प्रतिरोध, निम्नस्तरीय शहरी नियोजन जैसी चुनौतियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।
- वित्त की कमी एवं प्रदत्त वित्त का पूर्ण उपयोग न किया जाना प्रयासों को अप्रभावी बना देता है। उदाहरण के लिए, विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (CSE) की *स्टेट ऑफ़ इंडिया रिपोर्ट* 2017 के अनुसार गत वर्ष केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय वेक्टर-जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु बजट में निर्धारित धनराशि का केवल 68% धनराशि प्रदान की ।प्रदत्त राशी के भी बहुत कम प्रतिशत का ही उपयोग किया गया था।
- प्रिवेंशन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मियों का न होना एक प्रमुख चुनौती है।इस संदर्भ में फील्ड कार्यकर्ताओं के साथ साथ कीटविज्ञानशास्त्री (entomologists) का भी अभाव है जो वेक्टर-पापुलेशन से सम्बंधित प्रत्येक पहलू पर शोध करके इन्हें "क्रिटिकल मास " से कम रखने संबंधी उपायों का सुझाव दे सकें।
- कमजोर और अकुशल निगरानी प्रणाली होने से केस एवं रिस्क फैक्टर की जाँच और VBDs डीटरमिनेंट्स जैसी रणनीतिक निर्णयों हेतु आवश्यक जानकारी नहीं मिल पाती है।इस सन्दर्भ में कई बार निगरानी प्रणाली का पूर्ण अभाव होता है।
- अंततः, वेक्टर-जनित रोगों के विरुद्ध वैक्सीन (टीके) के विकास की संभावनाएँ कम प्रतीत होती हैं। एक दर्जन से अधिक अन्य देशों में उपयोग की जा रही डेंगू वैक्सीन को भारत में अभी तक अनुमति नहीं प्रदान की गई है।

आगे की राह

- भारत के समक्ष कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा सम्पूर्ण आबादी तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करने की चुनौती विद्यमान है।इसके अतिरिक्त केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर संबंधित हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की चुनौती भी मौजूद है।
- ऐसे रोगों से संघर्ष करने हेतु नवीन पद्धतियों की खोज करने के लिए देश में अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को अनिवार्य रूप से बढावा दिया जाना चाहिए।
- जनता को भी रोगों से बचाव हेतु सावधानी रखना चाहिए। यह सरकार के प्रयासों को सार्थक बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक है।

VISION IAS

7.4. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

(Pradhan Mantri Matru Vandana Yojna)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)** के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों का प्रारूप तैयार किया गया हैं।

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना को पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जाना जाता था।

विशेषताएँ

- प्रारूप में शामिल दिशानिर्देश हैं-
  - आधार लिंकेज
  - लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में तीन किस्तों में **5000** रु. का **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:**
    - गर्भावस्था के आरम्भिक पंजीकरण के स्तर पर।
    - गर्भावस्था के छह महीने के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण (चेक-अप) एवं बच्चे के जन्म के पंजीकरण पर।
    - बच्चे के टीकारण के प्रथम चक्र पर।
- प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) केन्द्र-प्रायोजित योजना है। इसका पर किया जाने वाला व्यय निम्नलिखित अनुपात में साझा किया जायेगा -
  - केंद्र और राज्यों एवं विधानसभा युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य 60:40।
  - केंद्र तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं तीन हिमालयी राज्यों के साथ, 90:10 के अनुपात में साझा किया जायेगा ।
  - गैर विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% केंद्रीय सहायता ।

योजना के संबंध में

यह भारत सरकार द्वारा संचालित मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जिसे 2010 में लांच किया गया था। इसका लक्ष्य है:

- सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से हर महीने की 9वीं तिथि को निश्चित दिन, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करना।
- उच्च जोखिम वाले गर्भधारणों की पहचान और जाँच करना।
- स्वास्थ्य सुविधा/आउटरीच में सामान्य रूप से प्रदान की जाने वाली प्रसवपूर्व देखभाल सुविधाओं(routine ANC) के अतिरिक्त ये सेवाएँ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के चिह्नित सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जाएंगी ।
- निजी क्षेत्र में कार्यरत प्रसूति और स्त्री-रोग विशेषज्ञों को इस अभियान हेतु स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

7.5. दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग

(Misuse Of Anti-Dowry Legislation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने **भारतीय दंड संहिता की धारा 498a** के अंतर्गत किये गए दहेज विरोधी प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अनेक सुरक्षा उपायों का आदेश दिया है।

धारा **498a** में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी चाहे वह महिला का पति हो या पति का रिश्तेदार, अगर महिला पर अत्याचार करता है तो उसे अधिकतम तीन वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। वह जुर्माने का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

यह दहेज विरोधी कानून से अलग है।

धारा 304B दहेज के कारण होने वाली मृत्य से संबंधित है।

पृष्ठभूमि

- जहाँ दहेज संबंधित 96% मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किये गए थे, वहीं केवल 14.4% मामलों में ही दोषसिद्धि हुई है।
- 2015 में विभिन्न निर्णयों में यह पाया गया कि लोगों द्वारा दहेज विरोधी प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है। इसी कारण सरकार आपराधिक न्याय में सुधार पर **विधि आयोग और न्यायमूर्ति मलिमथ समिति** के सुझावों के आधार पर धारा 498a में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करना चाहती है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए परिवर्तन

- सर्वोच्च न्यायालय ने **शिकायत दर्ज करने के लिए एक "सख्त "व्यवस्था की** आवश्यकता को स्वीकार किया है ताकि "अनावश्यक शिकायतों" को रोका जा सके।
- न्यायालय ने **नागरिक समाज की भागीदारी और जांच अधिकारियों को संवेदनशील** बनाने पर जोर दिया है।
- न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न की शिकायतों की छान-बीन के लिए प्रत्येक जिले में **परिवार कल्याण समितियों** की स्थापना करने का आदेश दिया।ये समितियाँ **जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों** द्वारा स्थापित की जाएंगी।इस समिति में तीन सदस्य शामिल हो सकते हैं।
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष भी होता है। इनके द्वारा **समिति की समीक्षा** समय-समय पर एवं कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य की जायेगी।
- समितियों का गठन *पैरा लीगल वालन्टियर* सामाजिक कार्यकर्ताओं/सेवानिवृत्त व्यक्तियों/सेवारत अधिकारियों की पत्नियों/ योग्य एवं इच्छित अन्य नागरिकों को शामिल करने के माध्यम से किया जा सकता है।
- पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा 498a के तहत प्राप्त शिकायतें अनिवार्य रूप से समिति को सौंपी जानी चाहिए। समिति उन पर विचार करेगा एवं रिपोर्ट सौपेगा। जब तक समिति की रिपोर्ट प्राप्त न हो जाए तब तक सामान्य रूप से कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए।
- ऐसी शिकायतों की जाँच **करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी ज़रूर होना चाहिए**। इसे जमानत संबंधी मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए।
- जब तक आवश्यक न हो, **परिवार के सभी सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति** आवश्यक नहीं होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट द्वारा वीडियो के माध्यम से उपस्थिति की अनुमति दी जा सकती है।
- छह महीने तक मामलों की समीक्षा करने के बाद, यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवश्यक सुधारों पर रिपोर्ट पेश की जा सकती है।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये दिशा-निर्देश ऐसे अपराधों में लागू नहीं होंगे जिनमें गंभीर (tangible) शारीरिक चोट पहुँची हो या मृत्यु हुई हो।

दहेज विरोधी कानून 1961

- यह दहेज देने एवं लेने का निषेध करने संबंधी कानून है।
- इसमें कुछ राज्यों द्वारा पारित किए गए **दहेज विरोधी कानूनों को समेकित** किया गया था।
- यदि कोई व्यक्ति दहेज देता-लेता या दहेज देने या लेने के लिए उकसाता है तो इस कानून की **धारा 3** में दंड का प्रावधान किया गया है।
- इसमें दहेज को, विवाह के लिए दी गई या दिए जाने पर सहमत किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में परिभाषित किया गया है।
- यह विवाह के समय दिए गए उपहारों पर लागू नहीं होता है।

सकारात्मक पक्ष

- दहेज उत्पीड़न से संबंधित झूठे मामलों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है।अतः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए परिवर्तन लंबे समय से प्रतीक्षित थे।
- दहेज उत्पीड़न के मामलों का अनेक लोगों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। इनमें सबसे पहले भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का ही नाम आता है।
- गिरफ्तार करने की कार्यवाही मात्र को भी सजा के रूप में माना जा सकता है। कोई भी किसी व्यक्ति को जाँच पूरी होने से पहले दंडित नहीं कर सकता है। इस प्रकार की स्थितियों को टालने में ये दिशा-निर्देशक प्रभावी होंगे।

नकारात्मक पक्ष

- यह निर्णय कागजी रूप से प्रभावी लग रहा है लेकिन ज़मीनी वास्तविकताओं के संदर्भ में उतना प्रभावी नहीं है, क्योंकि कि कई वास्तविक(genuine) मामलों में भी न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया कष्टसाध्य रही है और इसमें अत्यधिक विलम्ब हुआ है।
- यह परिवार कल्याण समिति के गठन के संबंध में भी काफी अस्पष्ट है। दहेज उत्पीड़न के मामले काफी संवेदनशील होते हैं इसलिए ऐसे मामलों को प्रशिक्षित विधिक अधिकारियों या न्यायिक अधिकारी को ही दिया जाना चाहिए।
- इन दिशानिर्देशों के कारण भारतीय समाज में विद्यमान इस सबसे बड़ी

498A: WOMEN SHIELD BECOMES WEAPON?

Year	Cases filed	Cases false/ in bad law
2011	99,135	10.193
2012	1,06,527	10,235
2013	1,18,866	10,864

Source: NCRB data, 2013

VISION IAS

बुराई से लड़ने के लिए आवश्यक सशक्त कानून के निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

7.6. नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017

(The Right Of Children To Free And Compulsory Education (Amendment) Bill, 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

लोक सभा ने **नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017** पारित कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद, सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नए विद्यालयों की स्थापना की गई थी। यह अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात को भी निर्धारित करता है।
  - प्राथमिक स्तर - 30 :1
  - उच्च प्राथमिक स्तर - 35 :1
  - माध्यमिक स्तर - 30: 1 (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अनुसार)
- इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए शिक्षकों की भर्ती की गई थी, लेकिन सुयोग्य शिक्षकों की कमी के कारण अयोग्य शिक्षकों की भर्ती की जा रही है।
- वर्तमान में लगभग 8.5 लाख अयोग्य शिक्षक सेवारत हैं, जिन्हें अब अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में संशोधन के द्वारा डिग्री प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- संशोधित अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दी जाएगी।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 के प्रावधान

- यह विधेयक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की समय सीमा का विस्तार करने हेतु बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में संशोधन करना चाहता है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत जिन राज्यों में शिक्षकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण संस्थानों की कमी है या योग्य शिक्षक नहीं हैं, वे मार्च 2015 तक 5 वर्षों के लिए न्यूनतम योग्यताओं में छूट प्रदान कर सकते हैं।
- संशोधन विधेयक में कहा गया है कि जिन शिक्षकों ने मार्च 2015 तक न्यूनतम योग्यता प्राप्त नहीं की है, उन्हें अब मार्च 2019 तक योग्यता प्राप्त करनी होगी।

भारत में शिक्षकों का प्रशिक्षण

- भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित लक्ष्य है:
  - स्कूली व्यवस्था के लिए शिक्षकों को तैयार करना **(सेवा-पूर्व प्रशिक्षण)**
  - वर्तमान स्कूली शिक्षकों की क्षमता में सुधार लाना **(सेवा के दौरान प्रशिक्षण)**
- सेवा-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम , **राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE)** के माध्यम से संचालित किया जाता है तथा सेवा के दौरान प्रशिक्षण, सरकारी स्वामित्व वाले **शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (TTIs)** के माध्यम से संचालित किया जाता है।
- NCTE ने शिक्षकों की शिक्षा के लिए **राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम का एक *फ्रेमवर्क*** तैयार किया है।
- हालांकि, यह पाया गया है कि NCTE में शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसने पूरी तरह से अक्रियाशील और भ्रष्ट प्रणाली को जन्म दिया है।
- नई शिक्षा नीति पर सुब्रमण्यम समिति ने भी B.Ed पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए **स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50% अंकों** की पात्रता तय करने और **शिक्षक प्रवेश परीक्षा (TET)** अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया था।
- इस समिति ने **सरकारी और निजी स्कूल शिक्षकों के सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया** का प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नवीकरण किए जाने की भी अनुशंसा की थी।

आगे की राह

- NCTE की नियामकीय शक्तियों औरकार्यप्रणाली को सशक्त बनाया जाना चाहिए।
- न्यायमूर्ति वर्मा समिति की अनुशंसाओं को लागू किया जाना चाहिए।
  - टीचर एजुकेशन इंस्टीटयूसन को स्थापित करने के लिए निवेश को बढ़ाना चाहिए।
  - शिक्षकों की कमी वाले राज्यों में शिक्षक की क्षमता में वृद्धि हेतु संस्थागत क्षमता बढ़ाना।
  - फ्रेमवर्क ओन स्कूल ऑडिट एंड टीचर परफॉरमेंस का निर्माण करना।
  - *टीचर एजुकेटर्स* की सहभागिता को और बढाया जाना चाहिए और उन्हें *विज़िटिंग फैकल्टी* के रूप में देखा जाना चाहिए।
  - उम्मीदवारों की प्रवेश-पूर्व परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाना चाहिए।

VISION IAS

- योग्य शिक्षकों के साथ ही शिक्षकों की बेहतर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

7.7. मैनुअल स्केवेंजिंग और स्वच्छ भारत अभियान

(Manual Scavenging And Swachh Bharat Abhiyan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में *मैनुअल स्केवेंजर* (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी) के रूप में कार्य कर रहे 30 लोगों की मृत्यु हो गयी। इसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को **हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013** लागू करने के लिए कठोर उपाय करने का आदेश दिया है।

स्वच्छ भारत अभियान

- 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य 2019 तक खुले में शौच का उन्मूलन करना है। इसकी राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में कल्पना की गई है तथा इसे निर्मल भारत अभियान के स्थान पर शुरू किया गया है।
- खुले में शौच को समाप्त और इसका पूरी तरह से उन्मूलन करने के लिए सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

- *मैनुअल स्केवेंजिंग* अनुपचारित मानव मल को असुरक्षित तरीके से और हाथ से हटाना है। यह सामाजिक-आर्थिक समस्या है जो तकनीकी उन्नति और मानवाधिकारों के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता के बावजूद दशकों से चली आ रही है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार *मैनुअल स्केवेंजर्स* की संख्या 77,0338 के साथ महाराष्ट्र में सबसे अधिक है।
- 'सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत संघ' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने *मैनुअल स्केवेंजिंग* के उन्मूलन का आदेश दिया था तथा ऐसे श्रमिकों के पुनर्वास का कार्यान्वयन करने को कहा था।
- हालांकि, यह देखा जा रहा है कि खुले में शौच समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे अभियान 'स्वच्छ भारत अभियान' के कारण शुष्क शौचालयों, सेप्टिक टैंकों और सीवर में *मैनुअल स्केवेंजिंग* को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिला है। यह **हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013** को निष्प्रभावी बना रहा है।
- *नेशनल कैरियर सर्विसेज* ने भी *मैनुअल स्केवेंजर्स* को 'असंगठित क्षेत्र' के अंतर्गत सूचीबद्ध किया है। इस प्रकार *नेशनल कैरियर सर्विसेज* ने उनके काम को मान्यता प्रदान की है। भारतीय रेलवे *मैनुअल स्केवेंजर्स* का सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है।
- यह समस्या जाति व्यवस्था के कारण और अधिक बढ़ी है। इसके अंतर्गत यह मान लिया गया है कि दलितों द्वारा शौचालय साफ करने का कार्य इच्छापूर्वक किया जाएगा।

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

- इस अधिनियम में व्यक्ति को *मैनुअल स्केवेंजर* के रूप में नियोजित करने का निषेध किया गया है। व्यक्ति द्वारा **बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई** को प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही **अस्वास्थ्यकर (insanitary) शौचालयों के निर्माण का भी निषेध** किया गया है।
- यह ***मैनुअल स्केवेंजर्स* के पुनर्वास** और उनके लिए वैकल्पिक रोजगार का प्रावधान करता है।
- अस्वास्थ्यकर शौचालयों का सर्वेक्षण करने और साथ ही स्वास्थ्यकर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करने के लिए **स्थानीय निकायों** को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जिनके यहाँ अस्वास्थ्यकर शौचालय बने हुए हैं, उनका उत्तरदायित्व है कि वे उन्हें **बदलकर स्वास्थ्यकर शौचालय बनवाएँ**। यदि वे ऐसा करने में असमर्थ पाए जाते हैं तो **स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उनके शौचालयों को रूपांतरित किया जाए** और इसकी **लागत उन्हीं से वसूल की जाए**।
- **जिला न्यायाधीश और स्थानीय प्राधिकारी** इसका कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकारी होंगे।
- इस विधेयक के अंतर्गत अपराध को **संज्ञेय और गैर-जमानती** माना गया है।

विधेयक की सीमाएँ

- विधेयक में केंद्र या राज्य द्वारा **वित्तीय सहायता** का प्रावधान नहीं किया गया है। यह विधेयक के कार्यान्वयन को मुश्किल बना देता है।
- अस्वास्थ्यकर शौचालयों की पहचान तथा उनके सुधार के संबंध में कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- मैनुअल स्केंवेंजर का शिक्षा का स्तर काफी कम होता है। अत: उनमें वैकल्पिक रोजगार या स्व-रोजगार के प्रति आत्मविश्वास की कमी होती हैं।

VISION IAS

नेशनल कैरियर सर्विस

- यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ICT आधारित पोर्टल है।
- यह पोर्टल रोजगार चाहने वाले लोगों, रोजगार प्रदाताओं, कौशल प्रदाताओं, कैरियर सलाहकारों आदि के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

आगे की राह

- राज्य सरकारों को स्वच्छता की कमी वाले पुराने शौचालयों को तोड़कर उनके स्थान पर नये शौचालयों का पुनर्निर्माण करना चाहिए तथा शौचालयों एवं इनकी साफ-सफाई में लगे लोगों की जनगणना करनी चाहिए।
- स्वच्छ भारत अभियान में के तहत अनिवार्य बनाये गए नए शौचालयों के निर्माण और उपरोक्त विधेयक में अनिवार्य बनाये गए शौचालयों के सुधार के बीच स्पष्ट भेद किया जाना चाहिए।
- मैनुअल स्केवेंजर के पुनर्वास के लिए अधिक फंड का आवंटन किया जाना चाहिए।
- मैनुअल स्केवेंजर को कौशल प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे वैकल्पिक रोजगार को अपना सकें।
- जैव-शौचालय जैसे स्वच्छ शौचालय अपनाने के लिए तकनीकी उन्नयन और नवाचारों को लागू किया जाना चाहिए।

7.8. भारत में खाद्य अपव्यय

(Food Wastage In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में खाद्य अपव्यय का मुद्दा उठाया था और इसे लोगों के व्यवहार से जोड़ा।

पृष्ठभूमि

- *फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाईजेशन* के अनुसार एक वर्ष में विश्व स्तर पर लगभग 1.3 बिलियन टन खाद्य अपव्यय होता है।
- इस आर्गेनाइजेशन के अनुसार सम्पूर्ण खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य अपव्यय होता है और साथ ही यह उत्पादन में प्रयुक्त संसाधनों की भी बर्बादी का कारण बनता है। उदाहरण के लिए खाद्य उत्पादन करने में 25% ताजा जल और लगभग 300 मिलियन बैरल तेल का उपयोग होता है।
- SDG 12.3 ने भी खाद्य अपव्यय को मान्यता दी है और खुदरा और उपभोक्ता स्तरों पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपव्यय आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। फसल कटाई के बाद होने वाली हानि सहित उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ उपभोक्ता स्तर पर होने वाली खाद्य हानि कम करने का लक्ष्य भी शामिल है।
- 2016 के ***ग्लोबल हंगर इंडेक्स*** में 118 देशों में 97वें स्थान पर मौजूद भारत के लिए खाद्य अपव्यय एक बड़ी समस्या है।
- बढ़ते खाद्य अपव्यय के कारण वनों की कटाई, गैर-संधारणीय कृषि पद्धतियों का प्रयोग और अत्यधिक भूजल निकासी होती है। इसके कारण लगभग 45% भूमि का निम्नीकरण हो गया है।
- भोजन के सड़ने होने से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, एक वर्ष में 3.3 बिलियन टन कार्बन डाइ-ऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ।

खाद्य अपव्यय के लिए उत्तरदायी कारण

- अधिकतम खाद्य अपव्यय खाद्य मूल्य श्रृंखला के शुरुआती चरणों में होता है। जिसे किसानों के लिए सहायता की कमी, निम्न स्तरीय या अवैज्ञानिक कटाई तकनीकि, कमजोर अवसंरचना, भंडारण, शीतलन और परिवहन सुविधा आदि के साथ जोड़ा जा सकता है।
- IIM कलकत्ता के अनुसार भारत में खाद्य पदार्थों के केवल 10% के लिए शीत भण्डारण की सुविधा उपलब्ध है। अंततः इसका परिणाम यह होता है कि किसानों को कटाई के पूर्व और कटाई के बाद भी हानि होती है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, फसल कटाई के बाद होने वाली हानि का कारण खेतों के स्तर पर अल्पावधि भंडारण के लिए आधारभूत संरचना की कमी का होना है।
- भारत में खाद्य अपव्यय लोगों के व्यवहार संबंधी पहलुओं से भी जुड़ा हुआ है।

आगे की राह

- सरकार को भोजन और किराने की वस्तुओं के दान को प्रोत्साहित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में *बिल एमर्सन गुड समैरिटन अधिनियम*, फ्रांस ने सुपरमार्केट पर बिना बिके खाद्य उत्पादों को नष्ट करने पर पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- इस प्रकार खाद्य फसलों की न्यूनतम बर्बादी सुनिश्चित करने के लिए खरीद नीति को भी उदार बनाया जाना चाहिए। जिन खाद्य फसलों की खरीद की जाएगी उनकी बर्बादी कम होगी।
- *इंडियन फूड बैंकिंग नेटवर्क* (IFBN) जैसी पहलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को शामिल करते हुए **सहयोगी उपभोग** (collaborative consumption) जैसी अवधारणाओं को को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- अवसंरचना विकास अर्थात शीतगृह सुविधा, खेत स्तर पर अल्पावधि भंडारण, सड़क संपर्कता, बिजली, e-NAM आदि परियोजनाओं का विकास मिशन मोड स्तर पर किया जाना चाहिए।
- खाद्य अपव्यय की हानियों का आंकलन करने के लिए FAO द्वारा *ग्लोबल फ़ूड इंडेक्स* विकसित किया जा रहा है। इससे जागरूकता फ़ैलाने और नीतिगत कदमों एवं कार्यवाहियों को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिल सकेगी।

7.9. भारतीय समुदाय कल्याण कोष

(Indian Community Welfare Fund [ICWF])

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय समुदाय कल्याण कोष (**ICWF**) के दिशानिर्देशों में संशोधनों को मंजूरी प्रदान की है।

भारतीय समुदाय कल्याण कोष: इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, इसका उद्देश्य निम्न परिस्थितियों में प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता करना है:

- विपत्तिग्रस्त प्रवासी भारतीय श्रमिक जो परिवार, घरेलू क्षेत्रों और अकुशल श्रमिकों से संबंधित हैं, उनके लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करना।
- भारतीयों के लिए आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल का विस्तार करना
- फंसे हुए लोगों को हवाई सुविधाएँ प्रदान करना
- उचित मामलों में प्रारंभिक कानूनी सहायता प्रदान करना
- शवों के वायु परिवहन की आवश्यकता की दशा में वित्तीय सहायता देना

वित्तपोषण: मंत्रालय द्वारा बजटीय सहायता, भारतीय मिशन के अंतर्गत दूतावास सेवाओं पर नाम मात्र का सेवा शुल्क लगाया जाना और भारतीय समुदाय द्वारा स्वैच्छिक योगदान।

महत्व

- इसके अंतर्गत संकट और आपात स्थितियों से जूझ रहे प्रवासी भारतीय नागरिकों की एक बड़ी संख्या को शामिल किया गया है। इस प्रकार यह कल्याणकारी उपायों का विस्तार करता है।
- यह आशा की जा रही है कि यह विदेशों में भारतीय मिशनों एवं पोस्ट को अधिक लचीलापन प्रदान करेगा ताकि प्रवासी भारतीय नागरिकों के निवेदनों को शीघ्रता से समझा जा सके।
- इसने विदेश जाने वाले प्रवासी कामगारों के बीच संकट के समय भारत द्वारा सहायता के संबंध में विश्वास की भावना पैदा की है। उसी प्रकार जैसे कि लीबिया, इराक, यमन, दक्षिण सूडान में संघर्ष वाले क्षेत्रों और अन्य चुनौतीपूर्ण स्थितियों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है।
- आपातकाल के समय ICWF द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही की वैश्विक स्तर पर सराहना की गई है।

प्रवासी भारतीयों के लिए अन्य योजनाएँ

- **भारत को जानो कार्यक्रम:** देश के द्वारा किए गए विकास और प्राप्त उपलब्धियों से प्रवासी भारतीय युवाओं को परिचित कराने में सहायता करना तथा उन्हें अपने पूर्वजों की भूमि के निकट लाना।
- **प्रवासी भारतीय बीमा योजना:** यह प्रवासी भारतीय श्रमिकों के लिए एक अनिवार्य बीमा योजना है। इसके अंतर्गत किसी भी प्रवासी भारतीय की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में नामित व्यक्ति / कानूनी उत्तराधिकारी को 10 लाख रूपए तक की बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

7.10. हीमोग्लोबिनोपैथीज पर नीति

(Policy on Haemoglobinopathies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने भारत में *हीमोग्लोबिनोपैथीज* (*थैलेसीमिया*, *सिकल सेल एनीमिया* और अन्य प्रकार के *एनीमिया*), जो एक रक्त विकार है, की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक नीति जारी की है।

***हीमोग्लोबिनोपैथीज* क्या हैं**: ये एक प्रकार के आनुवंशिक दोष हैं। इसके परिणामस्वरुप हीमोग्लोबिन अणु की ग्लोबिन श्रृंखलाओं में से एक श्रृंखला की संरचना असामान्य हो जाती है।

नीति के मुख्य बिंदु

- **उद्देश्य:** उपचार प्रोटोकॉल के बेंचमार्क स्थापित करना तथा रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना।

VISION IAS

- दिशानिर्देशों के अनुसार बच्चों में विभिन्न प्रकार की रक्ताल्पताओं की जाँच, कॉलेज स्तर पर विवाह पूर्व परामर्श तथा जन्म के समय से ही हीमोग्लोबिन विकार वाले मामलों (वर्तमान में, एक वर्ष में 10,000-15,000 जीवित जन्मों पर अनुमानित है) की घटनाएँ कम करने के लिए गर्भवती महिलाओं की प्रसव-पूर्व जाँच का प्रावधान किया गया है।

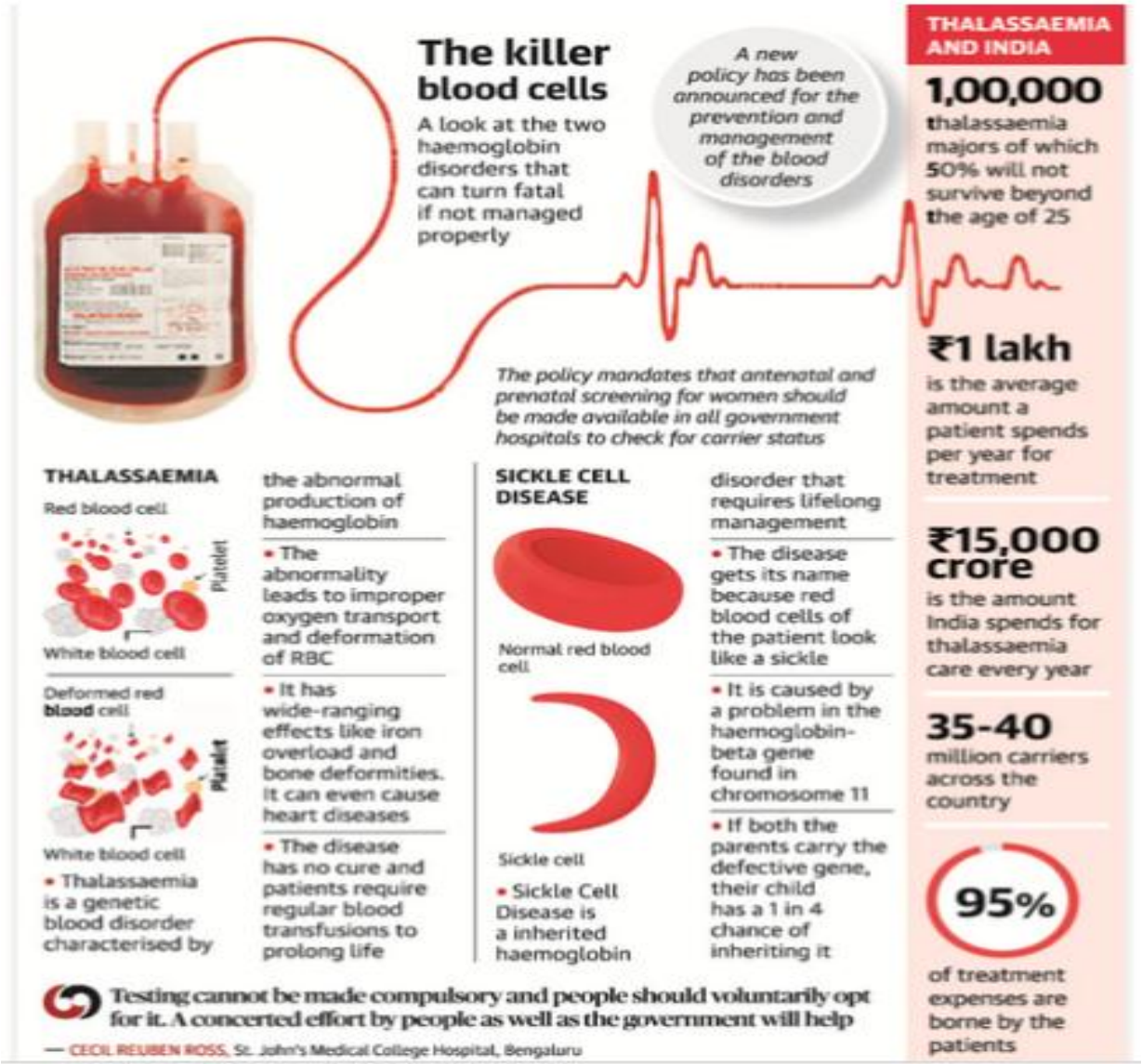

- नीति, उपयोगी डेटा एकत्र करने के लिए, राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाने का प्रावधान करती है। इससे भविष्य में बेहतर सेवाएँ उपलब्ध करायी जा सकेंगी।
- यह नीति, **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**, ***ब्लड सेल*** और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा समर्थित है।

नीति की आवश्यकता

- *थैलेसीमिया* और *सिकल सेल एनीमिया* सबसे अधिक सामने आने वाले 'दुर्लभ रक्त विकार' हैं। ये परिवार पर व्यापक आर्थिक बोझ डालते हैं क्योंकि उपचार का 95% व्यय रोगियों को ही वहन करना पड़ता है।
- चूँकि देश में इन रोगों के **35-40 मिलियन वाहक** हैं। इसलिए निवारक (preventive) जाँच से इस रोग का प्रसार रोकने में सहायता मिलेगी।

7.11. यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक-बॉक्स (शी-बॉक्स)

(Sexual Harassment Electronic-Box (SHE-Box))

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने एक ऑनलाइन प्लेटफार्म का शुभारंभ किया है जो महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है।

SHW अधिनियम, 2013

- यह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को 'कार्यस्थल पर पुरुष कर्मचारियों के किसी गैर-स्वागतयोग्य यौन व्यवहार तथा माँग' के रूप में परिभाषित करता है।
- यह 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी नियोक्ताओं के लिए प्रत्येक कार्यालय या शाखा में **आंतरिक शिकायत समिति [ICC]** का गठन करना अनिवार्य बनाता। इस समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए।
- यह शिकायतों के समयबद्ध निवारण की माँग करता है। यह कार्यवाही गोपनीय होनी चाहिए।
- इस अधिनियम के अनुसार नियोक्ताओं को शिक्षा और संवेदीकरण कार्यक्रम संचालित करने चाहिए तथा एक सुरक्षित कामकाजी वातावरण प्रदान करना चाहिए।

शी-बॉक्स की विशिष्टताएं

- इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर **महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 [SHW ACT]** का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
- पोर्टल पर एक बार शिकायत दर्ज हो जाने पर वह सीधे संबंधित मंत्रालय या विभाग के ICC के पास जाएगी।
- **इसमें WCD के साथ-साथ शिकायतकर्ता भी जाँच की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं**। अतः यह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं के लिए प्रभावी और तीव्र कार्यवाही की आवश्यकता की पूर्ति करेगा।
- वर्तमान में इसके अंतर्गत केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा शिकायत दाखिल की जा सकती है। बाद में इसमें विस्तार करते हुए सभी को शामिल कर लिया जाएगा।
- **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम** के दृष्टिकोण के अंतर्गत इससे **लैंगिक समानता** और **महिला सशक्तिकरण** का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

भारत में पूर्व में उठाए गए कुछ कदम

- **विशाखा दिशानिर्देश:** सर्वोच्च न्यायालय ने '**विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य**' के वाद में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम तथा ऐसे मामलों में शिकायतों के निवारण से सम्बंधित दिशानिर्देश जारी किये थे।
- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 [SHW ACT]:** विशाखा दिशानिर्देश लागू करने और महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इसे अधिनियमित किया गया था।
- **न्यायमूर्ति वर्मा समिति:** इसके द्वारा, दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, दो समाजशास्त्री और एक सामाजिक कार्यकर्ता से मिलकर बनने वाले एक **नियोजन न्यायाधिकरण** की अनुशंसा की गई थी। यह सुझाव ICC की आवश्यकता समाप्त करने के लिए दिया गया क्योंकि वे आशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे थे। (हालांकि यह सुझाव सरकार द्वारा नहीं माना गया)।

7.12. UNAIDS के अनुसार अब HIV संक्रमित आधे रोगी उपचार प्राप्त कर रहे है

(Unaids Reveals that Half of HIV Infected Patients Get Treatment Now)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में UNAIDS ने अपनी रिपोर्ट, ***एंडिंग एड्सः प्रोग्रेस टुवर्ड्स द 90-90 टारगेट*** जारी की है। इसमें कहा गया है कि लगभग 50% HIV संक्रमित लोगों को उपचार प्राप्त होता है तथा एड्स से होने वाली मौतों की संख्या लगभग आधी रह गयी है।

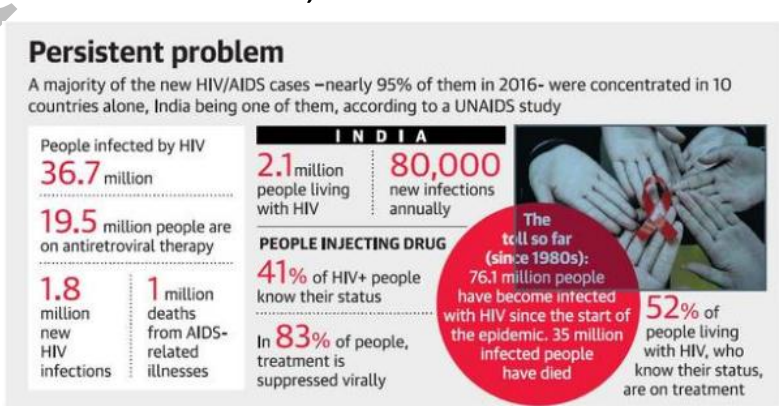

पृष्ठभूमि

- *ह्युमन इम्यूनोडेफिशियेंसी वायरस* (HIV) और *एक्वायर्ड इम्यून डेफिशियेंसी सिंड्रोम* (AIDS) एक ऐसी स्थिति हैं जिसमे HIV वायरस के संक्रमण से व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप होता है। इससे TB जैसे सामान्य संक्रमणों के साथ ही विभिन्न प्रकार के ऐसे ट्यूमरों का खतरा भी बढ़ जाता है जिनसे HIV मुक्त व्यक्ति आमतौर पर प्रभावित नहीं होते।
- 1980 के दशक से कुल मिलाकर 76.1 लाख लोग इस वायरस से प्रभावित हो चुके हैं। इनमें से लगभग 35 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
- वर्त्तमान में **HIV का कोई भी टीका या इलाज** उपलब्ध नहीं है। संक्रमित व्यक्ति को आजीवन **एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी** पर निर्भर रहना पड़ता है।

VISION IAS

- **HIV के मामलों में भारत, विश्व में तीसरे स्थान पर** है। भारत में HIV का प्रसार मुख्य रूप से विषमलैंगिक यौन-सम्बन्धों, यौनकर्मियों, नशे के आदी व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर्स, प्रवासी श्रमिकों, ट्रक-चालकों आदि के माध्यम से होता है।
- भारत में **राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन** AIDS की रोकथाम, इससे सम्बंधित नीतियों व कार्यक्रमों के निर्माण तथा उनके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- वर्तमान में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) अपने चौथे चरण में है। इसका लक्ष्य HIV संक्रमण को 50% तक कम करना है। इसके लिए व्यापक स्तर पर HIV उपचार, जानकारी, सामान्य जनसंख्या की देखभाल और सहायता के प्रावधानों को अपनाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें प्रमुख प्रभावित समूहों और HIV संचरण के उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए लक्षित पहलों का उपयोग किया जाएगा।(build on targeted interventions)
- सरकार द्वारा HIV से पीड़ित लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को रोकने तथा भेदभाव के लिए दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान करने के लिए HIV एवं एड्स (रोकथाम और नियन्त्रण) विधेयक 2017 भी लाया गया है। यह HIV पीड़ित लोगों की संपत्ति के अधिकारों की भी रक्षा करता है।

सभी के लिए टारगेट 90-90-90 उपचार

ये UNAIDS कार्यक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्य हैं जिनका उल्लेख निम्नलिखित है:

- 2020 तक HIV से पीड़ित लोगों में से 90% को अपनी HIV स्थिति का ज्ञान होगा।
- 2020 तक HIV संक्रमण से ग्रस्त के रूप में पहचाने गये सभी लोगों में से 90% को *सस्टेन्ड एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी* उपलब्ध होगी।
- 2020 तक *एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी* प्राप्त करने वाले लोगों में से 90% के वायरस का दमन किया जायेगा।

UNAIDS रिपोर्ट द्वारा उद्घाटित तथ्य

- UNAIDS ने **2015 तक, 15 लाख लोगों के उपचार के लक्ष्य को पूरा किया है**। अब इसके द्वारा अपने लक्ष्य में वृद्धि करते हुए **2030 तक 30 लाख लोगों** का उपचार करना तय किया गया है।
- 2016 तक, **36.7 लाख में से 19.5 लाख** HIV रोगियों को उपचार की सुविधा प्राप्त हुई है। HIV के कारण मरने वालों की संख्या **2005 में 1.9 लाख से घटकर 2016 में एक लाख रह गयी है।**
- **भारतीय दवा कम्पनियों ने** दवाओं की आपूर्ति के वैश्विक लक्ष्य पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने 2015 में कम और मध्यम आय वाले देशों में **90% से अधिक *रेट्रोवायरल*** औषधियों की आपूर्ति की है।

रिपोर्ट द्वारा उद्घाटित भारत से संबंधी तथ्य

- लगभग 95% AIDS के मामले प्रमुख रूप से 10 देशों में केन्द्रित थे और भारत उनमें से एक है।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों में, AIDS के मामलों की संख्या **भारत में सर्वाधिक है।**
- वर्तमान समय में, भारत में HIV से लगभग 2.1 लाख लोग प्रभावित हैं। 2016 तक प्रत्येक वर्ष नए संक्रमण के 80,000 मामलें सामने आ रहे थे।

आगे की राह

- **बौद्धिक सम्पदा अधिकार, नवाचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य** के मध्य समन्वय के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।
- भारत में **जेनरिक औषधीय उद्योग** को तेजी से विकसित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- भारत में नए संक्रमणों की संख्या अधिक है। अतः सरकार को आबंटित फंड में वृद्धि के द्वारा HIV/AIDS रोगियों के लिए **स्वास्थ्य नीति में** सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए।
- HIV/AIDS संक्रमित लोगों को निशुल्क तथा निश्चित चिकित्सा उपलब्ध करने हेतु **HIV और एड्स (रोकथाम और नियन्त्रण) विधेयक 2017** में संशोधन किया जाना चाहिए।
- **जाँच किट और बच्चों की चिकित्सा के लिए अनुकूल एंटी-रेट्रोवायरल (ART)** हर समय उपलब्ध रहने चाहिए।

7.13. बच्चों में ड्रग रेज़िस्टेंट TB अपेक्षा से अधिक

(Drug-Resistant Tb Higher Among Children Than Expected)

सुर्ख़ियों में क्यों?

फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिकस (FIND) द्वारा किये गये एक संयुक्त अध्ययन में पाया गया है कि बच्चों में TB (तपेदिक) का संक्रमण कहीं अधिक है।

बाल (*पीडियाट्रिक*) TB:

- बाल-MDR-TB के मामलों को **अभी तक दस्तावेजों में दर्ज नहीं किया गया है।**
- बच्चे में प्राथमिक MDR-TB संक्रमण की सम्भावना अधिक होती है क्योंकि वे संक्रमित व्यक्तियों के निकट सम्पर्क में रहते हैं।
- सैंपल संग्रह से जुडी चुनौतियों और ***एसिड फ़ास्ट बेसिली (AFB) स्मीयर*** जैसे परीक्षणों की खराब संवेदनशीलता के कारण बच्चों में TB का पता लगा पाना जटिल है।
- परियोजना का उद्देश्य *प्रोजेक्ट इंटरवेंशन एरियाज* में **TB के सभी सम्भावित बाल रोगियों** को TB की गुणवत्ता युक्त जाँच तक त्वरित पहुँच सुनिश्चित करना है।
- प्रारम्भ में इस परियोजना को **GeneXpert MTB/RIF** लागू करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए आरम्भ किया गया था।
- सरकार द्वारा संशोधित **राष्ट्रीय TB नियन्त्रण कार्यक्रम (RNTCP) के अंतर्गत** बाल-TB के लिए **एक विशिष्ट दिशानिर्देश** जारी किये गये।
- इसमें एक विशिष्ट लघुगणक और *फ्लो चार्ट* शामिल हैं जिनका बाल-TB के उपचार में शामिल चिकित्सकों द्वारा अनुसरण किया जाएगा।
- TB की दवा की मात्रा **बच्चे के भार के अनुरूप होनी चाहिए।**
- गोलियों को *पस्टेल* (विभिन्न रंगों युक्त) और *मोर्टार* (चूर्ण) के माध्यम से उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जाना चाहिए (क्योंकि बच्चों को निगलने में कठिनाई होती है)।

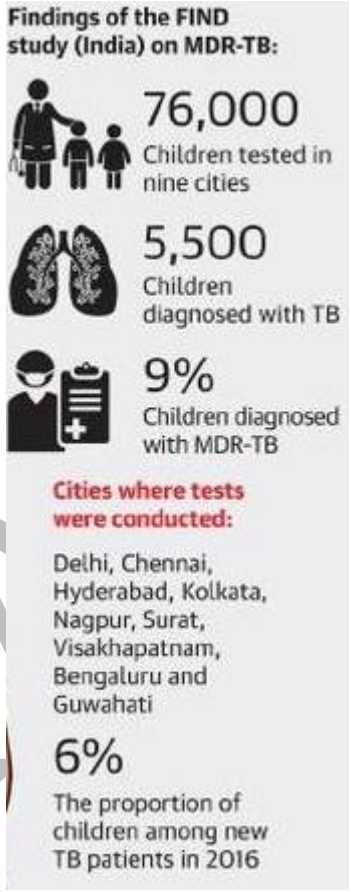

भारत पर TB का भार:

- WHO की 2016 की वैश्विक TB रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 2015 के मध्य भारत में **TB के मामलों की पहचान में 34% की वृद्धि** हुई है। यह वृद्धि निजी क्षेत्र में हुई है।
- विभिन्न वैश्विक अध्ययनों ने यह पता चला है कि भारत की विश्व में TB के नए मामलों में लगभग 27% और विश्व स्तर पर TB से हुई 1.8 लाख मौतों में 29% की हिस्सेदारी है।
- भारत प्रारम्भिक जाँच के लिए *स्मीयर माईक्रोस्कोपी* पर बहुत अधिक निर्भर है, जबकि सकारात्मक मामलों की पहचान करने में *स्मीयर माईक्रोस्कोपी* की क्षमता केवल 50% है।
- भारत में अनुमानित और पता लगाये गये मामलों में भारी अंतर विद्यमान है। कुल तपेदिक मामलों के 41% मामलों को मिस्सिंग केसेज़ कहा जाता है।
- जनसंख्या के बढ़ते घनत्व और शहरी परिवेश के प्रसार के कारण, TB का संक्रमण सभी आर्थिक वर्गों तक फैल गया है। इन परिस्थितियों ने TB के प्रसार और जोखिम के सदियों पुराने दुष्चक्र को और अधिक मज़बूत बना दिया है।

ड्रग रेजिस्टेंट TB

MDR-TB

- यह TB आईसोनियाजिड और राईफैम्पिसिन (दूसरी पंक्ति का उपचार) के प्रति अनुक्रिया नहीं करती।
- इसके विकसित होने के कारण:
  - एंटी-माइक्रोबियल दवाओं का अनुचित या गलत उपयोग,
  - दवाओं के अप्रभावी *फॉर्मुलेशंस* का प्रयोग (जैसे एकल दवाओं का उपयोग, खराब गुणवत्ता वाली दवाएँ या खराब भंडारण स्थितियाँ)।
  - उपचार में समय-पूर्व (premature) व्यवधान।

XDR-TB

- यह कम-से-कम चार प्रमुख टीबी दवाओं जैसे *लेवोफ्लोक्सेसिन* या *मोक्सीफ्लोक्सेसिन*, *अमीकेसिन*, *कैप्रिमोमायसिन* या *कनामाइसिन* के लिए प्रतिरोधी है।
- MDR-TB जैसी क्रियाविधि के कारण ही विकसित होती है।

VISION IAS

TDR-TB अथवा XXDR-TB

- TB जो पहली और दूसरी पंक्ति की सभी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है।
- यह अधिकांश मामलों में (न की सभी में) इसे असाध्य बना देता है।

GeneXpert MTB/RIF परीक्षण

- **यह TB बैक्टरिया की उपस्थिति का पता लगाता है**। इसके साथ ही यह बैक्टीरिया में दवा *रिफामिपिसिन* के प्रति प्रतिरोध और उनमें अनुवांशिक उत्परिवर्तन का भी परीक्षण करता है।

TB का कलंक (स्टिग्मा)

- TB से जुड़ा *ओवरआल स्टिग्मा इंडेक्स* भारत में सबसे अधिक है। यह *स्टिग्मा* अवसाद और आत्महत्या जैसी जटिल मनोवैज्ञानिक रुझानों में परिवर्तित हो गया है।
- दवाओं से प्रेरित मनोविकार एक महत्त्वपूर्ण चिंता है। 2025 तक TB को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही में इस पर ध्यान नहीं दिया गया था।
- **सलाहकारों (*काउंसलर्स*) की कमी से समस्या और बिगड़ रही है**। परिवार में एक रोग के रूप में TB की बेहतर समझ से रोगी की देखभाल में सुधार हो सकता है।

आगे की राह

- छोटे बच्चों में TB का पता लगाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। साथ ही वर्तमान उपकरण अपर्याप्त हैं, इसलिए तपेदिक के लिए ***डिटेक्ट-ट्रीट-प्रिवेंट-बिल्ड*** के समन्वय वाली **राष्ट्रीय रणनीतिक योजना** का विस्तार बाल-TB के लिए भी किया जाना चाहिए।
- पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम पंक्ति की दवाएँ और **GeneXpert MTB/RI** टेस्ट के तरीके विकसित करने की क्षमता विकसित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने का प्रस्ताव लाया गया है। ऐसा ***'मेक-इन-इण्डिया'*** पहल के अंतर्गत किया जायेगा।
- सरकार को बड़े पैमाने पर **असंगठित और अनियंत्रित निजी क्षेत्र** के लिए विनियामक दृष्टिकोण के स्थान पर सहभागिता दृष्टिकोण **(सिनर्जी)** अपनाना होगा।

7.14. परिवार कल्याण की नयी पहल: मिशन परिवार विकास

(New Family Planning Initiatives: Mission Parivar Vikas)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **विश्व जनसंख्या दिवस पर** (जुलाई 11, 2017) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मिशन परिवार विकास का शुभारम्भ किया।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) IV के डेटा अनुसार, जनसंख्या के 12.9% भाग की गर्भ निरोधकों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। इससे अवांछित जन्मों में वृद्धि होती है।
- TFR को कम करना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि TFR प्रत्यक्ष रूप से मातृ मृत्यु दर (MMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR) से अनुपातिक रूप से सम्बद्ध है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000

- 2045 तक एक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का दीर्घकालिक लक्ष्य। (दीर्घकालिक लक्ष्य को संशोधित करके **2070** कर दिया है।)
- गर्भनिरोधक, स्वास्थ्य देखभाल के मूलभूत ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को पूरा करना।
- प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवश्यक मूलभूत सेवाओं को एकीकृत रूप से उपलब्ध कराना।
- मातृ मृत्यु दर : '100 प्रति एक लाख जन्म' से नीचे।
- शिशु मृत्यु दर: प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों के लिए 30।
- **कुल प्रजनन दर: 2.1 (2010 तक का प्रतिस्थापन दर).**
- MMR को कम करने के लिए 80% संस्थागत प्रसूति के लक्ष्य को प्राप्त करना
- बच्चों के सार्वभौमिक टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- लड़कियों के देरी से विवाह को प्रोत्साहित करना, 18 वर्ष की आयु से पहले नहीं और 20 वर्ष के बाद प्राथमिकता देना।
- अनिवार्य स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना तथा स्कूल छोड़ने की दर को कम करना।

VISION IAS

- TFR का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने के लिए छोटे परिवारों के आदर्श को प्रोत्साहित करना।
- सामजिक क्षेत्र के सम्बन्धित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कन्वर्जेन्स।

कुल प्रजनन दर (प्रतिस्थापन स्तर)

यह कुल प्रजनन की वह दर (प्रति महिला द्वारा जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या) है जिससे बिना प्रवास किये ही, जनसंख्या स्वयं को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पूर्णतः प्रतिस्थापित कर देती है।

मिशन परिवार विकास

- इसका लक्ष्य सात राज्यों के 146 जिलों की कुल प्रजनन दर को नियंत्रित करना है। यह देश की कुल जनसंख्या का 28% है।
- इस मिशन में **RMNCH+A रणनीति,** *फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम* (FP-LMIS) और परिवार नियोजन पर उपभोक्ता-अनुकूल वेबसाइट का उपयोग किया जायेगा।
- पहुँच में सुधार के लिए निम्नलिखित माध्यमों से रणनीतिक रूप से फोकस किया जायेगा ;
  - **सेवाओं का प्रावधान:** नवविवाहित जोड़ों को एक किट **(नयी पहल)** वितरित की जाएगी। इसमें परिवार नियोजन और निजी स्वच्छता के उत्पाद सम्मलित होंगे।
  - ***कमोडिटी सिक्योरिटी:*** यह नसबंदी सुविधाओं में वृद्धि करेगा, उप-केंद्र स्तर पर *इंजेक्टेबल* गर्भ निरोधकों की उपलब्धता बढ़ाएगा और कंडोम व गोलियों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा।
  - **प्रमोशनल योजनाएँ**: **'सारथि–***अवेयरनेस ऑन व्हील्स***'** नामक विशेष बसें जागरूकता बढ़ाने, समुदायों को संवेदनशील बनाने और परिवार नियोजन संदेशों के प्रसार का काम करेंगी।
  - **क्षमता निर्माण** : प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के बारे में मान्यताओं और दृष्टिकोणों में अंतर कम करने के लिए **'सास-बहु सम्मेलन'** आयोजित किये जायेंगे।
  - **सक्षम बनाने वाला परिवेश: आशा कार्यकर्ता** पति-पत्नी के बीच संवाद बढ़ाने, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य पर सहमति बनाने, पहला बच्चा देरी से और दूसरे बच्चे के बीच अंतर लाने को प्रोत्साहित करेंगी।
  - **गहन निगरानी: उच्च प्रजनन** दर के कारणों का पता लगाया जाएगा। कार्यक्रम की अर्द्ध-वार्षिक समीक्षा के द्वारा उपलब्धियों का समय के सन्दर्भ में मूल्यांकन किया जायेगा।

RMNCH+A क्या है?

- इसे प्रजननशील माताओं, नवजातों, बच्चों तथा किशोरों के स्वास्थ्य के लिए 2013 में रणनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रारम्भ किया गया था।
- यह जीवन के विभिन्न चरणों पर समान फोकस सुनिश्चित करने के लिए देखभाल सेवाओं को निरन्तरता प्रदान करेगा।
- **राष्ट्रीय लौह+पहल (National Iron+ initiative)** के माध्यम से अनीमिया की समस्या का समाधान करेगा।

परिवार की सरंचना में नए रुझान:

- 2001 की जनगणना के अनुसार, 19.31 करोड़ में से 9.98 करोड़ या 51.7% परिवार 'एकल परिवार' थे। 2011 की जनगणना में यह हिस्सा बढ़ कर 52.1% अर्थात 24.88 परिवारों में से 12.97 करोड़ परिवार एकल परिवार हो गया।
- नया रुझान विभिन्न समाजशास्त्रियों के मत के विपरीत है। इन समाजशास्त्रियों का मानना है कि एकल परिवारों की वृद्धि दर तेज़ी से बढ़ते हुए शहरीकरण के साथ सुसंगत है और स्थायी दर से बढ़ रही है।
- शहरों में एकल परिवारों में आनुपातिक गिरावट आई है। अब लोग विस्तारित परिवारों (extended families) में रहने का चयन कर रहे हैं।

एकल (न्यूक्लियर) परिवार का सरकारी वर्गीकरण

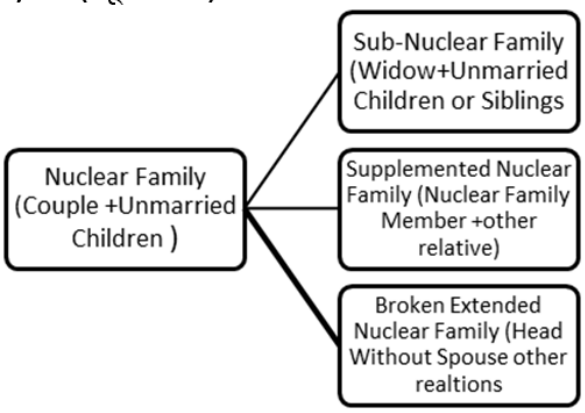

- **कारण:** महँगी शहरी सुविधाएँ, आवास की कमी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों के विघटन के बढ़ने के संकेत हैं। वहाँ एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि हो रही है और शहरी क्षेत्रों की तुलना में संयुक्त परिवारों की संख्या में तेजी से गिरावट हो रही है।

- **कारण:** भूमि का छोटे टुकड़ों में विभाजन, प्रवासन और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों की उपलब्धता।

निष्कर्ष

- जनसंख्या गतिकी (population dynamics) का संधारणीय विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जनसंख्या वृद्धि दर और आयु सरंचना में परिवर्तन, राष्ट्रीय और वैश्विक विकास चुनौतियों व उनके समाधानों के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं।
- इसके अतिरिक्त, मिशन परिवार विकास परिवार, नियोजन के माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित करने का एक प्रयास है। इसके साथ ही, यह संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDG-3) के भाग के रूप में संयुक्तराष्ट्र के स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने का भी एक साधन है।

7.15. *सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क*: 157 देशों में भारत का 116वां स्थान

(India Ranked 116 Of 157 Countries: Sustainable Development Solution Network)

सुर्खियों में क्यों?

- *सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क* (SDSN) द्वारा आयोजित *SDGs इंडेक्स एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट* में भारत को 157 देशों की सूची में 116वां स्थान प्राप्त हुआ है।

सतत विकास लक्ष्य: इन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है

- **इसमें कुल 17 लक्ष्य है जो कुल 169 उप-लक्ष्यों में विभाजित हैं।**

डैशबोर्ड रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- इंडेक्स के आधार पर भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है जो नेपाल, ईरान, श्रीलंका, भूटान और चीन जैसे राष्ट्रों से भी पीछे है। पाकिस्तान का स्थान 122वां है।
- राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद जैसी बढ़ती प्रवृत्तियों के कारण इन लक्ष्यों के कार्यान्वयन में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं।
- **वहनीय उपभोग और उत्पादन के संबंध में निम्नस्तरीय निष्पादन,** उच्च आय वाले देशों के संदर्भ में वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है।
- छोटे विकसित राष्ट्र इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के अत्यंत निकट हैं।
- विश्व के सबसे अमीर देश, न केवल वैश्विक नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने से अभी दूर है, बल्कि नकारात्मक '*स्पिल ओवर इफेक्ट्स*' के कारण निर्धन देशों द्वारा किये जाने वाले क्रियान्वयन प्रयासों को प्रभावित करते हैं।

सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क (SSDN)

- इसकी स्थापना 2012 में गई थी, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्त्वावधान में कार्य कर रहा है।
- यह शोध केन्द्रों, विश्विद्यालयों और तकनीकी संस्थानों का एक स्वतंत्र वैश्विक नेटवर्क है।
- यह *यूनाइटेड नेशन कांफ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट* (UNCSD या रियो+20) के निष्कर्षों को साकार करने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किये गए प्रयासों का एक भाग है।

कार्य:

- यह संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के साथ मिल कर कार्य करता है।
- धारणीय विकास के सम्बन्ध में समस्या-समाधान के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता को संगठित करना।
- यह **SDG और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता दोनों के लिए** व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है।

7.16. CAG ऑडिट में RTE के कार्यान्वयन से संबंधित कमियाँ उजागर हुई

(CAG Audit Reveals Gaps In Implementation Of RTE)

सुर्खियों में क्यों?

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन से संबंधित कैग (CAG) की रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन और अधिनियम के कार्यान्वयन से सबंधित अनेक कमियाँ पायी गयी हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की विशेषता

- भारत में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।
- सभी निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से प्रवेश लेने वाले EWS समुदायों के लिए 25% स्थानों को आरक्षित किया गया है।
- केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय भार को साझा किया जाएगा।
- एक **निश्चित विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात** को बनाए रखा जाएगा।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- **वित्तीय अंतराल:** कैग ने वर्ष के अंत में बिना खर्च की गई धनराशि तथा आगामी वर्षों के लिए ओपनिंग बैलेंस की धनराशि के बीच मिस्मैच को उजागर किया है।
- **निधियों का कम उपयोग:** राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध निधियों का उपयोग नहीं किया गया। यह केंद्र/राज्य में संबंधित प्राधिकारियों के कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है।
- **RTE के नियमों का उल्लंघन:** उदाहरण के लिए, पांच राज्य यथा:- बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात और मेघालय द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। इसी प्रकार, असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, केरल और सिक्किम जैसे राज्यों ने विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में रोके रखा जो कि अधिनियम की धारा 16 का उल्लंघन है।
- वित्त मंत्रालय द्वारा **13वें वित्त आयोग** की अनुसंशाओ के अनुरूप जारी किये गए धन से संबंधित निर्धारित व्यय मानदंडों का अनुपालन न कर पाने के कारण 15 राज्यों में लगभग 1909 करोड़ रु. के फंड का अभाव हो गया जिसने उन राज्यों में **RTE** के उचित कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की है।
- **राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति (NAC) –** RTE अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए गठित इस समिति का पुनर्गठन नवंबर 2014 से नहीं किया गया है।

7.17. जारवा से संबंधित विडियो पर कार्रवाई करेगा ST आयोग

(ST Commission To Take Action On Jarawa Videos)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने *यू ट्यूब* से जारवा जनजाति से संबंधित सभी विडियो को हटाने को कहा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

- NCST की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा एक नए अनुच्छेद 338a को समाविष्ट कर की गई थी।
- आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।

जारवा जनजाति

- ये **विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG)** है। ये अंडमान द्वीप पर ही पाई जाती है जिनकी जनसँख्या 400 से भी कम रह गयी है।
- ये लोग आखेटक एवं खाद्य संग्रहकर्ता होते है। ये स्वयं को बाहरी लोगों के संपर्क से दूर रखते है।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- इन विडियो को 'जारवा विकास' जैसे टैग के अंतर्गत पोस्ट किया गया था। लेकिन, इसमें उन्हें नग्न या अजीब तथा आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप (आदिम जनजाति संरक्षण) कानून, 1956 (PAT) के प्रावधानों के अनुसार, अंडमानी, जारवा, ओंगे, सेंटीलिज और शैम्पेन को 'आदिम जनजाति' का दर्जा प्रदान किया गया है।
- "जो भी धारा 7 (आरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश को प्रतिबंधित करती है) के अंतर्गत अधिसूचना के उल्लंघन कर इन क्षेत्रों में तस्वीरें लेने या विडियो बनाने के उद्देश्य से प्रवेश करता है, उसे तीन वर्ष तक के कारावास की सजा दी जाएगी "।

7.18. गरीब नवाज़ कौशल विकास केंद्र

(Garib Nawaz Skill Development Centres)

- अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री ने कहा है कि देश के 100 जिलों में गरीब नवाज़ कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

अल्पसंख्यकों से संबंधित अन्य कौशल विकास योजनाएँ है:

- सीखो और कमाओ
- उस्ताद- USTTAD (पारंपरिक कला/प्रशिक्षण के लिए कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण)
- नई मंजिल
- मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (MANAS)

- ये केंद्र प्रभावी रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए रोज़गार उन्मुख कौशल विकास को सुनिश्चित करेंगे।
- इन क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम अल्पावधि (2 से 6 माह) के होंगे, जैसे मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग, सिक्युरिटी गार्ड प्रशिक्षण, हाउस कीपिंग का प्रशिक्षण आदि।

7.19. रामकृष्ण मठ के संस्थान EPFO के दायरे से बाहर रहेंगे

(Ramakrishna Math Institutions Out Of EPFO Coverage)

सुर्खियों में क्यों?

- रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत कार्यरत संस्थान, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के दायरे से बाहर ही रहेंगे।

EPFO

इसका लक्ष्य विश्व स्तर के सामाजिक सुरक्षा संगठन के रूप में स्वयं को स्थापित करना है। EPFO विजन 2030 में शामिल है:

- अनिवार्य रूप से सभी के लिए *यूनिवर्सल सोशल सिक्युरिटी कवरेज*
- EPFO द्वारा प्रदान किये जाने वाले सभी लाभों के लिए ऑनलाइन सुविधा

वर्तमान में यह अपने सदस्यों से संबंधित 15 करोड़ से अधिक खातों का संचालन करता है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

- इसका प्रबंधन EPFO के अंतर्गत किया गया है।
- यह प्रत्येक उस संस्थान (establishment) को शामिल करता है जिसमें 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित किया जाता है।
- EPF योजना के अंतर्गत, किसी कर्मचारी को इस योजना के लिए एक निश्चित अंशदान करना होता है और कर्मचारी द्वारा किये गए अंशदान के बराबर नियोक्ता द्वारा भी अंशदान किया जाता है।
- प्रतिमाह 15000 रु.से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से EPF के सदस्य बन जाते है।

पृष्ठभूमि

- 1982 के बाद से रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं और अस्पतालों को EPFO कवरेज से छूट दी गयी है।
- केंद्र सरकार ने सितम्बर, 2015 में 20 से अधिक श्रमिकों को रोज़गार देने वाले सभी धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्टों को अप्रैल, 2015 से सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया।
- रामकृष्ण मिशन ने जनवरी, 2017 में श्रम और रोज़गार मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि *'सर्विस ऑफ़ गॉड इन मेन'* नामक ट्रस्ट की गतिविधियाँ आध्यात्मिक है। अपने कर्मचारियों को इसमें शामिल करने संबंधी EPFO का अनुपालन नोटिस (compliance notices) इसकी 'धर्मार्थ गतिविधियों' के मार्ग में बाधक हैं।

7.20. महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार विधेयक को मिली राष्ट्रपति की अनुमति

(Maharashtra Social Boycott Bill Gets Presidential Nod)

सुर्खियों में क्यों?

महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिनियम, 2016 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

सामाजिक बहिष्कार क्या है?

यदि कोई व्यक्ति या समूह किसी अन्य सदस्य या समूह को किसी भी सामाजिक या धार्मिक रीति या सामुदायिक समारोह में भाग लेने से रोकने का प्रयास करता है तो इस कार्य को सामाजिक बहिष्कार के सामान माना जाएगा।

कुछ संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 15**–धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध
- **अनुच्छेद 17**–अस्पृश्यता का उन्मूलन
- **अनुच्छेद 21**–जीवन का अधिकार
- **अनुच्छेद 25**–अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।

अधिनियम के प्रावधान

- यह किसी व्यक्ति या जाति पंचायत जैसे समूह द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के सामाजिक बहिष्कार का निषेध करता है।
- इस क़ानून में सामाजिक बहिष्कार को एक संज्ञेय लेकिन जमानती अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसमें सात साल तक की सजा या 5 लाख रु. का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
- चार्ज शीट दायर होने के छः महीने के अंदर मामलें की सुनवाई पूरी होनी चाहिए।

अधिनियम का महत्व

- इस कानून को बनाने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। यह कानून गाविक या जाति पंचायत जैसी समानांतर न्याय प्रणाली के विरूद्ध है। यह अधिनियम, अन्य राज्यों को भी ऐसे प्रावधान करने के लिए प्रेरित करेगा।
- यह अधिनियम नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक कदम है।

7.21. भारत 2026 तक दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएगा – UN एवं OECD

(India To Become Largest Producer Of Milk By 2026- Un And OECD)

- *OECD-FAQ एग्रीकल्चर आउटलुक* 2017-2026 के अनुसार, भारत में दुग्ध उत्पादन में 2017 से 2026 के बीच 49% की वृद्धि होने की संभावना है।
- आने वाले दशक में विश्व की आबादी 7.3 से बढ़कर 8.2 बिलियन हो जाएगी। इस कुल जनसँख्या वृद्धि में भारत एवं उप-सहारा अफ्रीका दोनों की भागीदारी 56% की होगी।
- 2017-2026 की आउटलुक अवधि में गेंहूँ के उत्पादन में 11% की वृद्धि होने का अनुमान है जबकि गेंहूँ के क्षेत्रफल में केवल 1.8% की वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)

- इसे शोषण को सशक्तिकरण में बदलने, परंपरा को आधुनिकता में बदलने और डेयरी-उद्योग को भारत की ग्रामीण जनता के विकास के लिए एक साधन के रूप में बदलने के लिए 1965 में स्थापित किया गया था।
- यह 'ऑपरेशन फ्लड' को लागू करनेवाला का प्रमुख संगठन था ताकि देश को दुग्ध-अभाव वाले देश से दुग्ध-अधिशेष वाला देश के रूप में स्थापित किया जा सके।

भारत में डेयरी क्षेत्र के विकास के कारण

- सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारत के पास सहकारी समितियों द्वारा छोटे किसानों से दुग्ध संग्रह करने का सफल कार्यक्रम का दशकों का अनुभव रहा है।
- गायों की उन्नत नस्लें – भारत बहुत सी यूरोपीय गायों का आयात करता है और उन्हें स्थानीय नस्लों के साथ क्रॉस-ब्रीड कराया जाता है।
- NDDB विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रमुख आधार है, जैसे - *नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट*, नेशनल डेयरी प्लान (फेज -1) और *डेयरी एन्ट्रप्रनर्शिप डेवलपमेंट स्कीम*।

7.22. घरेलू कामगार एवं संरक्षण की आवश्यकता

(Domestic Help And Need Of Protection)

निहित मुद्दे

- भारत **अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के** कन्वेंशन 189 का हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया है, जो घरेलू कामगारों के लिए काम की उचित परिस्थितियां प्रदान करने का आदेश देता है। लेकिन, इसने अभी भी इसकी पुष्टि नहीं की है।
- 93% **कार्यबल** असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। यही कारण है कि अधिकांश लोग श्रम कानूनों की परिधि से बाहर है।
- इससे अधिक, 2011 में NSSO द्वारा जारी डेटा के अनुसार घरेलू कामगारों की संख्या 3.9 मिलियन है।
- भुगतान के आधार पर कार्य करने वाले घरेलू कामगारों को मजदूरी भुगतान अधिनियम (1936) या कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम (1923) या ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 या मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) की परिधि **से अभी भी बाहर रखा गया है।**
- असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (UWSSA) एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण), 2013 सरकार की **एकमात्र ऐसी दो पहले हैं** जो घरेलू कामगारों से संबंधित प्रावधानों को शामिल करती हैं।

घरेलू कामगार कल्याण विधेयक 2016 का मसौदा

- यह *इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन लेबर* के आधार पर घरेलू कामगारों के लिए कुछ अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है।
- *डिस्ट्रिक्ट बोर्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ़ डोमेस्टिक वर्कर* के अंतर्गत नियोक्ता और कामगार का अनिवार्य पंजीकरण।
- रोजगार संविदा को भरने और सत्यापन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रमिकों के लिए सुविधा केंद्र की स्थापना।
- अवयस्क घरेलू कामगार को नियोजित किया जा सकता है, बशर्ते कि उसने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली हो ।
- यह सामाजिक सुरक्षा निधि के रखरखाव के लिए नियोक्ता से उपकर के संग्रह को अनिवार्य बनाता है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के तहत घरेलू कामगारों को शामिल करना।
- यह कार्यों का प्रकार, प्रति घंटे, पार्ट टाइम वर्क, फूल टाइम, और लिव-इन वर्क जैसे अनेक कार्यों को विनियमित करने का प्रयास करता है।

सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक

- **संकटग्रस्त प्रवासन (Distress migration):** घरेलू कामगार सबसे पिछड़े क्षेत्रों खासकर आदिवासी समुदाय से आते हैं। विनियामकीय ढांचे की कमी के कारण, युवा बालिकाओं के शहरी क्षेत्रों में शोषण की संभावना बढ़ जाती है।
- **घरेलू काम को सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से कम महत्त्व देना:** घरेलु क्षेत्र से बाहर स्थित कार्यस्थलों पर वेतन प्राय: ज्यादा होते हैं।
- **श्रम का लैंगिक आधारों पर क्षेत्रीय विभाजन:** घरेलु कार्यों को अभी भी महिलाओं के कार्यक्षेत्र के रूप में देखा जाता है। हमारी संस्कृति में यह एक सामान्य धारणा है कि महिलाएं घरेलू कार्य के लिए ज्यादा उपयुक्त होती हैं।

चुनौतियाँ

- घरेलू कामगारों की बढ़ती संख्या ने कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी की है। इस प्रवृति में 2008 के बाद और तेज़ी हुई है।
- घरेलू कामगारों द्वारा किये जाने वाले कार्यो जैसे:- भोजन बनाना, सफाई, बर्तन धोना, बच्चों की देखभाल करना आदि कार्यो को राज्य विधायिका द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।
- परिभाषा और स्पष्टता की कमी ने कर्मचारी और नियोक्ता के बीच की रेखा को धुंधला बना दिया है। इसी कारण दोनों के मध्य पेशेवर संबंध न रहकर सामंती संबंध बन जाते है।
- कार्य की प्रकृति के आधार पर किए जाने वाले वेतन की गणना काफी जटिल होती है जो कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल के सामान्य वर्गीकरण का विरोध करती है।
- इसके अतिरिक्त, वेतन की दरों को घरेलू कामगारों की मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता है। जहाँ बाजार में उनकी मांग बढ़ती जा रही है, वही उन्हें इसके लिए न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाता है।
- सरकार घरेलू काम के विनियमन करने में इस आधार पर संकोच करती है कि कार्यस्थल एक निजी घर होता है जिसका राज्य द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए।

7.23. जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम 2017

(Joint Monitoring Programme 2017)

सुर्खियों में क्यों?

- **जुलाई, 2017 में वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन (WHO) और यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स फण्ड (UNICEF)** ने जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम (JMP) के अंतर्गत **'प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन 2017 अपडेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बेसलाइन'** शीर्षक से **रिपोर्ट** जारी की।

जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम

- यह जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए WHO/UNICEF का जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम (JMP) है।
- 1990 के बाद से, वैश्विक डेटाबेस का संरक्षण करता है तथा पेयजल, स्वच्छता व स्वास्थ्य (Drinking Water, sanitation and hygiene- WASH) पर प्रगति का आकलन करता है।
- संधारणीय विकास के लिए नए 2030 एजेंडे के संदर्भ में पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर वैश्विक निगरानी को और अधिक सशक्त करने पर ध्यान केन्द्रित करता है।
- प्रत्येक क्षेत्रक, अन्य क्षेत्रक की उपस्थिति पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, शौचालय के बिना जल स्रोत दूषित हो जाते हैं; स्वच्छ जल के बिना मूलभूत स्वच्छता मानकों को भी नहीं अपनाया जा सकता है।

रिपोर्ट के संबंध में

- यह **" कुशलतापूर्वक प्रबंधित पेयजल और स्वच्छता सेवाओं"** का प्रथम वैश्विक आकलन है"।
- यह रिपोर्ट निम्निलखित पर ध्यान केन्द्रित करती है;
  - **खुले में शौच** की प्रथा समाप्त करना (संधारणीय विकास लक्ष्य 6.2)।
  - **मूलभूत सेवाओं** को सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराना (संधारणीय विकास लक्ष्य 1.4)।
  - प्रगति करते हुए **सुरक्षित रूप से प्रबंधित सेवाओं** की ओर बढ़ना (संधारणीय विकास लक्ष्य 6.1 एवं 6.2)।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- 10 में से प्रत्येक तीन व्यक्ति घर पर सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता के अभाव से ग्रसित हैं एवं 10 में से 6 लोगों के पास कुशलतापूर्वक प्रबंधित स्वच्छता सुविधाओं का अभाव है।
- कुशलतापूर्वक प्रबंधित स्वच्छता सुविधाएँ प्राप्त करने वाले पाँच लोगों में से तीन शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हैं।
- अनुपचारित सतही जल (झीलों, नदियों या सिंचाई चैनल) का उपयोग करने वाले अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं।
- रिपोर्ट में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, अवसंरचना कवरेज की रिपोर्टिंग से आगे बढ़कर कार्य करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है।
- वास्तव में निम्नस्तरीय स्वच्छता और दूषित जल हैजा, दस्त, पेचिश, हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड जैसे रोगों के संचरण से सम्बद्ध हैं। ये रोग प्रतिवर्ष 5 वर्ष से कम आयु के 361,000 बच्चों की मृत्यु का कारण बनते हैं।
- यह स्थिति नए संधारणीय विकास लक्ष्यों द्वारा लक्षित उद्देश्य: "देशों के बीच एवं देशों के अन्दर असमानताओं को कम करना, खुले में शौच की प्रथा समाप्त करना एवं 2030 तक मूलभूत सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करना" के बिल्कुल विपरीत है।

UN–वाटर

- मीठे जल (फ्रेश वाटर) से संबंधित समस्याओं के लिए यूनाइटेड नेशन्स (UN) इंटर एजेंसी कोआर्डिनेशन मैकेनिज्म। इसके अंतर्गत स्वच्छता भी शामिल है (यह मात्र जल से संबंधित मामलों के लिए संगठन नहीं है)।
- UN-वाटर ने अपने 2030 एजेंडे के समर्थन में अपनी 2014-2020 रणनीति की घोषणा की है।

वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट (WWDR)

- UN-वाटर के उन सदस्यों एवं भागीदारों द्वारा प्रकाशित जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं।
- यह रिपोर्ट वर्ल्ड *वाटर असेसमेंट प्रोग्राम* के साथ समन्वित रूप से प्रस्तुत की जाती है एवं इसकी थीम विश्व जल दिवस (22 मार्च) से सुसंगत है।

UN-वाटर ग्लोबल एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ़ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर (GLAAS)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा UN–वाटर की ओर से प्रस्तुत।
- *एक्टिविटीज ऑफ़ सैनिटेशन एंड वाटर फॉर आल* (SWA) के सन्दर्भ में जानकारी हेतु यह मूलभूत महत्त्व की है।

VISION IAS

7.24. नवीन ऑनलाइन शिक्षा पहलें

(New Online Education Initiatives)

स्वयं

- एक वेब पोर्टल है जहाँ *मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज* (MOOCs) सभी प्रकार के विषयों पर प्रमाण पत्र /क्रेडिट ट्रान्सफर के प्रावधान के साथ नि:शुल्क उपलब्ध होंगे।
- इसे सर्वाधिक वंचित व्यक्तियों सहित सभी को सर्वोत्तम शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया है।
- यह देश के सुदूर क्षेत्रों में जनता को शिक्षित करने हेतु महत्पूर्ण उपकरण है।

स्वयं प्रभा

- यह उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए 32 DTH चैनलों का समूह है। इसमें जीसैट-15 उपग्रह का उपयोग कर 24x7 प्रसारण उपलब्ध कराया जायेगा।

***नेशनल एकेडमिक डिपाजिटरी* (NAD)**

- यह अकादमिक अवार्ड अर्थात् प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्क-शीट आदि के लिए 24 x 7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है। इन्हें सभी शैक्षणिक संस्थाओं/बोर्डों/पात्रता आकलन निकायों द्वारा विधिवत डिजिटलीकृत और दर्ज किया गया है।
- यह अकादमिक अवार्ड की आसान उपलब्धता एवं पुनः प्राप्ति सुनिश्चित करता है। यह इनकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने के साथ ही इसकी गारंटी भी देता है।

प्रोग्राम 17 फॉर 17

- 2017 के लिए 17 बिन्दु कार्य योजना – उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने तथा डिजिटल परिसरों के निर्माण के लिए।
- इस कार्य योजना में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से, शैक्षणिक संस्थानों में प्रारंभ किया गए डिजिटल वित्तीय लेन-देन, सार्वभौमिक डिजिटल शिक्षा की उपलब्धता जैसे उपायों को शामिल किया गया है।

महत्व

- यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य, राज्यों के बीच एवं राज्य के भीतर, शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में व्याप्त अंतरों को दूर करने में सहायता करता है।
- यह सस्ती, आसानी से सुलभ तथा *इंटरैक्टिव* है। यह लोगों को अपनी गति से सीखने की सुविधा प्रदान करती है।

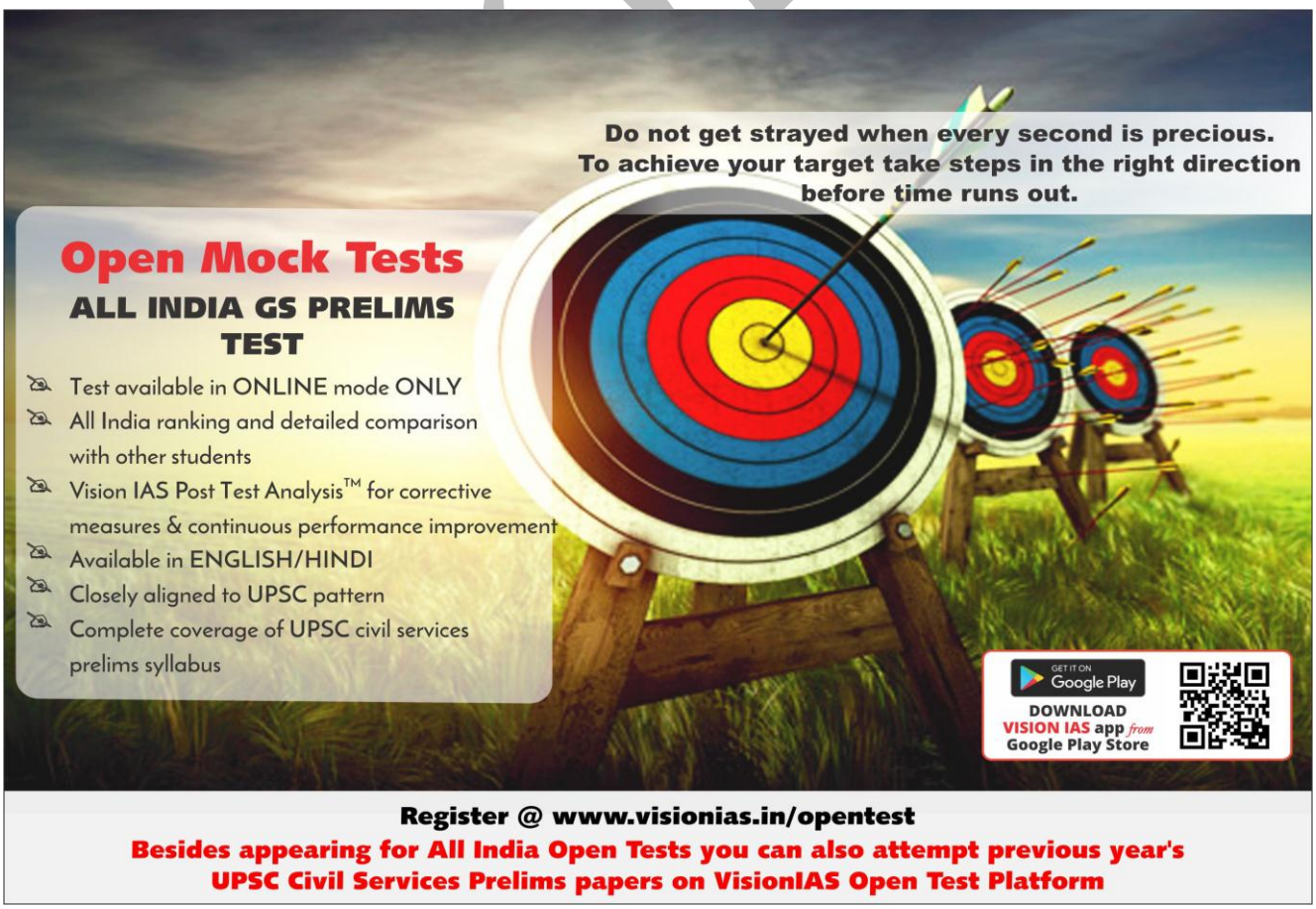

8. संस्कृति

(CULTURE)

8.1. अहमदाबाद को भारत की प्रथम वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा

(Ahmedabad Becomes India's First World Heritage City)

- क्राको, पोलैंड में संपन्न वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी (WHC) की बैठक के 42वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा अहमदाबाद के 606 वर्ष पुराने चारदीवारी युक्त शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया।
- आधुनिक अहमदाबाद की स्थापना 1411 ईस्वी में अहमद शाह द्वारा आशावल और कर्णावती के प्राचीन स्थलों पर की गई थी।
- 3.75 से 4 लाख की आबादी वाले इस शहर में लगभग 600 'पोल' (अर्थात सदियों पुराने घरों के समूह जिनमें कई परिवार एक साथ रहते हैं) हैं जो यहाँ की जीवंत विरासत हैं।
- इस शहर में विद्यमान हिंदू और जैन मंदिरों तथा इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला का समृद्ध मिश्रण इसकी सामासिक संस्कृति का परिचायक है।

8.2. संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थलों की सूची

(List Of World Heritage In Danger)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अनुच्छेद 11(4) के अनुरूप 54 परिसम्पत्तियों को संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थलों (WORLD HERITAGE IN DANGER) की सूची में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है।

यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन

- यह कन्वेंशन, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सम्मिलित किए जा सकने वाले प्राकृतिक या सांस्कृतिक स्थलों को परिभाषित करता है।
- "वर्ल्ड हेरिटेज सिटी" तथा "संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल" जैसी गतिविधियां यूनेस्को के इसी कन्वेंशन के तहत आती हैं।

संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थलों की सूची

- "इन-डेंजर" सूची अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उन स्थितियों से अवगत कराती है जो किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की उन विशेषताओं हेतु संकटप्रद है जिनके आधार पर उस परिसम्पत्ति को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सम्मिलित किया गया था। इसके साथ ही यह सरकारों को उन स्थलों को संरक्षित करने हेतु कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- इस सूची में कोई भी भारतीय स्थल नहीं है।

8.3. AMASR एक्ट में परिवर्तन

(Changes To The AMSAR Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम(Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act: AMASR), 1958 में संशोधन का अनुमोदन कर दिया है। अब इन संरचनाओं के समीप "सार्वजनिक निर्माण कार्य" किये जा सकते हैं।

पृष्ठभूमि

- स्मारकों के निकट अतिक्रमण और अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहे थे एवं AMASR अधिनियम में दंड प्रावधान प्रभावी प्रतिरोध के लिए पर्याप्त नहीं थे।
- AMASR एक्ट में 2010 में कई संशोधन किये गए थे। ये संशोधन मुख्य रूप से प्रत्येक राष्ट्रीय स्मारक के आसपास एक 'निषिद्ध क्षेत्र' तथा 'विनियमित क्षेत्र' के निर्माण पर केन्द्रित थे। इसका उद्देश्य निर्माण गतिविधियों को विनियमित करना था।
- प्रत्येक स्मारक की अद्वितीय प्रकृति को देखते हुए इस अधिनियम में प्रत्येक स्मारक के लिए विशेषज्ञ निकाय द्वारा विरासत संबंधी उप-नियमों(bye-laws) का निर्माण प्रस्तावित किया गया था।

नवीन संशोधन क्यों?

- संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित स्मारक के निषिद्ध क्षेत्र के भीतर नए निर्माण का निषेध विभिन्न सार्वजनिक निर्माण कार्यों एवं केन्द्र सरकार की विकासात्मक परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।
- AMASR संशोधन विधेयक, 2017 इस अधिनियम के अंतर्गत 'सार्वजनिक निर्माण कार्यों' की नई परिभाषा के सृजन की मांग भी करता है।

संशोधन के साथ समस्याएँ

- कोई भी निर्माण, चाहे वह सार्वजनिक परियोजना के लिए हो या निजी उद्देश्य के लिए; स्मारक हेतु जोखिम उत्पन्न करेगा। इस तरह का निर्माण स्मारक के लिए खतरा उत्पन्न न करे, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए यह सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं है।
- "सार्वजनिक निर्माण कार्य" आम तौर पर बड़ी अवसंरचना परियोजनाएँ होती हैं। इन्हें निकटवर्ती क्षेत्रों में अनुमति प्रदान करना AMASR अधिनियम के पूरे उद्देश्य को ही समाप्त कर देगा। इसके साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद 49 का उल्लंघन होगा।

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम (AMASR Act)

- राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों के रूप में निर्दिष्ट स्मारक, AMSAR अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित किये गए हैं।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इन स्मारकों का संरक्षक है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 3600 से अधिक स्मारकों और स्थलों को केंद्रीय संरक्षण प्राप्त है।

8.4. भारत में मनेगा फालुन गोंग उत्सव

(India To Celebrate Falun Gong)

- चीन में प्रतिबंधित प्राचीन चीनी आध्यात्मिक पद्धति, फालुन गोंग के महत्त्व को रेखांकित करते हुए इसे एक उत्सव के रूप में राजधानी में 15 जुलाई को मनाया गया। इस अवसर पर शांतिपूर्ण जूलूस निकाला गया और 'मानव शब्द श्रंखला (and Human Word Formation)' का निर्माण किया गया।
- फालुन गोंग (जिसे फालुन दाफा भी कहा जाता है) 80 के दशक के बाद के वर्षों में तथाकथित "किगोंग बूम" से उत्पन्न हुआ। किगोंग ऐसा सर्वसमावेशी शब्द (अम्ब्रेला टर्म) है जो ध्यान, मंद गति व्यायाम, विनियमित श्वास-प्रश्वास इत्यादि कई प्रथाओं को समाविष्ट करता है।
- यह अधिकतर किगोंग समूहों से इस अर्थ में भिन्न है कि यह व्यायाम को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं से संयुक्त करता है।

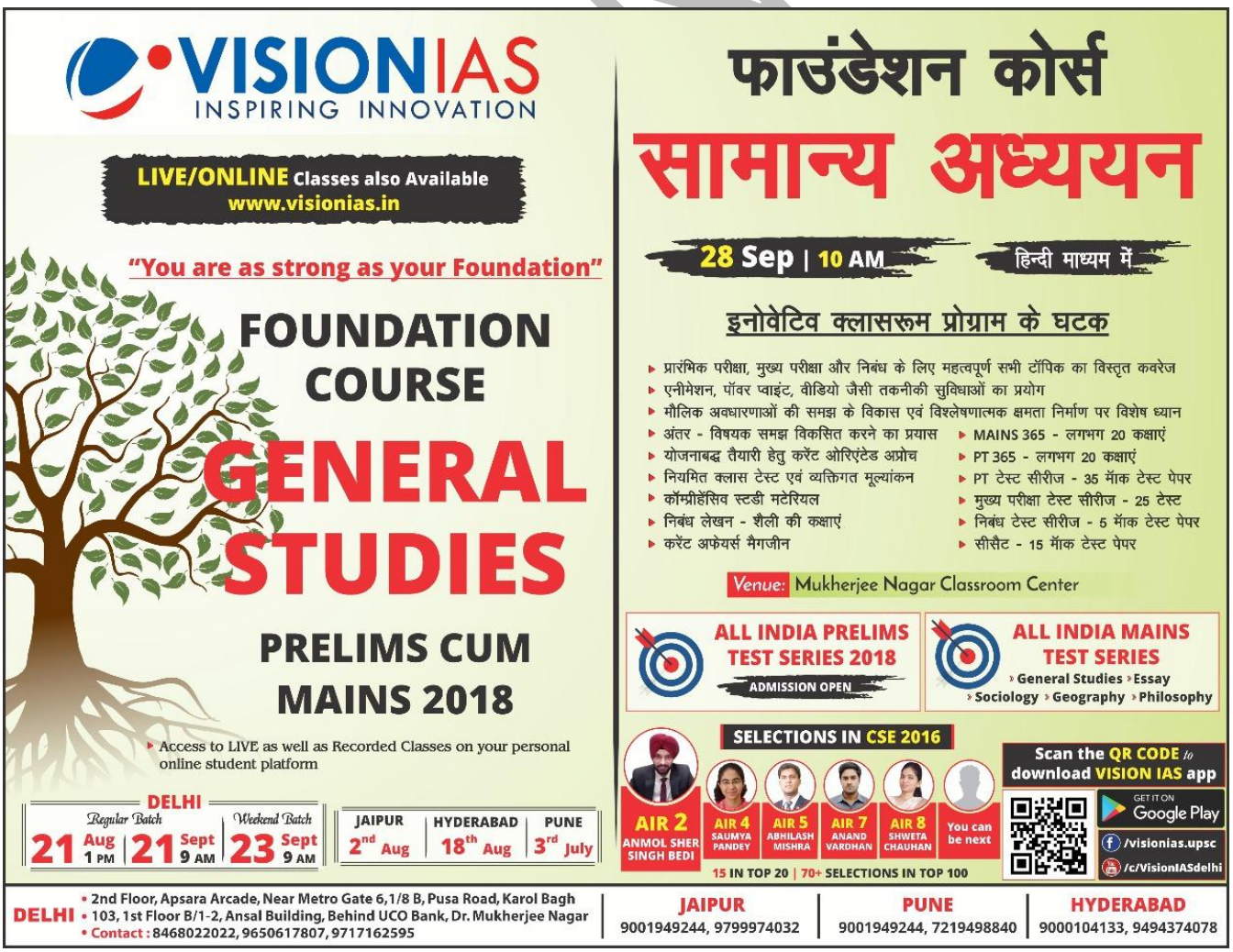

8.5. 2011 के भाषायी आँकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं

(2011 Language Data Still Not Public)

सुर्ख़ियों में क्यों

- एक ओर जहाँ एक ओर भारत अपनी अगली जनगणना का आयोजन करने जा रहा है, वहीं अब तक 2011 में एकत्रित किये गए भाषा संबंधी आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

पृष्ठभूमि

- 1971 के बाद से, जनगणना में केवल उन भाषाओं के नाम का उल्लेख करने का निर्णय किया गया जिन्हें बोलने वालों की संख्या 10,000 से अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप 1971 की सूची में मात्र 108 भाषाओँ का उल्लेख किया गया जबकि एक दशक पूर्व यह संख्या 1,652 थी।
- 2001 के भाषा संबंधी आंकडों में 22 अनुसूचित भाषाओं और सौ अन्य भाषाओं के आंकड़े थे। यह सूची मिश्रित है क्योंकि इसके निर्माण हेतु कई भाषाओं को एक ही समूह के अंतर्गत रख दिया गया था। उदाहरण के लिए, कई दर्जन अलग-अलग भाषाओं को 'भीली' कैप्शन के अंतर्गत रखा गया।
- हालाँकि 1991 और 2001 में कम से कम आंकड़ों को प्रकट किया गया था। जबकि 2011 के आंकड़े अब तक ज्ञात नहीं हैं भले ही हम 2021 की जनगणना के निकट हैं।

इन आंकड़ों को प्रकट क्यों किया जाना चाहिए?

- समुदायों के भाषा संबंधी अधिकार को सुनिश्चित और सुरक्षित करना राज्य का दायित्व है।
- यूनेस्को भाषा को अविच्छेद्य (inalienable) सांस्कृतिक अधिकार के रूप में उल्लिखित करता रहा है। इसे पहले से ही सतत विकास लक्ष्यों के घोषणा पत्र में अंतर्निहित किया गया है। भारत इस घोषणा पत्र का औपचारिक हस्ताक्षरकर्ता है।

भाषा के लुप्त (language loss) होने का प्रभाव

- समुदाय की भाषा की उपेक्षा एवं इसकी भाषा का लुप्त होना प्रवासन के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है।
- बच्चों को उनके घरों या उनके समुदाय में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना वैज्ञानिक दृष्टि से उनकी संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमाताओं के पूर्ण विकास में सहयोग प्रदान करता है।
- यह नागरिकों को उनकी भाषाई नागरिकता से वंचित कर भारत को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होने से वंचित करता है।
- पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए गोरखालैंड आंदोलन जैसे आंदोलन अन्य राज्यों में भी हो सकते हैं।

9. नैतिकता

(ETHICS)

9.1. व्हिसलब्लोइंग का नैतिक आधार

(Ethics of Whistleblowing)

व्हिसलब्लोइंग से आशय किसी संगठन में होने वाले अपकृत्यों के प्रति ध्यान आकृष्ट है। व्हिसलब्लोइंग में कई नैतिक मुद्दे समाविष्ट हैं जैसे - क्या संगठन के प्रति **विश्वासघाती** होना सही है या दूसरों के लाभ एवं समाज के प्रति **नैतिक प्रतिबद्धता** के कारण अपकृत्यों के विषय में जानकारी साझा करना सही है। इस कदम से कोई व्यक्ति अपने साथी कर्मचारियों के मध्य **विश्वास खो भी** सकता है परन्तु इसके कई सकारात्मक दूरगामी प्रभाव होते हैं:

- यह समाज तथा संगठन के अन्य सदस्यों में भी इस प्रकार के **उत्तरदायित्व की भावना** उत्पन्न कर सकता है।
- व्यापार और नैतिकता का संयोजन दीर्घावधि में संगठन के लाभ और प्रतिष्ठा का संरक्षण करता है।
- यह विधि के शासन को बढ़ावा देता है और एडवर्ड स्नोडेन द्वारा किये गए रहस्योद्घाटन जैसे मामलों में निजता के संरक्षण एवं लोकतंत्र की वास्तविक भावना का संरक्षण करने की दृष्टि से मानवता की अप्रतिम सेवा करता है।

व्हिसलब्लोअर द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले मूल्य इस प्रकार हैं:

- **साहस**– अपने संगठन के विरुद्ध खड़े होने के लिए नैतिक साहस एवं अपने जीवन में स्थायित्व खोने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता होती है।
- **आत्म बलिदान**– वे अपनी कीमत पर सार्वजनिक हित के लिए कार्य करते हैं।
- **कर्तव्यनिष्ठ एवं कानून का सम्मान करने वाले**– किन्तु इसके साथ ही संगठन के साथ अनुबंध के उल्लंघन करने में नैतिकता के उल्लंघन की दुविधा भी होती है।

हालाँकि, लोक सेवकों द्वारा व्हिसलब्लोइंग या सरकार के अपकृत्यों को प्रकट करने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग संबंधी आयाम उपर्युक्त आयामों से कहीं अधिक है। हाल ही में सामने आये DIG रूपा के स्थानांतरण के मामले के कारण लोक सेवकों द्वारा व्हिसलब्लोइंग की नैतिकता पर बहस आरम्भ हो गयी है। ध्यातव्य है कि DIG रूपा ने बेंगलुरू कारागार में भ्रष्ट गतिविधियों तथा वहां जारी VIP संस्कृति को उजागर किया। यह प्रकरण **सिविल सेवा के आचरण संबंधी नियमों** के उल्लंघन का प्रतीत होता है। इन नियमों को पिछले वर्ष इस प्रकार संशोधित किया गया है कि सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों की आलोचना को स्पष्ट रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई के योग्य माना जायेगा। लोक सेवकों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाईयाँ केवल भारत तक ही सीमित नहीं हैं। उन्नत लोकतंत्रों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटेन में भी ऐसी कार्रवाईयाँ की जाती हैं।

हालांकि लोक सेवक द्वारा की जाने वाली व्हिसलब्लोइंग, आचरण सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन एवं लोक सेवक से अपेक्षित गोपनीयता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है तथापि इससे कुछ मूल्यों की रक्षा भी होती है। यथा:

- **सत्यनिष्ठा** – अपकृत्यों को प्रकट करने के लिए संगठन के विरुद्ध जाकर वे अन्य लोगों द्वारा लोक सेवक पद का दुरूपयोग रोककर सत्यनिष्ठा की रक्षा कर रहे हैं।
- **जनता का विश्वास एवं वैधता** – यह जनता के विश्वास एवं सरकार की वैधता को सशक्त करती है इस रूप में वे संविधान एवं कानून की रक्षा करते हैं।
- **निष्पक्षता**– इसके माध्यम से जनता के बीच यह संदेश जाता है कि लोक सेवक अपनी कार्रवाईयों में निष्पक्ष हैं एवं नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करते हैं।
- **पारदर्शिता**– वे शासन में पारदर्शिता बनाए रखते हैं और अपनी गतिविधियों के विषय में जनता के प्रति जिम्मेदार बने रहते हैं।
- वर्तमान राजनीतिक आकाओं के प्रति नहीं बल्कि जनता के प्रति **जवाबदेही**।

वस्तुतः ऐसा नहीं है कि लोक-सेवकों को अपकृत्यों का प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए।परन्तु उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए वक्तव्य रचनात्मक आलोचना पर आधारित होना चाहिए।ऐसा केवल तभी किया जाना चाहिए जबकि उस समस्या के समाधान के लिए संभव सभी आंतरिक व्यवस्थाओं का उपयोग किया जा चुका हो।यदि इस प्रकार से यह कार्य किया जाए, तो यह पेशेवर व्यवहार के साथ उनकी नौकरशाहों की प्रतिबद्धता के अनुरूप होगा। इस प्रकार वे देश संविधान की सेवा कर पाएंगे। इस प्रकार, लोक सेवक द्वारा व्हिसलब्लोइंग को केवल तभी नैतिक कहा जा सकता है जबकि यह सही प्रक्रिया तथा उचित एवं नैतिक प्रयोजनों पर आधारित हो।

VISION IAS

9.2. गर्भपात का नैतिक आधार

(Ethics of Abortion)

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 32 सप्ताह की गर्भवती 10 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के गर्भपात अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। इस घटना ने एक बार पुन: मामले दर मामले के आधार पर परिवर्तनीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की उपयुक्तता के साथ-साथ गर्भपात के नैतिक आयामों पर बहस एवं चर्चाओं को जन्म दिया है।

महिलाओं के संबंध में नैतिक मुद्दे

- **महिला स्वास्थ्य –** गर्भावस्था महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है किन्तु अवांछित गर्भधारण महिलाओं के मानसिक कल्याण को भी प्रभावित करता है।
- **महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता** – इस सम्बन्ध में महिला की इच्छा और आकांक्षाओं पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 9 महीनों के बाद और भविष्य में भी वही उस बच्चे की देखभाल करेगी। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि स्वेच्छा से गर्भधारण करने वाली महिला किसी विवशता में ही गर्भपात जैसा कदम उठाना चाहेगी।
- **महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता**– गर्भपात पर प्रतिबंध महिलाओं के जनन विकल्पों(reproductive choices) को सीमित करता है सैधांतिक रूप से जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए। साथ ही कानूनी प्रतिबंधों से गर्भपातों में कमी नहीं आएगी अपितु इससे अवैध एवं असुरक्षित गर्भपातों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी।

भ्रूण के संबंध में नैतिक मुद्दे

- **भ्रूण का जीवन का अधिकार**– गर्भपात जीवित प्राणी की हत्या करने के समान होता है। यहाँ प्रत्येक भ्रूण की गरिमा और महत्व का प्रश्न है।
- **माँ की जिम्मेदारी** - बच्चे की देखभाल अनैच्छिक दासता एवं पराधीनता के समान नहीं समझी जानी चाहिए अपितु यह दो जीवों के बीच साझा किया जाने वाला विशिष्ट संबंध है।

सामान्य समाज के संबंध में नैतिक मुद्दे

- जीवन का महत्व - भावी बच्चे के जीवन की रक्षा करने तथा जीवन को महत्व देने में " राज्य का अनिवार्य हित" भी अन्तर्निहित है।राज्य का उत्तरदायित्व है कि यह ऐसे व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करे जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते।
- **माता-पिता संबंध की बदलती प्रकृति** – क्योंकि अब माता-पिता हेतु बच्चा चाहना या ना चाहना विचारणीय मुद्दा नहीं रहा अपितु उनके लिए विचारणीय प्रश्न यह है की किसी विशेष विशिष्टता से युक्त बच्चे को वे चाहते हैं या नहीं।
- **समावेशी मूल्य –** जिसके अंतर्गत विकलांग बच्चों सहित सभी बच्चों से सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाता है तथा उन्हें नष्ट की जाने वाली वस्तु के रूप में नहीं देखा जाता है। गर्भपात *कुछ जन्म लेने वाले शिशु में कुछ अनिच्छित विशेषताओं* से बचने के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था नहीं बननी चाहिए।
- **मातृत्व की स्वैच्छिक स्वीकृति** – महिलाओं को इस तथ्य से इनकार नहीं करना चाहिए कि उसका मातृत्व बच्चे के जन्म के बाद नहीं अपितु उसके गर्भ में जीवन का आरम्भ होने की अवस्था से ही प्रारम्भ हो जाता है।
- **पैदा हो चुके बच्चों के अधिकार**– कई बार, माँ अपने सीमित संसाधनों को अधिकाधिक बच्चों में विभाजित करने के स्थान पर मौजूदा बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए गर्भपात चाहती है।

संभवत: भ्रूण के अस्तित्व के संबंध में निर्णय करने के महिला के अधिकार को भ्रूण के जीवित रहने के अधिकार से संतुलित किया जाना चाहिए।राज्य सर्वोत्तम प्रयास के रूप में गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चों को जन्म देने हेतु सहमत करने के लिए परामर्श देने, रोजगार सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, एवं वित्तीय समर्थन पर ध्यान केन्द्रित कर सकता है। राज्य को गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक पारित कर 20 सप्ताह की विवेकाधीन ऊपरी सीमा जैसे कानूनी बाधाओं को भी समाप्त करना चाहिए तथा अवैध गर्भपात जैसी बुराइयों के प्रसार पर रोक लगानी चाहिए।

VISION IAS

10. विविध

(MISCELLANEOUS)

10.1. पुडुचेरी में उपराज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री

(LG VS CM In Puducherry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पुडुचेरी में उपराज्यपाल(LG) और मुख्यमंत्री के मध्य प्रशासन को लेकर शक्ति संघर्ष चल रहा है। हाल ही में LG द्वारा राज्य विधायिका में 3 नेताओं के मनोनयन के परिणामस्वरूप यह टकराव बढ़ गया है।

मुख्यमंत्री क्यों विरोध कर रहे हैं?

- यह लोकतांत्रिक मानदंडों और परिपाटी के विरुद्ध है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार की उपेक्षा करता है।
- मीडिया को सूचित किए बिना अचानक शपथ दिलाकर प्रक्रियात्मक उल्लंघन किया गया है। इसके साथ ही केवल विधानसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाकर सदस्यों को सम्मिलित करने का अधिकार है।

विधायिका में अन्य प्रकार के मनोनयन

- पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व न पाने वाले समुदाय के लिए- लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 सदस्य और जम्मू-कश्मीर में 2 महिला सदस्य।
- **किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त सदस्यों** के लिए यथा राज्य सभा में विज्ञान, कला, साहित्य और सामाजिक सेवा में विशेषज्ञता वाले 12 सदस्यों का मनोनयन

क़ानून क्या कहता है?

- अनुच्छेद 239(ए) संसद को पुडुचेरी में विधायिका के रूप में कार्य करने हेतु निर्वाचित या आंशिक रूप से मनोनीत और अंशतः निर्वाचित निकाय के निर्माण के लिए कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता है।
- संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 जो पुडुचेरी को नियंत्रित करता है, के अनुसार; "इसकी विधानसभा में केंद्र द्वारा तीन सदस्य नामित किए जा सकते हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार को कानून द्वारा मनोनयन का अधिकार है।"
- परन्तु इस कानून में इसके पालन की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। कोई नियम या अधिसूचना न होने के कारण इस सन्दर्भ में विभिन्न व्याख्याएँ की जाती हैं।

10.2. मंत्रालयों का विलय

(Merging of Ministries)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार द्वारा **शहरी विकास मंत्रालय (MoUD)** तथा **आवासीय और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (MoHUPA) का विलय** कर दिया गया। अब इसे **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** कहा जाएगा।

पृष्ठभूमि

- यह विलय अक्टूबर 2016 में गठित 'सचिवों के समूह' की संस्तुतियों के आधार पर किया गया।
- 2004 में दो स्वतंत्र मंत्रालयों के रूप में विभाजित होने से पूर्व MoUD और MoHUPA एक इकाई थे।

महत्व

- यह बेहतर आयोजन (planning) तथा सरकारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में सहायता करेगा। इससे उच्च दक्षता और बेहतर समन्वित प्रयास हो सकेंगे तथा 'स्मार्ट सिटी योजना' जैसे कई अतिव्यापी (overlapping) कार्य अधिक सुव्यवस्थित हो सकेंगे।

सचिवों का समूह

- केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2016 में सचिवों के 10 समूहों का गठन किया गया।
- इनका निर्माण क्षेत्रक विशिष्ट आधार पर यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास आदि के लिए किया गया था। इनका उद्देश्य हर क्षेत्र से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों को रेखांकित करना और उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने हेतु व्यावहारिक उपाय सुझाना था।
- उनके लिए कार्य की शर्तें जनांकिकीय लाभांश, गरीबी उन्मूलन, तथा सरकार का '*मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट*' थीं।

VISION IAS

अन्य संस्तुतियाँ:

- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का निगमीकरण करना।
- ***इकोनॉमी ऑफ स्केल*** हेतु फार्मास्यूटिकल और आयुष को स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत लाना।

10.3. राज्य ध्वज का मुद्दा

(State Flag Issue)

- कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य के लिए एक अलग ध्वज तैयार करने और इसे वैधानिक अस्तित्व देने की संभावना का अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन कर उसे सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
- इससे पहले से ही इसका एक लाल और पीले रंग का अनौपचारिक राज्य ध्वज है। इसे 1960 के दशक से हर वर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर फहराया जाता है।
- यदि पृथक ध्वज की माँग को स्वीकार कर लिया जाता है तो जम्मू-कश्मीर (जिसे संविधान की धारा 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है) के बाद कर्नाटक दूसरा ऐसा राज्य होगा जिसका अपना औपचारिक ध्वज होगा।
- **एस.आर. बोम्मई बनाम भारतीय संघ** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि **संघवाद**, संविधान की एक मूलभूत विशेषता है और राज्य अपनी परिधि में सर्वोच्च हैं। इसलिए, राज्य ध्वज अनाधिकृत नहीं है। हालांकि, राज्य ध्वज फहराए जाने की प्रक्रिया में राष्ट्रीय ध्वज का अनादर नहीं होना चाहिए।

10.4. IIIT (PPP) विधेयक, 2017

IIIT (PPP) BILL, 2017

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान–सार्वजनिक निजी भागीदारी (IIIT-PPP) विधेयक, 2017** पारित किया है जो **PPP मॉडल** पर स्थापित 15 IIITs को डिग्री प्रदान करने और वैधानिक दर्जा प्राप्त करने की अनुमति देता है।

प्रमुख अंश

- यह विधेयक सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से स्थापित वर्तमान 15 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को **राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं** के रूप में स्थापित करने की घोषणा करता है।
- यह कदम स्नातक विद्यार्थियों के लिए रोजगार-प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि करेगा।
- यह देश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक **मजबूत शोध आधार** विकसित करने के लिए पर्याप्त विद्यार्थियों को आकर्षित करने हेतु संस्थानों को सक्षम भी बनाएगा।

राष्ट्रीय महत्व के संस्थान

- इन्हें संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है।
- वे देश/राज्य के विशिष्ट क्षेत्र के भीतर अत्यधिक कुशल कर्मियों के विकास में एक प्रमुख कारक के रूप में कार्य करते हैं।
- इन्हें आम तौर पर भारत सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा शोध, शिक्षण तथा शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों (centers of excellence) की स्थापना हेतु समर्थन प्रदान किया जाता है।

10.5. आयकर सेतु

(Aaykar Setu)

- **वित्त मंत्रालय** के एक विभाग **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)** ने **आयकर सेतु** नाम का एक नया ऐप लांच किया है।
    - यह ऐप डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है। यह उपयोगकर्ताओं को प्रत्यक्ष करों की सूक्ष्मताओं को समझने, आय कर फ़ाइल करने, PAN के लिए आवेदन करने, TDS विवरण की जाँच, तथा उपयुक्त प्राधिकारियों तक शिकायत पहुँचाने में सहायता करता है।
    - यह उपयोगकर्ताओं को अपने आधार कार्ड को अपने पैन से जोड़ने में भी सहायता करता है।

10.6. इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट

(International Rice Research Institute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में वाराणसी के राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर :NSRTC) परिसर में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट (IRRI) का साउथ एशिया रीजनल सेंटर (ISARC) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट

- IRRI एक इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग आर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय फ़िलीपींस में है।
- इसका उद्देश्य गरीबी और भूख का उन्मूलन, चावल उत्पादित करने वाले कृषकों एवं उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य में सुधार और चावल की कृषि के लिए पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।

पृष्ठभूमि

- वाराणसी में चावल मूल्य संवर्धन का एक उत्कृष्टता केंद्र (CERVA) स्थापित किया जाएगा। इसमें अनाज तथा पुआल में भारी धातुओं की गुणवत्ता व मात्रा का निर्धारण करने की क्षमता वाली एक **अत्याधुनिक और परिष्कृत प्रयोगशाला** भी शामिल है ।
- यह **पूर्वी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र** होगा तथा चावल उत्पादन को उन्नत एवं सतत बनाये रखने में प्रमुख भूमिका निभाएगा।

10.7. कंक्रीट वायु प्रदूषण के नियंत्रण में सहायता कर सकता है

(Concrete May Help Curb Air Pollution)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- *जर्नल ऑफ़ केमिकल इंजीनियरिंग* में प्रकाशित अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कंक्रीट का उपयोग किया जा सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- कंक्रीट से बनी सतह वायु प्रदूषण से निपटने में सहायता कर सकती है क्योंकि यह एक प्रमुख प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है।
- विद्युत् संयंत्रों और सीमेंट की फैक्टरियों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड वैश्विक स्तर पर वायु के सबसे आम प्रदूषकों में से एक है।
- वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपशिष्ट कंक्रीट का उपयोग करने की कार्यप्रणाली विकसित करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
- इसमें प्रत्येक दृष्टिकोण से लाभ है क्योंकि कम अपशिष्ट उत्पन्न होगा और साथ ही साथ वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी।

10.8. मिज़ो शांति समझौता

(Mizo Peace Accord)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में मिज़ो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की 31वीं वर्षगांठ मनाई गई।

मिज़ो शांति समझौता – पृष्ठभूमि

- मिजोरम राज्य में 20 साल के विद्रोह और हिंसा के बाद 30 जून 1986 को **भारत सरकार और मिज़ो नेशनल फ्रंट** के बीच मिज़ो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- 1959 में, मिज़ो हिल्स **'मौतम'(Mautam)** नामक एक अकाल के कारण नष्ट हो गए थे। मिज़ो सोसाइटी (जिसे बाद में **मिज़ो नेशनल फ्रंट-MNF** कहा गया) ने अकाल से राहत की माँग का नेतृत्व किया और सरकार की निष्क्रियता का विरोध किया।
- अकाल के पश्चात ग्रेटर मिजोरम की संप्रभुता की माँग MNF का लक्ष्य बन गया। इसकी परिकल्पना भारत से स्वतंत्र एक राज्य के रूप में की गयी थी जिसमें त्रिपुरा, मणिपुर के सीमावर्ती क्षेत्र और असम का कछार जिला शामिल होते।
- सरकार के विरुद्ध MNF द्वारा किये गए विद्रोह के बाद कई वर्षों तक भूमिगत गतिविधियाँ भी जारी रहीं। हालांकि, MNF मिजो जिले का प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त करने में असफल रहा।

- यद्यपि भारत सरकार ने 1966 में MNF द्वारा जब्त किए गए सभी क्षेत्रों को पुनःप्राप्त कर लिया था, तथापि 1986 की शांति वार्ता के पश्चात ही सामान्य स्थिति बन पायी।

निहितार्थ

- इस समझौते के द्वारा तत्कालीन **संघ राज्य क्षेत्र 'मिजोरम'** को राज्य का दर्जा दिया गया।
- इसने विधानसभा की स्थापना की एवं लोकतांत्रिक गतिविधियों को मजबूती प्रदान की।
- इसे मिज़ो इतिहास में निर्णायक पहलू माना जाता है। इस शांति समझौते ने मिजोरम के सामाजिक-आर्थिक विकास को नेतृत्व प्रदान किया।
- इसने मिज़ो जनता और भारतीय सरकार के मध्य संबंधों में सुधार किया।

10.9. IROAF को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार

(IROAF get Golden Peacock Award)

सुर्खियों में क्यों?

- **भारतीय रेलवे संगठन-वैकल्पिक ईंधन (IROAF)** को राष्ट्रीय स्तर पर ***इको-इनोवेशन*** **के लिए वर्ष 2017 के '*गोल्डन पीकॉक अवार्ड*'** से सम्मानित किया गया।

- ***इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स*** द्वारा 1991 में **गोल्डन पीकॉक अवार्ड** स्थापित किया गया था।
- यह वैश्विक स्तर पर *कॉर्पोरेट एक्सीलेंस* का एक बेंचमार्क माना जाता है।

- IROAF को डेमू (DEMU) यात्री रेल सेवाओं में जीवाश्म ईंधन (डीज़ल) को पर्यावरण-अनुकूल CNG द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए भी पुरस्कृत किया गया है।

10.10. विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय

(Director General of Analytics and Risk Manage)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन निदेशालय (DGARM) के डायरेक्टरेट जनरल की व्यवस्था की गयी है।

यह क्या है?

- **DGARM द्वारा खुफिया जानकारी एवं आकड़ों का व्यापक पैमाने पर विश्लेषण किया जाएगा तथा यह आकड़ों के शोध के लिए बाहरी और आंतरिक स्रोतों का उपयोग करेगा।**
- DGARM को चार लम्बवत अथवा सामानांतर भागों विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक का अध्यक्ष एक अतिरिक्त महानिदेशक या ADG स्तर का अधिकारी होगा। ये CBEC के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। DGARM के ये चारों भाग इस प्रकार हैं:
    - **राष्ट्रीय लक्ष्यीकरण केंद्र-** इसे देश की सीमा पार करने वाले यात्रियों और जोखिम युक्त सामानों को लक्षित करते हुए, जोखिम के विश्लेषणों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।
    - **सेंटर फॉर बिज़नेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स–** यह CBEC की सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पहचान के लिए जवाबदेह होगा। इसके लिए यह *इन्टरनल डाटा फ़ील्ड्स* का उपयोग करेगा।
    - **वस्तु और सेवा कर के लिए जोखिम प्रबंधन केंद्र –** यह आवश्यक जानकारी एकत्र करने व समन्वित दृष्टिकोण को अपनाने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करेगा। इस तंत्र के माध्यम से जाँच (scrutiny), लेखा-परीक्षण (audit) और प्रवर्तन (enforcement) कार्यों के उद्देश्य से जोखिम-आधारित पहचान (risk-based identification) के परिणामों को भी साझा किया जाएगा।
    - **शुल्क के लिए जोखिम प्रबंधन केंद्र -** यह समुद्र, वायु और भूमि के माध्यम से सीमाओं के पार जाने वाले जोखिमयुक्त कार्गो के मूल्यांकन और उनको लक्षित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS